

भारत
के
नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का

31 मार्च 2001 को समाप्त हुए वर्ष का

प्रतिवेदन

(सिविल)

बिहार सरकार

http://cagindia.org/states/bihar/2001

विषय – सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		ix
विहंगावलोकन		xi-xxiii
अध्याय–I		
राज्य सरकार के वित्त पर एक विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1	1
राज्य की वित्तीय स्थिति	1.2	1-2
निधि का स्रोत एवं उपयोग	1.3	2-9
राज्य सरकार का वित्तीय संचालन	1.4	10-13
राजस्व प्राप्तियाँ	1.5	14
राजस्व व्यय	1.6	15-16
पूँजीगत व्यय	1.7	16-17
व्यय की गुणवत्ता	1.8	17-18
वित्तीय प्रबन्धन	1.9	18-22
लोक ऋण	1.10	23-24
वित्तीय क्रियाकलाप के सूचक	1.11	24-30
अध्याय–II		
विनियोग लेखा परीक्षा एवं व्यय पर नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	34
विनियोग लेखे का सारांश	2.2	34
विनियोग लेखा परीक्षा का परिणाम	2.3	34-39
व्यय एवं बजटीय नियंत्रण	2.4	39

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
अध्याय – III		
असैनिक विभाग		
[redacted]		
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग		
राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के क्रियाकलाप	3.1	43-53
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण	3.2	54-77
माध्यमिक, प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग		
अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम	3.3	78-91
[redacted]		
पर्यावरण एवं वन विभाग		
दायित्व का अनधिकृत सृजन	3.4	92-93
प्रमंडलों में अधिक कर्मी	3.5	93-94
गृह (आरक्षी) विभाग		
निजी सुरक्षा प्रहरियों के रूप में आरक्षी बलों की तैनाती	3.6	94
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग		
अनुचित अवसूलनीय अग्रिमें	3.7	95
कल्याण विभाग		
विशेष केन्द्रीय सहायता का दुरूपयोग	3.8	96

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
अध्याय–IV **कार्य व्यय**		
[illegible]		
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग		
त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना	4.1	99-107
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का क्रियाकलाप	4.2	108-130
[illegible]		
भवन निर्माण एवं आवास विभाग		
दैनिक वेतन भोगी मजदूरों की अवैध नियुक्ति : 2.50 करोड़ रुपये	4.3	131
पथ निर्माण विभाग		
पथ कार्यों में अतिरिक्त व्यय	4.4	132-133
अपूर्ण पुलों पर निष्क्रिय निवेश : 1.16 करोड़ रुपये	4.5	133-134
पथ कार्यों पर निष्फल व्यय : 2.14 करोड़ रुपये	4.6	134-135
उच्चस्तरीय पुल पर 79.60 लाख रुपये का अनुत्पादक व्यय एवं पहुँच–पथ का संदेहात्मक निर्माण : 36.85 लाख रुपये	4.7	135-136
जल संसाधन विभाग		
अकार्यशील कार्यशाला	4.8	136
अध्याय – V **भंडार एवं सामग्री**		
[illegible]		
पथ निर्माण विभाग		
अलकतरा का दुर्विनियोजन तथा अभिलेखों को उपस्थापित करने से निरंतर इंकार	5.1	139

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
अध्याय–VI **स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता**		
[illegible]		
पर्यावरण एवं वन विभाग		
वायु प्रदूषण एवं अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित पर्यावरण अधिनियमों एवं नियमों का क्रियान्वयन	6.1	143-155
[illegible]		
सामान्य	6.2	156-157
सरकारी अनुदानों एवं ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकाय एवं प्राधिकार	6.3	157-158
कृषि विभाग		
कोल्ड स्टोरेज का विलम्ब से निर्माण	6.4	158-159
लीची निर्यात योजना	6.5	159
ग्रामीण विकास विभाग		
एक फर्म को अदेय वित्तीय सहायता : 28 लाख रुपये	6.6	160
शहरी विकास विभाग		
पटना में बस पड़ाव के निर्माण में विलंब	6.7	160-161
शुल्कों का उद्ग्रहण नहीं किये जाने के कारण राजस्व की हानि	6.8	161-162
दसवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों का उपयोग	6.9	162-166

		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
अध्याय – VII			
वाणिज्यिक क्रियाकलाप			
[illegible]			
सामान्य		7.1	169
वित्त विभाग			
राजकीय प्रेसों तथा राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन का कार्यकलाप		7.2	169-177
[illegible]			
I	खण्ड क : सरकारी लेखे खण्ड ख : सूचकांकों/अनुपातों की सूची एवं उनके गणना का आधार	1.1 1.11.2	181 182
II	14 नवम्बर 2000 का परवर्ती बिहार एवं नए राज्य झारखण्ड के बीच संयुक्त बिहार राज्य के परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के बँटवारे को दर्शाती हुई विवरणी	1.1	183
III	राज्य योजना कार्यक्रमों, केन्द्रीय योजना कार्यक्रमों एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत अधिक बचतों की विवरणी	1.8.3	184-198
IV	अपूर्ण सिंचाई परियोजनाएँ, जहाँ वृहत पूँजी अवरूद्ध थी, की सूची	1.9.2	199
V	वित्तीय स्थिति को इंगित करने वाले कार्य–पत्रकों	1.11.2	200-201
VI	नियमन के लिए आवश्यक आधिक्य का विवरण	2.3.1	202
VII	वैसे मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए	2.3.3	203-204
VIII	वैसे मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अधिक साबित हुए	2.3.3	205
IX	वैसे मामले जहाँ बजट प्रावधान से व्यय कम/अधिक हुए	2.3.6	206-214

		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
X	वैसे मामले जिनमें प्रत्येक में 2 करोड़ रुपये से अधिक की सतत बचतें थीं	2.3.7	215-216
XI	नई सेवाएँ/सेवाओं के नए साधन पर बजट प्रावधान से अधिक व्यय	2.3.8	217
XII	नई सेवाएँ/सेवाओं के नये साधन पर बिना बजट प्रावधान के व्यय	2.3.8	218
XIII	प्रत्याशित बचतें जिनका अभ्यर्पण नहीं किया गया	2.3.9	219
XIV	अनुचित/अत्यधिक अभ्यर्पणों की विवरणी	2.3.10	220-222
XV	असमाशोधित व्यय की विवरणी	2.3.12	223
XVI	लेखा परीक्षा को समर्पित नहीं किए गए अभिलेखों (वर्ष 1996–2000) की विवरणी	3.1.4 (iv)	224
XVII	आवश्यकता से अधिक सामग्रियों के क्रय की विवरणी	4.1.10 (i)	225
XVIII	सामग्रियों का विचलन दर्शाती विवरणी	4.1.10 (ii)	226
XIX	अनावश्यक पूरक अनुदान दर्शाती विवरणी	4.2.4.1 (i)	227
XX	अव्ययित प्रावधानित निधियों की विवरणी	4.2.4.1 (v)	228-229
XXI	कुछ अनुदानों के अंतर्गत किये गये अधिक व्यय की विवरणी	4.2.4.1 (viii)	230-231
XXII	वर्ष 1996–2000 का प्रमंडल–वार लक्ष्य एवं उपलब्धि की विवरणी	4.2.5.1	232
XXIII	प्रमंडलवार अधिक सामग्रियों के क्रय की विवरणी	4.2.7 (ii)	233
XXIV	भंडारों के दुर्विनियोजनों की विवरणी	4.2.7.1 (i)	234
XXV	मार्च 2001 तक भुगतित लेकिन 30 सितंबर 2001 तक अप्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र	6.2.1	235

		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
XXVI	निकास, सड़क एवं जलापूर्ति के प्रावधान के तहत् किए गए व्यय की विवरणी	6.9.2 (ii) (ख)	236
XXVII	विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक/अर्द्ध–वाणिज्यिक उपक्रम, जिन्होंने अपने स्थापना काल से ही प्रोफार्मा लेखा तैयार नहीं किया है	7.1	237
XXVIII	विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक/अर्द्ध–वाणिज्यिक उपक्रम जिनके प्रोफॉर्मा लेखे बकाये हैं	7.1	238
XXIX	निष्क्रिय मशीनों के ब्यौरे	7.2.3 (v)	239-241
XXX	अभिकरण–वार बकाये देय का विवरण (सचिवालय प्रेस, गुलजार बाग, पटना)	7.2.5	242-243

प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय I और II में 31 मार्च 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के कमशः वित्त लेखे (1 अप्रील 2000 से 14 नवम्बर 2000 तक संयुक्त बिहार एवं 15 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001 तक परवर्त्ती बिहार) और विनियोग लेखे की जाँच से उत्पन्न मामलों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ शामिल होती हैं।

3. शेष अध्याय निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और लोक कार्य और सिंचाई विभाग, भंडार तथा सामग्री सहित विभिन्न विभागों में लेन–देन, स्वायत्त निकायों और विभाग द्वारा संचालित वाणिज्यिक उपकमों की लेखापरीक्षा से संबंध रखते हैं।

4. सांविधिक निगमों, बोर्डों और सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उठी टिप्पणियों वाला प्रतिवेदन और राजस्व प्राप्तियों पर ऐसी टिप्पणियाँ रखने वाला प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

5. प्रतिवेदन में उल्लेखित मामलें उन में से हैं जो वर्ष 2000–2001 के दौरान लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए तथा उनमें से जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे परंतु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके, वर्ष 2000–2001 की बाद की अवधि से संबंधित मामलें, जहां कहीं आवश्यक हैं, भी शामिल किये गए हैं।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में बिहार सरकार के वित्तीय व्यवस्था एवं लेखे पर दो अध्याय तथा सरकार के वित्तीय लेन देन तथा चयनित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लेखा परीक्षा से उद्‌भूत 6 समीक्षाओं एवं 22 कंडिकाओं को सम्मिलित करते हुये 5 अध्याय शामिल हैं। लेखा–परीक्षा समीक्षाओं एवं महत्त्वपूर्ण कंडिकाओं में अन्तर्निहित लेखा परीक्षा निष्कर्षों का सार इस विहंगावलोकन में सन्निहित है।

1 राज्य सरकार के वित्त पर एक विहंगावलोकन

📖 राज्य सरकार के दायित्त्व में वर्ष 2000–2001 के दौरान 7.35 प्रतिशत की गिरावट आई तथा परिसंपत्तियों में 6.48 प्रतिशत की वृद्धि हुयी जो मुख्यतः नए राज्य झारखण्ड को लोक ऋण (5991 करोड़ रुपये) का बँटवारा किए जाने के परिणामस्वरूप था।

📖 राजस्व प्राप्तियों में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुयी किन्तु सरकारी प्राप्तियों में उनके पारस्परिक अंश वर्ष 1999–2000 के 63.95 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2000–2001 के दौरान 72.34 प्रतिशत हो गया। ऋण एवं अग्रिमों की वसूली का अंश 0.07 प्रशित पर स्थिर था। लोक–लेखे से निवल प्राप्तियों का अंश भी वर्ष 1999–2000 के 7.55 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2000–2001 में 9.99 प्रतिशत हो गया। लोक ऋण से प्राप्तियाँ 16.04 प्रतिशत से आंशिक रुप से बढ़कर 17.62 प्रतिशत हो गयी। परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान रोकड़ शेष में 189 करोड़ रुपये की वृद्धि हुयी।

📖 वर्ष 2000–2001 के दौरान राजस्व व्यय सरकार के कुल व्यय का 89 प्रतिशत था जबकि पूंजीगत व्यय का अंश 7 प्रतिशत के निम्न स्तर पर था। पूँजीगत व्यय में कम निवेश ही परिसंपत्तियों में अल्पवृद्धि का मुख्य कारण थी। लोक व्यय की बर्बादी, निधियों का विचलन एवं अपूर्ण परियोजनाओं में निधियों के अवरूद्ध होने के कारण व्यय की गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ा।

📖 राज्य सरकार की योजना उपलब्धि दयनीय थी। वर्ष 2000–2001 का वार्षिक योजना परिव्यय 3852 करोड़ रुपया था। इसके विरूद्ध 1914 करोड़ रुपये व्यय किये गए थे। वर्ष 2000–2001 के दौरान राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से केन्द्रीय ऋण, बाजार उधार एवं अनुदान के रूप में कुल 2557 करोड़ रुपया प्राप्त किया। इसमें से राज्य सरकार ने 642.92 करोड़ रुपये का बचत किया और इस प्रकार योजनागत् व्यय में अपने संसाधनों से कोई योगदान नहीं दिया।

📖 जहाँ सरकार बाजार से उच्च लागत पर ऋण प्राप्त कर रही थी, सरकारी कंपनियों में उसके निवेश ने कोई लाभ नहीं प्रदान किया। 23 अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं में 2010.85 करोड़ रुपये का वृहत् निष्क्रिय निवेश था।

📖 उपरोक्त विश्लेषण से संकेत मिलता है कि वित्तीय कुप्रबंधन, जिससे वर्ष 1996–2000 के दौरान चिंताजनक वित्तीय स्थिति उत्पन्न हुयी, चालू वर्ष के दौरान और बदतर हो गयी। पिछले वर्षों में अविवेकपूर्ण एवं अनुचित ऋण तथा उनके अनुत्पादक निवेश के परिणामस्वरूप असहय्य ब्याज भार और निवेशों पर तुच्छ फल प्राप्त हुआ।

राज्य ने अपने राजस्व व्यय में कमी का कोई प्रयास नहीं किया एवं दूसरी तरफ, रोकड़ शेष से निकासी कर राजस्व व्यय के रूप में अत्यधिक व्यय किया।

📖 व्यय से निधियों के दुरूपयोग का गंभीर खतरा निश्चित था। बढ़े हुए ब्याज भार एवं कर्मी लागत के कारण राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे को उनके उच्चतम स्तर पर पहुँचा दिया। जबकि राजस्व घाटे में वृद्धि हुयी, फिर भी सरकार ने अपने कर अनुपालन में सुधार नहीं किया तथा मुख्यतः केन्द्र सरकार द्वारा स्थानान्तरण पर निर्भर रही।

(कंडिका 1.1 से 1.11.4)

2 *विनियोग लेखा परीक्षा एवं व्यय पर नियंत्रण*

📖 सरकार ने वर्ष 2000–2001 के दौरान पूरक मांग सहित कुल बजटीय प्रावधान 24201 करोड़ रुपये के विरूद्ध 19253 करोड़ रुपये खर्च किया। 4948 करोड़ रुपये की कुल बचतें 47 अनुदानों के मामलों तथा 11 विनियोग के मामलों में 5660 करोड़ रुपये के बचत, जो 712 करोड़ रुपये के अधिकाई व्यय से प्रतितुलन का परिणाम था और जिसका भारत के संविधान अनुच्छेद 205 के तहत् विनियमन अपेक्षित था। वर्ष 1977–78 से वर्ष 2000–2001 से संबंधित 6986.23 करोड़ रुपये का अधिकाई व्यय दिसंबर 2001 तक विनियमित नहीं था। वर्ष 1977–78 से ही कुल 6966.23 करोड़ रुपये के कुल आधिक्यों में से 5294 करोड़ रुपये (77 प्रतिशत) का आधिक्य विगत् 10 वर्षों की अवधि (वर्ष 1991–92 से वर्ष 2000–2001) के दौरान हुआ था।

📖 वर्ष 2000–2001 के दौरान सरकार द्वारा 6227 करोड़ रुपये के पूरक प्रावधान, कुल बजटीय प्रावधान 17974 करोड़ रुपये का 34.65 प्रतिशत था, जो वर्ष 1999–2000 के 27.82 प्रतिशत के विरूद्ध था। इनमें से 27 मामलों में 765 करोड़ रुपये का पूरक प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक था।

📖 दो वर्षों के दौरान 50 अनुदानों में 2 करोड़ रुपये से अधिक की निरंतर बचत 3 से 75 प्रतिशत तक थी।

📖 एक करोड़ रुपये से अधिक बचत वाले 36 अनुदानों एवं 1 विनियोग में कुल 3230 करोड़ रुपये अभ्यर्पित नहीं थे जबकि 35 मामलों में 107.76 करोड़ रुपये का अभ्यर्पण अनुचित/अधिक था।

📖 629 उपशीर्षों, जिसमें परिवर्त्तन करने के कारण माँगे गए थे, में से 348 मामलों के संदर्भ में बचत/आधिक्य संबंधी कारणों की जानकारी प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को नहीं भेजी गयी थी। अनुदानों पर नियंत्रण करने वाले नियंत्री पदाधिकारी, बचत/आधिक्य के कारणों को सूचित करने में अपने उत्तरदायित्त्व के निर्वहन में लगातार विफल रहे।

📖 विभागीय आँकड़ों एवं महालेखाकार के आँकड़ों में अंतर का मिलान नहीं किए जाने को भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षा के प्रतिवेदन में वर्षों से उल्लेखित किए जा रहे थे। वर्ष 2000–2001 के दौरान विनियोग के 2465 इकाईयों के तहत् 8091 करोड़ रुपये की राशि का मिलान नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.1 से 2.4)

3 राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के क्रियाकलाप

📖 राज्य में आयुर्वेदिक/यूनानी महाविद्यालयों एवं अस्पतालों को स्वास्थ्य देख–रेख के देशी पद्धति में शिक्षा प्रदान करना एवं उसे लोकप्रिय बनाना था। महाविद्यालय/अस्पताल सामान्य संवर्ग के कर्मचारियों से भरे हुए थे जबकि शैक्षिक एवं तकनीकी कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त थी। अधिकांश व्यय कर्मचारियों पर किये गये थे तथा औषधि एवं आहार इत्यादि के लिए काफी कम निधि मुहैया करायी गई थी। महाविद्यालयों एवं अस्पतालों, फार्मेसी एवं अनुसंधान इकाई में स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य देख–रेख, अनुसंधान तथा औषधियों के निर्माण की बुनियादी सुविधाओं का आभाव था। सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ इण्डियन मेडिसिनस के अनुमोदन के बिना ही महाविद्यालय पाठयक्रमों का संचालन करते थे तथा विश्वविद्यालय विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा संचालित करते थे। अतः स्वास्थ्य देख–रेख की देशी पद्धति को लोकप्रिय बनाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ था।

📖 वर्ष 1996–2001 के दौरान आयुर्वेदिक/यूनानी महाविद्यालयों का अधिकांश व्यय (96 प्रतिशत) कर्मचारियों से संबंधित था जबकि औषधियों इत्यादि पर नगण्य व्यय (4 प्रतिशत) किया गया था। राज्य के अस्पतालों में प्रतिरोगी औषधियों पर व्यय 1.30 रुपये से 29.51 रुपये तक था।

📖 प्राचार्य, अराजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेगूसराय द्वारा एक लेखन–सामग्री एवं वस्त्र–बिक्रेता प्रतिष्ठान से बड़ी मात्रा में ऐलोपैथिक दवाओं का क्रय किया गया था। अस्पताल में ऐलोपैथी औषधि पद्धति में योग्यता प्राप्त चिकित्सक नहीं थे।

📖 आयुर्वेदिक/यूनानी महाविद्यालयों में शैक्षिक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी सेन्ट्रल कॉन्सिल ऑफ इन्डियन मेडिसिन्स (सी. सी. आई. एम.) द्वारा निर्धारित माप दंड से काफी कम थे। आयुर्वेदिक महाविद्यालय, बेगूसराय में प्रबंधक, औषधि प्रयोगशाला को आयुर्वेद की कोई डिग्री नहीं थी।

📖 आयुर्वेदिक महाविद्यालय, दरभंगा में वर्ष 1998–2001 के दौरान स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम के अन्तिम परीक्षा में 35 छात्र उपस्थित/उत्तीर्ण हुए जबकि महाविद्यालय में अन्तः सेवा प्रशिक्षण की कोई सुविधा नहीं थी। राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पटना के स्नात्तकोत्तर पाठ्यक्रम में 4 वर्षों से किसी भी छात्र का नामांकन नहीं हुआ था क्योंकि पाठ्यक्रम सेन्ट्रल कॉन्सिल ऑफ इन्डियन मेडिसिन्स द्वारा अनुमोदित नहीं था। इस प्रकार 44 निष्क्रिय कर्मी कार्यरत रहे।

📖 आयुर्वेदिक/यूनानी महाविद्यालयों से संबद्ध अस्पतालों के पास आवश्यक शय्या सामर्थ्य नहीं थी। वे छात्रों को स्वास्थ्य शिक्षा एवं लोगों के स्वास्थ्य देखरेख सेवायें मुहैय्या कराने में समर्थ नहीं थे। अंतःसंरचना की कमी, खराब स्वच्छता तथा पानी, बिजली, शौचालय इत्यादि जैसी बुनियादी सेवाओं के अभाव के कारण पटना तथा बेगूसराय अवस्थित अस्पतालों में शय्याओं का औसतन दखल मात्र 10 प्रतिशत ही था। 5 आयुर्वेदिक/यूनानी महाविद्यालयों में वर्ष 1996–2001 के दौरान चिकित्सक–रोगी अनुपात 1:32 प्रति दिन था और अस्पताल स्वास्थ्य देख–रेख के देशी पद्धति को लोकप्रिय बनाने में विफल रहा।

रोगियों को दिए जाने वाले आहार में प्रोटीन/कैलोरी की उपलब्ध मात्रा को जाँचने हेतु अस्पताल में कोई पद्धति नहीं थी। निर्धारित कैलोरी मात्रा की आवश्यकता को पूरा करने हेतु प्रति रोगी प्रतिदिन खुराक पर व्यय (3.55 रुपये) काफी अपर्याप्त था।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी अनुसंधान इकाई जैविक रसायन, पैथोलॉजी, औषधि–विज्ञान (फार्माकॉलोजी) इत्यादि विभागों के अभाव तथा इन विभागों के लिए समुचित कर्मियों की कमी के कारण अक्रियाशील थी।

(कंडिका 3.1)

4 *रोगों का रोकथाम एवं नियंत्रण*

रोगों के नियंत्रण के लिए केन्द्र प्रायोजित चार वृहत् राष्ट्रीय कार्यक्रम थे। इनमें से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन,ए,सी,पी) का लक्ष्य हयूमन इम्यूनों डिफिसियन्सी वायरस (एच.आई.वी) के प्रसार को कम करना तथा दीर्घकालीन आधार पर एच. आई. वी/एड्स से लड़ने की भारत के सामर्थ्य को सुदृढ़ करना था। राष्टीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम (एन.एल.सी.पी) का लक्ष्य, वर्ष 2000 के अन्त तक कुष्ठ निवारण प्राप्त करना था। राष्टीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम (एन.पी.सी.बी) का लक्ष्य वर्ष 2000 तक 1.4 प्रतिशत से 0.3 प्रतिशत तक अंधापन कम करना था। राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम (एन.टी. सी.पी) का लक्ष्य 85 प्रतिशत से ज्यादा निवारण दर प्राप्त करना था। उपलब्ध निधियों का अल्प उपयोग एवं केन्द्रीय निधियों का दुरूपयोग, आवश्यक अन्तःसंरचना विकसित करने में विफलता, उपकरणों का उपयोग नहीं करने, वाहनों का दुरूपयोग तथा प्रभावकारी अनुश्रवण आदि के अभाव के कारण राज्य में इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन अप्रभावकारी था।

(i) टी॰ बी॰ नियंत्रण कार्यक्रम

वर्ष 1997–99 के दौरान, राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय निधि का 40 प्रतिशत (3.70 करोड़ रुपये) राज्य सरकार द्वारा विमुक्त नहीं किया गया था तथा मार्च 2000 तक 2.33 करोड़ रुपये उपयोग नहीं किया गया था। नमूना जाँचित जिलों में उपलब्ध निधि का मात्र 30 प्रतिशत ही उपयोग किए गए थे।

वर्ष 1996–2000 के दौरान राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत यक्ष्मा रोगियों की पहचान में उपलब्धि 34 से 44 प्रतिशत थी। पुनः मानक के अनुरूप 8.67 करोड़ (वर्ष 1991 के जनगणना) के जनसंख्या के आधार पर 173 यक्ष्मा इकाई एवं 867 अणुवीक्षण केन्द्र स्थापित करना था जबकि जून 2001 तक राज्य में सिर्फ 29 यक्ष्मा इकाई तथा 141 अणुवीक्षण केन्द्र थे। वर्ष 2000–01 के दौरान स्पूटम पॉजिटिव मामले तीव्रता से 10 गुणा के करीब, एक्सट्रा पाल्मोनरी मामले 4 गुणा से अधिक पुनरावृति मामले 5 गुणा, विफल मामले 12 गुणा, चूक मामले 13 गुणा तथा अन्य मामले 20 गुणा बढ़े।

निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन केन्द्र, पटना द्वारा वित्तीय नियमावली की अवहेलना करने से वर्ष 1995–97 के दौरान 46.99 लाख रुपये के गबन को सुगम किया। उपनिदेशक (यक्ष्मा) ने बैंक को संरक्षण देने हेतु कार्यक्रम के कीमत पर मार्च 1998 में 1.08 करोड़ रुपये के निधि का समय से पूर्व आहरण किया।

(ii) कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम

एन.एल.सी.पी. के अंतर्गत वर्ष 1996–97 के दौरान 81.08 लाख रुपये का अधिकाई व्यय तथा वर्ष 1997–2000 के दौरान 4.87 करोड़ रुपये की बचत थी। निधि के अल्प उपयोग के कारण वर्ष 1996–2001 के दौरान भारत सरकार द्वारा 4.19 करोड़ रुपये विमुक्त नहीं किया गया था। मार्च 2001 तक जिला कुष्ठ समितियों के पास 3.52 करोड़ रुपये अव्यवहृत पड़े थे।

राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में पहचान, उपचार एवं रोगियों को दोषमुक्त करने में उपलब्धियाँ लक्ष्य से काफी अधिक प्रतिवेदित की गयी थी। प्रतिवेदित उपलब्धियों की विश्वसनीयता संदिग्ध थी क्योंकि उपलब्ध निधियों का 53 प्रतिशत व्ययित नहीं था। कार्यक्रम के अंतर्गत रोगियों के उपचार के लिए विभिन्न लक्षित सुविधाओं में उपलब्धि शून्य थी। मल्टी ड्रग थेरापी का उपयोग अपर्याप्त था। राष्ट्रीय औसत 5.19 प्रति दस हजार आबादी के विरूद्ध राज्य में कुष्ठ की व्यापकता दर 16.59 प्रति दस हजार आबादी के आधार पर देश में सर्वोच्च थी।

(iii) अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर राज्य द्वारा अल्प खर्च के कारण भारत सरकार द्वारा वर्ष 1996–2001 के दौरान आवंटित निधि का सिर्फ 30 प्रतिशत (97.44 लाख रुपये) विमुक्त किया गया था।

राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में अंधापन के व्यापकता के मूल्यांकन के लिए कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया गया था, जबकि आवश्यक था। वर्ष 1996–2001 के दौरान राज्य सरकार द्वारा मोतियाबिन्द ऑपरेशन का लक्ष्य को 48 से 56 प्रतिशत तक घटा दिया गया तथा घटे हुए लक्ष्य के विरूद्ध भी उपलब्धि में 30 से 62 प्रतिशत की कमी थी।

नेत्र वार्ड, शल्य कक्ष, डार्क रूम, शय्याओं इत्यादि जैसी अंतःसंरचना को अस्पतालों में विकसित करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गयी थी। इन उद्देश्यों के लिए भारत सरकार द्वारा मुहैय्या कराए गए 29 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा विमुक्त नहीं किए गए थे।

चार जिलाधिकारियों ने राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के निमित्त वाहनों का दुरूपयोग किया। ऐसा एक वाहन सारण में जुलाई 1999 में जला दिया गया जब इसे विधि–व्यवस्था के उद्देश्य हेतु उपयोग किया जा रहा था।

(iv) एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

राज्य द्वारा अल्प व्यय किए जाने के कारण वर्ष 1996–2001 के दौरान एन.ए.सी.पी. के लिए आवंटित निधियों का मात्र 24 प्रतिशत (3.38 करोड़ रुपये) ही भारत सरकार द्वारा विमुक्त किया गया था। उपलब्ध निधियों का 36 प्रतिशत (1.79 करोड़ रुपये) राज्य द्वारा व्यय नहीं किया गया था। एक से 7 वर्ष बीत जाने के बाद मार्च 1999 में राज्य द्वारा एन.ए.सी.पी. निधि का 2.16 करोड़ रुपया राज्य एड्स नियंत्रण समिति को विमुक्त किया गया था। बिहार एड्स नियंत्रण समिति ने वर्ष 1996–2001

के दौरान 3.23 करोड़ रुपये के व्यय का पुनर्भुगतान लेने के लिए भारत सरकार के पास दावा प्रस्तुत नहीं किया।

📖 राज्य में जून 2001 तक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरूआत नहीं हुई थी। एच.आई.वी. पॉजिटिव मामले की व्यापकता वर्ष 1996–97 के 0.04 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2000–01 में 0.11 प्रतिशत हो गयी। एड्स मामले की व्यापकता भी वर्ष 1996–97 के 12 से बढ़कर वर्ष 2000–01 में 32 हो गयी। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1993 एवं सितम्बर 2000 के दौरान आपूरित अधिसंख्य उपकरण (143) या जो निष्क्रिय पड़े रहे या दुरूपयोग किए गए थे।

(कंडिका 3.2)

5 अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

📖 केन्द्र प्रायोजित अनौपचारिक शिक्षा (एन.एफ.ई.), राज्य में 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के उन बच्चों को आरंभिक शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रवर्तित की गयी थी जो सामाजिक–आर्थिक कारणों से औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके थे। राज्य में योजना का क्रियान्वयन अप्रभावी था और कुप्रबंधन तथा उपेक्षा का शिकार था क्योंकि निधियों की वृहत् राशि अव्ययित थी तथा मुक्त राशियों का राजस्व प्राप्तियों के संवर्धन तथा बैंकों को प्रश्रय देने में दुरूपयोग किया गया। योजना का पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण पूरी तरह उपेक्षित था। उपलब्धियाँ अति प्रतिवेदित थीं। पुस्तकों की आपूर्ति यथासमय नहीं की गयी थी तथा कोर्स की अवधि विस्तारित की गयी थी। इस प्रकार योजना शिशुओं/बच्चों के लक्षित वर्ग के शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति में विफल रही। निधियों की वृहत् राशि का गबन किया गया था क्योंकि निदेशक आंतरिक नियंत्रणों को लागू करने में विफल रहे थे।

📖 227.76 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधानों में से 153.90 करोड़ रुपये व्ययित थे। 73.86 करोड़ रुपये (32 प्रतिशत) के बचत के लिए कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

📖 वर्ष 1993–97 के दौरान निदेशक – जन शिक्षा, निदेशक – वयस्क शिक्षा तथा 44 जिला जन शिक्षा पदाधिकारियों ने कोषागारों से 132.68 करोड़ रुपये की निकासी की तथा राशियों को मुख्यतः असैनिक जमा और बैंकों में रखा तथा वृहत रकम सरकारी प्राप्तियों के रूप में भी जमा किया गया। इस प्रकार 41.99 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्तियों तथा रोकड़ शेष के संवर्धन व बैंको को प्रश्रय देने हेतु उपयोग किए गए। निदेशक, जन शिक्षा, पटना लेखा – अभिलेखों के उचित संधारण को सुनिश्चित करने में विफल रहे जिसने कम से कम 11.90 करोड़ रुपये की राशि के गबन को सुगम किया। कुल गबनों की जाँच हेतु वित्त विभाग द्वारा विशेष लेखा–परीक्षा ढ़ाई वर्षों के अंतराल में भी पूरी नहीं की गयी।

📖 24 हजार अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र अति प्रतिवेदित थे। वर्ष 1995–2000 के दौरान 62.50 लाख प्रशिक्षुओं के लक्षित नामांकन के विरूद्ध भारत सरकार से 16.44 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त करना था, जबकि 45.16 लाख (72 प्रतिशत) प्रशिक्षु ही केन्द्रों में नामांकित किए गए थे। वर्ष 1998–99 के दौरान कुल उपलब्धि 40 प्रतिशत के निम्न पर थी।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में कार्यरत् 6089 अनुदेशकों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। दो वर्षों के प्राथमिक स्तर पाठ्यक्रम (वर्ग V तक) को तीन से चार वर्षो में पूरा किया गया जिसके परिणामस्वरूप 75.71 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

राज्य सरकार ने भारत सरकार को लगभग 60 हजार विशेष अनौ.शि. केन्द्रों, जो छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए थे, को सिर्फ छात्राओं हेतु निमित्त कहकर गलत प्रतिवेदित किया। इसने भारत सरकार से 14.61 करोड़ रुपये की अधिक निधि को प्राप्त करने में मदद किया।

एन. जी. ओ. अपने द्वारा परिचालित अनौ.शि. केन्द्रों में लगभग 15 हजार प्रशिक्षुओं का नामांकन करने में विफल रहे तथा दो वर्षों का पाठ्यक्रम पाँच वर्षों तक विस्तारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप पाँच एन.जी.ओ. द्वारा अनौ.शि.के. के परिचालन में 52.79 लाख रुपये का अधिक व्यय किया गया।

(कंडिका 3.3)

6 त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना

ग्रामीण आबादी को सुरक्षित तथा प्रचुर मात्रा में पेयजल प्रदान करने के राज्य के प्रयासों को अनुपूरित करने के लिए वर्ष 1972–73 में भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित योजना, त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्लू.एस.पी.) प्रारंभ हुआ एवं नववीं योजना काल तक जारी रहा। कुप्रबंधन, निधियों की कम विमुक्ति एवं निधियों के अदक्ष उपयोग तथा अनुश्रवण के अभाव से राज्य में ए.आर.डब्लू.एस.पी. का क्रियान्वयन बाधित हुआ था। परिणामतः सुरक्षित पेयजल एवं ग्राह्य पेयजलापूर्ति सुविधा प्रदान करने के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में कार्यक्रम विफल रहा। लक्षित वर्ग के पर्यावरणीय स्वच्छता स्तर एवं सामाजिक–आर्थिक स्थिति सुधारने में कार्यक्रम विफल रहा।

राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से के निधि की विमुक्ति नहीं करने तथा निधियों का अल्प उपयोग करने के कारण वर्ष 1997–2001 के दौरान निधियों 399.08 करोड़ रुपये में से मात्र 46.90 करोड़ रुपये ही भारत सरकार द्वारा विमुक्त किये गये थे। अभियंता प्रमुख ने 3 से 11 महीनों तक के विलंब से निधियाँ विमुक्त किया था। तीन प्रमण्डलों में 46.37 लाख रुपये अन्य प्रयोजनों हेतु दुरूपयोग किया गया।

निधियों का 64 प्रतिशत व्यय करते हुए 82 प्रतिशत भौतिक प्रगति की उपलब्धि को प्रतिवेदित किए गए थे, जो विश्वसनीय नहीं है।

नलकूपों के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय तथा कार्यों का संदिग्ध क्रियान्वयन कुल मिलाकर 78 लाख रुपये था।

प्रशिक्षित तकनीकी कर्मियों एवं सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से व्यवस्थित रूप से श्रोतों की पहचान, स्थलों के चयन, उन्नत संचालन तथा रखरखाव को सुनिश्चित नहीं किया गया। मानकों का उल्लंघन करते हुए 14 नमूना जाँचित प्रमण्डलों में स्थानीय विधायकों की अनुशंसा पर स्थल चयन किया गया था। 4 प्रमण्डलों में 324

जलापूर्ति योजनाएँ यांत्रिक, असैनिक एवं विद्युत दोषों के कारण 5 वर्षो से अकार्यशील थे एवं उन्हें मरम्मत नहीं किया गया था।

📖 तीन प्रमण्डलों में विभिन्न कार्यों के स्थल लेखाओं में 1.50 करोड़ रुपये मूल्य के सामग्री को व्यवहृत के रूप में दर्ज किए गए थे, जो संदिग्ध थे क्योंकि स्थल लेखे लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

📖 सिर्फ एक प्रमण्डल में जल परीक्षण प्रयोगशाला उपलब्ध थी। जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु प्रदत्त 18 लाख रुपये में से अधिकांश राशि उपकरण की अधिप्राप्ति, शीशे के उपकरण इत्यादि पर व्यय की गई थी लेकिन सितम्बर 2001 तक प्रयोगशालाएँ स्थापित नहीं की गयीं।

📖 नौ जिलों में वर्ष 1998–2001 के दौरान लौह पृथक्करण संयंत्र वाले लक्षित नलकूपों (18245) के 51 प्रतिशत (9224) के निर्माण पर कुल विर्निदिष्ट निधियों (22.70 करोड़ रुपये) का 73 प्रतिशत (16.58 करोड़ रुपये) व्यय किया गया। लौह अंशों से मुक्त सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लक्ष्य को अंशतः ही प्राप्त किया गया।

📖 नमूना जाँचित 8 प्रमण्डलों में ए.आर.डब्लू.एस.पी. के निधि से 1.89 करोड़ रुपये से क्रय की गयी सामग्रियाँ अन्य प्रयोजनों पर दुरूपयोग की गयीं।

📖 मानव संसाधन विकास कोषांग की स्थापना हेतु वर्ष 1994–95 में भारत सरकार द्वारा विमुक्त 69.99 लाख रुपये में से राज्य द्वारा जून 2001 तक मात्र 21.81 लाख रुपये खर्च किए गए थे। साथ ही, वर्ष 2000–01 के दौरान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए भारत सरकार निधि के 63.72 लाख रुपये की निकासी नहीं की गयी।

📖 राज्य में ए.आर.एस.पी. का अनुश्रवण अप्रभावी था। परिणामस्वरूप कार्यक्रम वृहत त्रुटियों से ग्रसित था तथा लक्षित ग्रामीण एवं शहरी आबादी को सुरक्षित पेयजल एवं ग्राह्य पेयजल आपूर्ति सुविधा प्रदान करने के वांछित उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया गया।

(कंडिका 4.1)

7 *लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का कार्यकलाप*

📖 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को लोगों को शुद्ध पेयजल एवं ग्रामीण आबादी को मल निकास एवं जल निकास सुविधा प्रदान करने के लिए तथा शहरी सरकारी भवनों में सफाई तथा जल निकास सुविधा के प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया है। विभाग में बजटीय एवं वित्तीय प्रबंधन दयनीय था। व्यय नियंत्रण प्रणाली क्रियाशील नहीं थी तथा योजना कार्यक्रमों के लिए बजट प्रावधान में अत्यधिक बचतें थी। विभाग के योजना, अनुश्रवण तथा क्रियान्वयी इकाईयों के मध्य समन्वय के अभाव ने अधिक मात्रा में व्यर्थ/निष्फल व्यय, योजनाओं पर अतिरिक्त व्यय, सामग्रियों की अत्यधिक खरीद, वर्ष के अंत में निधियों का आबंटन, वर्षों तक अधूरी पड़ी रही योजनाओं पर अत्यधिक निष्क्रिय निवेश तथा अधिक संख्या में अफलीभूत योजनाओं को बढ़ावा दिया।

📖 गैर योजना बजट तदर्थ आधार पर बनाया गया। विभाग ने अपेक्षित बजटीय नियंत्रण कार्यप्रणाली लागू नहीं किया क्योंकि नि. एवं आ. पदाधिकारियों द्वारा समुचित

प्रक्रियाएँ नहीं अपनाई गई थीं। नियंत्री पदाधिकारी ने वर्ष 1996–2000 से संबंधित 900.65 करोड़ रुपये के व्यय के विभागीय लेखे का महालेखाकार के लेखे से समाधान नहीं किया। इससे गम्भीर अनियमितताओं के अनदेखे रह जाने का खतरा था।

📖 ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं पर खर्च करने में असफलता के कारण वर्ष 1996–2000 के दौरान 498.15 करोड़ रुपये (बजट प्रावधान का 36 प्रतिशत) अव्यवहृत पड़े रहे। व्यय के खास शीर्षों के तहत 58.81 करोड़ रुपये के अधिक व्यय के कारण नहीं बताए गए थे।

📖 वि. लो. का. संहिता का उल्लंघन करते हुए युनिसेफ निधि के 2.32 करोड़ रुपये के लेखे को न तो प्रमंडलीय लेखे में प्रदर्शित किया गया न ही इस निधि के संचालन का अनुश्रवण अ.प्र. स्तर से किया गया।

📖 सात प्रमंडलीय पदाधिकारियों ने 1.58 करोड़ रुपये की उद्दिष्ट निधि का दुरूपयोग किया।

📖 बिहार पठार विकास परियोजना के अधीन छिद्रित नलकूपों की योजनाएँ स्थलों की भू–जल विज्ञानी जाँच कराए बिना ली गई तथा अफलीभूत नलकूपों पर 2.65 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

📖 वर्ष 1999 में यू.पी.वी.सी.पाइप, स्ट्रेनर्स इत्यादि की अधिप्राप्ति के लिए निविदा करने के निर्णय में विलंब के कारण 0.72 करोड़ रुपये की अधिक लागत आई। तीन प्रमंडलीय पदाधिकारियों ने उपलब्ध प्रावधानों से अधिक 1.65 करोड़ रुपये के दायित्व का अनधिकृत सृजन किया।

📖 11 प्रमंडलों में वर्ष 1980–93 के दौरान ली गई एवं 2 वर्षों में पूरी की जाने वाली 30 ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएँ 3.16 करोड़ रुपये खर्च किए जाने के बावजूद भी अपूर्ण रहीं।

📖 लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गिरीडीह एवं साहेबगंज में 1991–99 के दौरान 2.69 करोड़ रुपये की लागत पर छिद्रित 1341 बोरवेल बेकार हो गए क्योंकि इनमें हैंडपंप नहीं लगाया गया।

📖 नमूना–जाँचित प्रमंडलों में अफलीभूत बोरवेल, अधिक नलकूप का छिद्रण, कार्यो के संदेहास्पद समापन, अवमानक कार्य एवं कार्य के विलंबित समापन के कारण अधिक लागत पर कुल 6.11 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

📖 18 प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं ने वर्ष 1996–2000 के दौरान 16.49 करोड़ रुपये का कार्य विभागीय स्तर पर श्रमिकों द्वारा उपस्थिति नामावली के बदले हस्त रसीदों के माध्यम से क्रियान्वित किया, जो व्यय की प्रमाणिकता पर संदेह उत्पन्न करता था।

📖 16 कार्यपालक अभियंताओं ने वर्ष 1996–2000 के दौरान मरम्मत एवं रख–रखाव के कार्य पर हुए 10.19 करोड़ रुपये के व्यय से संबंधित अभिलेख लेखा

परीक्षा को नहीं दिखाया। इन मरम्मत कार्यों का निरीक्षण संबंधित अधीक्षण अभियंताओं के द्वारा भी नहीं किया गया।

निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए नियंत्री पदाधिकारी ने डी जी एस एंड डी से सामग्रियाँ प्राप्त कीं। विभिन्न प्रमंडलों द्वारा 16.62 करोड़ रुपये के महालेखाकार के नामे संज्ञापनों का समायोजन मार्च 2001 तक नहीं किया गया। भंडार के अत्यधिक संग्रहण के कारण मार्च 2001 तक 14.94 करोड़ रुपये मूल्य के भंडार बेकार पड़े रहे। नमूना–जाँचित 8 प्रमंडलों में 1.15 करोड़ रुपये मूल्य के भंडारों का दुर्विनियोजन पाया गया। प्रमण्डलों में वस्तुसूची प्रबंधन दयनीय था।

4 प्रमंडलों में, जहाँ जल–जाँच की गई थी, 40 में से 38 नलकूप प्रदूषित जल विसर्जित कर रहे थे, लेकिन कोई उपचारी कार्य नहीं किए गए थे।

प्रबंधन सूचना व्यवस्था पूरी तरह उपेक्षित थी तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार के अंतर्गत क्रियाकलाप अप्रभावी थे।

विभाग को विभिन्न श्रेणियों के कर्मियों के स्वीकृत पदों एवं पदस्थापित बल की सूचना उपलब्ध नहीं थी। 6 प्रमंडलों में निष्क्रिय कर्मियों पर 3.66 करोड़ रुपये व्यय किये गये। विभाग कार्यभारित कर्मियों की अधिक संख्या के बोझ से दबा हुआ था तथा कार्यभारित कर्मियों एवं नियमित कर्मियों का अनुपात 7 : 3 था।

(कंडिका 4.2)

8 *वायु प्रदूषण एवं अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित पर्यावरणीय अधिनियम एवं नियमों का क्रियान्वयन*

राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने राज्य में वायु प्रदूषण एवं अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित पर्यावरण अधिनियमों एवं नियमों का समुचित क्रियान्वयन नहीं किया। प्रदूषक इकाइयों के सर्वेक्षण एवं छानबीन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी। उचित निगरानी, तकनीकी उत्थान, परिवेशी गुणवत्ता अवलोकन एवं वाहन तथा ध्वनि प्रदूषण पर कार्रवाई अपर्याप्त थी। प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना, सूचना का प्रसार, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान तथा नियमित निरीक्षण उपेक्षित थे। खतरनाक/जैव चिकित्सकीय/नगरीय ठोस अपशिष्ट इत्यादि के भण्डारण, उपचार एवं निपटान की शर्तो को पूरा नहीं किया गया था। इसके परिणास्वरूप, प्रमुख शहरों में वायु में निलम्बित ठोस कण का उच्च/चिंताजनक घनत्व संग्रहण था।

बी.एस.पी.सी.बी. एवं उद्योग विभाग के बीच समन्वय की कमी के कारण सहमति प्रबंधन प्रभावित हुआ। औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के पहले बी एस पी सी बी से लेने वाली अनिवार्य पूर्व अनुमति सुनिश्चित नहीं की गई थी।

बी एस पी सी बी के द्वारा अपनाये गए उत्सर्जन मानक, प्रदूषण घटाने के लिए भारत सरकार की घोषित नीति के अनुरूप नहीं थे। इसके परिणास्वरूप, प्रदूषण निवारण एवं अपशिष्ट नियमन के लिए तकनीकी उन्नयन प्रभावित हुआ।

तीन राष्ट्रीय परिवेशी वायुमण्डल गुणवत्ता अनुश्रवण स्टेशनों में वायु में निलम्बित ठोस कण का घनत्व उच्च या चिंताजनक था, जो वायु प्रदूषण के उच्च स्तर को दर्शाता था।

नवम्बर 1994 में सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप, राज्य में 21 उत्सर्जन जाँच केन्द्र स्थापित किए जाने थे। इसके विरूद्ध सिर्फ 4 केन्द्रों की स्थापना की गयी थी, जिसमें से बेगूसराय के एक केन्द्र मानवशक्ति के अभाव में वर्ष 1997 से अकार्यशील है।

पटना, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद शहरों में औसत परिवेशी ध्वनि स्तर निर्धारित मानकों से अधिक थी।

अधिसंख्य औद्योगिक इकाईयों के पास अनुबद्ध उत्सर्जन एवं बहिःस्राव मानकों के पालन के लिए कोई सुविधा नहीं थी। दोषी उद्योगों के विरूद्ध बी एस पी सी बी ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की।

राज्य में अत्यधिक मात्रा में जनित खतरनाक अपशिष्ट के उपचार, भण्डारण एवं निपटान के लिए कोई सुविधा नहीं थी। खतरनाक अपशिष्टों के निपटान हेतु स्थलो की पहचान नहीं की गयी थी। हाँलाकि जैव–चिकित्सा अपशिष्टों के निपटान के लिए सरकार/बी.एस.पी.सी.बी. से प्राधिकार आवश्यक था, जैव चिकित्सा अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली संस्थानों की पहचान नहीं की गई थी।

बी.एस.पी.सी.बी. ने राज्य के 170 स्थानीय निकायों में से किसी को भी अनिवार्य प्राधिकार निर्गत नहीं किया था। किसी भी स्थानीय निकाय ने ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन एवं निपटान पर्यावरण अधिनियमों एवं नियमों के अनुसार नहीं किया था। अपरिष्कृत कूड़ा–कचड़ा के लिए पटना में कम्पोस्ट प्लांट स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के पास एक वर्ष से अधिक से पड़ा हुआ था।

(कंडिका 6.1)

9 गबन/दुर्विनियोजन/दुरूपयोग/हानि

जिला दण्डाधिकारी, सीवान ने अनुसूचित जाति के लोगों के लिये परिवारोन्मुख आय सृजन कार्यक्रमों हेतु 64.91 लाख रुपये के विशेष केन्द्रीय सहायता निधि का दुरूपयोग किया।

(कंडिका 3.8)

पथ निर्माण प्रमंडल, दरभंगा में 1.17 करोड़ रुपये के अलकतरे की प्राप्ति एवं वितरण से संबंधित अभिलेख के अभाव में इसके दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था।

(कंडिका 5.1)

कोल्ड स्टोरेज के निर्माण में प्रतिष्ठान के पास बुनियादी अन्तःसंरचनात्मक सुविधा के अभाव के कारण 3.66 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि के अलावे 1.30 करोड़ रुपये का लागत अतिरेक तथा 8 वर्षों का समय अतिरेक हुआ।

(कंडिका 6.4)

मांग सूचना शुल्क एवं वारंट शुल्क को करों के बकाये मांग में शामिल नहीं किये जाने से पटना नगर निगम को 96.15 लाख रुपये की हानि हुई।

(कंडिका 6.8)

10 व्यर्थ/परिहार्य/निष्फल व्यय

कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण प्रमंडल, मोतीहारी ने पथ कार्य शुरू कर दिया जबकि निधि उपलब्ध नहीं थी। इसके फलस्वरूप अपूर्ण कार्यों पर 2.14 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 4.6)

डुमराँव–विक्रमगंज पथ के 38वें किलोमीटर में काव नदी पर एक उच्च स्तरीय पुल पर 79.60 लाख रुपये का व्यय अनुत्पादक साबित हुआ।

(कंडिका 4.7)

लीची निर्यात योजना को बढ़ावा देने हेतु 75 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता 5 वर्षो में भी उद्देश्य प्राप्त करने में विफल रही क्योंकि पूर्व शीतलन एवं बन्दगृह सुविधायें स्थापित नहीं किये गये थे तथा प्रशीतक वाहन या तो निष्क्रिय पड़े थे अथवा समुचित रूप से उपयोग में नहीं लाये गये थे। योजना विफल थी।

(कंडिका 6.5)

शहरी विकास विभाग द्वारा पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार को बस पड़ाव के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि स्थानांतरित नहीं की गई थी तथा बस पड़ाव के अधूरे निर्माण पर किया गया 2.20 करोड़ रुपये का व्यय निष्फल रहा।

(कंडिका 6.7)

11 अनियमित/अवैध नियुक्तियाँ/पदों का अधिक संचालन

भवन निर्माण विभाग में काफी संख्या में दैनिक भोगी मजदूरों की अवैध नियुक्ति तथा कार्य पर उनका अवैध रूप से लगे रहने के परिणामस्वरूप वर्ष 1986 से वर्ष 2002 के दौरान उनकी मजदूरी पर 2.50 करोड़ रुपये का अनधिकृत व्यय हुआ।

(कंडिका 4.3)

पूर्वी कोसी परियोजना के सिंचाई प्रमंडल, बथनाहा के अंतर्गत यांत्रिक कार्यशालाएँ नवम्बर 1994 से अकार्यशील थीं। 28 निष्क्रिय कर्मियों के वेतन एवं भत्ते पर 1.12 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे।

(कंडिका 4.8)

12 अन्य रोचक तथ्य

निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किये बगैर पथ कार्यों को शुरू करने के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त पथ पटलों के सुधार पर 23.58 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय

तथा लगभग 6 वर्षों से अपूर्ण पड़े पथ कार्यों पर 80.46 लाख रुपये का वृहत व्यय हुआ था।

(कंडिका 4.4)

📖 कार्य की प्रगति के अनुश्रवण में कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण प्रमंडल संख्या–2, मुजफ्फरपुर की विफलता के फलस्वरूप अपूर्ण पुल कार्यों पर 2 वर्षों तक 1.16 करोड़ रुपये का निष्क्रिय निवेश हुआ।

(कंडिका 4.5)

📖 दसवें वित्त आयोग अनुदान से योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित सरकारी अनुदेशों का पालन नहीं किया गया था। 70.63 लाख रुपये का अंशदान नहीं दिए जाने/ कम दिये जाने से विकास कार्यों की प्रगति अवरूद्ध हुई। किसी भी शहरी स्थानीय निकाय ने अंतः संरचना विकास हेतु निधियाँ सुरक्षित नहीं की थी।

(कंडिका 6.9)

📖 राजकीय प्रेस तथा राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन कुप्रबंधित थे। वर्ष 1996–2001 के दौरान 19.33 करोड़ रुपये की वृहत निधि का उपयोग नहीं किया गया था, 14 वर्षों से प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किए गए थे तथा क्षमता उपयोगिता मात्र 9 से 22 प्रतिशत थी। आधुनिकीकरण कार्यक्रम पूरा नहीं किया गया था। निदेशक एवं वित्त आयुक्त ने प्रेसों तथा लेखन सामग्री भंडारों एवं प्रकाशनों के कार्यकलाप का अनुश्रवण नहीं किया था।

(कंडिका 7.2)

अध्याय – I

राज्य सरकार के वित्त पर एक विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

वित्त लेखे में समाहित सूचनाओं के विश्लेषण के आधार पर इस अध्याय में राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर चर्चा की गयी है। विश्लेषण का आधार राज्य सरकार की प्राप्तियाँ एवं व्यय की प्रवृति, व्यय की विशेषता एवं वित्तीय व्यवस्था है। साथ ही सरकार के वित्तीय कियाकलापों के सूचकों के विश्लेषण पर इस अध्याय में एक खण्ड भी है जो वित्त लेखे में समाहित सूचनाओं एवं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई अन्य सूचना के अनुसार खास अनुपात एवं घातांकों के आधार पर तैयार किया है। इस अध्याय में व्यवहृत कुछ शब्दों को परिशिष्ट–I में वर्णित किया गया है।

बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 (वर्ष 2000 का सं. 30) के तहत बिहार राज्य का पुर्नगठन किया गया है एवं 15वीं नवंबर 2000 (अर्थात निर्धारित दिन) के प्रभाव से संयुक्त बिहार राज्य के 18 जिलों को मिलाकर एक नए राज्य झारखण्ड राज्य का गठन हुआ है। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधान के अनुसार संयुक्त बिहार के परिसम्पत्तियों एवं दायित्त्वों का बँटवारा तथा अन्य वित्तीय समायोजन भी प्रत्येक मामले में निर्धारित दिन के ठीक पहले करना था। बाकी बचे बिहार राज्य एवं झारखण्ड के बीच परिसम्पत्तियों एवं दायित्त्वों के बँटवारे की वास्तविक स्थिति इस अध्याय के परिशिष्ट–II में दर्शाई गई है। उससे यह द्रष्टव्य होगा कि अभी तक मात्र लोक–ऋण एवं रिजर्व बैंक में जमा का ही बँटवारा किया गया है। लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि जैसे दायित्त्व तथा लोक लेखे में अन्य दायित्त्व और परिसम्पत्ति के मद का भी बँटवारा किया जाना शेष है (सितम्बर 2002)।

1.2 राज्य की वित्तीय स्थिति

शासकीय लेखाकरण पद्धति में सरकार द्वारा स्वामित्व भूमि एवं भवन इत्यादि जैसी अचल सम्पतियों का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया जाता है। हालाँकि, शासकीय लेखे में सरकार के वित्तीय दायित्व एवं सरकार द्वारा किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियाँ सम्मिलित की जाती हैं। 31 मार्च 2000 की स्थिति की अनुरूपी तुलना करते हुए 31 मार्च 2001 को ऐसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों की संक्षिप्त सूची प्रदर्श–I दर्शाती है, 15 नवंबर 2000 के प्रभाव से इस राज्य का दो राज्यों में पुनर्गठन होने एवं पूर्ववर्त्ती वर्षों के विभक्त आँकड़ों की अनुपलब्धता के कारण यहाँ एवं इस अध्याय के परवत्ती कंडिकाओं में की गई ऐसी तुलना हालांकि वास्तविक नहीं है। इस विवरणी के दायित्वों में मुख्यतः वाह्य एवं अंतः ऋण, भारत सरकार से प्राप्त कर्जे एवं पेशगियाँ, लोक लेखे से प्राप्तियाँ एवं आरक्षित निधि समाहित हैं जबकि परिसम्पतियों में मुख्यतः पूँजीगत

परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्जे एवं पेशगियाँ तथा रोकड़ शेष सम्मिलित हैं। प्रदर्श–I से द्रष्टव्य होगा कि मुख्यतः नए झारखण्ड राज्य में लोक ऋण एवं ऋणात्मक रोकड़ शेष (5990.67 करोड़ रुपये) का हिस्सा अलग कर दिए जाने के परिणामस्वरूप ही वर्ष 2000–2001 के दौरान परिसम्पत्तियों में 6.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि दायित्वों में 7.35 प्रतिशत की गिरावट हुई। घाटे में चलने वाले लोक–क्षेत्र उपक्रमों, जिसमें प्रतिफल की अल्प क्षमता थी, में किया गया निवेश परिसम्पत्तियों में शामिल था। इस प्रकार दर्शाए गए इन लेखा आँकड़े से भी वित्तीय स्थिति अधिक बद्तर होगी।

1.3 निधि का स्रोत एवं उपयोग

1.3.1 प्रदर्श–III चालू एवं पिछले वर्ष के दौरान निधियों के स्त्रोत एवं उपयोग की स्थिति को दर्शाता है। निधियों के मुख्य स्त्रोतों में सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ, कर्जे एवं पेशगियों की वसूली, लोक ऋण एवं लोक खाते में प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं। इनका उपयोग मुख्यतः राजस्व एवं पूँजीगत व्यय पर तथा विकासात्मक उद्देश्यों के लिए उधार देने हेतु किया जाता है।

राज्य सरकार के लिए निधियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत राजस्व प्राप्तियाँ थी। यद्यपि राजस्व प्राप्तियों में कुल मिलाकर वृद्धि 4.86 प्रतिशत थी, कुल प्राप्तियों में उसके आपेक्षिक अंश वर्ष 1999–2000 के 63.95 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2000–2001 में 72.34 प्रतिशत हो गया। कर्जे एवं पेशगियों की वसूली प्रारंभ से ही तुच्छ थी और 0.07 प्रतिशत पर स्थिर थी। मुख्यतः जमा एवं पेशगियों (101.18 करोड़ रुपये), आरक्षित निधि (346.22 करोड़ रुपये) में तीक्ष्ण वृद्धि तथा उचन्त निवल प्रभाव एवं विविध लेन–देनों (468.49 करोड़ रुपये) को लघु बचतों (622.25 करोड़ रुपये) में कमी के द्वारा अंशतः प्रतितुलित करने के कारण लोक खाता से निवल प्राप्तियों का हिस्सा वर्ष 1999–2000 के 7.55 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2000–01 में 9.99 प्रतिशत हो गया। लोक ऋण से प्राप्तियाँ आंशिक रूप से बढ़कर 16.04 प्रतिशत से 17.62 प्रतिशत हो गयी। परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान रोकड़ शेष में 189 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

1.3.2 निधियों का उपयोग मुख्यतः राजस्व व्यय के लिए होता था, जिसका अंश (87.41 प्रतिशत) राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों (72.34 प्रतिशत) के अंश से स्पष्टतः उच्चतर था। इस कारण राजस्व घाटा हो गया। वर्ष के दौरान प्रतिशत पूँजीगत व्यय नगण्य रहा जो मात्र 6.96 प्रतिशत ही था। विकासात्मक उद्देश्यों के लिए कर्ज वितरण 6.43 प्रतिशत से घटकर 4.40 प्रतिशत हो गयी।

प्रदर्श–I

31 मार्च 2001 को बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति का सार

(करोड़ रुपये में)

31 मार्च 2000 को		दायित्व	14 नवंबर 2000 को	31 मार्च 2001 को
5581.69		**आन्तरिक ऋण**	**8745.34**	**7096.82**
	5692.18	ब्याज युक्त बाजार ऋण	6014.98	4855.60
	0.87	ब्याज मुक्त बाजार ऋण	0.86	0.58
	18.58	एल.आई.सी.से ऋण	18.58	13.88
	6.32	जी.आई.सी. से ऋण	6.32	4.72
		केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को निर्गत विशेष सुरक्षा	2379.90	2168.82
	(-) 136.26#	अन्य संस्थाओं से ऋण	324.70	53.22
851.40		**रिजर्व बैंक में जमा में कमी**	**113.58**	**681.40**
15862.01		**केन्द्र सरकार से ऋण एवं पेशगियाँ**	**14828.96**	**11243.29**
	947.17	वर्ष 1984–85 से पूर्व का ऋण	911.00	648.67
	6847.11	गैर योजना ऋण	5275-15	3914.31
	7921.09	राज्य योजना कार्यक्रमों के लिए ऋण	8549.67	6612.50
	15.57	केन्द्रीय योजना कार्यक्रमों के लिए ऋण	14.67	10.61
	22.57	केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यक्रमों के लिए ऋण	20.97	14.24
	108.50	अर्थोपाय पेशगियाँ	57.50	42.96
350.00		**आकस्मिकता निधि**	**350.00**	**350.00**
7310.57		**लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि**	**7549.56**	**7624.55**
1832.14		**जमा**	**1963.26**	**2099.22**
25.57		**आरक्षित निधि**	**342.36**	**380.54**
31813.38		**योग**	**33893.06**	**29475.82**
		परिसम्पत्तियाँ		
11543.25		अचल सम्पतियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय	**11935.23**	**12618.76**
	649.08##	कम्पनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश	649.08	678.61@
	10894.17	अन्य पूंजीगत परिव्यय	11286.15	11940.15
6282.97		**ऋण एवं पेशगियाँ**	**6583.36**	**6952.84**
	4435.52	उर्जा परियोजना के लिए ऋण	4731.93	5023.92
	1782.64	अन्य विकास ऋण	1782.38	1850.69
	64.81	सरकारी सेवकों को ऋण एवं विविध ऋण	69.05	78.23
89.93		**पेशगियाँ**	**94.67**	**93.80**
1520.99		**प्रेषण शेष**	**1504.05**	**1560.08**
813.12		**उचन्त एवं विविध शेष**	**716.12**	**300.50**
159.50		**रोकड़**	**96.44**	**207.01**
	77.47	विभागीय रोकड़ शेष	91.52	67.79
	0.15	स्थायी पेशगियाँ	0.16	0.17
	0.10	चिह्नित निधि का निवेश	0.10	0.10
	81.78	रोकड़ शेष निवेश	4.66	138.95
11403.62		**शासकीय खाते में घाटा**	**12963.19**	**7742.83**
	3702.90	राजस्व घाटा	1559.57	770.31
	7700.72	समग्र घाटा	11403.62	$ 6972.52
31813.38		योग	**33893.06**	**29475.82**

@ राजस्व खाते में से किए गए निवेश 9.05 करोड़ रुपये को छोड़कर।

$ *5990.67 करोड़ रुपये छोड़े गए प्रॉफार्मा – निम्नलिखित समायोजनों के मद में :*

(i) *झारखंड राज्य को स्थानांतरित रोकड़ शेष : 28.73 करोड़ रुपये (नामे शेष)*

(ii) *झारखंड राज्य को बाँटे गए आंतरिक ऋण : 2211.70 करोड़ रुपये*

(iii) *झारखंड सरकार को बाँटे गए केन्द्र सरकार से लिए गए ऋण एवं पेशगियाँ : 3750.24 करोड़ रुपये*

प्रदर्श – II

वर्ष 2000–2001 की प्राप्तियों एवं संवितरण का सार

(करोड़ रुपये में)

प्राप्तियाँ					संवितरण								
1999-2000		01/4/2000 से 14/11/2000	15/11/2000 से 31/3/2001	योग	1999-2000		01/4/2000 से 14/11/2000			15/11/2000 से 31/3/2001			कुल योग
							गैर–योजना	योजना	योग	गैर–योजना	योजना	योग	
10659.53	I-राजस्व प्राप्तियाँ	6699.49	4477.83	**11177.32**	14362.43	I- राजस्व व्यय							
3084.79	- कर राजस्व	1722.51	1086.72	**2809.23**	6504.65	-सामान्य सेवाएँ	4338.79	54.91	4393.70	2568.66	21.34	2590.00	**6983.70**
1165.86	- करेत्तर राजस्व	554.95	156.73	**711.68**	5483.45	- सामाजिक सेवाएँ	3005.02	153.15	3158.17	1458.32	192.30	1650.63	**4808.80**
4962.59	संघीय करों में राज्य का अंश	3819.94	2755.69	**6575.63**	3916.50	- शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	2188.01	11.85	2199.86	1025.77	43.65	1069.42	**3269.28**
189.96	- गैर योजना अनुदान	69.95	115.44	**185.40**	785.00	- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	274.53	123.69	398.22	185.54	96.42	281.96	**680.18**
677.22	- राज्य योजना कार्यक्रम के लिए अनुदान	346.16	278.92	**625.08**	304.93	- जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	118.86	-	118.86	92.60	3.53	96.13	**214.99**
579.11	- केन्द्र प्रायोजित एवं केन्द्रीय योजनागत कार्यक्रम के लिए अनुदान	185.98	84.32	**270.30**	17.16	-सूचना एवं प्रसारण	6.65	0.00	6.66	7.78	-	7.78	**14.43**
					133.03	- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	27.00	0.76	27.76	28.00	7.13	35.13	**62.89**
					56.58	- श्रम एवं श्रम कल्याण	27.76	0.08	27.84	11.58	0.34	11.92	**39.76**
					261.05	- समाज कल्याण एवं पोषाहार	356.66	16.77	373.43	103.80	41.24	145.04	**518.47**
					9.20	-अन्य	5.55	-	5.55	3.25	--	3.25	**8.80**
					2236.26	- आर्थिक सेवा	654.26	52.52	706.78	641.62	364.34	1005.96	**1712.74**
					424.12	-कृषि एवं तत्संबंधी क्रियाविधि	185.97	8.69	194.66	100.16	42.98	143.14	**337.80**

प्राप्तियाँ					संवितरण								
1999-2000		**01/4/2000 से 14/11/2000**	**15/11/2000 से 31/3/2001**	योग	**1999-2000**		**01/4/2000 से 14/11/2000**			**15/11/2000 से 31/3/2001**			कुल योग
							गैर–योजना	योजना	योग	गैर–योजना	योजना	योग	
					1072.41	- ग्रामीण विकास	134.63	14.40	149.03	211.09	257.70	468.79	**617.82**
					1.02	-विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	*	-	*	@	-	@	@
					432.94	- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	183.87	15.46	199.33	150.73	38.50	189.23	**388.56**
					2.71	- उर्जा	-	2.05	2.05	--	--	-	**2.05**
					63.97	-उद्योग एवं खनिज	19.92	5.64	25.56	13.07	9.96	23.03	**48.59**
					268.14	-परिवहन	93.87	6.39	100.26	116.81	--	116.81	**217.07**
					60.95	-सामान्य आर्थिक सेवाएँ	36.00	1.95	37.95	49.75	13.15	62.90	**100.85**
					48.07	-सहायता–अनुदान अंशदान	0.41	--	0.41	1.55	--	1.55	**1.96**
10659.53					**14362.43**	योग	**7998.48**	**260.58**	**8259.06**	**4670.15**	**577.99**	**5248.14**	**13507.20**
3702.90	II- खण्ड 'ब' में ले जाया गया राजस्व घाटा	1559.57	770.31	**2329.88**		II- खण्ड–'ब' में ले जाया गया राजस्व आधिक्य							
खण्ड–ब													
1368.77	III- स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित आरंभिक रोकड़	(-) 691.91*	28.73@	**(-) 663.18**		III- आर. बी. आई. से आरम्भिक ओवरड्राफ्ट							
--	IV- विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ				1233.45	IV- पूँजीगत परिव्यय	--	391.98	391.98	0.03	683.50	683.53	**1075.51**
					10.90	-सामान्य सेवाएँ	--	3.16	3.16	--	5.50	5.50	**8.80**
					96.90	-सामाजिक सेवाएँ	--	13.01	13.01	--	71.31	71.31	**84.32**
					0.39	- शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	--	--	--	--	18.78	18.78	**18.78**

* *समेकन के कारण – 0.10 करोड़ रुपये बढ़ गया*

@ *नए राज्य झारखंड को आबंटित ऋणात्मक शेष रकम दर्शाने के परिणामस्वरूप रोकड़ शेष में वृद्धि*

प्राप्तियाँ					संवितरण								
1999-2000		01/4/2000 से 14/11/2000	15/11/2000 से 31/3/2001	योग	1999-2000		01/4/2000 से 14/11/2000			15/11/2000 से 31/3/2001			कुल योग
							गैर–योजना	योजना	योग	गैर–योजना	योजना	योग	
					1.36	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	--	--	--	--	--	--	--
					41.53	-जलापूर्ति एवं स्वच्छता	--	12.18	12.18	--	14.81	14.81	**26.99**
					46.34	-आवास एवं नगर विकास	--	0.83	0.83	--	22.07	22.07	**22.90**
					7.28	-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	--	--	--	--	15.65	15.65	**15.65**
					1125.65	-आर्थिक सेवाएँ	--	375.81	375.81	0.03	606.69	606.72	**982.53**
					2.74	-कृषि एवं तत्सम्बन्धी कार्यकलाप	--	--	--	--	12.58	12.58	**12.58**
					271.24	-ग्रामीण विकास	--	75.58	75.58	--	299.52	299.52	**375.10**
					619.60	-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	--	257.51	257.51	--	181.56	181.56	**439.07**
					74.00	-उर्जा	--	--	--	--	22.06	22.06	**22.06**
					--	-उद्योग एवं खनिज	--	--	--	--	1.00	1.00	**1.00**
					158.01	-परिवहन	--	42.70	42.70	--	72.10	72.10	**114.80**
					0.06	अन्य आर्थिक सेवाएँ	--	0.02	0.02	0.03	17.86	17.89	**17.91**
12.09	V –ऋण एवं पेशगियों की वसूली	**5.73**	**4.85**	**10.58**	1071.79	V –संवितरित ऋण एवं पेशगियाँ			306.12			374.34	**680.46**
0.06	-उर्जा परियोजनाओं से	0.03	0.03	**0.06**	985.96	-उर्जा परियोजना के लिए			296.44			292.02	**588.46**
6.94	-सरकारी सेवकों से	4.35	2.28	**6.63**	14.65	-सरकारी सेवकों को			8.59			10.61	**19.20**
5.09	-अन्य से	1.35	2.54	**3.89**	71.18	अन्य को			1.09			71.71	**72.80**
	VI-राजस्व आधिक्य नीचे ले जाया गया				3702.90	VI-राजस्व घाटा नीचे ले जाया गया			1559.57	--		770.31	**2329.88**
3472.62	VII-लोक ऋण प्राप्तियाँ	2367.61	1160.09	**3527.70**	709.05	VII-लोक ऋण का पुनर्भुगतान			374.73			432.34	**807.07**

प्राप्तियाँ					संवितरण								
1999-2000		01/4/2000 से 14/11/2000	15/11/2000 से 31/3/2001	योग	1999-2000		01/4/2000 से 14/11/2000			15/11/2000 से 31/3/2001			कुल योग
							गैर–योजना	योजना	योग	गैर–योजना	योजना	योग	
426.65	-अर्थोपाय पेशगियाँ एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आन्तरिक ऋण	1291.86	752.99	**2044.85**	240.20	-अर्थोपाय पेशगियाँ एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आन्तरिक ऋण			66.62			3.75	**70.37**
	अर्थोपाय पेशगियाँ एवं ओवरड्राफ्ट के तहत शुद्ध लेन–देन	237.19*	--	**237.19**	शून्य	अर्थोपाय पेशगियाँ एवं ओवरड्राफ्ट के तहत शुद्ध लेन–देन						186.07@	**186.07**
045.97	-केन्द्र सरकार से ऋण एवं पेशगियाँ	838.56	407.10	**1245.66**	558.85	केन्द्र सरकार के ऋण एवं पेशगियों की अदायगी			308.11			242.52	**550.63**
	VIII-आकस्मिकता निधि में विनियोजन					VIII-आकस्मिकता निधि में विनियोजन	--	--	--	--	--	--	--
2.60	IX-आकस्मिकता निधि में स्थानान्तरित राशि					IX-आकस्मिकता निधि से व्यय	--	--	--	--	--	--	--
5032.57	X-लोक लेखा प्राप्तियाँ	3080.34	2304.25	**5384.59**	3773.36	X-लोक लेखा प्राप्तियाँ			2146.51			1694.65	**3841.16**
1540.44	-लघु बचतें एवं भविष्य निधि	689.36	343.93	**1033.29**	604.21	-लघु बचतें एवं भविष्य निधि			450.36			268.95	**719.31**
16.87	आरक्षित निधियाँ	316.89	38.18	**355.07**	8.12	-आरक्षित निधि	--	--	0.10	--	--	--	**0.10**
181.91	-उचन्त एवं विविध भत्ते	539.67	569.15	**1108.82**	0.06	-उचन्त एवं विविध			304.95			153.53	**458.48**
1755.55	प्रेषण	545.85	611.01	**1156.86**	1785.32	-प्रेषण			528.91			667.04	**1195.95**

* *1301.01 करोड़ की निवल प्राप्तियाँ एवं 1063.82 करोड़ रुपये का संवितरण दर्शाता है।*

@ *2067.96 करोड़ रुपये की निवल प्राप्तियाँ एवं 2254.03 करोड़ रुपये का संवितरण दर्शाता है।*

प्राप्तियाँ					संवितरण								
1999-2000		01/4/2000 से 14/11/2000	15/11/2000 से 31/3/2001	योग	1999-2000		01/4/2000 से 14/11/2000			15/11/2000 से 31/3/2001			कुल योग
							गैर–योजना	योजना	योग	गैर–योजना	योजना	योग	
1537.81	-जमा एवं अग्रिम	988.57	741.97	**1730.54**	1375.66	-जमा एवं अग्रिम			862.19			605.13	**1467.32**
	XI-रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से अन्तिम ओवरड्राफ्ट				(-) 691.90	XI-अंत का रोकड़ शेष			(-) 17.14			(-) 457.25	(-) **474.38**
						-कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	--	--	--	--	--	--	--
					(-) 851.40	-रिजर्व बैंक में जमा			(-) 113.58			(-) 567.82	**-681.40**
					77.62	-अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष			91.68			(-) 23.72	**67.96**
					0.10	चिह्नित निधि का निवेश			0.10			-	**0.10**
9888.65	योग	**4761.77**	**3497.92**	**8259.68**	81.78	-रोकड़ शेष निवेश			4.66			134.29	**138.96**
					9888.65				**4761.77**			**3497.92**	**8259.68**

प्रदर्श – III
निधियों के स्रोत एवं उपयोग

(करोड़ रुपये में)

स्रोत					
1999-2000			**1.4.2000 से 14.11.2000**	**15.11.2000 से 31.3.2000**	योग
10659.53		1. राजस्व प्राप्तियाँ	6699.49	4477.83	11177.32
12.09		2. ऋण एवं पेशगियों की वसूली	5.73	4.85	10.58
2673.57		3. ओभरड्राफ्ट के अतिरिक्त लोक ऋण में वृद्धि	1992.88	727.75	2720.63
1259.21		4. लोक लेखे से शुद्ध प्राप्तियाँ	933.83	609.60	1543.43
	936.23	लघु बचतों में वृद्धि	239.00	74.99	313.98
	162.15	जमा एवं अग्रिमों में वृद्धि	126.38	136.84	263.22
	8.75	आरक्षित निधि में वृद्धि	316.79	38.18	354.97
	181.85	उचन्त एवं विविध लेन–देन का निवल प्रभाव	234.72	415.62	650.34
	(-) 29.77	प्रेषण लेन–देनों का निवल प्रभाव	16.94	(-)56.03	(-)39.09
2.60		5. आकस्मिकता निधि में लेन–देनों का निवल प्रभाव	--	--	--
2060.67		6. अन्त रोकड़ शेष में ह्रास	--	485.98	485.98
16667.67		**योग**	**9631.93**	**6306.01**	**15937.94**
		उपयोग			
1999-2000					
14362.43		1. राजस्व व्यय	8259.06	5248.14	13507.20
1071.79		2. विकास एवं अन्य उद्देश्यों के लिए उधार देना	306.12	374.34	680.46
1233.45		3. पूँजीगत व्यय	391.98	683.53	1075.51
		4. अन्त रोकड़ शेष में वृद्धि	674.76	--	674.76
16667.67		**योग**	**9631.93**	**6306.01**	**15937.94**

प्रदर्श I, II एवं III के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. दी जा रही विवरणियों में संक्षिप्त लेखा वित्त लेखे की टिप्पणियों एवं व्याख्याओं के साथ पढ़ी जानी है।

2. सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधारित होने के कारण सरकारी खाते का घाटा जैसा कि प्रदर्श–I में दर्शाया गया है, रोकड़ आधार पर स्थिति बताता है जो कि बढ़ोतरी आधारित वाणिज्यिक लेखाकरण के विपरीत है। परिणामस्वरूप भुगतेय या प्राप्य मद अथवा मूल्य ह्रास अथवा भंडार आंकड़ों में विविधता इत्यादि वाले मद लेखे में अंकित नहीं होते हैं।

3. प्रेषण, उचन्त एवं विविध शेषों में निर्गत किन्तु भुगतान न किए गए चेक, अन्य राज्य की ओर से किये गए भुगतान तथा अन्य लम्बित लेन–देनों का निपटारा आदि सम्मिलित हैं।

1.4 राज्य सरकार का वित्तीय संचालन

1.4.1 राज्य सरकार द्वारा की गयी निकासी एवं प्राप्तियों का विवरण प्रदर्श–II में दिखाया गया है। वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों (11177 करोड़ रुपये) से अधिक राजस्व व्यय (13507 करोड़ रुपये) होने के परिणामस्वरूप 2330 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व *(2809 करोड़ रुपये), करेतर राजस्व (712 करोड़ रुपये), संघीय कर एवं शुल्कों में राज्य का अंश* (6576 करोड़ रुपये) तथा केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान (1080 करोड़ रुपये) सम्मिलित थे। कर राजस्व *के मुख्य स्त्रोत बिक्री कर (65 प्रतिशत), राज्य उत्पाद (9 प्रतिशत), मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क* (11 प्रतिशत) तथा वाहनों पर कर (8 प्रतिशत) थे। करेतर राजस्व मुख्यतः अलौहिक खान एवं धातुकर्म उद्योग (58 प्रतिशत) से प्राप्त हुए थे। वर्ष 2000–2001 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 518 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्यतः संघीय करों के मद में वृहत्तर अंश (1613 करोड़ रुपये) को केन्द्र सरकार से कम सहायतानुदान (365 करोड़ रुपये), बिक्री कर का कम संग्रहण (247 करोड़ रुपये), राज्य उत्पाद (35 करोड़ रुपये), मुद्रांक एवं निबंधन (24 करोड़ रुपये), अलौहिक खान एवं धातुकर्म उद्योग (298 करोड़ रुपये) तथा ब्याज की कम प्राप्ति (106 करोड़ रुपये) से प्रतितुलित करने के कारण हुयी। मुख्यतः 15 नवंबर 2000 के प्रभाव से राज्य का पुनर्गठन किए जाने के कारण इन शीर्षों के तहत प्राप्तियों में कमी हुई।

1.4.2 पूँजीगत प्राप्तियों में लोक ऋण के 3350 करोड़ रुपये तथा ऋण एवं पेशगियों की वसूली के 11 करोड़ रुपये सम्मिलित थे। इसके विरूद्ध पूँजीगत परिव्यय पर 1076 करोड़ रुपये, ऋण एवं पेशगियों के संवितरण पर 680 करोड़ रुपये तथा लोक ऋण के अदायगी पर 630 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था। लोक लेखा में कुल मिलाकर 5385 करोड़ रुपये की प्राप्तियों के विरूद्ध 3841 करोड़ रुपये चुकाए गए थे। वर्ष के अन्त में रोकड़ शेष में 189 करोड़ रुपये की वृद्धि संचित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में लेन–देन का निवल परिणाम थी।

1.4.3 प्रदर्श–II में सम्मिलित सूचना एवं प्रदर्श IV में प्रस्तुत वर्ष 1996–97 से 2000–2001 तक पाँच वर्षों की अवधि के लिए समयबद्ध आंकड़ों के संदर्भ में राज्य सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय से सम्बन्धित इसके वित्तीय संचालन की चर्चा नीचे की कंडिकाओं में की गयी है।

प्रदर्श – IV

राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का कालबद्ध आँकड़ा

(संदर्भ कंडिका : 1.4.3)

(करोड़ रुपये में)

	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001		
					01.04.2000 से 4.11.2000	14.11.2000 से 31.3.2001	योग
खण्ड अ – प्राप्तियाँ							
1. राजस्व प्राप्तियाँ	8408	9479	9296	10659	6699	4478	11177
(i) कर राजस्व	2251(27)	2400(25)	2682(29)	3085(29)	1722(26)	1087(24)	2809(25)
कृषि आय पर कर	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	1496 (66)	1568(65)	1822(68)	2068(67)	1116(65)	705(65)	1821(65)
राज्य उत्पाद	219(10)	226(9)	240(9)	278(9)	166(10)	77(7)	243 (9)
वाहन पर कर	161(7)	174(7)	165(6)	178(6)	114(6)	110(10)	224(8)
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	227(10)	253(11)	279(10)	326(11)	202(12)	100(9)	302(11)
भू–राजस्व	25(1)	23(1)	25(1)	29(1)	11(1)	23(2)	34(1)
अन्य कर	123 (5)	155(6)	151(6)	206(7)	113(7)	72(7)	185(7)
(ii) करेत्तर राजस्व	1034(12)	1225(13)	1146(12)	1166(11)	555(8)	157(3)	712(6)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	4078(49)	4074(43)	4441(48)	4962(46)	3820(57)	2756(62)	6576(59)
(iv) भा. स. से सहायता अनुदान	1045(12)	1780(19)	1027(11)	1446(14)	602(9)	479(11)	1080(10)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-
3. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2)	8408	9479	9296	10659	6699	4478	11177
4. ऋण एवं पेशगियों की वापसी	10	15	10	12	6	5	11
5. लोक ऋण की प्राप्ति							
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय पेशगियाँ एवं ओवरड्राफ्ट छोड़कर)	566	717	734	427	1292	753	2045
भारत सरकार से ऋण एवं पेशगियाँ[$]	1341	1792	2809	3046	839	407	1246
अर्थोपाय पेशगियाँ के तहत शुद्ध लेन–देन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	237	--	237
6.समेकित निधि में कुल प्राप्ति (3+4+5)	10325	12003	12849	14144	9073	5643	14716
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	173	209	-	3	-	-	-
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	10972	28244	35744	31087	7165	3297	10462
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	21470	40456	48593	45234	16238	8991	25229

[$] *भारत सरकार से प्राप्त अर्थोपाय पेशगियाँ सहित*

(करोड़ रुपये में)

	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001		
					01.04.2000 से 4.11.2000	14.11.2000 से 31.3.2001	योग
खण्ड–ब व्यय / संवितरण							
10. राजस्व व्यय	9027(92)	10530(90)	11563(89)	14362(86)	8259(123)	5248(117)	13507 (89)
योजना	1068(12)	1700(16)	1737(15)	1541(11)	261(3)	578(11)	839(6)
गैर–योजना	7959(88)	8830(84)	9826(85)	12821(89)	7998(97)	4670(89)	12668 (94)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	4001(44)	4499(43)	5309(46)	6505(45)	4394(53)	2589(49)	6983(52)
सामाजिक सेवाएँ	3204(35)	3897(37)	4012(35)	5483(38)	3158(38)	1651(31)	4809(35)
आर्थिक सेवाएँ	4820(20)	2133(20)	2240(19)	2326(16)	707(9)	1006(19)	1713(13)
सहायतानुदान एवं अंशदान	1.95	1.93	2.21	48.06	0.41	1.55	1.96
11. पूँजीगत व्यय	503	560	824	1233	392	684	1076
योजना	502 (100)	560(100)	818 (100)	1233 (100)	392 (100)	684 (100)	1076 (100)
गैर योजना	1	नगण्य	6	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य
सामान्य सेवाएँ	6(1)	8(1)	10(1)	11(1)	3(1)	6(1)	9(1)
सामाजिक सेवाएँ	116(23)	107(19)	149(18)	97(8)	13(3)	71(10)	84(8)
आर्थिक सेवाएँ	381(76)	445(80)	665(81)	1125(91)	376(96)	607(89)	983(91)
12. ऋण एवं पेशगियों का संवितरण	235	642	579	1072	306	374	680
13. कुल व्यय (10+11+12)	9765	11732	12956	16667	8957	6306	15263
14. लोक ऋण की अदायगी	432	527	511	799	375	432	807
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय पेशगियाँ एवं ओवरड्राफ्ट छोड़कर)	58	57	15	240	67	4	71
अर्थोपाय पेशगियों एवं ओवरड्राफ्ट के तहत शुद्ध लेन–देन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		186	186
भारत सरकार से ऋण एवं पेशगियाँ	374	470	497	559	308	242	550
15. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	10197	12259	13467	17466	9332	6738	16070
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	209	3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18. लोक लेखा संवितरण	11170	28107	35887	27533	6168	2798	8966
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	21576	40369	49354	44999	15500	9536	25036
खण्ड–'स' घाटा							
20. राजस्व घाटा (1-10)	619	1052	2267	3703	1560	770	2330
21. राजकोषीय घाटा (3+4-13)	1348	2239	3659	5996	2252	1823	4075
22. प्राथमिक घाटा (21-23)	(-) 594	177	1247	3129	305	628	933

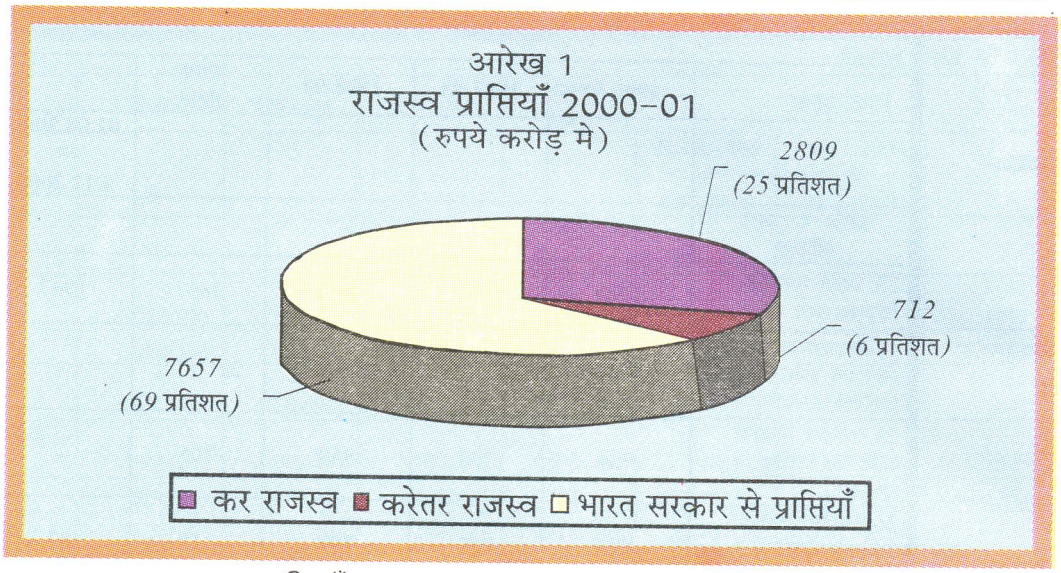
(करोड़ रुपये में)

	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001		
					01.04.2000 से 4.11.2000	14.11.2000 से 31.3.2001	योग
खण्ड–द : अन्य आँकड़ा							
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय सहित)	1942	2062	2412	2867	1947	1195	3142
24. राजस्व का बकाया (कर एवं करेत्तर राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत)	1284(39)	1272(35)	1616(42)	2211(52)	-	1012(29)	1012(29)
25.स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	794	790	859	705	-	463	463
26.उपयोग किए गए अर्थोपाय पेशगियाँ/ ओवरड्राफ्ट (दिन)	शून्य	शून्य	शून्य	117	87	101	188
27. अर्थोपाय पे./ ओवरड्राफ्ट पर ब्जाज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	8	4	12
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)	58487	60870	66253	72083	-	-	49383*
29.लम्बित ऋण (वर्षान्त)	13756	15738	18770	21444	23574	18340	18340 @
30. लम्बित प्रत्याभूति (वर्षान्त)	650	244	190	172	-	-	-
31. गारन्टी दी गयी अधिकतम राशि (वर्षात)	अ.नु.	अ.नु.	अ.नु.	अ.नु.	अ.नु.	अ.नु.	अ.नु.
32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	23	23	23	23	23	22	23
33. अपूर्ण परियोजनाओं पर अवरूद्ध पूँजी	40	53	86	138	62	54	116

टिप्पणीः कोष्ठक के अंक प्रत्येक उपशीर्ष के योग के प्रतिशत (लगभग) का द्योतक हैं।

* बिहार सरकार द्वारा शीघ्र आकलन के आँकड़े दिए गए।

@ नए राज्य झारखंड में शेष आँकड़े का बँटवारा किए जाने के कारण।



1.5 राजस्व प्राप्तियाँ

1.5.1 राजस्व प्राप्तियों में मुख्यतः कर एवं करेतर राजस्व तथा भारत सरकार (भा०स०) से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं। उनके पारस्परिक अंश आरेख–1 में दिखाए गए हैं। वर्ष 1998–99 को छोड़कर जहाँ इसमें 2 प्रतिशत का ह्रास था वही वर्ष 1995–96 से 1999–2000 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वार्षिक वृद्धि औसतन 9 प्रतिशत थी। वर्ष 2000–01 के दौरान 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

1.5.2 कर राजस्व

ये राजस्व प्राप्तियों के कुल 25 प्रतिशत थे। वर्ष 1998–99 से वर्ष 1999–2000 के दौरान इनका अंश 29 प्रतिशत था। प्रदर्श–IV दर्शाता है कि वर्ष के दौरान मुख्यतः बिक्री कर, राज्य उत्पाद एवं अन्य करों में ह्रास था।

1.5.3 करेतर राजस्व

सरकार की राजस्व प्राप्तियों का 6 प्रतिशत करेतर राजस्व था जो वर्ष 1996–97 के 12 प्रतिशत से नीचे था। यह गिरावट मुख्यतः प्रमुख खनन् क्षेत्रों के नए राज्य झारखंड का भाग बन जाने के कारण थी।

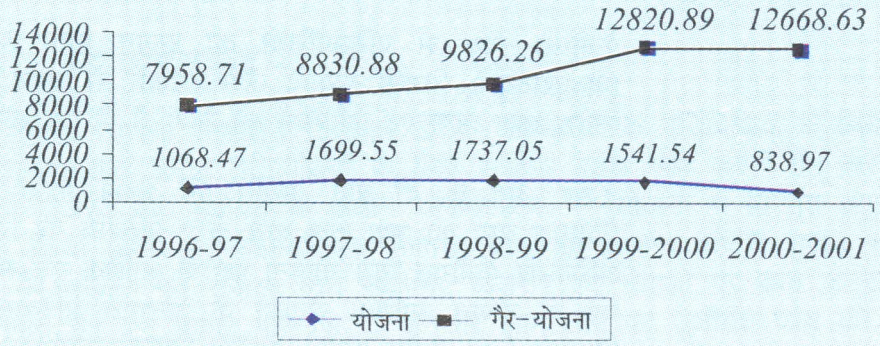
1.5.4 संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश एवं केन्द्र सरकार से सहायतानुदान

ये राजस्व प्राप्तियों का वृहत अंश (69 प्रतिशत) था। संघीय करों (उत्पाद शुल्क तथा आय एवं निगम कर) में राज्य की प्राप्तियों का अंश वर्ष 2000–01 में 32 प्रतिशत बढ़ा, परिणामस्वरूप राज्य के समस्त प्राप्तियों में इसके अंश में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के सापेक्षिक अंश में 4 प्रतिशत का ह्रास था। केंद्रीय कर स्थानांतरण एवं सहायता अनुदान अंश में सापेक्षिक वृद्धि को शामिल करते हुए वर्ष 1996–97 की तुलना में राज्य के राजस्व प्राप्तियों के अपने स्त्रोत का अंश 39 प्रतिशत से गिरकर 31 प्रतिशत हो गया।

1.6 राजस्व व्यय

1.6.1 वर्ष के दौरान राज्य सरकार के व्यय का 89 प्रतिशत राजस्व व्यय के रूप में दर्ज था एवं पूर्व वर्ष की अपेक्षा इसमें 6 प्रतिशत की कमी हुई थी। निवर्त्तमान राज्य को दो राज्यों में पुनर्गठित करने के स्वतः प्रभाव के कारण कमी हुई थी। यद्यपि गैर योजना व्यय में मात्र 1 प्रतिशत (153 करोड़ रुपये) की कमी हुई थी, योजना व्यय में 46 प्रतिशत (709 करोड़ रुपये) की कमी थी। साथ ही राजस्व व्यय को गतिविधियों पर बाँट देना दर्शाता था कि सामाजिक सेवाएँ एवं आर्थिक सेवाएँ, प्रत्येक, के समानुपाती अंश में 3 प्रतिशत की कमी हुई थी, सामान्य सेवाओं पर व्यय में 7 प्रतिशत (478 करोड़ रुपये) की वृद्धि हुई थी, जो मुख्यतः अधिक पेंशन भुगतान (77 करोड़ रुपये) एवं अधिक ब्याज भुगतान (275 करोड़ रुपये) के कारण हुआ था।

आरेख 2
योजना एवं गैर–योजना राजस्व व्यय की वृद्धि
(रुपये करोड़ में)



1.6.2 खण्डवार विश्लेषण दर्शाता है कि जब सामान्य सेवाओं पर व्यय 74 प्रतिशत बढ़ते हुए वर्ष 1996–97 के 4001 करोड़ रुपये से वर्ष 2000–2001 में 6983 करोड़ रुपये हो गया, तब सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय में क्रमशः 47 एवं 6 प्रतिशत की कमी हुई थी। कुल व्यय के समानुपात के रूप में सामान्य सेवाओं का अंश वर्ष 1996–97 के 44 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2000–2001 में 52 एवं सामाजिक सेवाओं का अंश 35 प्रतिशत पर स्थिर था जबकि आर्थिक सेवाओं का अंश 20 प्रतिशत से गिर कर 13 हो गया था। सामान्य सेवाओं में अधिकतर व्यय गैर–योजना पर था।

1.6.3 ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान में वर्ष 1996–97 के 1942 करोड़ रुपये से वर्ष 2000–2001 में 3142 करोड़ रूपये होते हुए 62 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई थी। वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान में पूर्व वर्ष की अपेक्षा 275 करोड़ रुपये (10 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। इसकी चर्चा आगे वित्तीय सूचक के खण्ड (कंडिका 1.11) में की गयी है।

1.6.4 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

वर्ष 2000–2001 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों की अवधि के दौरान विभिन्न स्थानीय निकायों आदि को मुहैया कराए गए सहायता के परिमाण निम्नानुसार थे :

(करोड़ रुपये में)

	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान	337.93	382.82	417.34	518.65	463.00
नगर निगम एवं नगरपालिका	33.20	25.90	27.21	115.44	57.18
जिला परिषद एवं पंचायती राज संस्थान	4.34	26.37	5.89	6.93	2.90
विकास अभिकरण	335.73	241.64	226.86	34.76	61.32
अन्य संस्थान	82.85	113.45	181.93	29.29	49.20
योग	**794.05**	**790.18**	**859.23**	**705.07**	**633.60**
पूर्व वर्ष की अपेक्षा वृद्धि की प्रतिशतता	(-) 6.38	(-) 0.49	9	(-)17.94	(-)10.14
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	9	8	7	5	5

वर्ष 1996–97 की तुलना में समग्रता के आधार पर वर्ष 1996–2001 के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता में मुख्यतः राज्य के पुनर्गठन के कारण 20 प्रतिशत की गिरावट आयी।

1.7 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय से परिसंपत्तियों का सृजन होता है। साथ ही लोक क्षेत्र उपकमों (पी०एस०यू०), निगमों इत्यादि जैसे सरकार से बाह्य संस्थानों या उपकमों में किए गए निवेश तथा ऋण एवं पेशगियों की राशि से वित्तीय संपत्ति उत्पन्न होती है।

1.7.1 पूर्व के दो वर्षों, अर्थात वर्ष 1999–2000 एवं वर्ष 2000–2001 के दौरान पूँजीगत व्यय का अंश कुल व्यय के 7 प्रतिशत पर स्थिर था। प्रदर्श–IV दर्शाता है कि अधिकतर पूँजीगत व्यय योजना पक्ष के आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं पर किए गए थे। वर्ष के दौरान आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत परिव्यय मुख्यतः अन्य सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (439 करोड़ रुपये), ग्रामीण विकास कार्यक्रम (375 करोड़ रुपये), पथ एवं पुलों (113 करोड़ रुपये) एवं विद्युत परियोजना (22 करोड़ रुपये) के तहत् थे जबकि सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत मुख्यतः शिक्षा, कला एवं संस्कृति (19 करोड़ रुपये), नगर विकास (21 करोड़ रुपये) जलापूर्ति (27 करोड़ रुपये), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण (16 करोड़ रुपये) तथा आवास (2 करोड़ रुपये) के तहत थे। सम्पत्ति में कम वृद्धि का मुख्य कारण पूँजीगत व्यय में कम निवेश का होना था।

1.7.2 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं पेशगियाँ

विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक गतिविधियों के लिए सरकारी कम्पनियों, निगमों, स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी निकायों, सहकारिताओं, गैर सरकारी संस्थानों इत्यादि को सरकार ऋण एवं पेशगियाँ देती है। नीचे दी गयी विगत पाँच वर्षों की स्थिति दर्शाती है कि वर्ष 1996–2001 के दौरान अदायगियाँ नगण्य थीं (आरंभिक शेष के 1 प्रतिशत से कम) एवं अंतशेष लगभग 72.65 प्रतिशत बढ़ा था। ऋणों की नगण्य अदायगी राज्य सरकार की दयनीय वित्तीय स्थिति के प्रमुख कारणों में से एक थी तथा उसने राजकोषीय घाटा को बढ़ाने में स्पष्ट भूमिका अदा किया था।

स्थानीय निकायों, सांविधिक निगमों, निजी संस्थानों, कम्पनियों एवं व्यक्ति विशेषों को दिए गए ऋणों, जिसके विस्तृत लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार रखते थे, की वसूली सदैव तुच्छ थी एवं उनमें से 3446.47 करोड़ रुपये (मूलधन 1522. 50 करोड़ रुपये तथा ब्याज 1923.77 करोड़ रुपये) 31 मार्च 2001 तक बकाया थे। ऋणों का ब्यौरा, जिसके विस्तृत लेखे विभागीय अधिकारियों द्वारा संधारित किए जाते

थे, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस प्रकार वसूली योग्य ऋण की वास्तविक राशि को कम करके बताया गया है।

(करोड़ रुपये में)

	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
आरम्भिक शेष	3801.67	4027.15	4654.79	5223.25	6282.97
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम की राशि	235.43	642.18	578.56	1071.79	680.46
वर्ष के दौरान वापस की गई राशि	9.95 (0.26)	14.54 (0.36)	10.09 (0.22)	12.08 (0.23)	10.59 (0.17)
अन्तशेष	4027.15	4654.79	5223.25	6282.95	6952.84
शुद्ध जोड़	225.48	627.64	568.47	1059.71	669.87
प्राप्त ब्याज	2.64 (0.07)	7.11 (0.18)	2.31 (0.05)	22.31 (0.43)	8.58 (0.14)

टिप्पणी : कोष्ठक के अंक आरम्भिक शेष की प्रतिशतता सूचित करते हैं।

1.8 व्यय की गुणवत्ता

1.8.1 विधि–व्यवस्था सम्भालने से लेकर विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के नियामक कार्य कलापों तक अनेक गतिविधियों के लिए सरकार राशि खर्च करती है। सरकारी खर्च को राजस्व एवं पूँजीगत के अधीन योजना एवं गैर योजना में विस्तृत तौर पर वर्गीकृत किया जाता है। योजना एवं पूँजीगत व्यय का सम्बन्ध संपत्ति सृजन से है, जबकि गैर योजना एवं राजस्व व्यय स्थापना, संधारण एवं सेवाओं पर व्यय के रुप में समझे जाते हैं। इस प्रकार परिभाषा के अनुसार आम तौर पर पूँजीगत व्यय को व्यय की गुणवत्ता में योगदान के रूप में समझा जा सकता है।

1.8.2 लोक व्यय में बर्बादी, निधियों का विपथन एवं अपूर्ण योजनाओं पर निधियों का अवरूद्ध रहना भी व्यय की गुणवत्ता को नकारात्मकता की ओर दृष्टिगोचर कराएगा। इसी प्रकार निधियों को व्यय के रूप में दर्ज करने के बाद उन्हें लोक लेखा के जमा शीर्षों में स्थानान्तरित किया जाना भी व्यय की गुणवत्ता का निर्णय करने में नकारात्मकता के रूप में समझा जा सकता है। चूँकि सम्बन्धित वर्ष में व्यय वास्तविक तौर पर नहीं हुआ था अतः इस वर्ष के व्यय के आंकड़ों से इसे हटा देना चाहिए था। आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं को नुकसान पहुँचाते हुए सामान्य सेवाओं पर व्यय में वृद्धि होना एक दूसरा संभाव्य सूचक है।

निम्नलिखित सारणी इन सूचकों में प्रवृत्ति को दर्शाती है ।

सारणी I

		1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
1-	प्रतिशतता के रूप में योजना व्यय :					
	–राजस्व व्यय का	12	16	15	11	6
	–पूँजीगत व्यय का	100	100	100	100	100
2-	पूँजीगत व्यय (प्रतिशत)	5	5	6	7	7
3.	सामान्य सेवाओं पर व्यय (प्रतिशत)					
	राजस्व	44	43	46	45	52
	पूँजीगत	01	01	01	01	9
4.	अपूर्ण परियोजना पर प्रतिफल रहित व्यय प्रतिशत	40	53	86	138	116

यह द्रष्टव्य होगा कि राजस्व पक्ष में योजना व्यय का अंश तीव्रता से गिरकर वर्ष 1997–98 के 16 प्रतिशत से वर्ष 2000–2001 में अंशतः राज्य के पुनर्गठन के कारण 6 प्रतिशत हो गया। अवधि के दौरान कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अंश सदैव 5 एवं 7 प्रतिशत तक के निम्नतम स्तर पर रहा। मुख्यतः अधिक ब्याज भुगतान, अधिक पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ, चुनाव एवं अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर अधिक व्यय के कारण राजस्व पक्ष की ओर सामान्य सेवाओं पर व्यय में वृद्धि रही।

1.8.3 दयनीय योजना प्रदर्शन

योजना व्यय से सम्बन्धित बिहार सरकार के दयनीय प्रदर्शन के सम्बन्ध में 31 मार्च 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लेख किया गया था। वर्ष 2000–2001 के दौरान भी दयनीय प्रदर्शन जारी रहा, जैसा कि नीचे विवर्णित है :

वर्ष 2000–2001 के लिए अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय 3852 करोड़ रुपये (भा०स०अंशदान : 1263 करोड़ रुपये एवं राज्य सरकार अंशदान : 2589 करोड़ रुपये) था। इसके विरूद्ध मात्र 1914.08 करोड़ रुपया (ऋण एवं पेशगियाँ सहित) खर्च किया गया था। संवीक्षा से प्रकट हुआ कि जबकि राज्य सरकार ने केन्द्रीय ऋण (1216.84 करोड़ रुपये), बाजार ऋण (732.19 करोड़ रुपये) तथा केन्द्र सरकार से अनुदान (607.97 करोड़ रुपये) के रूप में कुल 2557.00 करोड़ रुपये वर्ष 2000–2001 के दौरान राज्य योजनागत कार्यक्रमों के लिए प्राप्त किया था, इन अनुदानों एवं ऋणों का 25 प्रतिशत (642.92 करोड़ रुपये) भी व्यय नहीं किया गया था। इस प्रकार राज्य सरकार ने इस योजनागत व्यय में पर्याप्त रूप से योगदान नहीं दिया।

राज्य सरकार के इस वर्ष के विनियोग लेखा से यह भी पाया गया कि केन्द प्रायोजित योजना (438 करोड़ रुपये) एवं केन्द्रीय योजनागत योजनाओं (5 करोड़ रुपये) के साथ–साथ विभिन्न राज्य योजनागत योजनाओं (2088 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत परिशिष्ट–III के अनुसार राज्य सरकार बजटीय प्रावधान में से 2532 करोड़ रुपये (68 प्रतिशत) व्यय करने में विफल रही। कुल बचत सकल बजटीय प्रावधान का 10 प्रतिशत थी। बचतों पर आगे चर्चा कंडिका 2.3 में शामिल की गई है।

1.9 वित्तीय प्रबन्धन

सरकार में वित्तीय प्रबन्धन के मामले इसके राजस्व एवं व्यय संचालन की दक्षता, मितव्ययिता एवं कारगरता से सम्बद्ध होने चाहिए। इस प्रतिवेदन के आने वाले अध्यायों में नमूना लेखा–परीक्षा के जाँच के आधार पर खासकर इन मामलों पर विस्तृत व्याख्या की गई है, क्योंकि ये सरकार के व्यय प्रबंधन से संबंधित है। लेखे एवं सरकार की संबधित वित्तीय सूचनाओं से अलग की जा सकने वाले अन्य मापदंडों को इस अनुभाग में विमर्शित किया गया है।

1.9.1 निवेश एवं प्रतिफल

विकासात्मक, निर्माण, विपणन एवं सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पूँजीगत परिव्यय में से निवेश किया जाता है। किए गए निवेशों का क्षेत्र–वार विवरण एवं सम्मिलित संस्थाओं की संख्या निम्नानुसार थे :

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	संस्थाओं की संख्या	निवेशित राशि	
		31 मार्च 2001 को	वर्ष **2000-01** के दौरान
(i) सांबिधिक निगम	3	101.01	1.34
(ii) सरकारी कम्पनियाँ	36	345.21	17.88
(iii) संयुक्त पूँजी कम्पनियाँ	10	3.88	--
(iv) सहकारिता संस्थान	अनु.	237.56	10.31
योग	**49**	**687.66**	**29.53**

विगत पाँच वर्षों के दौरान इसके निवेशों से प्राप्त लाभांश तथा ब्याज के रूप में सरकार द्वारा प्राप्त प्रतिफल तुच्छ था।

वर्ष	वर्ष के दौरान निवेश	वर्ष की समाप्ति पर निवेश	प्रतिफल	प्रतिफल का प्रतिशत	सरकारी कर्ज पर प्रतिशत ब्याज
	(करोड़ रुपये में)				
1996-97	20.52	641.22	रू०2883 मात्र	शून्य	13.85
1997-98	0.09	641.31	रू० 1000 मात्र	शून्य	13.75
1998-99	14.03	646.34	रू० 192 मात्र	शून्य	12.50
1999-2000	2.74	649.08	रू० 1.10 करोड़	0.17	11.30
2000-01	29.53	687.66	रु. 4500 मात्र	शून्य	12.00

अतः जबकि सरकार बाजार से उच्च दर पर कर्ज ले रही थी, सरकारी कम्पनियों इत्यादि में इसका निवेश या तो कोई प्रतिफल नहीं दे रहा था या नगण्य प्रतिफल दे रहा था।

45 सरकारी कम्पनियों एवं 4 सांविधिक निगमों के नवीनतम निष्पादित लेखा के अनुसार 43 कम्पनियों एवं 3 निगमों में क्रमशः 547.80 करोड़ रुपये एवं 4520.78 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था तथा शेष 2 कम्पनियों एवं 1 निगम ने क्रमशः 4.33 करोड़ रुपये एवं 4.40 करोड़ रुपये का कुल लाभ अर्जित किया था। पाँच कम्पनियों ने अपने आरंभिक काल से ही अपने लेखा को अन्तिम रूप नहीं दिया था। ऐसी कम्पनियों में नवीन निवेश ने ही इन हानियों को बढ़ाया था।

1.9.2 अपूर्ण परियोजनाएँ

23 सिंचाई परियोजनाओं (वृहत : 12; मध्यम : 11) में से मार्च 2000 तक 20 सिंचाई परियोजनाओं (वृहत : 10; मध्यम :10) पर परिशिष्ट IV के अनुसार 2011 करोड़ रुपये अवरूद्ध थे। 3 सिंचाई परियोजनाओं (वृहत : 2; मध्यम :1) में अवरूद्ध पूँजी का आँकड़ा उपलब्ध नहीं था। वर्ष 2000–2001 के दौरान परियोजनाओं जिसमें प्रचुर मात्रा में निवेश किए गए, निम्नलिखित थे : (i) सुवर्णरेखा परियोजना (34.97 करोड़ रुपये), (ii) पश्चिमी कोशी नहर परियोजना (30.15 करोड़ रुपये), (iii) उत्तरी कोयल परियोजना (4.03 करोड़ रुपये) (iv) सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना (17.66 करोड़ रुपये)। यह दर्शाता था कि सरकार अपने संसाधनों का छोटा विस्तार कर रही थी, जो कोई प्रतिफल देने में विफल रहा।

1.9.3 राजस्व के बकाये

31 मार्च 2001 को, जैसा कि विभागों द्वारा प्रतिवेदित किए गए थे, राजस्व के मुख्य शीर्षों में से आठ के अन्तर्गत संग्रहण हेतु लम्बित राजस्व का बकाया 1012.34 करोड़ रुपये लम्बित थे एवं मुख्यतः बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर (691.79 करोड़ रुपये), जल

कर (86.30 करोड़ रुपये), वाहन कर (80.83 करोड़ रुपये), अलौहिक खनन एवं धातुकर्म उद्योग पर कर (59.07 करोड़ रुपये), राज्य उत्पाद (45.44 करोड़ रुपये में से 40.72 करोड़ रुपये 5 वर्षों से अधिक से लम्बित थे), विद्युत पर कर एवं शुल्क (17.47 करोड़ रुपये), ईख पर कर (16.19 करोड़ रुपये में से 11.10 करोड़ रुपये 5 वर्षो से अधिक से लम्बित थे), प्रवेश कर (11.93 करोड़ रुपये) तथा मनोरंजन कर (3.72 करोड़ रुपये) से सम्बन्धित थे। उपरोक्त बकाए राजस्व को राशि कम करके बतायी गयी है क्योंकि सरकार के अन्य विभागों के सचिवों द्वारा सूचनाएँ प्रस्तुत नहीं की गयी थी (अगस्त 2002) ।

1.9.4 अर्थोपाय पेशगियाँ एवं ओवरड्राफ्ट

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक अनुबन्ध के तहत् राज्य सरकार को बैंक में प्रतिदिन न्यूनतम 2.18 करोड़ रुपये (1 जुलाई 1999 से 14 नवम्बर 2000 तक) जिसे घटाकर 15 नवम्बर के प्रभाव से 1.73 करोड़ रुपये किया गया, रोकड़ शेष बनाए रखना था। अगर किसी भी दिन का न्यूनतम अनुबन्धित शेष नीचे गिर जाता है तो कमी को बैंक से अर्थोपाय पेशगियाँ (डब्लू०एम०ए)/ ओवरड्राफ्ट (ओ०डी०) लेते हुए इसे पूरा करना था। साथ ही, जब भी आवश्यकता हुई बैंक द्वारा विशेष अर्थोपाय पेशगियाँ भी दी गयीं। अर्थोपाय पेशगियाँ/ओवरड्राफ्ट के सहारा का अर्थ सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का बेमेल होना है एवं इस प्रकार यह सरकार के दयनीय वित्तीय प्रबन्धन को प्रदर्शित करता था। वर्ष 2000–2001 के दौरान सरकार ने 2144.41 करोड़ रुपये का अर्थोपाय पेशगियाँ (89 दिन) एवं 1224.55 करोड़ रुपये का ओवरड्राफ्ट (63 दिन) लिया तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2000–2001 के दौरान अर्थोपाय पेशगियाँ पर 10.70 करोड़ रुपये तथा ओवरड्राफ्ट पर 1.36 करोड़ रुपये के ब्याज की वसूली की।

1.9.5 घाटा

1.9.5.1 सरकारी लेखा में घाटा प्राप्तियों एवं व्यय के बीच अन्तर दर्शाता है। घाटे की प्रकृति सरकार में वित्तीय प्रबन्धन की दूरदर्शिता का एक महत्वपूर्ण सूचक है। साथ ही, घाटा को वित्तीय समर्थन प्रदान करने का तरीका एवं इस तरह से बढ़ाए गए निधियों का उपयोग सरकार के राज कोषीय दूरदर्शिता के महत्वपूर्ण सूचक हैं। इस खण्ड में घाटा के तीन अवधारणाओं अर्थात राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा एवं मूल घाटा से सम्बन्धित चर्चा है।

1.9.5.2 राजस्व प्राप्तियों से अधिक राजस्व व्यय होना राजस्व घाटा है। राजस्व प्राप्तियों (प्राप्त सहायता अनुदान सहित) से अधिक राजस्व एवं पूँजीगत व्यय (दिये गये निवल ऋण सहित) को राजकोषीय घाटा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राजकोषीय घाटा घटाव ब्याज भुगतान मूल घाटा है। निम्नलिखित प्रदर्श सरकारी लेखा में घाटा के विभिन्न क्रमों को दर्शाता है।

(करोड़ रुपये में)

प्राप्ति	राशि		संवितरण	राशि
संचित निधि (सं०नि०)				
राजस्व	11177	राजस्व घाटा	राजस्व	13507
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	..	**2330**	पूँजीगत	1075
ऋण एवं पेशगियों की वसूली	11		ऋण एवं पेशगियों का संवितरण	680
उप योग	**11188**	सकल राजकोषीय घाटा– **4075**	**उप योग**	**15263**
लोक ऋण	3350		लोक ऋण अदायगी	630
योग	**14538**	अ : संचित निधि में घाटा 1354		**15892**
	--	ब : आकस्मिकता निधि लोक लेखा		
लघु बचत, भ.निधि इत्यादि	1033		लघु बचत, भ. निधि इत्यादि	719
जमा एवं अग्रिमें	1730		जमा एवं अग्रिमें	1467
आरक्षित निधियाँ	355		आरक्षित निधियाँ	--
उचन्त एवं विविध	1109		उचन्त एवं विविध	459
प्रेषण	1157		प्रेषण	1196
लोक लेखा योग	**5384**	स : लोक लेखा द्वारा वित्त प्रदत्त सं०नि० में घाटा 1543		**3841**
रोकड़ शेष में वृद्धि (ब+स–अ) : **189**				

तालिका दर्शाती है कि 2330 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा को कर्जे के द्वारा पूरा किया गया था। 4075 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटा की भरपाई लोक ऋण (2721 करोड़ रुपये) के निवल प्राप्ति के द्वारा तथा अंशतः लोक लेखे के आधिक्य (1354 करोड़ रुपये) के द्वारा की गई। लोक लेखा में बचे आधिक्य के परिणामस्वरूप रोकड़ शेष में 189 करोड़ रुपये की वृद्धि थी। प्रदर्श–IV दर्शाता है कि वर्ष 1996–97 से वर्ष 1999–2000 के दौरान दोनों घाटों में हुई तीव्र वृद्धि में वर्ष 2000–2001 में क्रमशः 37 एवं 32 प्रतिशत की गिरावट हुई थी। हाँलाकि यह ग्यारहवीं वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर केंद्रीय कर स्थानांतरण में पर्याप्त वृद्धि तथा नवंबर 2000 में राज्य के पुनर्गठन से इसके राजस्व एवं कुल व्यय में ह्रास के कारण ऐसा हुआ था।

1.9.5.3 कर्ज ली गयी निधियों का उपयोग (राजकोषीय घाटा)

राजकोषीय घाटा सरकार के कुल निवल कर्जे को संसूचित करती है। इन कर्जों का उपयोग राजकोषीय घाटा (आर०डी०) को पूरा करने, पूँजीगत व्यय (सी०ई०) करने तथा विकासात्मक एवं अन्य प्रयोजनों के लिए विभिन्न निकायों को ऋण प्रदान करने के लिए किया जाता है। इन उपयोगों का सापेक्षिक समानुपात राज्य सरकार की वित्तीय दूरदर्शिता एवं उनके कार्यों के संचालन की सुदृढ़ता को भी इंगित करेगा क्योंकि राजस्व व्यय के लिए कर्ज लेना जारी रहना बाद में चलकर कायम नहीं रह पाएगा। निम्नलिखित तालिका बिहार सरकार से सम्बन्धित विगत पाँच वर्षों की स्थिति को दर्शाता है:

अनुपात	1996–97	1997–98	1998–99	1999.2000	2000–01
राजस्व घाटा/राज कोषीय घाटा	0.46	0.47	0.62	0.62	0.57
पूँजीगत व्यय/राज कोषीय घाटा	0.37	0.25	0.22	0.20	0.26
निवल ऋण/राज कोषीय घाटा	0.17	0.28	0.16	0.18	0.17
योग	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**

यह द्रष्टव्य होगा कि 2 वर्षों को छोड़कर विगत 5 वर्षो के दौरान कर्ज ली गयी निधियों का 50 प्रतिशत से अधिक भाग राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग किया गया था। कर्जे के अधिकांश को राजस्व व्यय पर उपयोग एवं पूँजी सृजन पर जोर देने में अभाव के कारण कर्जे लेने की स्थिति, वृहत ब्याज बर्हिगमन, निम्न पूँजी निवेश एवं उच्चतर ऋण बोझ के द्वारा राजकोषीय दबाव की स्थिति को दर्शाता है।

1.9.6 राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारन्टियाँ

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों एवं सहकारिता संस्थाओं इत्यादि द्वारा बढ़ाए गए खास दायित्वों, जैसे ऋणों की अदायगी, अंश पूँजी इत्यादि तथा उनके द्वारा ब्याज एवं लाभांश का भुगतान के निर्वहन के लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटियाँ दी जाती है। वे राज्य के आकस्मिक दायित्व बन जाते हैं। ऐसी अधिकतम सीमा, जिसके भीतर राज्य के संचित निधि की प्रत्याभूति पर सरकार द्वारा गारन्टी दी जा सके, के लिए संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत् राज्य विधान मंडल द्वारा कोई कानून पारित नहीं किया गया था। ऋण भुगतान, उन पर ब्याज का भुगतान एवं बकाया राशि के लिए सरकार द्वारा दी गयी गारन्टियों से सम्बन्धित वर्ष 1996–97 से 2000–2001 की समाप्ति तक की स्थिति निम्नवत् थी:

वर्ष की समाप्ति पर स्थिति	दी गयी गारंटी की राशि (केवल मूलधन)	बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
	(करोड़ रुपये में)		
1996-97	649.61	549.89	सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया
1997-98	243.78	199.34	
1998-99	190.17	962.28	
1999-2000	171.92	852.25	
2000-01	39.95	624.43	

ये गारन्टियाँ 4 सांविधिक निगमों/बोर्डों, 11 सरकारी कम्पनियों, 3 संयुक्त पूँजी कम्पनियों, 5 स्वायत्तशासी निकायों, 2 सहकारिता बैंकों एवं अनेक सहकारिता समितियों की ओर से दी गयी थी। ऋणियों द्वारा मूलधन एवं ब्याज के पुनर्भुगतान में दोषी होने की स्थिति में ब्याज सहित ऋण के पुनर्भुगतान का उत्तरदायित्व राज्य सरकार के जिम्मे आती थी।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1998 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन (सिविल) की कंडिका 1.10.4 (अ) में यह उल्लेखित था कि गारन्टियों के निर्वहन में वर्ष 1990–98 के दौरान सरकार द्वारा 718.17 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। वर्ष 1998–99 के दौरान गारन्टियाँ निष्पादित करने हेतु भुगतान की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। वर्ष 1999–2001 के दौरान सरकार ने कुल 296.71 करोड़ रुपये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (मूलधन : 305.63 करोड़ रुपये एवं ब्याज : 62.22 करोड़ रुपये), बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (मूलधन : 4.23 करोड़ रुपये; ब्याज : 0. 70 करोड़ रुपये), बिहार राज्य वित्तीय निगम (मूलधन : 22.83 करोड़ रुपये) तथा बिहार राज्य आवास बोर्ड (ब्याज : 1.10 करोड़ रुपये) द्वारा 1 जनवरी 1997 से 31 मार्च 1998 की अवधि के लिए जारी किए गए बाण्डों पर मूलधन के पुनर्भुगतान की गारण्टी एवं बकाये ब्याज भुगतान की जिम्मेवारी निभाने के लिए भुगतान किया गया था। इन भुगतानों को सम्बन्धित संस्थाओं को ऋण के रूप में माने गए थे।

सरकार द्वारा वर्ष 1999–2001 के दौरान गारंटी निर्वहन पर किए गए अत्यधिक भुगतान (1114.88 करोड़ रुपये) को देखते हुए आने वाले वर्षों में भी लंबित गारंटी के पुनर्भुगतान के लिए काफी अधिक राशि के दायित्वों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

1.10 लोक ऋण

1.10.1 भारत का संविधान व्यवस्था करता है कि राज्य के विधानमंडल के अध्यादेश द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए गए उन निश्चित सीमाओं के अन्तर्गत राज्य की संचित निधि के प्रत्याभूति पर भारत के क्षेत्र के अन्तर्गत एक राज्य उधार ले सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा ऐसी सीमा निर्धारण हेतु कोई कानून पारित नहीं किया गया था।

विगत पाँच वर्षों की समाप्ति पर राज्य सरकार के कुल दायित्वों का विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है। वर्ष 2000–2001 के दौरान सरकार ने 10.52 प्रतिशत (290 करोड़ रुपये) एवं 12 प्रतिशत (442 करोड़ रुपये) वार्षिक ब्याज दर पर खुले बाजार से 732 करोड़ रुपया उधार लिया था। वर्ष 2000–2001 के दौरान लोक ऋण में 2721 करोड़ रुपये एवं अन्य दायित्वों में 935 करोड़ रुपये की निवल वृद्धि हुई थी।

वर्ष	आन्तरिक ऋण	केन्द्र सरकार से ऋण एवं पेशगियां	कुल लोक ऋण	अन्य दायित्व[@]	कुल दायित्व	जी.एस.डी.पी.से ऋण का अनुपात
	(करोड़ रुपये में)					
1996-97	4016	9740	13756	6876	20632	32
1997-98	4676	11061	15737	7525	23262	33
1998-99	5395	13375	18770	8056	26826	40
1999-2000	5582	15862	21444	9169	30613	42
2000-01	7097[*]	11243[#]	18340	10104	28444	58

1.10.2 लोक ऋण के माध्यम से इकट्ठा की गयी निधियों की रकम, पुनर्भुगतान की रकम एवं उपलब्ध निवल निधियाँ निम्नलिखित तालिका में दी गयी हैं :

	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
	(करोड़ रुपये में)				
आन्तरिक ऋण सहित अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट					
– प्राप्तियाँ	566	717	734	3503	5414
– पुनर्भुगतान (मूलधन +ब्याज)	527	500	596	4025	4359
– उपलब्ध निवल निधियाँ	39	217	138	(-)520	1055
(प्रतिशत)	7	30	19	(-)15	19
भारत सरकार से ऋण एवं पेशगियाँ –वर्ष के दौरान प्राप्ति	1341	1792	2809	3046	1246
–पुनर्भुगतान (मूलधन + ब्याज)	1320	1562	1792	2180	2264
–उपलब्ध निवल निधियाँ	21	230	1017	866	(-) 1018
(प्रतिशत)	2	13	38	28	(-) 82
अन्य दायित्व –वर्ष के दौरान प्राप्ति	2537	2385	2503	3019	3059
–पुनर्भुगतान	2508	2263	2511	2445	2580
–उपलब्ध निवल निधियाँ	37	122	(-) 8	574	479
(प्रतिशत)	1	5	(-) 0.31	19	16

@ *लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि एवं जमा इत्यादि।*

* *नये राज्य झारखण्ड को बाँटे गए क्रमशः 2211.71 करोड़ रुपये एवं सरकार से प्राप्तियों का विवरण लंबित रखते हुए उचंत शीर्ष '8658' को स्थानांतरित प्रोफार्मा, 237.29 करोड़ रुपये का ऋणात्मक शेष को छोड़कर तथा वर्गीकरण के चार्ज करने के अनुरूप केंद्र सरकार से ऋण एवं पेशगियाँ शीर्ष के तहत प्राप्त स्थानांतरित प्रोफार्मा 1463.93 करोड़ रुपये को शामिल करते हुए*

\# *नए राज्य झारखण्ड को बाँटे गए 3750.24 करोड़ रुपये, वर्गीकरण में परिवर्त्तन के फलस्वरूप आन्तरिक ऋण में स्थानान्तरित 1463.93 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1990–91, 1991–92 एवं 1992–93 के लेखे में भूल–चूक में सुधार स्थानान्तरित प्रोफार्मा से उचंत शेष 8658 के 99.58 करोड़ रुपये को छोड़कर*

यह द्रष्टव्य होगा कि पुनर्रादायगी की बाध्यता को पूरा करने के बाद मुख्यतः बाजार ऋण सन्निहित आन्तरिक ऋण, प्राप्त ऋण एवं पेशगियों का मात्र 19 प्रतिशत पूँजीगत सृजन के लिए उपलब्ध थे, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं पेशगियों की पुनर्अदायगी के दायित्व से पूर्णतः त्रस्त होते हुए इसे बिल्कुल नकारा गया था। यह समझते हुए कि बकाया ऋण वर्ष–दर– वर्ष बढ़ रहा है तथा ऋणों के पुनर्भुगतान की बाध्यता बढ़ रही है, लोक कर्ज़े के माध्यम से निधि की निवल उपलब्धता आगे घटती जा रही है।

1.10.3 केन्द्र सरकार से ऋण एवं पेशगियाँ

विगत पाँच वर्षो के लिये भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं पेशगियों की स्थिति निम्नानुसार थी :

वर्ष	वर्ष के दौरान वृद्धि	ऋण + ब्याज की पुनरादायगी		योग	निवल अन्तर्वाह	स्तम्भ 5 का स्तम्भ 2 से प्रतिशतता
		मूलधन	ब्याज			
1	2	3	4	5	6	7
	(करोड़ रुपये में)					
1996-97	1340.94	373.54	946.38	1319.92	21.02	98
1997-98	1791.80	470.04	1092.07	1562.11	229.69	87
1998-99	2808.93	499.51	1292.27	1791.78	1017.15	64
1999-2000	3045.97	558.85	1621.64	2180.49	865.48	72
2000-01	1245.66	550.63	1713.03	2263.66	(-) 1018.00	182

1.11 वित्तीय क्रियाकलाप के सूचक

1.11.1 सरकार या तो अपनी किसी वर्त्तमान गतिविधि को कायम रखने या अपनी गतिविधि के स्तर को बढ़ाने का प्रयत्न करती है। गतिविधि के वर्त्तमान स्तर को कायम रखने के लिए यह जानना आवश्यक है कि वित्तीय स्त्रोत किस हद तक सुदृढ़ है। इसी प्रकार सरकार अगर अपनी गतिविधि के स्तर को बढ़ाना चाहती है तो वित्त प्रदान करने के साधन की नम्यता एवं अन्ततः प्रक्रिया के दौरान सरकार की बढ़ी हुई योजना का परीक्षण आवश्यक रूप से करना चाहिए। सभी राज्य सरकारें अपनी गतिविधि के स्तर में वृद्धि मूलतः पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जारी रखती है जो वार्षिक विकास योजनाओं का रूप लेती है एवं राज्य बजट में शामिल की जाती है। विस्तृत रूप में यह कहा जा सकता है कि गैर–योजना व्यय सरकार के वर्त्तमान गतिविधि के स्तर को कायम रखने का द्योतक* है, जबकि योजना व्यय गतिविधि के विस्तार को सुनिश्चित करती है। सरकार की बढ़ती हुई भेद्यता की स्थिति में इन दोनों गतिविधियों में संसाधन बढ़ाना अपेक्षित है। संक्षेप में सरकार की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ता, भेद्यता एवं नम्यता के नाम से वर्णित किया जा सकता है। ये नाम निम्नानुसार परिभाषित किए जाते है:

(i) सुदृढ़ता

सुदृढ़ता एक ऐसा स्तर है जिस पर सरकार वर्त्तमान कार्यक्रमों को कायम रख सकती है एवं ऋण बोझ को बढ़ाए बगैर वर्तमान कर्जदाता के आवश्यकताओं को पूरा करती है।

* योजना अवधि के अन्त में योजना का गैर–योजना में उल्लेखनीय स्थानान्तरण इसके अपवाद हैं।

(ii) नम्यता

नम्यता एक ऐसा स्तर है जिस पर सरकार, की गयी वचन बद्धता की अनुक्रिया में या तो अपने राजस्व या अपने ऋण बोझ में वृद्धि लाते हुए अपने वित्तीय संसाधन को बढ़ा सकती है।

(iii) भेद्यता

भेद्यता एक ऐसा स्तर है जिस पर सरकार पराश्रित हो जाती है एवं इस प्रकार वित्त प्रदान करने के लिए घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्त्रोतों, जो इसके नियंत्रण या प्रभाव से बाहर हो जाता है, के लिए भेद्य हो जाता है।

(iv) पारदर्शिता

सरकार द्वारा प्रदत्त वित्तीय सूचना भी एक विषय है। यह वार्षिक वित्तीय विवरणी (बजट) तथा लेखे से निर्मित होती है। बजट के संबंध में, बजटीय प्रक्रिया दर्शाते हुए सामयिक प्रस्तुतिकरण तथा आकलनों की शुद्धता मुख्य पैमाने हैं। जहाँ तक लेखे का संबंध है, उपस्थापन में सामयिकता, जिसके दृष्टांत मौजूद हैं तथा लेखे की पूर्णता मुख्य कसौटी होंगे।

1.11.2 वित्त लेखे में उपलब्ध सूचना का उपयोग सुदृढ़ता, नम्यता एवं भेद्यता व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है एवं उसे वित्त लेखे से लिए गए खास सूचकांक/अनुपातों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ऐसी सूचकांकों/अनुपातों की सूची परिशिष्ट–IV एवं V में दी गई है। प्रदर्श–v वर्ष 1996–2001की अवधि के दौरान इन सूचकांकों/अनुपातों के आचरण को दर्शाता है।

1.11.3 राज्य सरकार के वित्तीय स्थिति की दशा के लिए इन सूचकांकों/अनुपातों की सार्थकता पर परवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

प्रदर्श–V

बिहार सरकार का वित्तीय सूचक

	1996–97	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सुदृढ़ता					
बी.सी.आर (करोड़ रुपये में)	(–) 192.67	(–) 43.74	(–) 1452	(–)3418.00	(–) 2387
प्रारम्भिक घाटा (पी.डी.) (करोड़ रुपये में)	(–) 593.84	177.55	1247	3129.00	934
ब्याज अनुपात	0.23	0.21	0.25	0.27	0.28
पूँजीगत परिव्यय/पूंजीगत प्राप्तियाँ	0.21	0.23	0.24	0.37	0.25
कुल कर प्राप्तियाँ/जी.एस.डी.पी.	0.11	0.11	0.11	0.11	0.14
राज्य कर प्राप्तियाँ/जी.एस.डी.पी	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
निवेश पर प्रतिफल अनुपात	शून्य	शून्य	शून्य	नगण्य	नगण्य
नम्यता					
बी.सी.आर (करोड़ रुपये में)	(–) 192.67	(–) 43.74	(–) 1452	(–)3418	(–) 2387
पूंजीगत अदायगी/पूंजीगत कर्ज	0.23	0.21	0.14	0.23	0.19
राज्य कर प्राप्तियाँ/जी.एस.डी.पी.	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06
ऋण/जी.एस.डी.पी.	0.40	0.42	0.40	0.42	0.58
भेद्यता					
राजस्व घाटा (आर.डी.) (करोड़ रुपये में)	619	1052	2267	3703	2330
राजकोषीय घाटा (एफ.डी.) (करोड़ रुपये में)	1348	2239	3659	5996	4076
प्रारंभिक घाटा (पी.डी.) (करोड़ रुपये में)	(–) 594	178	1247	3129	934
पी.डी./एफ.डी.	(–) 0.44	0.08	0.34	0.52	0.23
आर.डी./एफ.डी.	0.46	0.47	0.62	0.62	0.57
लम्बित गारटियाँ/राजस्व प्राप्तियाँ	0.16	0.02	0.10	0.08	0.06
परिसम्पतियाँ/दायित्व	0.79	0.77	0.73	0.64	0.73

टिप्पणी 1. वर्ष 1996–97 में राजकोषीय घाटा से अधिक ब्याज भुगतान था अतः ऋणात्मक आँकड़े प्रारम्भिक घाटा के लिए हैं।

2. नवंबर 2000 में राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप 14 नवंबर 2000 तक राज्य कर एवं केंद्रीय कर का स्थानांतरण संपूर्ण बिहार के लिए था तथा उसके बाद पुनर्गठित बिहार के लिए। तदनुरूप जी.एस.डी.पी. का आकलन 14 नवंबन 2000 तक झारखंड एवं बिहार संयुक्त राज्यों के लिए था तथा उसके बाद पुनर्गठित बिहार के लिए। कर–जी.एस.डी.पी. अनुपात की गणना के लिए वर्ष 2000–2001 के जी.एस.डी.पी. आँकड़े 67447 करोड़ रुपये लिए गए है।

(i) चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)

राजस्व प्राप्तियाँ घटाव योजना सहायता अनुदान घटाव गैर–योजना राजस्व व्यय को बी.सी.आर के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक घनात्मक बी.सी.आर. दर्शाता है कि राज्य सरकार के पास योजना व्यय को पूरा करने के लिए उसके राजस्व से अधिशेष हैं। तालिका दर्शाती है कि राज्य सरकार को सभी पाँच वर्षों में चालू राजस्व से अधिशेष नहीं था। वर्ष 2000–2001 में ऋणात्मक बी.सी.आर. हालाँकि पूर्व के वर्ष से 30 प्रतिशत घटा हुआ था। सरकार को अपने समस्त योजना व्यय मात्र को ही पूरा करने के लिए कर्जे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था अपितु, चालू राजस्व में पर्याप्त अन्तर को पाटने के लिए भी कर्जा पर निर्भर रहना पड़ता था।

(ii) ब्याज अनुपात

ब्याज अनुपात जितना ही उच्चतर होगा, सरकार को कोई नयी ऋण देने एवं अपनी राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय पूरा करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। बिहार के मामले में वर्ष 1997–2001 के दौरान अनुपात तीव्रता से बढ़कर 0.21 से 0.28 हो गया है। इसके परिणामस्वरूप इसके परिचालन से सुदृढ़ता की प्रक्रिया आघातित करते हुए राजस्व व्यय (चालू वर्ष में राजस्व व्यय का 23 प्रतिशत ब्याज भुगतान पर संगणित किया गया था) में वृद्धि हुई एवं कर्ज बढ़ गया। 8 वीं योजना अवधि के दौरान अनुचित बाजार कर्जे लेने एवं योजना व्यय को वित्त प्रदान करने के लिए उच्च लागत कर्ज लिया गया, जबकि उसे खर्च नहीं किया गया, परिणामस्वरूप अल्प ब्याज देने वाला रोकड़ शेष बना। यही बढ़े हुए ब्याज भार के मुख्य कारण थे।

(iii) पूँजीगत परिव्यय/पूँजीगत प्राप्तियाँ

यह अनुपात दर्शाएगा कि पूंजीगत प्राप्तियों को किस हद तक पूंजी सृजन के लिए उपयोग किया जाता है। एक से कम का अनुपात दीर्घ काल में तब तक दृढ़ नहीं रहेगा जब तक यह इंगित होता रहे कि पूंजीगत प्राप्ति के एक हिस्से को अनुत्पादक राजस्व व्यय के लिये विचलन किया जा रहा है। इसके विपरीत, एक से अधिक का अनुपात इंगित करेगा कि राजस्व अधिशेष से ही पूँजीगत निवेश किए जा रहे हैं। इस अनुपात का प्रवृति विश्लेषण राज्य सरकार के वितीय प्रदर्शन को आलोकित करेगा। बढ़ती हुई प्रवृति का अर्थ, प्रदर्शन में सुधार होगा। बिहार के मामले में, अनुपात हमेशा से ही एक से कम रहा है और वर्ष 1996–97 के दौरान 0.16 एवं 0.24 के मध्य तक नीचे रहा है, वर्ष 1999–2000 में 0.37 बढ़ गया एवं वर्ष 2000–2001 में तीव्रता से नीचे घटकर 0.25 हो गया जो संसूचित करता है कि पूंजीगत प्राप्तियों का 63 से 84 प्रतिशत इतर निवेश के अन्य प्रयोजनों के लिए उपलब्ध था तथा 1999–2000 के दौरान अनुपात में सुधार का कारण विगत वर्षों के रोकड़ शेष आधिक्य से पूँजीगत व्यय को पूरा करना था। यह समझते हुए कि राज्य सालों भर अत्यधिक राजस्व घाटा की स्थिति में रहा था, अल्प अनुपात ही बताएगा कि सरकार का पूँजीगत व्यय कुल व्यय के करीब 5 से 7 प्रतिशत पर क्यों स्थिर था।

(iv) कर राजस्व बनाम सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी)

कर प्राप्तियों में राज्य कर एवं केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा शामिल है। राज्य में रह रहे लोगों द्वारा भुगतित केन्द्रीय करों के रूप में भी परवर्ती को समझा जा सकता है। कर प्राप्तियाँ सुदृढ़ता का संकेत देती है। लेकिन साथ ही साथ कर प्राप्तियों के जी एस डी पी से अनुपात का आशय नम्यता के लिए भी लेना चाहिए। जबकि कम अनुपात

का अर्थ होगा कि सरकार और कर लगा सकती है एवं इस प्रकार इसकी नम्यता होगी, एक उच्च अनुपात वित्तीय साधन की सीमा को ही नहीं अपितु उसकी नम्यता को भी सूचित करता है। समयबद्ध विश्लेषण दर्शाता है कि बिहार के मामले में यह अनुपात वर्ष 1996–97 से 1999–2000 की अवधि के दौरान हमेशा 0.11 पर स्थिर रहा है। इसी प्रकार जी एस डी पी की तुलना में राज्य कर प्राप्तियों का अनुपात भी वर्ष 1996–97 से 1999–2001 के दौरान 0.04 पर स्थिर रहा है। वर्ष 2000–01 के दौरान कर प्राप्ति से जी.एस.डी.पी. का अनुपात बढ़कर 0.14 हो गया। जी एस डी पी से राज्य कर का कम अनुपात होना संकेत देता है कि सरकार अपने कर आधार को सुधारने में कारगर कदम उठाने में विफल रही। बकाये करों के संग्रहण में भी सुधार नहीं हुआ है।

(v) निवेश पर प्रतिफल (आर ओ आई)

पूँजीगत लागत से उपार्जन का अनुपात आरओआई कहलाता है। एक उच्च आरओआई सुदृढ़ता का घोतक है। सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों एवं सहकारिता संस्थानों में सरकार के निवेश से प्रतिफल को तालिका प्रस्तुत करती है। अधिकतर निवेश उनके घाटा को वित्त प्रदान करने में चला जाता था एवं इस प्रकार निवेश से प्रतिफल नगण्य स्तर पर रहता था।

(vi) पूँजीगत अदायगी बनाम पूँजीगत कर्ज

यह अनुपात दर्शाता है कि कर्जे, पूँजीगत अदायगी के बाद किस हद तक निवेश के लिए उपलब्ध हैं। अनुपात जितना निम्नतर होगा निवेश के लिए पूँजी की उपलब्धता उतनी ही उच्चतर होगी। बिहार सरकार के मामले में यद्यपि यह अनुपात वर्ष 1996–97 के 0.23 से वर्ष 2000–2001 में 0.19 हो जाना घटते हुए प्रवृति को दर्शाता है, हालॉकि अदायगियां अभी तक आरंभ नहीं हुई थी फिर भी बढ़े हुए कर्ज के कारण मुख्यतः निधि की उपलब्धता के चलते ऐसा हुआ था।

(vii) ऋण बनाम सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी)

जी एस डी पी राज्य सरकार के कुल आन्तरिक संसाधन का आधार है जिसे ऋण सेवा पर उपयेाग किया जा सकता है। ऋण/जी एस डी पी के अनुपात में वृद्धि का अर्थ होगा कि अपने ऋण दायित्वों का निर्वाह करने में सरकार की सामर्थ्य घट रही है एवं इस प्रकार कर्जदार के लिये जोखिम बढ़ रहा है। बिहार के मामले में वर्ष 1998–99 तक यह अनुपात लगभग 0.40 एवं वर्ष 1999–2000 में 0.42 के उच्च स्तर पर रहा एवं वर्ष 2000–2001 तक भी 0.58 के उच्च स्तर पर रहा जो दर्शाता था कि अत्यधिक कर्ज राशि को अवलम्ब देने के कारण राज्य के संसाधन पर दबाव था। जब तक कर्जे को नियंत्रित नहीं किया जाएगा तब तक आने वाले वर्षो में बाद के कर्ज कष्टदायी होंगे क्योंकि राज्य अपने निवेशों से राजस्व पैदा करने में विफल था एवं इसकी परिसम्पत्तियाँ अनुत्पादक रही।

(viii) राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा

राजस्व प्राप्तियाँ से अधिक राजस्व व्यय होना राजकोषीय घाटा है एवं दर्शाता है कि राजस्व व्यय कर्ज इत्यादि के द्वारा वित्त प्रदत्त है। स्पष्टतः जितना ही अधिक राजस्व घाटा होगा राज्य उतना ही अधिक भेद्य होगी। चूँकि राजकोषीय घाटा सम्पूर्ण कर्जे का सूचक है, राजकोषीय घाटा के प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा इंगित करेगा कि सरकार के कर्जे का उपयोग किस हद तक गैर उत्पादन राजस्व व्यय को वित्त प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार अनुपात जितना ही उच्चतर होगा राज्य की

स्थिति उतनी ही बद्तर होगी क्योंकि वह इंगित करेगा कि राज्य की अदायगी की सामर्थ्य में वृद्धि हुये बिना ही ऋण बोझ बढ़ रहा है। वर्ष 1996–2000 के दौरान अनुपात द्रुत गति से बढ़कर वर्ष 1996–97 के 0.46 से वर्ष 1998–99 एवं 1999–2000 में 0.62 पर चला गया तथा वर्ष 2000–2001 में 0.57 पर गिर गया। यह इंगित करता है कि अन्य प्रयोजनों हेतु निवेश के लिए बहुत कम राशि छोड़ते हुए कर्ज ली गयी निधियों का अधिकांश राजस्व व्यय पर लगाए गये।

(ix) प्रारंभिक घाटा बनाम राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा घटाव ब्याज भुगतान प्रारंभिक घाटा होता है। इसका अर्थ है कि अनुपात का मान जितना ही कम होगा पूँजीगत निवेश के लिए निधि की उपलब्धता उतनी ही कम होगी। बिहार सरकार के मामले में यह अनुपात वर्ष 1996–97 में ऋणात्मक रहा है जबकि निवल कर्जे से अधिक ब्याज भुगतान था। वर्ष 1997–2000 में स्थिति थोड़ी सुधरी जबकि ऋण ली गयी निवल निधियों का कमशः 92, 66 एवं 48 प्रतिशत ब्याज भुगतान लेखाबद्ध किया गया था। वर्ष 2000–2001 में स्थिति पुनः बिगड़ी जब ब्याज भुगतान (3142 करोड़ रुपये) उधार ली गयी शुद्ध निधियों (2721 करोड़ रुपये) से काफी अधिक था। ब्याज भुगतान का बोझ अधिक रहना जारी था।

(x) गारन्टी बनाम राजस्व प्राप्तियाँ

सरकार द्वारा निर्गत सुविधा पत्रों सहित लम्बित गारंटियां किसी राज्य सरकार के जोखिम की बात को इंगित करता है एवं इसलिए सरकार की भुगतान क्षमता के साथ–साथ उसकी राजस्व प्राप्तियों से तुलना होनी चाहिए। इस प्रकार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ से कुल लम्बित गारंटियों का अनुपात राज्य सरकार की भेद्यता के स्तर को संसूचित करेगा। बिहार के मामले में यह अनुपात वर्ष 1996–97 के 0.16 से घटकर 2000–2001 में 0.06 हो गया था। हालाँकि लम्बित गारंटियों के आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं क्योंकि सहकारिता समितियों इत्यादि के विरूद्ध कुल लम्बित गारन्टियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रस्तुत नहीं किए गए थे। चूँकि सरकार को अत्यधिक राशि गारंटी चुकाने पर खर्च करना पड़ता है, भारी लम्बित गारंटियों की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार गारंटियों के कारण दायित्व का परिमाण एवं राजकीय राजस्व पर जोखिम का खतरा ज्ञात नहीं है।

(xi) परिसम्पत्तियाँ बनाम दायित्व

यह अनुपात सरकार के ऋण चुकाने की योग्यता को सूचित करता है। एक से अधिक का अनुपात सूचित करेगा कि सरकार को ऋण चुकाने की (दायित्वों से परिसम्पत्तियाँ अधिक हैं) योग्यता है, जबकि एक से कम का अनुपात प्रतिकूलता की सूचक होगी। यह अनुपात क्रमिक रूप से घटते हुए वर्ष 1996–97 के 0.79 से गिरकर 2000–2001 में 0.74 हो गया। यह राज्य सरकार की सम्पन्नता में कमी जारी रखने को इंगित करता है। नए राज्य झारखंड को परिसम्पत्तियों का बँटवारा किए जाने के बाद ही वास्तविक स्थिति का पता चलेगा।

(xii) बजट

बजट को उपस्थापित करने एवं उन्हें अनुमोदित करने में विलम्ब नहीं किया गया था। इस प्रतिवेदन के अध्याय –II में बजट आकलन एवं वास्तविक व्यय में विविधता तथा बजटीय प्रकिया एवं व्यय पर नियंत्रण की गुणवत्ता का भी विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। बजट बनाने में त्रुटि एवं व्यय पर अपर्याप्त नियंत्रण को यह इंगित

करता है, जैसा कि प्रतिवर्ष यथेष्ठ राशि का निरन्तर पुनर्ग्रहण (अभ्यर्पण) के साथ–साथ अन्तिम संशोधित अनुदान के द्वारा स्पष्ट था। वर्ष 2000–2001 के दौरान कुल बजटीय निधि का 20 प्रतिशत व्यय नहीं किया गया था (बचत) जो बजट की विश्वसनीयता को संदेहास्पद बनाता है। पुनः वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए पूरक प्रावधान मूल आकलन का 35 प्रतिशत था जिससे अविश्वसनीय एवं गलत बजट निर्माण का संकेत मिलता है।

(xiii) लेखा

बिहार सरकार आदतन बहुत महीनों तक लेखा में विलम्ब किया जिसके कारण इसका वार्षिक लेखा समय पर संकलित नहीं हो सका। वर्ष 2000–2001 के दौरान कोषागार एवं लोक निर्माण तथा वन प्रमण्डल जैसी अन्य लेखाकरण इकाईयाँ नियत तिथियों पर लेखा समर्पित नहीं करते थे। उदाहरणस्वरूप मार्च 2001 का लेखा देने में 25 कोषागारों, 307 लोक निर्माण प्रमण्डलों तथा 30 वन प्रमण्डलों द्वारा 30 एवं 90 दिनों के मध्य का विलम्ब किया गया था। फलस्वरूप वर्ष के अधिकांश महीनों में व्यय के वास्तविक स्तर को लेखा नहीं दर्शा पाया।

1.11.4 निष्कर्ष

उपरोक्त विश्लेषण दर्शाता है कि वर्ष 1996–2000 के दौरान सरकार की वित्तीय कुप्रबंधन के कारण सरकार की गम्भीर वित्तीय स्थिति चालू वर्ष में और भी बद्तर हो गयी। पूर्ववर्ती वर्षों में अविवेकपूर्ण एवं अनुचित बाजार कर्जे एवं उनके अनुत्पादक निवेश के कारण असह्य ब्याज भार और निवेश से तुच्छ प्रतिफल मिला।

अध्याय–II

विनियोग लेखापरीक्षा एवं व्यय पर नियंत्रण

विनियोग लेखे का सारांश 2000–2001

विनियोग लेखे

अनुदानों की कुल संख्या : 47

विनियोग की कुल संख्या : 5

कुल प्रावधान एवं वास्तविक व्यय

प्रावधान	राशि (करोड़ रुपये में)	व्यय	राशि (करोड़ रुपये में)
मूल	*17973.96		
अनुपूरक	6227.16		
कुल सकल प्रावधान	24201.12	कुल सकल व्यय	19253.14
व्यय की कमी में प्राक्कलित वसूलियाँ घटायें	–	व्यय की कमी में वास्तविक वसूलियाँ घटायें	–
कुल शुद्ध प्रावधान	**24201.12**	**कुल शुद्ध प्रावधान**	**19253.14**

* 15 नवंबर को सृजित नए राज्य झारखंड को स्थानांतरित 2470.36 करोड़ रुपये को छोड़कर

दत्तमत एवं भारित प्रावधान एवं व्यय

	प्रावधान		व्यय	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
	(करोड़ रुपये में)			
राजस्व	12710.66	2829.37	10336.75	3170.45
पूँजीगत	2954.19	5706.90	1755.97	3989.97
सकल योग	**15664.85**	**8536.27**	**12092.72**	**7160.42**
घटायें–व्यय की कमी में वसूलियाँ	–	–	–	–
कुल शुद्ध	**15664.85**	**8536.27**	**12092.72**	**7160.42**

विनियोग लेखापरीक्षा एवं व्यय पर नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

सरकार द्वारा एवं साथ ही साथ विनियोग विधेयक द्वारा प्राधिकृत विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक रूप से किए गए व्यय की राशि का विवरण दर्शाते हुए प्रति वर्ष विनियोग लेखे तैयार किये जाते हैं।

विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किए गए वास्तविक व्यय विनियोग विधेयक के तहत दिए गए प्राधिकार के अंतर्गत हैं या नहीं तथा व्यय, जिसे संविधान के प्रावधानों के तहत भारित होने की आवश्यकता है, भारित किया गया है या नहीं, को आंकना विनियोग लेखा परीक्षा का उद्देश्य है। वो यह भी सुनिश्चित करता है कि किया गया व्यय कानून, सम्बद्ध नियमों, अधिनियमों एवं निर्देशों के साथ सम्मत है अथवा नहीं।

2.2. विनियोग लेखे का सारांश

वर्ष 2000–2001 के दौरान अनुदानों/विनियोगों के विरूद्ध वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार थी :

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	पूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
		(करोड़ रुपये में)				
दत्तमत	(i) राजस्व	11816.87	893.79	12710.66	10336.75	(-)2373.91
	(ii) पूँजीगत	1782.83	255.20	2038.03	1124.35	(-)913.68
	(iii) ऋण एवं पेशगियाँ	857.18	58.98	916.16	631.62	(-)284.54
कुल दत्तमत		**14456.88**	**1207.97**	**15664.85**	**12092.72**	**(-)3572.13**
भारित	(iv) राजस्व	2811.16	18.21	2829.37	3170.45	(+)341.08
	(v) पूँजीगत					
	(vi) लोकऋण	705.92	5000.98	5706.90	3989.97	(-) 1716.93
कुल भारित		**3516.08**	**5019.19**	**8536.27**	**7160.42**	**(-)1375.85**
कुल योग		**17973.96**	**6227.16**	**24201.12**	**19253.14**	**(-)4947.98**

व्यय कम से कम 20.71 करोड़ रुपये की सीमा तक कम बताया गया था, जिसके अभिश्रव प्रधान महालेखाकार को प्राप्त नहीं हुए थे एवं राज्य के समेकित निधि में राशि का लेखाकरण नहीं हो पाया था।

कुल व्यय में कम से कम 46.17 करोड़ रुपये बढ़ा कर दिखाया गया था, क्योंकि ये सार आकस्मिकता विपत्र पर निकासी किए गए थे एवं इनके लिए विस्तृत आकस्मिकता विपत्र उपस्थापित नहीं किए गए थे।

2.3 विनियोग लेखापरीक्षा का परिणाम

2.3.1 4947.98 करोड़ रुपये (कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत) की समग्र बचत, अनुदानों के 46 मामलों एवं विनियोगों के 8 मामलों में हुए 5660.32 करोड़ रुपये की बचत एवं 1 अनुदान और 3 विनियोगों के 712.34 करोड़ रुपये के आधिक्य का निवल परिणाम था। कुल बचत में 2033 करोड़ रुपये (41 प्रतिशत) राजस्व से सम्बन्धित एवं 963

करोड़ रुपये (9 प्रतिशत) पूँजी से सम्बन्धित थे। 712.34 करोड़ रुपये के आधिक्य को संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत नियमित करना अपेक्षित था, जैसा कि परिशिष्ट VI में दर्शाया गया है।

संवीक्षा से प्रकट हुआ कि राजस्व भाग के अधिकतर बचत (1894 करोड़ रुपये), माध्यमिक, प्राथमिक एवं लोक–शिक्षा विभाग (677 करोड़ रुपये), ग्रामीण विकास विभाग (431 करोड़ रुपये), स्वास्थ्य, चिकित्सा–शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (322 करोड़ रुपये), कल्याण विभाग (235 करोड़ रुपये) तथा गृह विभाग (229 करोड़ रुपये) से संबंधित थे। पूँजीगत भाग के अधिकतर बचत (984 करोड़ रुपये) जल संसाधन विभाग (347 करोड़ रुपये), पथ निर्माण विभाग (211 करोड़ रुपये), ग्रामीण विकास विभाग (165 करोड़ रुपये), शहरी विकास विभाग (147 करोड़ रुपये) एवं उर्जा विभाग (114 करोड़ रुपये) में हुए।

कम से कम 4858 करोड़ रुपये के बचत के लिए स्पष्टीकरण संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा नहीं दिया गया था। सरकार द्वारा जहाँ तक बचतों का स्पष्टीकरण दिया गया वह मुख्यतः भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए निधि की विमुक्ति नहीं करने, योजना परिव्यय में कमी, योजना परिव्यय के बगैर बजट प्रावधान, अस्थाई एवं अन्य योजनाओं के विस्तार की स्वीकृति नहीं करने, सामग्रियों, दवाओं एवं मशीनों की क्रय के लिए दर स्वीकृत नहीं करने, पद रिक्त रखने, कर्मियों की सेवानिवृत्त, बढ़े हुए दर पर बोनस एवं महँगाई भत्ते का भुगतान नहीं करने, राज्य विभाजन के परणिामस्वरूप योजनाओं एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण एवं निधि की निकासी नहीं करने के कारण से संबंधित था।

2.3.2 वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया पूरक प्रावधान मूल बजट प्रावधान का 34.65 प्रतिशत था जब कि गत वर्ष में यह 27.82 प्रतिशत था।

2.3.3 अगस्त 2000 एवं मार्च 2001 के मध्य 47 मामलों में प्राप्त किये गये (परिशिष्ट VII) 765.01 करोड़ रुपये के पूरक प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक थे क्योंकि इन मामलों में व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं हुए थे। 5 अन्य मामलों में (परिशिष्ट VIII) मात्र 3616.78 करोड़ रुपये की ही अतिरिक्त निधि की आवश्यकता थी, जबकि 5372.10 करोड़ रुपये के पूरक अनुदान प्राप्त किए गये थे, फलतः प्रत्येक मामले में बचत 10 लाख रुपये से अधिक था।

2.3.4 वर्ष 2000–01 के दौरान राजस्व में 15.74 करोड़ रुपये का अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिससे निम्नलिखित अनुदानों/विनियोगों में 712.34 करोड़ रुपये के अधिकाई व्यय छुटे रह गए :

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग	अनुपूरक प्रावधान	अपर्याप्त साबित
		(करोड़ रुपये में)	
	राजस्व भाग		
1.	5 – राज्यपाल	0.19	0.07
2.	13 – ब्याज भुगतान	12.71	347.28
3.	15 – पेंशन	1.89	364.97
4.	32 – विधान मंडल	0.95	0.02

2.3.5 भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार अनुदान/विनियोग से अधिक व्यय को राज्य विधान मंडल द्वारा विनियमित कराना राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है। हालाँकि, वर्ष 1977–78 से वर्ष 2000–01 तक के कुल 6966.23 करोड़ रुपये के अधिकाई व्यय को विधान मंडल द्वारा विनियमित नहीं कराने (अगस्त 2002) से सरकार अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करने में विफल रही, जैसा नीचे विवरणित है :

वर्ष	अनुदानों/ विनियोग की संख्या	अनुदान/विनियोग सं०	आधिक्य की राशि	राशि जिसके लिए पी.ए. सी.को स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था
			(करोड़ रुपये में)	
1977-78	4	4,5,9,24	14.51	14.51
1978-79	4	4,9,17,27	31.11	31.11
1979-80	4	3,4,6,17	34.50	34.50
1980-81	7	4,6,8,10,12,16,17	27.92	27.92
1981-82	14	1,3,4,8,9,10,11,12,13,15,16, 17, 21,24	80.30	80.30
1982-83	5	6,8,12,16,22	5.25	5.25
1983-84	4	6,9,11,12	227.36	227.36
1984-85	4	3,4,8,14	2.66	2.66
1985-86	4	4,8,10,13	15.17	15.17
1986-87	3	4,6,13	87.43	87.43
1987-88	13	1,4,5,9,12,14,18,19,25,31, 38,42, 48	420.66	420.66
1988-89	6	4,9,12,18,25,38	166.92	166.92
1989-90	6	4,18,25,27,38,45	228.65	228.65
1990-91	8	12,18,36,37,38,42,43,47	330.07	330.07
1991-92	8	1,4,6,11,12,18,38,43	1228.67	1228.67
1992-93	6	1,4,12,18,25,38	1462.10	1462.10
1993-94	4	12,18,25,37	702.17	702.17
1994-95	2	12,37	318.23	318.23
1995-96	5	4,12,25,36,37	405.08	405.08
1996-97	4	4,12,20,23,36,37	256.38	256.38
1997-98	4	4,7,12,15	12.19	12.19
1998-99	1	30	0.33	0.33
1999-2000	5	10,13,14,40,50	196.23*	196.23
2000-01		5, 13, 15, 25, 32	712.34	712.34
	योग		**6966.23**	**6966.23**

* समायोजित आँकड़े 1999–2000

2.3.6 43 मामलों में, प्रत्येक में, जैसा कि परिशिष्ट IX में दर्शाया गया है, व्यय में 2 करोड़ रुपये या उससे अधिक की एवं कुल प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक की भी कमी थी।

2.3.7 46 मामलों में प्रत्येक में सतत् 2 करोड़ रुपये से अधिक एवं कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक भी बचतें पायी गयी थीं (द्रष्टव्य परिशिष्ट X)।

2.3.8 नई सेवा/सेवा के नये साधन पर व्यय

विधान मंडल द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उन मामलों को (कर्मचारी आदि पर व्यय के अतिरिक्त, कर्मचारी में वृद्धि, अतिरिक्त कार्य, अनुदान एवं अंशदान (वर्त्तमान उद्देश्यों के लिए) ब्याज सहित ऋण एवं पेशगियाँ जो बजट में किए गए प्रावधानों से आच्छादित नहीं हो, सरकार द्वारा समय–समय पर गठित समिति तथा वेतनमान में संशोधन, जिसके लिए पृथक मानदण्ड विहित है, पर होने वाले व्यय को छोड़कर) 'नई सेवा' के रूप में समझा जाना है, जो व्यय पूर्व के दत्तमत्त अनुदान से दो गुणा अधिक या 2 लाख रुपये, जो भी ज्यादा हो, रहे। 10 मामलों में विधानमंडल का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही प्रावधान से अधिक, मूल प्रावधान से दो गुणा से अधिक जिन्हें ''नई सेवा''/''नए सेवा के साधन'' समझा जाना था, कुल 12.97 करोड़ रूपये का व्यय किया गया था। इन मामलों के विवरण परिशिष्ट–XI में दिए गऐ हैं।

8 मामलों में बजट प्रावधान के बिना कुल 40.76 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था, (द्रष्टव्य परिशिष्ट–XII) ।

2.3.9 *पूर्वानुमानित बचतें अभ्यर्पित नहीं थीं*

सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार जब कभी भी बचतें पूर्वानुमानित हो, व्यय करने वाले विभागों द्वारा वित्त विभाग को अनुदानों/विनियोग या उसके भाग अभ्यर्पित कर दिये जाने थे। हालाँकि वर्ष 2000–2001 के अंत में विभागों द्वारा राजस्व अंश के 27 अनुदानों एवं 1 विनियोग तथा पूँजी अंश के 9 अनुदानों में, जिनमें प्रत्येक मामले में एक करोड़ रुपये से अधिक के 3230.25 करोड़ रुपये की वृहत बचते थीं, को अभ्यर्पित नहीं किया गया था (द्रष्टव्य परिशिष्ट XIII)।

वर्ष 2000–2001 के दौरान 4947.98 करोड़ रुपये (शुद्ध) के कुल बचत के विरुद्ध केवल 2302.71 करोड़ रुपये ही अभ्यर्पित किए गए जिसमें से 2286.36 करोड़ रुपये का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष के केवल अंतिम दिन किया गया। यह दर्शाता था कि समुचित बजट नियंत्रण रखने में विभागीय पदाधिकारी विफल थे।

2.3.10 *अनुचित/अधिक अभ्यर्पण*

बिहार बजट नियमावली के नियम 135 में प्राविधित है कि जब भी अभ्यर्पण की आवश्यकता उत्पन्न होती है, नियंत्रण अधिकारी को, उसके द्वारा अभ्यर्पित की जा सकनेवाली राशि का सावधानीपूर्वक आकलन करना चाहिए। व्यय को संशोधित अनुदान के भीतर ही रखने का लक्ष्य होना चाहिए।

35 मामलों में वास्तविक व्यय संशोधित अनुदान से बहुत अधिक था जिससे 107.76 करोड़ रुपये का अभ्यर्पण अनुचित/अधिक साबित हुआ (द्रष्टव्य परिशिष्ट–XIV)।

2.3.11 *आकस्मिकता निधि से अग्रिम*

भारत के संविधान की धारा 267 (2) के प्रावधानों के शर्त्तों के अनुसार बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत 1.00 करोड़ रुपये की आरंभिक काया के साथ बिहार राज्य की आकस्मिकता निधि स्थापित की गयी थी। उपरोक्त अधिनियम में संशोधन करके इसे समय–समय पर बढ़ाया गया था। 31 मार्च 2001 को यह 350 करोड़ रुपये (वर्ष 1987–88 से) पर पहुँच चुका था। राज्य विधान मंडल द्वारा प्राधिकार को लम्बित रखते हुये "नई सेवा" पर व्यय सहित अपूर्वानुमानित व्यय, जिसे स्थगित नहीं किया जा सकता था, पूरा करने के लिए निधि अग्रकाय के रूप में राज्यपाल के व्ययाधीन रखी गई है।

वर्ष 2000–2001 के दौरान 259.64 करोड़ रुपये के कुल 249 अग्रिम स्वीकृत किए गए थे।

यह पता चला कि :

(i) 191.89 करोड़ रुपये को शामिल करते हुए अग्रिमों की प्रतिपूर्ति प्रथम पूरक अनुदानों/विनियोगों (96.94 करोड़ रुपये से निहित 36 स्वीकृत्यादेशों), द्वितीय पूरक अनुदानों/विनियोगों (49.91 करोड़ रुपये से निहित 68 स्वीकृत्यादेशों) एवं तृतीय पूरक अनुदानों/विनियोगों (45.04 करोड़ रुपये से निहित 123 स्वीकृत्यादेशों) के माध्यम से की गयी थी।

(ii) बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम के नियम 6 (ख) के तहत 67.75 करोड़ रुपये के 22 स्वीकृत अग्रिमें, अनुदानों/विनियोगों से संबद्ध विनियोग अधिनियम के पारित होने के साथ निधि में मिला दी गयी।

2.3.12 *व्यय का 42 प्रतिशत सामंजित नहीं किया गया था*

वित्तीय नियमावली के अनुसार आवश्यक है कि व्यय के विभागीय आंकड़ों को महालेखाकार की बही में दर्ज आंकड़ों के साथ नियत अवधि पर विभागीय नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा सांमजन किया जाए। उच्चतम स्तर से बारंबार स्मार के बावजूद वर्ष 2000–2001 के दौरान 69 नियंत्री पदाधिकारियों ने लेखे के अन्तिम बन्दी के समय तक 2465 अदद विनियोग के अन्तर्गत लगभग 8091 करोड़ रुपये के कुल व्यय की राशि का सामंजन नहीं किया था। असामंजित व्यय कुल व्यय का 42 प्रतिशत होता था।

वर्ष 1999–2000 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं पूर्ववर्त्ती प्रतिवेदनों में भी विभागीय आँकड़ों का असामंजन इंगित किए जाने एवं सामंजन की आवश्यकता पर जोर दिए जाने के बावजूद भी नियंत्री पदाधिकारियों की ओर से इस सम्बन्ध में उदासीनता बनी रही एवं वर्ष 2000–2001 के दौरान भी व्यय पर विभागीय नियंत्रण में शिथिलता जारी रही। राशियों का विभाग–वार विवरण, जिनका वर्ष 2000–2001 के दौरान सामंजन नहीं हुआ था, परिशिष्ट–XVI के अनुसार थे।

यह पाया गया कि 8091 करोड़ रुपये के कुल असामंजित राशि में से 6961 करोड़ रुपये, वित्त विभाग (3102 करोड़ रुपये), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (1783 करोड़ रुपये), पंचायती राज विभाग (874 करोड़ रुपयें), स्वास्थ्य एवं लोक स्वास्थ्य विभाग (543 करोड़ रुपये), जल संसाधन विभाग (351 करोड़ रुपये) तथा लोक निर्माण विभाग (308 करोड़ रुपये) से संबंधित थे।

नियंत्रण पदाधिकारियों द्वारा व्यय का सामंजन नहीं किए जाने से कपट, धोखाधड़ी एवं गबन, आदि के उजागर नहीं होने, जैसा कि वर्ष 1996–97 तक पशुपालन विभाग के मामले में देखा गया था, जैसी गंभीर अनियमितताओं का खतरा था।

2.3.13 *बचतों/आधिक्यों के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में नियंत्री पदाधिकारियों की विफलता*

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अंतिम अनुदानों/विनियोगों, वास्तविक व्यय एवं परिणामी विविधताओं को उपशीर्षवार दर्शाते हुए विस्तृत विनियोग लेखे प्रधान महालेखाकार (ले. एवं ह.) द्वारा नियंत्री पदाधिकारियों को भेजे जाते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे शीर्ष के अन्तर्गत महत्वपूर्ण विविधताओं को स्पष्ट करें।

वर्ष 2000–2001 के दौरान 712.34 करोड़ रुपये का अधिकाई व्यय एवं 4948 करोड़ रुपये का शुद्ध बचत था, जो कुल बजट प्रावधान का 20 प्रतिशत था।

वर्ष	कुल बचत	राशि, जिनके लिए स्पष्टीकरण अप्राप्त थे	कुल आधिक्य	आधिक्यों/बचतों के मामलों की संख्या जिनके स्पष्टीकरण अपेक्षित थे	मामलों की संख्या जिनके स्पष्टीकरण अप्राप्त थे	प्रतिशतता
	(करोड़ रुपये में)					
1996.97	2026	2026	256.00	823	556	68
1997.98	3134	2607	12.00	771	664	86
1998.99	5471	1981	0.33	1188	970	82
1999.2000	3108	1847	326.00	986	772	78
2000–01	4948	4858	712.36	629	348	55

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि अनुदानों की व्यवस्था करने वाले नियंत्री पदाधिकारी आधिक्यों/बचतों का स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने में लगातार अपने उत्तरदायित्त्व का निर्वाह करने में विफल रहे। परिणामतः सरकार विधान मंडल के प्रति अपने उत्तरदायित्व की संवैधानिक जिम्मेवारी निभाने में विफल रही।

2.4 व्यय एवं बजटीय नियंत्रण

2.4.1 आरक्षित निधि–बजट के लिए लेखा प्रकिया का पालन नहीं

(i) *अनुदान संख्या 39– सहायय एवं पुनर्वास विभाग*

भारत के नियंत्रक –महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1995 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन की कंडिका 2.9 में आपदा राहत प्रदान करने के लिए भारत सरकार (75 प्रतिशत) एवं राज्य सरकार (25 प्रतिशत) द्वारा 35 करोड़ रुपये के वार्षिक अंशदान के साथ आपदा राहत कोष का सृजन और कोष की अभिवृद्धि में निवेश नहीं किए जाने का उल्लेख किया गया था। वर्ष 1991–92 से वर्ष 1999–2000 तक 9 वर्षो में राहत व्यय के लिए व्यय शीर्ष "2245–प्राकृतिक विपदाओं के मद में राहत" के अन्तर्गत बजट प्रावधान करने की प्रकियाओं का अनुपालन नहीं किया जाना एवं शीर्ष के अन्तर्गत लेन–देन के गलत लेखाकरण का भी उल्लेख किया गया था। वर्ष 2000–2001 में भी बजट तैयार करने की प्रकिया, जैसाकि योजना में निर्धारित था, का अनुपालन हुआ था। आपदा राहत कोष में लंबित अंशदान के स्थानांतरण के लिए भी बजट प्रावधान किया गया था तथा कोष में कुल 354.16 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए थे लेकिन इसमें से कोई निवेश नहीं किया गया था।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने वर्त्तमान योजना को कुछ संशोधन के साथ वर्ष 2000–2005 तक जारी रखने की अनुशंसा की थी। वर्ष 2000–2001 के दौरान कोष में भारत सरकार का अंशदान 50.22 करोड़ रुपये था। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से 29.67 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ था। लेकिन भारत सरकार का अंशदान 50.22 करोड़ रुपये एवं राज्य सरकार का अंशदान (16.74 करोड़ रुपये) तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से अनुदान (29.67 करोड़ रुपये) को राज्य आपदा राहत कोष में स्थानांतरित करने के लिए बजट प्रावधान नहीं किया गया था। वर्ष के दौरान कोष से कोई राहत व्यय नहीं किया गया था।

अध्याय–III

असैनिक विभाग

खण्ड–क : समीक्षाएँ

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

3.1 राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के क्रियाकलाप

मुख्याकर्षण

राज्य में आयुर्वेदिक/यूनानी महाविद्यालयों एवं अस्पतालों का लक्ष्य स्वास्थ्य देखरेख के देशी पद्धति में शिक्षा प्रदान करना तथा स्वास्थ्य देखरेख के देशी पद्धति को लोकप्रिय बनाना था। महाविद्यालय/अस्पताल साधारण संवर्ग के कर्मचारियों से भरे हुए थे, जबकि शिक्षण एवं तकनीकी संवर्ग के कर्मचारी काफी अपर्याप्त थे। अधिकांश व्यय कर्मचारियों पर था जबकि औषधि एवं आहार आदि के लिए काफी कम निधि मुहैया कराई गई थी। औषधालय एवं अनुसधान इकाई में स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य देखरेख, अनुसंधान तथा औषधि के निर्माण की बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। सेंट्रल कौंसिल ऑफ इन्डियन मेडिसिन्स के अनुमोदन के बिना ही महाविद्यालय पाठ्यक्रमों का संचालन करते थे तथा विश्वविद्यालय विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा संचालित करते थे। अतः स्वास्थ्य देखरेख के देशी पद्धति को लोकप्रिय बनाने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

वर्ष 1996–2001 के दौरान आयुर्वेदिक/यूनानी महाविद्यालयों का अधिकांश व्यय (96 प्रतिशत) कर्मचारियों से संबंधित था जबकि औषधि इत्यादि पर नगण्य (4 प्रतिशत) व्यय किया गया था। अस्पताल–दर–अस्पताल प्रति रोगी दवाईयों पर खर्च 1.30 रुपया से 29.51 रुपया के बीच था।

(कंडिका 3.1.4 एवं 3.1.6.2)

प्राचार्य, आयुर्वेदिक महाविद्यालय, भागलपुर ने अनधिकृत रूप से यू टी आई शेयर में 5.49 लाख रुपये का निवेश किया। उन्होंने 3.19 लाख रुपये मूल्य का यू टी आई शेयर कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए बेचा (जनवरी 1996)। 1.49 लाख रुपये के शेयर गुम हो गये थे जिसके लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया था।

(कंडिका 3.1.4 (iii))

आयुर्वेदिक/यूनानी महाविद्यालयों में उपलब्ध शिक्षण एवं शिक्षकेत्तर कर्मी सेन्ट्रल कौंसिल ऑफ इन्डियन मेडिसिन्स (सी सी आई एम) द्वारा निर्धारित मापदंड से काफी कम थे। आयुर्वेदिक महाविद्यालय, बेगूसराय में प्रबन्धक, औषधि प्रयोगशाला को आयुर्वेद की कोई डिग्री नहीं थी।

(कंडिका 3.1.5.1)

रोगियों को स्वास्थ्य देखरेख मुहैया कराने हेतु अस्पतालें समुचित रूप से कर्मियों से परिपूर्ण नहीं थे। दरभंगा में अस्पताल जनवरी 1985 से ही अकार्यशील था तथा भवन

का अधिकांश भाग राजस्व विभाग के सर्वेक्षण बन्दोवस्त कार्यालय एवं जीवन बीमा निगम के कब्जे में था।

(कंडिका 3.1.5.2)

आयुर्वेदिक महाविद्यालय, दरभंगा में वर्ष 1998–2001 के दौरान स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम के अंतिम परीक्षा में 35 छात्र उपस्थित/उत्तीर्ण हुये जबकि महाविद्यालय के पास कोई अन्तर सेवा प्रशिक्षण सुविधा नहीं थी। राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पटना के स्नातकोत्तर पाठयक्रम में 4 वर्षों से किसी भी छात्र का नामांकन नहीं हुआ था क्योंकि पाठ्यक्रम सी सी आई एम द्वारा अनुमोदित नहीं था, फिर भी 44 निष्क्रिय कर्मियों का पदस्थापन जारी रहा।

(कंडिका 3.1.5.3)

आयुर्वेदिक/यूनानी महाविद्यालयों से संबंद्ध अस्पतालों के पास आवश्यक शय्या बल नहीं था। वे छात्रों को स्वास्थ्य शिक्षा तथा लोगों को स्वास्थ्य देखरेख सेवायें मुहैय्या कराने में समर्थ नहीं थे। अंतःसंरचना की कमी, खराब स्वच्छता एवं जल, बिजली, शौचालय इत्यादि जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण पटना तथा बेगूसराय स्थित अस्पतालों में शय्याओं का दखल औसतन 10 प्रतिशत था। 5 आयुर्वेदिक/यूनानी महाविद्यालयों में वर्ष 1996–2001 के दौरान प्रतिदिन चिकित्सक रोगी का औसत 1:32 था तथा देशी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने में अस्पताल विफल रहे।

(कंडिका 3.1.6 एवं 3.1.6.1)

रोगियों को दिये जाने वाले आहार की प्रोटीन/कैलोरी मात्रा को जाँचने हेतु कोई पद्धति अस्पतालों में नहीं थी। अस्पताल में प्रति रोगी प्रति दिन व्यय सिर्फ 3.55 रुपये था जो विहित मापदंड के अनुसार प्रति रोगी कैलोरी मात्रा को सुनिश्चित नहीं करता था।

(कंडिका 3.1.6.2 एवं 3.1.6.3)

आयुर्वेदिक/यूनानी औषधालयों द्वारा दवाओं पर निधि का सिर्फ 4 प्रतिशत ही व्यय किया गया था।

(कंडिका 3.1.6.4)

प्रयोगशाला एवं जीव–रसायन के कर्मियों, पैथोलॉजी, औषध विज्ञान (फार्माकोलॉजी) विभाग के अभाव के कारण आयुर्वेदिक एवं यूनानी प्रयोगशाला की अनुसंधान इकाई अकार्यशील थी।

(कंडिका 3.1.8)

3.1.1 प्रस्तावना

औषधियों के आयुर्वेद एवं यूनानी पद्धति में शिक्षा प्रदान करने हेतु बिहार में पटना स्थित एक आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल तथा तिब्बी महाविद्यालय एवं अस्पताल वर्ष 1953 से कार्यशील था। शिक्षा की इन पद्धतियों को सरल बनाने हेतु एक बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मेसी तथा एक "बिहार राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी अनुसंधान इकाई" भी थी। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने हेतु बिहार सरकार ने

4 निजी आयुर्वेदिक महाविद्यालयों एवं अस्पतालों[1] को अधिग्रहित कर लिया (मई 1977 से जून 1986)।

3.1.2 सांगठनिक ढाँचा

राज्य में आयुर्वेदिक एवं यूनानी संस्थानों का सम्पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के पास निहित था, जिनकी सहायता के लिये निदेशक, देशी चिकित्सा, आयुर्वेदिक/यूनानी महाविद्यालयों में 6 प्राचार्य, महाविद्यालयों से संबद्ध अस्पतालों में 6 अधीक्षक, औषधालय में एक प्रबंन्धक तथा अनुसंधान इकाई में एक अनुसंधान पदाधिकारी थे।

3.1.3 लेखा परीक्षा विस्तार

राजकीय तिब्बी महाविद्यालय, पटना, 5 आयुर्वेदिक महाविद्यालयों[2], आयुर्वेद एवं यूनानी औषधालय तथा आयुर्वेद एवं यूनानी अनुसंधान इकाई, पटना का वर्ष 1996–2001 के दौरान प्रदर्शन की समीक्षा मार्च से मई 2001 के बीच लेखा परीक्षा में इन संस्थानों के साथ–साथ निदेशालय/सरकार के अभिलेखों की नमूना जाँच के माध्यम से की गई थी।

3.1.4 वित्तीय परिव्यय एवं व्यय

वर्ष 1996–2001 के दौरान राज्य में आयुर्वेदिक/यूनानी महाविद्यालयों, फार्मेसी तथा अनुसंधान इकाई हेतु बजट प्रावधान एवं व्यय निम्नवत् थे :

वर्ष	बजट आबंटन			व्यय			बचत (–)/ आधिक्य (+)	
	स्थापना	औषधि, आहार, उपस्कर इत्यादि	कुल	स्थापना	औषधि, आहार, उपस्कर इत्यादि	कुल	स्थापना	औषधि, आहार, उपस्कर इत्यादि
	(रुपये करोड़ में)							
1996-97	3.18	0.10	3.28	5.34	0.07	5.41	(+)2.16	(-)0.03
1997-98	4.17	0.29	4.46	3.76	0.24	4.00	(-)0.41	(-)0.05
1998-99	5.87	0.47	6.34	5.22	0.39	5.61	(-)0.65	(-)0.08
1999-2000	6.65	0.47	7.12	5.88	0.32	6.20	(-)0.77	(-)0.15
2000-2001	8.18	0.47	8.65	7.79	0.26	8.05	(-)0.39	(-)0.21
कुल	**28.05**	**1.80**	**29.85**	**27.99**	**1.28**	**29.27**	**(-)0.06**	**(-)0.52**

(स्रोतः विनियोग लेखे/ विस्तृत विनियोग लेखे)

इस प्रकार तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 1996–2001 के दौरान अधिकांश व्यय (96 प्रतिशत) स्थापना से संबंधित थे जबकि चिकित्सा सुविधाओं पर व्यय (4 प्रतिशत) नगण्य था। हालांकि औषधि, आहार, उपस्कर इत्यादि के लिए उपलब्ध अपर्याप्त निधि का भी उपयोग पूर्णरूपेण नहीं किया जा सका और उपलब्ध निधि का 29 प्रतिशत अव्यवहृत रह गया।

संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकटित हुएः

1 *बेगूसराय : मई 1997 ; भागलपुर : जनवरी 1985 ; बक्सर : जून 1986 ; दरभंगा : जनवरी 1985*

2 *बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, पटना स्थित आयुर्वेदिक महाविद्यालय।*

दवा की आपूर्ति एक फर्म द्वारा की गई जिसे दवा का लाईसेंस प्राप्त नहीं था

(i) प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेगुसराय ने वर्ष 1997–2001 के दौरान आपात स्थिति के आधार पर 1.63 लाख रुपये का विचलन एलोपैथी दवाओं के क्रय पर किया, जबकि वहाँ एलोपैथी दवा लिखने हेतु कोई चिकित्सा पदाधिकारी नहीं थे। इसमें से 0.55 लाख रुपये मूल्य की दवाएँ एक आपूर्तिकर्त्ता (ओम इन्टरप्राइजेज, बेगुसराय) से खरीदी गई, जो वर्दी, लेखन सामग्री तथा गद्दे की आपूर्ति का कार्य करता था तथा जिसके पास औषधि लाइसेंस नहीं था। इन दवाओं का क्रय संदेहात्मक था। सरकार के अपर सचिव ने बताया (दिसम्बर 2001) कि एलोपैथी दवा का क्रय आवश्यक तथा स्वीकार्य था, जो मानने लायक नहीं था क्योंकि ऐसी दवाओं को लिखने हेतु आयुर्वेदिक महाविद्यालय में एलोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी नहीं थे। मामले की जाँच आवश्यक थी।

वर्ष 1996–2001 के दौरान प्राचार्य द्वारा आकस्मिक व्यय (लेखन सामग्री, औषधि, यात्रा भत्ता) हेतु 30 कर्मियों को प्रदत्त 1.13 लाख रुपये के अस्थाई अग्रिम मई 2001 तक वसूलित/समायोजित नहीं हुए थे। सरकार के अपर सचिव ने बताया (दिसम्बर 2001) कि दी गई अग्रिम राशि में से 0.49 लाख रुपये की वसूली हो चुकी थी। इसी तरह आयुर्वेदिक महाविद्यालय, भागलपुर में 36 कर्मियों को दिये गये 15.19 लाख रुपये के वेतन का अस्थाई अग्रिम वर्ष 1988 से असमायोजित पड़े थे।

फर्नीचर एवं शय्या सामग्री अव्यवहृत पड़े थे

(ii) दरभंगा आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य द्वारा वर्ष 1997–2001 के दौरान 2.56 लाख रुपये मूल्य के उपस्कर, फर्नीचर एवं शैय्या सामग्री क्रय किये गये जबकि अस्पताल जनवरी 1985 से ही अकार्यशील था। सरकार के अपर सचिव ने बताया (दिसम्बर 2001) कि प्राचार्य से अस्पताल को कार्यशील बनाने हेतु कहा गया है। इस निदेश के अनुपालन के लिए की गयी कार्रवाई उपलब्ध नहीं थी।

यू टी आई के यूनिटों में अनाधिकृत निवेश

(iii) प्राचार्य, आयुर्वेदिक महाविद्यालय, भागलपुर ने 5.49 लाख रुपये के यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यू एस 64 के 38000 यूनिटों का क्रय किया जबकि नियम के अर्न्तगत ऐसा निवेश अनुज्ञेय नहीं था। प्राचार्य ने 3.19 लाख रुपये के 20000 यूनिट बेच (जनवरी 1996) दिया लेकिन उन्होंने मई 2001 तक निधि को कोषागार में जमा नहीं किया तथा राशि का उपयोग कर्मियों के वेतन भुगतान पर कर दिया। प्राचार्य ने 10 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 1800 बोनस यूनिटों की भी प्राप्ति की (जुलाई 1996), लेकिन इसे रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया।

शेयरों की हानि की जाँच नहीं की गई

26 अप्रील 1986 को क्रय किये गये यूनिटों में से 1.49 लाख रुपये मूल्य के 10,000 यूनिटों को प्राचार्य ने गुम होना बताया (मई 2001)। प्राचार्य ने सिर्फ एक बार (फरवरी 1996) उन यूनिटों के द्वितीयक प्रति निर्गत करने हेतु उप–महाप्रबंधक, यू टी आई कलकत्ता से आग्रह किया। वे मामले को यू टी आई के साथ जोरदार ढंग से नहीं लिये तथा द्वितीयक प्रमाण पत्र अभी तक (मई 2001) प्रतीक्षित थे। यूनिटों के दुर्विनियोजन से इंकार नहीं किया जा सकता है। वे रोकड़पाल के पास से शेयरों की हानि के लिए पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं किये। लेखा परीक्षा के दौरान अपर सचिव ने बताया (दिसम्बर 2001) कि मामले की विस्तृत जानकारी प्राप्त होने के बाद दोषी कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

आवश्यक लेखा अभिलेख लेखा–परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया

(iv) आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, बक्सर के लेखा अभिलेख (परिशिष्ट–XVI) बारम्बार स्मार दिये जाने के बावजूद प्राचार्य द्वारा लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। प्राचार्य ने बताया (अगस्त 2001) कि तात्कालीन प्राचार्य द्वारा किये गये वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के आधार पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अक्टूबर 1997 तक का अभिलेख जब्त (जुलाई 2001) कर लिया गया था। अन्य लेखा अभिलेख नहीं दिये गये क्योंकि कथित रूप से ये महाविद्यालय के पूर्व

नाजिर द्वारा नहीं सौंपे गये थे। हालाँकि प्राचार्य ने लेखा अभिलेखों को रोके रखने हेतु पूर्व नाजिर के विरूद्ध कोई विभागीय कार्रवाई की शुरूआत नहीं की। 26 फरवरी 2001 शून्य शेष के साथ नया अभिलेख को खोला गया था।

3.1.5 आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के कार्यकलाप

सी सी आई एम ने महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के लिए मानक निर्धारित करता था

सेन्ट्रल कौंसिल ऑफ इन्डियन मेडिसिन नियमावली 1970 के अन्तर्गत स्थापित सेन्ट्रल कौंसिल ऑफ इन्डियन मेडिसिन (सी सी आई एम) द्वारा शिक्षण सुविधाओं, छात्र शय्या अनुपात, अर्द्ध चिकित्सीय एवं गैर–चिकित्सीय कर्मियों की संख्या तथा अन्य आवश्यक अन्तःसंरचना से संबंधित आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों हेतु मानक निर्धारित किया गया था। निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं किया गया था जैसा कि नीचे वर्णित है :–

3.1.5.1 आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में शिक्षण कर्मी

महाविद्यालयों में अपर्याप्त शिक्षण कर्मी

(क) बिहार के 6 आयुर्वेदिक/यूनानी महाविद्यालयों में (मई 2001) शिक्षण एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का अनुपात निम्नवत् था :

स्थित महाविद्यालय	प्रोफेसर			रीडर			सीनियर लेक्चरर/ लेक्चरर		
	सी सी आई एम मानक	स्वीकृत पद	पदस्था–पित कर्मी	सी सी आई एम मानक	स्वीकृत पद	पदस्था–ित कर्मी	सी सी आई एम मानक	स्वीकृत पद	पदस्था–पित कर्मी
	(संख्या में)								
बेगूसराय	14	11	1	16	12	2	65	48	14
भागलपुर	14	2	1	16	2	1	65	10	6
बक्सर	14	1	1	16	17	15	65	24	24
दरभंगा	14	2	1	16	10	1	65	20	14
पटना	14	11	3	16	12	3	65	47	33
तिब्बी महाविद्यालय, पटना	14	7	3	16	4	2	65	11	8

तालिका दर्शाती है कि किसी भी आयुर्वेदिक/यूनानी महाविद्यालयों में उपलब्ध शिक्षण कर्मी सी सी आई एम द्वारा निर्धारित मापदंड से काफी नीचे थे। परिणामस्वरूप, विषयों के संचालन हेतु महाविद्यालयों (तिब्बी महाविद्यालय, पटना को छोड़ कर) को सी. सी. आई. एम. द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गयी थी।

(ख) शिक्षकेत्तर कर्मी

आयुर्वेदिक/यूनानी महाविद्यालयों में शिक्षकेत्तर कर्मियों की मई 2001 तक के स्टाफिंग पैटर्न की विवेचना से स्पष्ट हुआ कि अत्यधिक पदस्थापना थी जैसे कि नीचे दर्शाया गया है :

आयुर्वेदिक/यूनानी महाविद्यालय	प्रयोगशाला तकनीशियन		लिपिक		म्युजियम कीपर		आदेशपाल		स्वीपर	
	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत
बेगूसराय	3 (19)	3	9 (15)	6	5 (16)	4	42 (27)	32	शून्य (19)	शून्य
भागलपुर	3 (19)	3	4 (15)	4	शून्य (16)	शून्य	13 (27)	5	3 (19)	2
बक्सर	10 (19)	10	39 (15)	38	11 (16)	10	70 (27)	67	शून्य (19)	शून्य
दरभंगा	5 (19)	5	17 (15)	17	शून्य (16)	शून्य	27 (27)	27	शून्य (19)	शून्य
पटना (यू जी)	11 (19)	9	6 (15)	145	4 (16)	4	26 (27)	22	9 (19)	2
तिब्बी महाविद्यालय, पटना	5 (19)	5	8 (15)	5	3 (16)	3	40 (27)	37	शून्य (19)	शून्य

(कोष्ठक के अंक सी. सी. आई. एम. द्वारा निर्धारित मानक दर्शाते हैं)

लिपिक/आदेशपाल आवश्यकता से अधिक थे जबकि दूसरे पद खाली थे

प्रत्येक महाविद्यालय में आवश्यक 15 लिपिकों के मानक के विरूद्ध बक्सर एवं दरभंगा के महाविद्यालयों में क्रमशः 38 तथा 17 लिपिक थे। इसी प्रकार प्रत्येक महाविद्यालय के लिये 27 आदेशपालों के मानक के विरूद्ध बक्सर स्थित महाविद्यालय एवं तिब्बी महाविद्यालय, पटना में क्रमशः 67 एवं 37 आदेशपाल थे। दूसरी तरफ प्रयोगशाला तकनीशियन, टाइपिस्ट, म्यूजियम कीपर इत्यादि जैसे आवश्यक पद आवश्यकता से काफी कम थे। तिब्बी महाविद्यालय, पटना तथा बक्सर स्थित महाविद्यालय में आदेशपालों एवं लिपिकों के पदों की अनुचित स्वीकृति की जाँच आवश्यक हैं।

एक औषधि प्रयोगशाला में प्रबंधक के पास आयुर्वेद में आवश्यक डिग्री नहीं थे

सरकार द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमिटी की अनुशंसा के आधार पर पूर्व के आयुर्वेदिक महाविद्यालय, बेगूसराय के कर्मचारियों की सेवाओं को निदेशक, देशी चिकित्सा ने राज्य सरकार द्वारा इसके अधिग्रहण (मई 1977) से ही नियमित (अगस्त 1981) कर दिया। निदेशक ने यह भी आदेश किया कि प्रबंधक के रूप में औषधि प्रयोगशाला में कार्यरत व्यक्ति आयुर्वेदिक औषधि का स्नातक डिग्री नहीं रखते हैं इसलिए वह उस पद पर बने रहने के हकदार नहीं हैं। हालाँकि निदेशक ने निम्न कोटि (5500–9000 रुपये) में प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में उसकी सेवा सरकार में नियमित करने का आदेश किया लेकिन कर्मी द्वारा प्रबंधक, औषधि प्रयोगशाला के रूप में (12000–16500 रुपये) अनियमित रूप से वेतन एवं भत्ता प्राप्त किया गया। मई 2001 तक उसे 7.33 लाख रुपये का अधिक भुगतान किया गया था।

3.1.5.2 *महाविद्यालय अस्पतालों में कर्मचारी विन्यास*

आवश्यक स्वास्थ्य देखरेख मुहैया कराने हेतु कोई भी अस्पताल समुचित रूप से कर्मियों से परिपूर्ण नहीं था

पाँच आयुर्वेदिक/यूनानी महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में सी सी आई एम द्वारा महाविद्यालय अस्पतालों के लिए निर्धारित कर्मचारी विन्यास एवं मई 2001 को पदस्थापित कर्मी निम्नवत् थे :

क्रम संख्या	महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के नाम	पदों का संवर्ग	सी सी आई एम के मानक के अनुसार आवश्यक पद	पद		पदस्थापित कर्मी
				स्वीकृत	कमी	
			(संख्या में)			
1	बेगूसराय	चिकित्सीय	20	1	19	1
		अर्द्ध चिकित्सीय	19	6	13	5
		अन्य	41	1	40	1
2	भागलपुर	चिकित्सीय	24	2	22	1
		अर्द्ध चिकित्सीय	28	3	25	2
		अन्य	51	5	46	4
3	दरभंगा	चिकित्सीय	अकार्यशील	1	-1	1
		अर्द्ध चिकित्सीय	--do--	शून्य	--	शून्य
		अन्य	--do--	शून्य	--	शून्य
4.	पटना	चिकित्सीय	29	7	22	7
		अर्द्ध चिकित्सीय	37	24	13	22
		अन्य	64	37	27	15
5.	तिब्बी महाविद्यालय, पटना	चिकित्सीय	19	4	15	4
		अर्द्ध चिकित्सीय	16	5	11	3
		अन्य	39	3	36	3
	योग		**387**	**99**	**288**	**69**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सी सी आई एम द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उपरोक्त पाँच महाविद्यालयों/अस्पतालों में चिकित्सीय, अर्द्ध चिकित्सीय एवं अन्य कर्मियों के 387 स्वीकृत पदों के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा मात्र 99 पद स्वीकृत किए गये थे जिसके विरूद्ध मात्र 69 व्यक्ति ही पदस्थापित थे जिससे महाविद्यालयों/अस्पतालों का क्रियाकलाप प्रभावित हो रहा था। आयुर्वेदिक महाविद्यालय अस्पताल, दरभंगा में एक चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित थे परन्तु महाविद्यालय अधिग्रहण (जनवरी 1985) के समय से ही अकार्यशील था। अस्पताल परिसर का

अधिकतम भाग जीवन बीमा निगम तथा राजस्व विभाग के सर्वेक्षण बन्दोबस्त कार्यालय के कब्जे में था। महाविद्यालय के प्राचार्य ने अस्पताल परिसर को खाली कराने हेतु कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं किया था।

3.1.5.3 शिक्षण की गुणवत्ता

राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, दरभंगा तथा राजकीय तिब्बी महाविद्यालय, पटना को छोड़ बाकी सभी आयुर्वेदिक महाविद्यालय भीम राव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर से संबद्ध थे। दरभंगा स्थित आयुर्वेदिक महाविद्यालय कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा से संबद्ध था। स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि चार वर्ष छः माह थी तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम दो वर्ष की अवधि का था।

महाविद्यालयों में छात्रों की वास्तविक नामांकन की संख्या निम्नवत् थी :

स्वीकृत सीट के अनुसार छात्रों का नामांकन नहीं हुआ

आयुर्वेदिक महाविद्यालय का नाम (स्नातक पाठ्यक्रम)	स्नातक पाठ्यक्रम हेतु स्वीकृत सीट	छात्र नामांकित				
		1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
बेगुसराय	20	7	12	7	20	नामांकन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी
भागलपुर	20	18	10	8	20	–वही–
दरभंगा	20	20	20	20	20	–वही–
पटना	38	38	26	35	38	–वही–
तिब्बी महाविद्यालय, पटना	33	17	18	26	42	–वही–
पटना (स्नातकोत्तर)	8	शून्य	8	शून्य	शून्य	शून्य
कुल		**100**	**94**	**96**	**140**	

राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय (स्नातकोत्तर विभाग), पटना के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में एक भी छात्र का नामांकन नहीं हुआ था क्योंकि प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शिक्षण संकायों इत्यादि जैसे शिक्षण एवं अन्य अन्तःसंरचना सुविधाओं के अभाव के कारण आयुर्वेदिक महाविद्यालय (स्नातकोत्तर विभाग), पटना द्वारा संचालित पाठ्यक्रम सी सी आई एम द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं था।

वर्ष 1996–2001 के दौरान पाँच आयुर्वेदिक महाविद्यालयों तथा राजकीय तिब्बी महाविद्यालय से बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स एण्ड सर्जरी (बी ए एम एस) की अंतिम परीक्षा में शामिल तथा उत्तीर्ण छात्रों की संख्या निम्नवत् थी :

महाविद्यालय	परीक्षा में शामिल छात्र	उत्तीर्ण छात्र
	(संख्या में)	
बेगूसराय	35	22
भागलपुर	20	11
दरभंगा	35	35
पटना	59	44
तिब्बी, पटना	158	86
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, पटना	10	10
कुल	***317***	***208***

शिक्षण गुणवत्ता अच्छी नहीं थी

किसी भी महाविद्यालय में परीक्षाएँ नियमित रूप से नहीं होती थी। पुनः, आयुर्वेदिक महाविद्यालय, दरभंगा में आन्तर अस्पताल सुविधा उपलब्ध नहीं थी जहाँ से स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम वर्ष 1998–2001 की अंतिम परीक्षा में 35 छात्र शामिल हुये थे तथा सभी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गये थे जबकि पाठ्यक्रम सी सी आई एम द्वारा मान्यता प्राप्त

नहीं था। अस्पताल का नाम, जहाँ इनडोर रोगियों की चिकित्सा के लिए विद्यार्थी सम्बद्ध थे, अभिलेख में नहीं था। इस प्रकार क्या सही में इन छात्रों को ऐसा प्रशिक्षण दिया गया था, संदिग्ध था।

सी सी आई एम ने यह भी पाया (दिसम्बर 1998 तथा जून 1999) कि पाठ्यक्रमों को चलाने हेतु सी सी आई एम की अनुमति के बिना ही इन छात्रों का दाखिला किया गया था तथा सी सी आई एम द्वारा पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के बगैर ही विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाएँ संचालित की जा रही थी। इस प्रकार ऐसी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के पास उनकी योग्यता की व्यवसायिक पहचान नहीं थी।

3.1.6 *स्वास्थ्य देख–रेख प्रबंधन*

सी सी आई एम द्वारा निर्धारित मानक

सी सी आई एम द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार छात्र शैय्या अनुपात 1:3 होनी चाहिए। पाँच वर्षों बाद छात्र शैय्या अनुपात को बढ़ाकर आदर्श मानक के रूप में 1:5 कर देना चाहिए था तथा एक नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय आरंभ करने हेतु अस्पताल में कम से कम 100 शैय्याएँ होनी चाहिए थी। इसके विरूद्ध, 5 महाविद्यालय अस्पतालों में शैय्याओं की संख्या में कमी 40 से 100 प्रतिशत के बीच थी, जैसा कि नीचे विवर्णित है :

स्थित राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय	छात्रों की स्वीकृत सीट	आवश्यक शैय्या	उपलब्ध इन्डोर शैय्या	कमी (कोष्ठक में प्रतिशत)
	(संख्या में)			
बेगूसराय	20	100	32	68 (68)
भागलपुर	20	100	60	40 (40)
दरभंगा	20	100	अस्पताल कार्यशील नहीं	100 (100)
पटना	38	190	94	96 (51)
राजकीय तिब्बी महाविद्यालय, पटना	33	165	24	141 (85)

किसी भी अस्पताल में आवश्यक शैय्या बल नहीं था

इस प्रकार आवश्यक शैय्या बल में वृहत् कमी के कारण छात्रों को स्वास्थ्य शिक्षा तथा लोगों को स्वास्थ्य देखरेख सेवाएँ मुहैया कराने में अस्पताल सक्षम नहीं थे।

3.1.6.1 *अस्पतालों में शैय्याओं की कम दखलकारिता*

अंतःसंरचना के अभाव के कारण अस्पतालों में शैय्याओं की कम दखलकारिता

वर्ष 1996–2001 के दौरान आयुर्वेदिक महाविद्यालयों से संबद्ध दो अस्पतालों में शैय्याओं का दखलकारी काफी कम 2 से 41 प्रतिशत तक थी। भागलपुर स्थित आयुर्वेदिक महाविद्यालय में कोई भी रोगी का दाखिला नहीं हुआ था तथा दरभंगा स्थित आयुर्वेदिक महाविद्यालय में कोई शैय्या सुविधा नहीं थी। दो महाविद्यालयों में शैय्याओं की दखलकारिता का विवरण निम्नवत था :

वर्ष	उपलब्ध शैय्या	एक वर्ष में दखलकारी क्षमता (शैय्याओं की संख्या x 365 या 366 दिन)	वर्ष में कुल दखलकारी	क्षमता से कुल दखलकारी की प्रतिशतता
आयुर्वेदिक महाविद्यालय अस्पताल, पटना				
1996-97	94	34310	1700	5
1997-98	94	34310	787	2
1998-99	94	34310	2164	6
1999-2000	94	34404	2295	7
2000-2001	94	34310	1322	4
आयुर्वेदिक महाविद्यालय अस्पताल, बेगूसराय				
1996-97	32	11680	1803	15
1997-98	32	11680	3122	27
1998-99	32	11680	4756	41
1999-2000	32	11712	3277	28

वर्ष	उपलब्ध शैय्या	एक वर्ष में दखलकारी क्षमता (शैय्याओं की संख्या x 365 या 366 दिन)	वर्ष में कुल दखलकारी	क्षमता से कुल दखलकारी की प्रतिशतता
2000-2001	32	11680	2374	20

शैय्याओं की कम दखलकारिता का कारण अस्पतालों में चिकित्सीय एवं अर्द्ध चिकित्सीय अन्तःसंरचना की कमी, खराब स्वच्छता तथा पानी, बिजली, शौचालय इत्यादि जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव को ठहराया गया था। पुनः 5 आयुर्वेदिक/यूनानी महाविद्यालय अस्पतालों में वर्ष 1996–2001 के दौरान चिकित्सक रोगी अनुपात 1 : 32 प्रतिदिन था और अस्पताल स्वास्थ्य देखरेख की देशी पद्धति को लोकप्रिय बनाने में विफल रहा।

3.1.6.2 औषधि पर प्रति रोगी व्यय

औषधि पर व्यय हेतु कोई मानक नहीं

निदेशक, देशी चिकित्सा ने बताया (मार्च 2001) कि आयुर्वेदिक महाविद्यालय अस्पताल में रोगियों को औषधि की आपूर्ति पर व्यय का कोई मानक निर्धारित नहीं था तथा औषधि की उपलब्धता रहने पर रोगियों को आवश्यकता के अनुसार औषधियों की आपूर्ति की जाती थी। वर्ष 1996–2001 के दौरान विभिन्न अस्पतालों में भिन्न–भिन्न दरों पर औषधि की आपूर्ति की गयी तथा औषधि पर प्रति व्यक्ति व्यय में व्यापक अन्तर था, जैसा कि नीचे विवर्णित है :

स्थित अस्पताले	उपचार किये गये रोगी (संख्या में)			व्यय (लाख रुपये में)	प्रति रोगी व्यय (रुपये में)
	इन्डोर	आउटडोर	योग		
बेगूसराय	15332	32350	47682	5.85	12.27
भागलपुर	शून्य	60927	60927	2.92	4.79
दरभंगा	शून्य	15010	15010	4.43	29.51
पटना	8268	178981	187249	5.13	2.74
तिब्बी अस्पताल, पटना	33770	482303	516073	6.71	1.30

प्रति रोगी औषधि पर व्यय हेतु किसी मानक के अभाव में रोगियों को दिये गये औषधियों की पर्याप्तता या अन्य को लेखा परीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

3.1.6.3 रोगियों को आपूरित आहार की गुणवत्ता

रोगियों को आवश्यक आहार नहीं दिया गया

राष्ट्रीय पोषण सलाहकार समिति की अनुशंसा (1965) के अनुसार वैसे रोगी जिन्हें उच्च चिकित्सीय आहार पर रखना जरूरी नहीं था, को प्रतिदिन कम से कम 2500 कैलोरी की आवश्यकता थी। अतः निरामिष आहार की लागत लगभग 6.15 रुपये तथा सामिष आहार की 8.95 रुपये थी। यद्यपि इस कालातीत मानक का अनुपालन नहीं किया गया और बिहार सरकार ने आहार की दर 3.55 रुपये प्रति रोगी प्रतिदिन निर्धारित (मई 1986) कर दिया। पुनः, अस्पतालों में रोगियों को दिए जाने वाले आहार के प्रोटीन कैलोरी मात्रा जाँचने हेतु कोई पद्धति नहीं थी।

3.1.6.4 आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधालय

आयुर्वेद एवं यूनानी पद्धति को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने जिलों में देशी चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति (1981) की तथा वर्ष 1981 में 13.31 लाख रुपये की लागत पर प्रखंड स्तरों पर 179 आयुर्वेदिक औषधालयों तथा 48 यूनानी औषधालयों की स्थापना की।

औषधालयों में औषधि के लिए अल्प निधि

वर्ष 1998–2001 के दौरान राज्य में आयुर्वेदिक/यूनानी औषधालयों के लिए सरकार द्वारा औषधियों पर निधि का आबंटन काफी अल्प तथा कुल प्रावधानित निधि का 3 से 4 प्रतिशत तक था, जैसा कि नीचे विवर्णित है :

वर्ष		व्यय हेतु आवंटन		कुल	प्रतिशत
		स्थापना	औषधि		कॉलम 5 का 4
1	2	3	4	5	6
		(लाख रुपये में)			
1998-99	आयुर्वेद	421.24	18.90	440.14	4
	यूनानी	129.29	4.80	134.09	4
1999-2000	आयुर्वेद	503.49	18.90	522.39	4
	यूनानी	138.65	4.80	143.45	3
2000-2001	आयुर्वेद	453.23	16.28	469.51	3
	यूनानी	135.97	4.27	140.24	3

निधि का 96 से 97 प्रतिशत स्थापना हेतु था

इस प्रकार आयुर्वेदिक/यूनानी औषधालयों को स्थापना व्यय के लिए निधि का 96 से 97 प्रतिशत मुहैया कराया गया था और औषधि पर व्यय के लिए काफी कम निधि का प्रावधान था। अतः देशी औषधि पद्धति को लोकप्रिय बनाने का उद्देश्य अस्पताल स्तर पर औषधि उपलब्ध कराये बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता।

3.1.7 आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मेसी, पटना

फार्मेसी का प्रदर्शन काफी दयनीय था

फार्मेसी को 140 आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों का निर्माण करना था। इसके विरूद्ध मात्र 13 से 20 औषधियों का निर्माण किया गया तथा अस्पतालों को आपूरित किया गया था, जबकि फार्मेसी में पदस्थापित 21 कर्मियों के वेतन (90.59 लाख रुपये) तथा कच्चा माल एवं आकस्मिकताओं (4.36 लाख रुपये) पर 94.95 लाख रुपये व्यय किये गये थे। वर्ष 1999–2001 के दौरान औषधि निर्माण हेतु विभाग द्वारा आबंटित 4 लाख रुपये की निकासी नहीं की गयी थी क्योंकि कच्चे माल के क्रय के लिए क्रय समिति का गठन विभाग द्वारा नहीं किया गया था।

वर्ष 1997–99 के दौरान औषधि निर्माण हेतु क्रय किये गये 3.71 लाख रुपये के संयंत्र एवं मशीनरी मई 2001 तक निष्क्रिय पड़े हुए थे। फार्मेसी के प्रबन्धक ने बताया (अगस्त 2001) कि भवन के निचले भूतल पर पानी जमा रहने के कारण यह नहीं हुआ था। हालाँकि, प्रबन्धक ने मशीनरी के प्रतिष्ठापन को सुगम बनाने हेतु भवन के भूतल को ऊँचा करने के लिए कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की थी।

3.1.8 आयुर्वेद एवं यूनानी अनुसंधान इकाई

प्रयोगशाला सुविधायें तथा अन्य अंतः संरचना की कमी के कारण अनुसंधान इकाई अकार्यशील थी

चिकित्सा के आयुर्वेद एवं यूनानी पद्धति में अनुसंधान कार्य करने हेतु 8 कर्मी–बल की इकाई की स्थापना की गई। इकाई एक सलाहकार समिति के अन्तर्गत कार्य कर रही थी जिसमें वर्ष 1963 तक दोनों संकाय के प्रसिद्ध चिकित्सक शामिल थे। उसके बाद से समिति अकार्यशील थी। इकाई के अनुसंधान पदाधिकारी ने समिति को पुनर्जीवित करने हेतु राज्य सरकार से सिर्फ एक बार (मार्च 1994) आग्रह किया था।

अनुसंधान पदाधिकारी ने बताया (अगस्त 2001) कि प्रयोगशाला के अभाव और जैव रसायन, पैथोलॉजी एवं फॉर्मोकोलॉजी विभागों के लिए सूचित कर्मियों के अभाव के कारण अनुसंधान कार्य बाधित हुआ तथा उन्होंने इन समस्याओं से राज्य सरकार को अवगत (1998) कराया था। ये समस्यायें मई 2001 तक जारी थीं।

चूंकि 1963 से ही कोई उपयोगी कार्य नहीं किए गये, स्थापना पर किया गया व्यय निरर्थक हुआ। वर्ष 1996–2001 के दौरान 59.59 लाख रुपये का व्यय किया गया था।

3.1.9 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

आयुर्वेदिक/यूनानी महाविद्यालयों के कार्यकलाप का अनुश्रवण नहीं किया गया

न तो सरकार के सचिव ने और न ही निदेशक ने राज्य में आयुर्वेदिक/यूनानी संस्थानों के लिये सामयिक निरीक्षण की अनुसूची बनाई। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, जिनके शैक्षणिक नियंत्रण के अधीन महाविद्यालय एवं अस्पताल कार्यशील थे, ने भी महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के कार्यकलापों का अनुश्रवण नहीं किया।

सी सी आई एम द्वारा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के सामयिक निरीक्षण किये गये थे। यद्यपि सी सी आई एम ने राज्य सरकार के सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग तथा निदेशक, देशी चिकित्सा को महाविद्यालयों तथा अस्पतालों के कार्यकलाप को सुधारने और उन्नत करने हेतु आग्रह के साथ निरीक्षण टिप्पणी की प्रति अग्रसारित किया था, परन्तु इन पदाधिकारियों ने कोई कार्रवाई शरू नहीं की (जुलाई 2001)।

बिहार सरकार के अपर सचिव ने बताया (दिसम्बर 2001) कि नियमित अनुश्रवण के लिये व्यवस्था की जा रही थी।

3.2 रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण

मुख्याकर्षण

रोगों के नियंत्रण के लिए केन्द्र प्रायोजित चार वृहत् राष्ट्रीय कार्यक्रम थे। इनमें से, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन ए सी पी) का लक्ष्य ह्यूमन इम्यूनो डिफिसिएन्सी वायरस (एच आई वी) के प्रसार को कम करना तथा दीर्घकालीन आधार पर एच आई वी/एड्स से लड़ने की भारत के सामर्थ्य को मजबूत करना था। राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम (एन एल सी पी) का लक्ष्य वर्ष 2000 के अन्त तक कुष्ठ निवारण प्राप्त करना था। राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम (एन पी सी बी) का लक्ष्य वर्ष 2000 तक 1.4 प्रतिशत से 0.3 प्रतिशत तक अंधापन कम करना था। राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम (एन टी सी पी) का लक्ष्य 85 प्रतिशत से ज्यादा उपचार दर प्राप्त करना था।

केन्द्रीय निधि की अल्प उपयोगिता एवं उसका दुरूपयोग, वाहनों एवं उपकरणों का दुरूपयोग, आवश्यक अन्तःसंरचना के विकास की कमी तथा कारगर अनुश्रवण की कमी के कारण राज्य में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन ए सी पी), राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम (एन एल सी पी), राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम (एन पी सी बी) एवं राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम (एन टी सी पी) का क्रियान्वयन अप्रभावकारी था।

वर्ष 1997–99 के दौरान, राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय निधि का 3.70 करोड़ रुपया राज्य द्वारा विमुक्त नहीं किया गया था तथा मार्च 2000 तक 2.33 करोड़ रुपया का उपयोग नही किया गया था। नमूना जाँचित जिलों में उपलब्ध निधि का सिर्फ 30 प्रतिशत का ही उपयोग किया गया था।

(कंडिका 3.2.3.2 एवं 3.2.3.3)

वर्ष 1996–2000 के दौरान राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत यक्ष्मा रोगियों की पहचान में उपलब्धि 34 से 44 प्रतिशत थी। पुनः, मानक के अनुरूप 8.67 करोड़ (1991 जनगणना) की जनसंख्या के आधार पर 173 यक्ष्मा इकाई एवं 867 अणुवीक्षण केन्द्र स्थापित होने चाहिए थे जबकि जून 2001 तक राज्य में सिर्फ 29 यक्ष्मा इकाई तथा 141 अणुवीक्षण केन्द्र थे। वर्ष 2000–01 के दौरान स्पूटम पोजिटिव मामले तीव्रता से 10 गुणा के करीब, एक्सट्रा पल्मोनरी मामले 4 गुणा से अधिक पुनरावृत मामले 5 गुणा, विफल मामले 12 गुणा, चूक मामले 13 गुणा तथा अन्य मामले 20 गुणा बढ़े।

*(कंडिका 3.2.3.4 **(i), (ii)** एवं **(iii)***

निदेशक यक्ष्मा प्रदर्शन केन्द्र, पटना द्वारा वित्तीय नियमावली की अवहेलना ने वर्ष 1995–97 के दौरान उनके कार्यालय में 46.99 लाख रुपये के गबन को सुगम किया। इसके बावजूद भी उपनिदेशक (यक्ष्मा) ने बगैर किसी आवश्यकता के मार्च 1998 में 1.08 करोड़ रुपया आहरित किया तथा अनियमित रूप से उसका निवेश बैंक ड्राफ्टों के रूप में किया।

(कंडिका 3.2.3.5 एवं 3.2.3.6)

एन एल सी पी के अंतर्गत वर्ष 1996–97 के दौरान 81.08 लाख रुपये का अधिकाई व्यय तथा वर्ष 1997–2001 के दौरान 4.87 करोड़ रुपये की बचत थी। निधि के अल्प

उपयोग के कारण वर्ष 1996–2001 के दौरान भारत सरकार द्वारा 4.19 करोड़ रुपया विमुक्त नहीं किया गया था। जिला कुष्ठ समिति के पास 3.52 करोड़ रुपये अव्यवहृत थे।

(कंडिका 3.2.4.2)

राज्य में राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत रोगियों की पहचान, उपचार एवं विमुक्त करने में उपलब्धियाँ, लक्ष्यों से काफी अधिक थीं। प्रदर्शित उपलब्धियों की विश्वसनीयता संदिग्ध थी क्योंकि उपलब्ध राशि का 53 प्रतिशत व्यय नहीं किया गया था। कार्यक्रम के अंतर्गत रोगियों के उपचार के लिए विभिन्न लक्षित सुविधाओं में उपलब्धि शून्य थी। मल्टी ड्रग थेरापी का उपयोग अपर्याप्त था। राष्ट्रीय औसत 5.19 प्रति दस हजार आबादी के विरूद्ध वर्ष 2000–01 के दौरान राज्य में कुष्ठ की व्यापकता दर 16.59 थी जो देश में सर्वोच्च थी।

(कंडिका 3.2.4.4 (i) से (iii))

राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर राज्य द्वारा अल्प खर्च के कारण भारत सरकार द्वारा वर्ष 1996–2001 के दौरान आबंटित निधि का सिर्फ 30 प्रतिशत (97.44 लाख रुपये) विमुक्त किया गया था।

(कंडिका 3.2.5.2)

राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में अंधापन की व्यापकता के मूल्यांकन के लिए कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया गया था, जबकि आवश्यक था। वर्ष 1996–2001 के दौरान राज्य सरकार द्वारा मोतियाबिन्द ऑपरेशन का लक्ष्य 48 से 56 प्रतिशत तक घटा दिया गया तथा घटे हुए लक्ष्य के विरूद्ध भी उपलब्धि में 30 से 62 प्रतिशत की कमी थी।

(कंडिका 3.2.5.4 (i), (ii) एवं (iii))

चार जिलाधिकारियों ने राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के निमित्त वाहनों का दुरूपयोग किया। सारन में जुलाई 1999 में अनियंत्रित भीड़ द्वारा एक वाहन जला दिया गया था जब उसका उपयोग विधि व्यवस्था लागू करने के लिए किया जा रहा था।

(कंडिका 3.2.5.4 (ix))

विभाग द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत अस्पतालों में नेत्र वार्ड, शल्य कक्ष, डार्क रुम, शय्या इत्यादि के निर्माण जैसी अन्तःसंरचना के विकास के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गयी थी। वर्ष 1998–2001 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 29 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा विमुक्त नहीं किए गए थे।

(कंडिका 3.2.5.4 (xi))

राज्य द्वारा प्रत्येक वर्ष कम खर्च किए जाने के कारण वर्ष 1996–2001 के दौरान एन ए सी पी के लिए भारत सरकार द्वारा आबंटित निधि का सिर्फ 24 प्रतिशत (3.38 करोड़ रुपये) ही विमुक्त किया गया था। उपलब्ध निधि का 36 प्रतिशत (1.79 करोड़ रुपये) राज्य द्वारा खर्च नहीं किया गया था। एक से 7 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद मार्च 1999 में राज्य द्वारा एन ए सी पी निधि का 2.16 करोड़ रुपये राज्य एड्स नियंत्रण समिति को विमुक्त किया गया था। बिहार एड्स नियंत्रण समिति ने वर्ष 1996–2001 के दौरान 3.23 करोड़ रुपये के व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए भारत सरकार के पास दावा प्रस्तुत नहीं किया।

(कंडिका 3.2.6.2 (i), (ii) एवं (vi))

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जून 2001 तक राज्य में आरंभ नही हुआ था। एच आई वी पोजिटिव मामले की व्यापकता, जो वर्ष 1996–97 के दौरान 0.04 प्रतिशत थी, बढ़कर वर्ष 2000–01 के दौरान 0.11 प्रतिशत हो गयी। एड्स मामले की व्यापकता भी वर्ष 1996–97 के 12 से बढ़कर वर्ष 2000–01 में 32 हो गयी। वर्ष 1993 एवं 2000 के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नई दिल्ली द्वारा आपूरित उपकरण (143) या तो निष्क्रिय पड़े रहे या दुरूपयोग किए गए थे।

(कंडिका 3.2.6.4)

3.2.1 प्रस्तावना

रोगों के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन ए सी पी), राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम (एन एल सी पी), राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम (एन पी सी बी) तथा राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम (एन टी सी पी) के माध्यम से रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया था। राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग केंद्रक अभिकरण था।

3.2.2 लेखा परीक्षा विस्तार

प्रत्येक मामले में 20 प्रतिशत जनसंख्या आच्छादित करते हुए 7 जिलों[1] (बिहार–4, झारखण्ड–3), 6 जिलों[2] (बिहार–3 झारखण्ड–3), 10 जिलों[3] (बिहार 7 झारखण्ड – 3) तथा 10 जिलों[4] (बिहार–5 झारखण्ड–5) के अभिलेखों की नमूना जाँच के माध्यम से वर्ष 1996–2001 के दौरान क्रमशः एन ए सी पी, एन एल सी पी, एन पी सी बी तथा एन टी सी पी के क्रियान्वयन की समीक्षा (फरवरी 2001 एवं जून 2001) की गयी।

3.2.3 राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम (एन टी सी पी)

3.2.3.1 प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा पूर्णरूपेण वित्त पोषित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम की शुरूआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1962 में की गयी थी। 85 प्रतिशत से अधिक निदान दर प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञों की समीक्षा समिति ने राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम (आर एन टी सी पी) के लिए एक संशोधित रणनीति तैयार (1992) की थी।

राज्य यक्ष्मा अधिकारी तथा जिलों में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों (अ श चि सह मु चि प) एवं जिला यक्ष्मा अधिकारियों के माध्यम से कार्यक्रम का क्रियान्वयन आयुक्त–सह–सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राज्य में किया गया था। इसके अतिरिक्त, एक बिहार राज्य यक्ष्मा नियंत्रण समिति (जनवरी 2000 में स्थापित) थी जिसमें सचिव–सह–आयुक्त पदेन अध्यक्ष तथा राज्य यक्ष्मा अधिकारी इसके पदेन सदस्य सचिव थे। जिला यक्ष्मा नियंत्रण समिति (दिसम्बर 1995 से फरवरी 2000 के दौरान स्थापित) के अध्यक्ष जिलाधिकारी थे तथा जिला यक्ष्मा अधिकारी इसके सदस्य सचिव थे।

1 *बिहार : भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना ; झारखण्ड : धनबाद, जमशेदपुर, राँची*

2 *बिहार : भोजपुर, मुजफ्फरपुर, पटना ; झारखण्ड : धनबाद, हजारीबाग, राँची*

3 *बिहार : भोजपुर, दरभंगा, खगड़िया, नालंदा, समस्तीपुर, सारण, वैशाली ; झारखण्ड : धनबाद, दुमका, राँची*

4 *बिहार : भोजपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर, वैशाली ; झारखण्ड : धनबाद, हजारीबाग, लोहरदग्गा, पलामू, राँची*

3.2.3.2 निधियों का प्रावधान एवं व्यय

वर्ष 1997–2000 के दौरान राज्य में कार्यक्रम के लिए निधियों का प्रावधान एवं व्यय निम्नवत् था :

वर्ष	बजट प्रावधान	आरंभिक शेष	भारत सरकार द्वारा आबंटित निधि	भारत सरकार द्वारा विमुक्त निधि	राज्य द्वारा विमुक्त निधि	कुल प्राप्य निधि (स्तंभ 3 एवं स्तंभ 5)	व्यय	अव्यवहृत निधि (स्तंभ 7 – स्तंभ 8)	बचत की प्रतिशतता
	(लाख रुपये में)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1997-98	125.00	शून्य	258.76	258.76	शून्य	258.76	शून्य	258.76	100
1998-99	258.76	258.76	298.79	298.79	258.76	557.55	137.55	420.00	75
1999-2000	298.79	420.00	369.57	369.57	298.79	789.57	187.46	602.11	76
कुल	**682.55**		**927.12**	**927.12**	**557.55**		**325.01**		

(स्रोत : बजट, विनियोग लेखे तथा विभाग द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

निधियों की कम विमुक्ति एवं उपयोगिता

वर्ष 1997–99 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त निधि (9.27 करोड़ रुपये) का 40 प्रतिशत (3.70 करोड़ रुपये) विभाग को विमुक्त नहीं किया गया था। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के अनुसार, सीमित विमुक्त निधियों का भी पूर्ण उपयोग नहीं किया गया था तथा 31 मार्च 2000 के अन्त तक इसका 42 प्रतिशत (2.33 करोड़ रुपये) अव्यवहृत पड़ा रहा। अव्यवहृत निधियाँ अनधिकृत रूप से बैंक के बचत/चालू खाते में रखी गयी थीं। अतः भारत सरकार द्वारा विमुक्त निधियों का सिर्फ 35 प्रतिशत ही उपयोग हुआ था।

3.2.3.3 जिलों में व्यय

नमूना जाँचित जिलों में भारत सरकार के निधियों का 37 से 96 प्रतिशत अव्यवहृत रहा

नमूना जाँचित 10 जिलों में वर्ष 1996–2000 के दौरान एन टी सी पी के तहत् उपलब्ध 3.48 करोड़ रुपये में से सिर्फ 1.03 करोड़ रुपये (30 प्रतिशत) ही खर्च किए गए थे। पुनः नमूना जाँचित 7 (10 में से) जिलों[5] में जहाँ संशोधित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम (आर एन टी पी सी) शुरू किया गया था (दिसम्बर 1995 एवं सितम्बर 2000), जिलों में समिति के निबंधन में विलंब तथा अन्तः संरचना के विकास में विलंब के कारण प्राप्त निधियों (3.48 करोड़ रुपयें) का 37 से 96 प्रतिशत खर्च नहीं किया गया था।

3.2.3.4 भौतिक प्रगति

वर्ष 1996–2001 के दौरान कार्यक्रम के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति निम्नवत् थी :

(i) वर्ष 1996–2001 के दौरान एन टी पी सी के अंतर्गत राज्य यक्ष्मा अधिकारी द्वारा प्रदत्त यक्ष्मा मामले की पहचान एवं स्पूटम जाँच के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ निम्नवत् थी :

वर्ष	यक्ष्मा मामले की पहचान		स्पूटम जाँच	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
	(संख्या में)			
1996-97	153000	67068 (44)	460000	54478 (12)
1997-98	153000	58697 (38)	460000	61824 (13)
1998-99	153000	51293 (34)	460000	37823 (8)
1999-2000	153000	56097 (37)	460000	55024 (12)
2000-01	अनिर्धारित	अनुपलब्ध	414394	54978 (13)

(कोष्ठ मे आँकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं)

यक्ष्मा मामले की पहचान एवं स्पूटम जाँच में अल्प उपलब्धियाँ

आँकड़ों के विश्लेषण ने प्रकटित किया कि पटना एवं गढ़वा सबसे ज्यादा प्रभावित जिले थे चूँकि इन जिलों में वर्ष 2000–01 के दौरान यक्ष्मा रोगियों का निबंधन काफी अधिक

[5] *हजारीबाग, मुजफ्फरपुर, पटना, पलामू, राँची, समस्तीपुर एवं वैशाली*

था। राज्य यक्ष्मा अधिकारी ने कहा (अक्टूबर 2001) कि कमी का मुख्य कारण अणुवीक्षण केन्द्र, प्रयोगशाला तकनीशियनों इत्यादि का अभाव था। हालाँकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अभिकरण द्वारा किया गया एन टी पी सी के मूल्यांकन से प्रकट हुआ (जून 2000) कि राजकीय स्वास्थ्य अन्तःसंरचना के अल्प उपयोग के कारण मामले की पहचान काफी कम थी तथा यक्ष्मा के लिए राज्य प्रशिक्षण प्रदर्शन केन्द्र, कार्यक्रम को नुकसान पहुँचा रहा था।

स्पूटम पोजिटिव मामले तेजी से बढ़े

राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में निबंधित यक्ष्मा मामले एवं आच्छादित जनसंख्या का विवरण, जैसा कि राज्य यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त किया गया था, निम्नवत् थे :

वर्ष	शामिल जनसंख्या (1991 की जनगणना के अनुसार)	निबंधित यक्ष्मा मामले (संख्या में)								
		नया				पुनरोपचार मामले				
		स्पूटम पोजिटिव	स्पूटम निगेटिव	एक्सट्रा पलमोनरी	कुल	रिलेप्स मामले	विफल मामले	चूक मामले	अन्य	कुल
1996-97	8.67 करोड़	2106	25957	282	28345	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.
1997-98		2569	22202	539	25310	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.
1998-99		3348	43178	235	46761	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.
1999-2000		4897	44619	302	49818	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.
2000-01		8060	48709	273	57042	08	--	288	--	296
कुल		**20980**	**184665**	**1631**	**207276**	**08**	**--**	**288**	**--**	**296**

(अनु. : अनुपलब्ध)

यह पाया गया कि स्पूटम पोजिटिव मामले 2106 से तेजी से बढ़कर 8060 हो गये तथा नये निबंधित मामलों की कुल संख्या भी 25310 से तीव्र रूप से बढकर 57042 हो गयी जो यह प्रदर्शित करता था कि कार्यक्रम का यक्ष्मा नियंत्रण में अल्प प्रभाव था। वर्ष 1996–2001 (वर्ष 2000–01 को अंशतः छोड़कर) के दौरान राज्य में पुनरोपचार मामले एवं नये रिलेप्सड एवं विफल मामले के स्पूटम कनवर्सन की कोई भी सूचना/आँकड़ा उपलब्ध नहीं था। इसके परिणामस्वरूप यक्ष्मा रोगियों के नैदानिक उपचार की गुणवत्ता को आँका नहीं जा सका।

नमूना जाँचित 9 जिलों[6] में स्पूटम पोजिटिव मामले 829 से तीव्र रूप से बढ़कर 1386 हो गये। स्पूटम पोजिटिव एवं एक्स्ट्रा पलमोनरी मामलों में भी वर्ष 1996–97 की तुलना में 56 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गयी जैसा कि नीचे प्रदर्शित है :

वर्ष	आच्छादित जनसंख्या लाख में	निबंधित यक्ष्मा मामले (संख्या में)								
		नया	पुनरोपचार मामले							
		स्पूटम पोजिटिव	स्पूटम निगेटिव	एक्सट्रा पलमोनरी	योग	रिलेप्सड मामले	विफल मामले	चूक	अन्य	योग
1996-97	172.45	829	14010	302	15141	15	---	1035	---	1109
1997-98	172.45	1227	11246	282	12755	497	---	409	---	945
1998-99	226.54	1223	10584	407	12214	903	---	1564	---	2476
1999-00	238.54	1046	6225	382	7653	47	01	395	---	443
2000-01	242.36	1386	4553	374	6313	108	07	268	---	383
योग		**5711**	**46618**	**1747**	**54076**	**1570**	**08**	**3671**	**---**	**5356**

यह भी पाया गया कि नमूना जाँचित जिलों में वर्ष 1996–97 में इन मामलों के व्यापकता की तुलना में वर्ष 2000–01 में स्पूटम पोजिटिव मामले में सबसे ज्यादा वृद्धि हजारीबाग जिला में (706 प्रतिशत) तथा एक्स्ट्रा पलमोनरी मामला में समस्तीपुर जिला में (180 प्रतिशत) थी।

6 *भोजपुर, धनबाद, हजारीबाग, लोहरदग्गा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पलामू, राँची*

नमूना जाँचित 9 जिलों में से 6 (धनबाद, लोहरदगा, राँची, समस्तीपुर, पलामू, हजारीबाग) में नये पोजिटिव रोगी के स्पूटम जाँच की स्थिति निम्नवत् थीः

वर्ष	नये स्पूटम पोजिटिव रोगी	2 माह का स्पूटम			3 माह का स्पूटम		
		पोजिटिव	निगेटिव	जाँच नहीं किए गए	पोजिटिव	निगेटिव	जाँच नहीं किए गए
		(संख्या में)					
1996-97	683	21	586	76	3	399	281
1997-98	939	9	913	17	2	330	607
1998-99	896	7	803	86	1	546	349
1999-00	1008	12	791	205	1	546	461
2000-01	1369	16	1020	333	2	882	485
योग	**4895**	**65**	**4113**	**717**	**9**	**2703**	**2183**

वर्ष	स्मीयर पोजिटिव रिलेप्सड मामलों की कुल संख्या	3 महीने के बाद का स्पूटम		
		पोजिटिव	निगेटिव	अनुपलब्ध
1996-97	23	1	18	4
1997-98	9	अनु.	9	अनु.
1998-99	10	अनु.	10	अनु.
1999-2000	6	1	5	अनु.
2000-01	46	4	38	4
योग	**94**	**6**	**80**	**8**

हालाँकि, प्रत्येक नये स्पूटम पोजिटिव रोगी का स्पूटम कम से कम दूसरे एवं तीसरे माह जाँच किया जाना था, 15 प्रतिशत (717) एवं 45 प्रतिशत (2183) नये स्पूटम रोगियों (4895) का स्पूटम जाँचा नहीं गया था। इसके परिणामस्वरूप नये यक्ष्मा रोगियों के नैदानिक उपचार की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं थी तथा नये यक्ष्मा रागियों के रिलेप्सड मामले वर्ष 1996–2000 के दौरान 6 एवं 23 के बीच से बढ़कर वर्ष 2000–01 में 46 तक पहुँच गए थे। अतः स्वस्थ व्यक्तियों के बीच रोग फैलने का गंभीर खतरा था।

यक्ष्मा इकाई एवं अणुवीक्षण केन्द्र स्थापित नहीं किए गए

(ii) यक्ष्मा से मुकाबला करने के लिए संशोधित नीति के अनुसार, प्रत्येक पाँच लाख की आबादी के लिए एक स्वास्थ्य पदाधिकारी, एक वरीय यक्ष्मा प्रयोगशाला पर्यवेक्षक तथा एक वरीय उपचार पर्यवेक्षक समाहित एक यक्ष्मा इकाई स्थापित की जानी थी। इसके अतिरिक्त एक जिला में कार्यभार के अनुसार एक लाख की आबादी में अधिकतम एक केन्द्र के आधार पर एक अणुवीक्षण केन्द्र स्थापित करना था। तदनुसार, 8.67 करोड़ (बिहार : 7.17 करोड़ ; झारखण्ड : 1.50 करोड़) की आबादी (1991 जनगणना) के लिए, राज्य में 173 यक्ष्मा इकाई एवं 867 अणुवीक्षण केन्द्र स्थापित करना था। इसके विरूद्ध जून 2001 तक राज्य में सिर्फ 29 यक्ष्मा इकाईयाँ (बिहार : 20 ; झारखण्ड : 9) एवं 141 सूक्ष्मदर्शी केन्द्र (बिहार : 82 ; झारखण्ड : 59) ही उपलब्ध थे। राष्ट्रीय यक्ष्मा कार्यक्रम के तहत् राज्य में कोई भी यक्ष्मा इकाई स्थापित नहीं की गयी थी तथा सिर्फ 31 अणुवीक्षण केन्द्र (बिहार : 18 ; झारखण्ड : 13) स्थापित किये गये थे।

(iii) संशोधित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम (आर एन टी सी पी) जिसे दिसम्बर 1995 में राज्य के 7 जिलों (हजारीबाग, मुजफ्फरपुर, पटना, पलामू, राँची, समस्तीपुर, वैशाली) में लागू किया जाना था, दिसम्बर 1995 से फरवरी 2000 तक सिर्फ पाँच जिलों (मुजफ्फरपुर, पटना, पलामू, राँची एवं वैशाली) में क्रियान्वित किया गया था। आर एन टी सी पी के अंतर्गत 5 जिलों में यक्ष्मा मामले की पहचान, उपचार एवं रोगमुक्त होने का विवरण निम्नवत् था :

पोजिटिव स्पूटम, एक्स्ट्रा पलमोनरी, रिलेप्सड, विफल एवं चूक मामले में तीव्र बढ़ोत्तरी

वर्ष	शामिल जनसंख्या (लाख में)	निबंधित यक्ष्मा मामले (संख्या में)								
		नये				पुनरोपचार मामले				
		पोजिटिव स्पूटम	निगेटिव स्पूटम	एक्स्ट्रा पलमोनरी	योग	रिलेप्स मामले	विफल मामले	चूक	अन्य	योग
1996-97	5.00	257	500	51	808	61	---	---	---	61
1997-98	5.00	207	336	26	569	41	03	08	20	72
1998-99	88.63	213	156	66	435	43	04	37	08	92
1999-00	100.63	1168	3000	365	4533	216	27	377	222	842
2000-01	148.27	2334	3283	353	5970	261	53	510	167	991
योग	**347.53**	**4179**	**7275**	**861**	**12315**	**622**	**87**	**932**	**417**	**2058**

(स्रोत : जिला यक्ष्मा पदाधिकारी के अभिलेख)

वर्ष 1998–99 की तुलना में हालाँकि वर्ष 2000–01 के दौरान जनसंख्या का आच्छादन 67 प्रतिशत तक बढ़ा, जबकि स्पूटम पोजिटिव मामले लगभग 10 गुणा, एक्स्ट्रा पलमोनरी मामले 4 गुणा से ज्यादा, रिलेप्सड मामले 5 गुणा, विफल मामले 12 गुणा, चूक मामले 13 गुणा तथा अन्य मामले 20 गुणा तीव्रता से बढ़े।

बिहार के 5 आर एन टी सी पी जिले के विस्तृत विवरण निम्नवत् थे :

निम्न निदान दर एवं लक्षित निदान दर पहुँच से बाहर

वर्ष	निबंधित मामले (रोगियों के प्रकार)		निदान	पूर्ण किए गए उपचार	मृत	विफल	चूक	स्थानांतरित मामले	मूल्यांकित मामले (कॉलम 1 से 6)
			1	2	3	4	5	6	7
			(संख्या में)						
1996-97 से 2000-01	**(i) नये मामले**								
	स्मीयर पोजिटेव	4255	1799	22	83	32	166	01	2103
	स्मीयर निगेटिव	7390	---	1986	85	16	258	---	2345
	एक्स्ट्रा पलमोनरी	916	---	465	02	---	47	---	514
	योग	12561	**1799**	**2473+ 153***	**170 + 3**	**48**	**471 + 299***	**01**	**4962 + 455***
	(ii) पुनरोपचार मामले								
	स्मीयर पोजिटिव रिलेप्सड		269	06	34	16	56	--	381
	स्मीयर पोजिटिव विफल		11	--	02	23	07	--	43
	स्मीयर पोजिटिव उपचार एवं चूक		284	19	29	17	89	--	438
	अन्य		25	57	09	01	29	--	121
	योग		**589**	**82**	**74**	**57**	**181**	**--**	**983**

(* मुजफ्फरपुर जिला द्वारा नये मामलों का श्रेणी–वार विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था)

नये निबंधित मामलों (12561) का सिर्फ 43 प्रतिशत (5417) का ही मूल्यांकन किया गया था तथा मूल्यांकित रोगियों के सिर्फ 33 प्रतिशत (1799)का ही निदान हुआ था। अतः 85 प्रतिशत के लक्षित निदान दर को प्राप्त करना एक दूरस्थ सम्भावना बनी रही।

5 आर एन टी सी पी जिले के जिला यक्ष्मा पदाधिकारियों द्वारा प्रदत्त नये स्पूटम परिवर्त्तन, रिलेप्सड एवं विफल मामले निम्नवत् थे :

नये मामले

अधिसंख्य नये मामलों के स्पूटम का जाँच नहीं किया गया था

वर्ष	नये स्पूटम पोजिटिव रोगी	2 महीने का स्पूटम			3 महीने का स्पूटम		
		पोजिटिव	निगेटिव	अप्राप्त	पोजिटिव	निगेटिव	अप्राप्त
		(संख्या में)					
1996-97	312	05	225	82	02	03	82
1997-98	199	06	179	14	02	04	14
1998-99	122	04	99	19	--	03	12
1999-2000	681	54	550	77	08	49	22
2000-2001	2148	75	1983	90	12	60	30
योग	**3462**	**144**	**3036**	**282**	**24**	**119**	**160**

तालिका यह दर्शाती थी कि 2 महीनों के 282 नये स्पूटम पोजिटिव रोगियों (8 प्रतिशत) तथा 3 महीनों के 160 समान रोगियों का स्पूटम जाँच नहीं किया गया था।

स्मीयर पोजिटिव रिलेप्स मामले

स्मीयर पोजिटिव रिलेप्स मामलों का निगेटिव में परिवर्त्तन कम था

वर्ष	स्मीयर पोजिटिव रिलेप्स मामले	3 महीने का स्पूटम		
		पोजिटिव	निगेटिव	अप्राप्त
		(संख्या में)		
1996-97	70	04	51	15
1997-98	61	04	44	13
1998-99	28	01	25	02
1999-2000	183	06	148	29
2000-2001	330	17	291	22
योग	**672**	**32**	**559**	**81**

कार्यक्रम के 90 प्रतिशत के मानकों के विरूद्ध वर्ष 1996–2001 के दौरान स्मीयर पोजिटिव रिलेप्स मामलों का निगेटिव में परिवर्त्तन 83 प्रतिशत (559) था। यद्यपि, स्मीयर पोजिटिव रिलेप्स मामले के 12 प्रतिशत (81) का स्पूटम जाँच नहीं कराया गया था। पुनः, वर्ष 1998–99 की तुलना में स्पूटम पोजिटिव रिलेप्स मामले लगभग 12 गुणा बढ़े तथा 3 महीने के स्पूटम पोजिटिव एवं निगेटिव मामले क्रमशः 17 गुणा एवं लगभग 12 गुणा बढ़े।

स्मीयर पोजिटिव मामले के 8 प्रतिशत का स्पूटम जाँच नहीं किया गया था तथा 90 प्रतिशत के मानक के विरूद्ध स्मीयर पोजिटिव विफल मामले का निगेटिव में परिवर्त्तन दर सिर्फ 75 प्रतिशत (64) था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

स्मीयर पोजिटिव विफल मामले

स्मीयर पोजिटिव विफल मामलों का परिवर्त्तन भी निम्न था

वर्ष	स्मीयर पोजिटिव विफल मामले	3 महीने का स्पूटम		
		पोजिटिव	निगेटिव	अप्राप्त
		(संख्या में)		
1996-97	06	02	02	02
1997-98	05	02	03	---
1998-99	03	01	02	---
1999-2000	14	02	11	01
2000-2001	57	07	46	04
योग	**85**	**14**	**64**	**07**

(iv) वर्ष 1998–2001 के दौरान 6 जिलों (हजारीबाग, मुजफ्फरपुर,पलामू, पटना, राँची, वैशाली) में एन टी सी पी तथा आर एन टी सी पी के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण

कार्यक्रम, व्ययित राशि एवं प्रशिक्षित चिकित्सीय एवं पराचिकित्सीय कर्मचारी निम्नवत् थे :

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की उपलब्धि में गिरावट

वर्ष	प्रशिक्षण कार्यक्रम		स्वास्थ्य कर्मचारी		पराचिकित्सकीय कर्मचारी	
	प्रस्तावित	आयोजित	प्रशिक्षित किया जाना	प्रशिक्षित	प्रशिक्षित किया जाना	प्रशिक्षित
1998-99	36	36 (100)	300	264 (88)	660	623 (94)
1999-2000	41	41 (100)	147	132 (90)	1312	1278 (97)
2000-01	66	45 (68)	605	472 (78)	2711	2273 (84)
योग	**143**	**122 (85)**	**1052**	**868 (83)**	**4683**	**4174 (89)**

प्रशिक्षण आयोजित एवं प्रदान करने हेतु इन जिलों को प्रदत्त 40.72 लाख रुपये में से सिर्फ 19.60 लाख रुपये (48 प्रतिशत) ही खर्च किए गए थे। चूँकि प्रदत्त निधियों का 52 प्रतिशत (21.12 लाख रुपये) अव्यवहृत पड़ा रहा, प्रतिवेदित उच्च उपलब्धियाँ विश्वसनीय नहीं थी। वर्ष 1999–2000 के तुलना में वर्ष 2000–01 के दौरान राज्य प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, पटना में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने तथा चिकित्सीय एवं पराचिकित्सकीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदत्तता की उपलब्धियों में महत्त्वपूर्ण गिरावट थी। निदेशक, राज्य प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, पटना द्वारा इस गिरावट का कोई कारण नहीं दिया गया।

निधियों की उपलब्धता के बावजूद कोई आई इ सी गतिविधि नहीं

(v) कार्यक्रम का क्रियान्वयन लोकप्रिय बनाने के लिए आवश्यक सूचना, शिक्षा तथा संचार (आई ई सी) गतिविधियाँ राज्य स्तर पर शुरू नहीं की गयी थी। भारत सरकार द्वारा जिला यक्ष्मा नियंत्रण समिति को प्रदत्त 3.88 लाख रुपये जून 2001 तक अव्यवहृत पड़े थे।

3.2.3.5 46.99 लाख रुपये की कपटपूर्ण निकासी एवं गबन

निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन केन्द्र, पटना ने फर्जी बकाये वेतन विपत्र के माध्यम से 46.99 लाख रुपये का निकासी की तथा राशि का गबन किया

यक्ष्मा प्रदर्शन केन्द्र (टी बी डी सी), अगमकुँआ, पटना के कार्यालय के वर्ष 1995–97 की अवधि से संबंधित लेखा एवं संबंधित कोषागार भुगतान अनुसूची (पटना कोषागार, पटना) के लेखा परीक्षा संवीक्षा (फरवरी 2001) से प्रकट हुआ कि तात्कालीन, निदेशक (टी बी डी सी), पटना, जो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी थे, ने उच्च न्यायालय, पटना, राँची पीठ के फैसला का फर्जी संदर्भ एवं स्वास्थ्य निदेशालय, बिहार, पटना के आदेश का हवाला देते हुए 22 फर्जी वेतन विपत्रों एवं 2 बकाया बोनस विपत्रों के माध्यम से वर्ष 1995–97 के दौरान 45 व्यक्तियों, जो केन्द्र के कर्मचारी नहीं थे, के बकाये वेतन एवं भत्ते (फरवरी 1989 से अप्रैल 1993 तक) मद से 46.99 लाख रुपये (वर्ष 1995–96 : 5.42 लाख रुपये ; वर्ष 1996–97 : 41.57 लाख रुपये) पटना कोषागार से कपटपूर्ण तरीके से निकासी किया।

निदेशक (टी बी डी सी) पटना तथा बिहार सरकार के अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने 46.99 लाख रुपये के कपटपूर्ण निकासी को स्वीकार (फरवरी 2001 तथा जुलाई 2001) किया। सरकार के अतिरिक्त सचिव ने यह भी कहा कि तात्कालीन प्रधान लिपिक सह लेखापाल (ब्रज मोहन प्रसाद), तात्कालीन रोकड़पाल एवं विपत्र लिपिक (कामेश्वर प्रसाद कर्ण) तथा तात्कालीन स्थापना लिपिक (अर्जुन प्रसार वर्मा) की मिलीभगत से तात्कालीन निदेशक द्वारा गबन किया गया था। लेखापरीक्षा टिप्पणी के अनुपालन में निदेशक (टी बी डी सी) ने तात्कालीन निदेशक एवं अन्य के विरूद्ध प्रथम सूचना रपट (अप्रैल 2001) दर्ज किया था। पुलिस जाँच परिणाम प्रतीक्षित थे (जुलाई 2001)।

निदेशक (टी बी डी सी), पटना (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी) द्वारा नियमों (बिहार वित्तीय नियमावली भाग–1 के नियम 471, 472, 473 एवं 474 तथा बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 189, 270 (1), 273 (1)) की अवहेलना तथा व्यय पर नियंत्रण एवं महालेखाकार एवं कोषागार पदाधिकारी, पटना से लेखा समाशोधन में नियंत्रणी पदाधिकारी (निदेशक–प्रमुख) की विफलता के फलस्वरूप गबन सुगम हुआ था। नियंत्री पदाधिकारी ने निदेशक से न ही मासिक व्यय विवरणी की माँग की थी और न ही निदेशक (टी बी डी सी), पटना के कार्यालय में लगातार 2 वर्षों के लिए स्थापना शीर्ष के अंतर्गत अनावश्यक उच्च व्यय को जाँचा तथा रोका। कोषागार पदाधिकारी ने निधि के आबंटन एवं स्थापना के स्वीकृत बल इत्यादि के संदर्भ में फर्जी कर्मचारियों के नाम से बकाये वेतन भुगतान के विपत्रों की सत्यता की जाँच एवं पहचान नहीं की थी।

यह देखा गया कि संबद्ध नियंत्रणी पदाधिकारी एवं कोषागार पदाधिकारी उस विफलता के लिए उत्तरदायी नहीं बनाये गए थे जिसने सरकारी धन का गबन सुगम किया।

3.2.3.6 तात्कालिक आवश्यकता के बगैर अत्यधिक निधियों की निकासी

उप–निदेशक (यक्ष्मा) ने तात्कालिक आवश्यकता के बगैर निधि की निकासी की

31 मार्च 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (असैनिक) के प्रतिवेदन के कंडिका 3.7.10.7 में उल्लेख किया गया था कि यक्ष्मा प्रदर्शन केन्द्र, पटना एवं दरभंगा में यक्ष्मा–रोधी दवाएँ, उपस्कर एवं अन्य प्रयोगशाला उपकरण की अधिप्राप्ति के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य अंश के रूप में 31 मार्च 1996 को उप–निदेशक (यक्ष्मा), बिहार, पटना ने 1.00 करोड़ रुपये की राशि आहरित किया तथा इसे ''असैनिक जमा'' में रखा जबकि यह नियमानुसार वर्जित था। फरवरी 1998 में पूरी राशि की निकासी कर ली गयी थी तथा अनधिकृत रूप से एक बैंक के चालू खाता में रखा गया तथा मार्च 1998 तक सिर्फ 38.46 लाख रुपये खर्च किए गए।

उप–निदेशक (यक्ष्मा), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, अगमकुँआ, पटना के अभिलेखों की पुनः संवीक्षा (अप्रैल 2000) तथा संग्रहित सूचना (अक्टूबर 2000 एवं जून 2001) से प्रकट हुआ कि हालाँकि बैंक के चालू खाता में 61.54 लाख रुपये अव्यवहृत पड़े थे, फिर भी उप–निदेशक ने दवाओं की खरीद (1.03 करोड रुपये), यक्ष्मा रोधी प्रचार (1.49 लाख रुपये) तथा अणुवीक्षक (3.19 लाख रुपये) के लिए वर्ष 1997–99 के दौरान 1.08 करोड़ रुपये की निकासी (31 मार्च 1998) की। आहरित राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में रखी गयी थी जबकि बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 300 के तहत् राशि की निकासी, जो तात्कालिक वितरण के लिए आवश्यक नहीं थी, वर्जित थी। नियमों के नीचे टिप्पणी एवं उसके नीचे राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार भी बैंक में रखने या बैंक ड्राफ्ट के रूप में या नगद रखने के लिए राशि की निकासी वर्जित था।

निधि की निकासी के पहले उप–निदेशक द्वारा 73.85 लाख रुपये मूल्य की दवाओं की खरीद के लिए 4 फर्मों को आदेश दिया गया (25 मार्च 1998) था। हालाँकि, बिहार सरकार के उप–सचिव–सह–मुख्य निगरानी आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार ने प्रथमतः छानबीन तक दवाओं की खरीद पर 73.85 लाख रुपये (जुलाई 1998) के पूर्ण भुगतान को लंबित रखा। तत्पश्चात उन्होंने 43.67 लाख रुपये का भुगतान विमुक्त किया (अक्टूबर 1998 से जुलाई 2000 के मध्य भुगतीत) जबकि अप्रैल 2000 तक आपूर्तिकर्त्ता को 30.18 लाख रुपये (73.85 लाख रुपये – 43.67 लाख रुपये) का भुगतान दवाओं की खरीद में अनाचार के कारण नहीं किया गया था।

अतः मार्च 1996 में आहरित 61.54 लाख रुपये के अलावा मार्च 1998 में आहरित 60.05 लाख रुपये (1.08 करोड़ रुपये में से) जून 2001 तक अव्यवहृत थे। यहाँ तक कि

व्यवहृत निधियाँ भी नियमानुसार खर्च नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त, केन्द्र प्रायोजित यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम (एन टी सी पी), जिसके लिए निधियों की निकासी की गयी थी, बाधित हुआ।

3.2.3.7 मानव–शक्ति प्रबंधन

कार्यक्रम के अंतर्गत 31 मार्च 2001 तक पदों के विभिन्न संवर्गों के स्वीकृत बल एवं पदस्थापित कार्यबल निम्नवत् थे :

कर्मियों के स्वीकृत बल				पदस्थापित कार्यबल			
(संख्या में)							
चिकित्सकीय	अर्द्ध–चिकित्सकीय	अन्य	योग	चिकित्सकीय	अर्द्ध--चिकित्सकीय	अन्य	योग
111	1062	965	2138	89	300	203	592

अतः एन टी सी पी के अतंर्गत 31 मार्च 2001 तक 72 प्रतिशत पद खाली थे।

3.2.3.8 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अपर्याप्त एवं अप्रभावकारी अनुश्रवण

आयुक्त–सह–सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पर्यवेक्षण के तहत् राज्य यक्ष्मा पदाधिकारी को राज्य में कार्यक्रम क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना था। यह पाया गया कि वे कार्यक्रम के क्रियान्वयन के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण में विफल रहे। राज्य यक्ष्मा पदाधिकारी, जिन्हें वर्ष 1996–2001 के दौरान आर एन टी सी पी जिलों का 52 निरीक्षण करना था, ने उसी अवधि के दौरान सिर्फ 11 निरीक्षण किया था। इस प्रकार आबंटित निधि के खर्च करने में पूरी उदासीनता एवं विफलता थी तथा कार्यक्रम का कुप्रबंधन, उचित अनुश्रवण के अभाव ने कार्यक्रम को निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं होने दिया। उच्च स्तर पर इस तरह की पूर्ण विफलता के कारण राज्य में कार्यक्रम विफल रहा, जबकि निधि की समस्या नहीं थी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अभिकरण द्वारा किये गये (जून 2000) कार्यक्रम के मूल्यांकन से प्रकट हुआ कि वैशाली जिला में सरकारी स्वास्थ्य अन्तःसंरचना के अल्प उपयोग के कारण मामलों की पहचान में काफी कमी थी तथा यक्ष्मा हेतु राज्य प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र कार्यक्रम को कमजोर कर रहा था।

3.2.4 राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम (एन एल सी पी)

3.2.4.1 प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954–55 में आरंभ राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम को वर्ष 1983 में राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम (एन एल ई पी) के रूप में पुनर्नामित किया गया था। कार्यक्रम का लक्ष्य मामला भारिता को प्रति 10,000 आबादी पर एक से भी कम करते हुए वर्ष 2000 के अन्त तक कुष्ठ को समाप्त करना था।

राज्य में कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिले में पदस्थापित असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों एवं जिला कुष्ठ पदाधिकारी द्वारा सहायतित राज्य कुष्ठ पदाधिकारी (एस एल ओ) के माध्यम से आयुक्त–सह–सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया गया था। आयुक्त–सह–सचिव, बिहार राज्य कुष्ठ नियंत्रण समिति (मार्च 2000 में स्थापित) के पदेन अध्यक्ष एवं राज्य कुष्ठ पदाधिकारी इसके सदस्य सचिव थे। जिलाधिकारी, जिला कुष्ठ नियंत्रण समिति के अध्यक्ष एवं जिला कुष्ठ पदाधिकारी इसके सदस्य सचिव थे।

3.2.4.2 निधियों का प्रावधान एवं व्यय

वर्ष 1996–2001 के दौरान राज्य में कार्यक्रम के लिए निधियों का प्रावधान एवं व्यय निम्नवत् था :

वर्ष	राज्य के बजट प्रावधान	भारत सरकार द्वारा आवंटित निधि	भारत सरकार द्वारा विमुक्त निधि	व्यय	आधिक्य (+) बचत (–) (कॉलम 2 – कॉलम 5)	आधिक्य/ बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
	(लाख रुपये में)					
1996-97	112.00	112.00	56.00	193.08	(+)81.08	(+)72
1997-98	285.50	115.00	33.68	121.87	(-)163.63	(-)57
1998-99	124.93	200.00	150.00	88.04	(-)36.89	(-)30
1999-00	323.24	200.00	50.00	130.09	(-)193.15	(-)60
2000-01	182.75	197.00	115.80	88.72	(-)94.03	(-)51
योग	**1028.42**	**824.00**	**405.48**	**621.80**	**(-)406.62**	

(स्रोत : बजट, विनियोग लेखा एवं विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना)

10.28 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा सिर्फ 8.24 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे एवं भारत सरकार द्वारा सिर्फ 4.05 करोड़ रुपये विमुक्त किए गए। जिसके विरूद्ध 6.22 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

राज्य कुष्ठ पदाधिकारी द्वारा बचत/आधिक्य का कारण प्रस्तुत नहीं किया गया

वर्ष 1996–97 के दौरान 81.08 लाख रुपये (72 प्रतिशत) के अत्यधिक आधिक्य तथा वर्ष 1997–2001 के दौरान 4.89 करोड़ रुपये (53 प्रतिशत) के बचत का कारण राज्य यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

निधियों का अल्प उपयोग

वर्ष 1997–2001 के दौरान निधियों के अल्प उपयोग एवं राज्य द्वारा भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण–पत्र के अप्रस्तुतीकरण के कारण वर्ष 1996–2001 के दौरान भारत सरकार द्वारा आबंटित निधियों (8.24 करोड़ रुपये) का 51 प्रतिशत (4.19 करोड़ रुपये) विमुक्त नहीं किए गए थे।

जिले में निधियों का अल्प उपयोग

भारत सरकार द्वारा सीधे 39 जिला कुष्ठ समितियों (डी एल एस) को दिए गए 25.69 करोड़ रुपये के अनुदान एवं उस पर अर्जित 1.49 करोड़ रुपये के ब्याज में से 3.52 करोड़ रुपये (13 प्रतिशत) समिति के पास अव्यवहृत थे। मई 2001 तक वर्ष 1998–2000 के दौरान कर्मियों/कर्मचारियों को 17.66 लाख रुपये का अग्रिम असमायोजित/अवसूलित था।

3.2.4.3 नमूना जाँचित जिलों में निधियों का प्रावधान एवं व्यय

निधियों का आंशिक उपयोग

नमूना जाँचित 6 जिलों में 5.24 करोड़ रुपये के उपलब्ध शेष में से वर्ष 1996–2001 के दौरान 4.94 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। निधियों के आंशिक उपयोग के कारण उपलब्ध नहीं थे।

3.2.4.4 भौतिक प्रगति

वर्ष 1996–2001 के दौरान कार्यक्रम के क्रियान्वयन की भौतिक प्रगति निम्नवत् थी :

(i) वर्ष 1996–2001 के दौरान राज्य में कुष्ठ मामलों की पहचान, उपचार एवं रिहाई का विवरण निम्नवत् था :

पहचान

वर्ष	निबंधित पुराने मामले	नये मामले		उपचार के तहत् लाये गए मामले		योग	उपचार के तहत् नहीं लाये गए मामले		कुल बहिर्गमित मामले
		लक्ष्य	पहचानित	पुराने मामले	नये मामले		पुराने	नये	
	(संख्या में)								
1996-97	105368	20000	99599	99975	97953	197928	5393	1646	100853
1997-98	104114	50000	111743	102880	111692	214572	1234	51	128953
1998-99	86904	64700	282081	86845	282081	368926	59	शून्य	223728
1999-00	145257	50000	172449	145257	172449	317706	शून्य	शून्य	168726
2000-01	149220	30000	101329	149220	101329	250549	शून्य	शून्य	115232
योग		**214700**	**767201**		**765504**			**1697**	**737492**

उपलब्धि की विश्वसनीयता संदिग्ध था

उपचार

वर्ष	उपचार पूर्ण होने पर बहिर्गमित मामले		कुछ कारणों से रिहा मामले				रिलेप्सड मामले	रिएक्शन मामले	निगरानी के तहत् मामले	स्किन स्मीयर के मामले
	लक्ष्य	उपलब्धि	मृत	स्थायी विस्थापन	चिकित्सा की समाप्ति	अन्य				
1996-97	42000	65282	1424	2369	शून्य	31778	133	शून्य	76953	6423
1997-98	55000	109568	1043	4713	शून्य	13629	75	शून्य	119703	2854
1998-99	120000	194512	903	6082	शून्य	22231	200	शून्य	255857	13038
1999-00	185000	151650	499	4644	शून्य	11933	240	शून्य	265432	6237
2000-01	100000	107347	272	2246	शून्य	5367	32	शून्य	252123	1309
योग	**502000**	**628359**	**4141**	**20054**	–	**84938**	**680**		**970068**	**29861**

उपलब्धियाँ लक्ष्य से काफी अधिक थीं, जबकि 53 प्रतिशत निधियाँ खर्च नहीं की गयी थीं। लक्ष्य के विरूद्ध उच्च उपलब्धियाँ लेखा परीक्षा में संसूचित विभिन्न त्रुटियों, अंतःसंरचना की कमी एवं कर्मचारियों की कमी के समीचीन नहीं थी।

निबंधित कुल 8.72 लाख मामलों (पुराना : 1.05 लाख ; नया : 7.67 लाख) में उपचार पूर्ण होने पर रिहा (6.28 लाख), मृत मामले (0.04 लाख), स्थायी रूप से विस्थापित मामले (0.20 लाख) एवं अन्य मामले (0.85 लाख) शामिल थे जबकि 1.35 लाख मामलों की स्थिति का ज्ञान नहीं था।

(ii) विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में वर्ष 1996–2001 के दौरान निम्नलिखित सुविधाओं की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य पूर्ण रूप से उपेक्षित था :

अन्तःसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना में पूर्ण विफलता

क्रम सं.	अन्तःसंरचना का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि
		(संख्या में)	
1.	कुष्ठ नियंत्रण इकाई	273	शून्य
2.	रूपान्तरित कुष्ठ नियंत्रण इकाई	3	शून्य
3.	सर्वेक्षण, शिक्षा एवं उपचार केन्द्र	14	शून्य
4.	जिला कुष्ठ इकाई	10	शून्य
5.	स्वयंसेवी कुष्ठ शय्याओं का रखरखाव	1550	शून्य
6.	चलंत कुष्ठ उपचार इकाई	21	शून्य
7.	उन्नत राज्य कुष्ठ कोषांग (कार्यालय)	1	शून्य
8.	एस एस ए इकाई का उन्नयन	3	शून्य
9.	शहरी कुष्ठ इकाई	6	शून्य
	योग	**1610**	**शून्य**

यहाँ तक कि धनबाद कुष्ठ प्रशिक्षण केन्द्र एवं मुजफ्फरपुर अस्पताल में उपलब्ध आन्तरिक सुविधा भी केन्द्र एवं अस्पताल भवनों के निवास योग्य स्थिति नहीं रहने के कारण क्रमशः वर्ष 1992 एवं 1998 से छोड़ दी गयी थी।

मानक के अनुरूप एम डी टी नहीं किया गया

(iii) उच्च प्रकोप ग्रसित क्षेत्रों से शुरूआत करते हुए चयनित जिलों में क्रमिक रूप से शुरूआत की गयी मल्टी ड्रग थेरापी (एम डी टी) कुष्ठ रोगियों के लिए एक

नैदानिक उपचार था। मध्यम एवं निम्न प्रकोप ग्रसित जिलों में चलंत कुष्ठ उपचार इकाईयों (एम एल टी यू) के माध्यम से रोगियों को एम डी टी देना था।

राज्य में 39 जिलों में से सितम्बर 1994 तक 17 जिले[7] प्रकोपित (व्यापकता दर : 50 या ज्यादा प्रति दस हजार), 14 जिले[8] मध्यम (व्यापकता दर : 20 से 50 प्रति दस हजार) एवं 8 निम्न प्रकोपित जिले[9] (व्यापकता दर 20 से कम प्रति दस हजार) थे। यह पाया गया कि गोड्डा जिला, जो वर्ष 1994 में निम्न प्रकोपित वर्गीकृत था, दिसम्बर 2000 में मध्यम हो गया। 9 स्थानिक जिलों[10] में अनुबंध आधार पर 738 कर्मचारी (चिकित्सीय, अर्द्ध–चिकित्सीय एवं अन्य) प्रतिनियुक्त किए गये थे तथा शेष 8 जिलों में जून 2001 तक कोई भी कर्मचारी प्रतिनियुक्त नहीं था।

16.59 प्रति दस हजार आबादी की उच्च व्यापकता दर

राष्ट्रीय कुष्ठ व्यापकता दर के मात्र 5.19 के विरूद्ध वर्ष 2000–01 के दौरान राज्य में प्रति दस हजार आबादी 16.59 की कुष्ठ व्यापकता दर (पी आर) थी जो देश में सबसे ज्यादा थी। एस एल ओ ने कहा (जुलाई 2000) कि इसका कारण राज्य में एम डी टी की विलंब से शुरूआत एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु कर्मचारियों की कमी थी।

एन एल सी के तहत् खरीदे गए वाहनों का दुरूपयोग

(iv) वर्ष 1997–2000 के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत 2 जिलों में 16.69 लाख रुपये मूल्य के खरीदे गए 5 वाहनों (मुजफ्फरपुर : 3 जीप एवं एक एम्बेसडर कार : 13.96 लाख रुपये तथा हजारीबाग : मारूती जिप्सी : 2.73 लाख रुपये) का संबंधित जिलाधिकारी/उपायुक्त द्वारा जिलों में विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए दुरूपयोग किया गया था।

3.2.4.5 रूपांतरित कुष्ठ निवारण अभियान (एम एल ई सी)

असफल एम एल ई सी अभियान

जन जागरूकता उत्पन्न करने एवं 6 से 7 दिनों के अन्दर छुपे हुए कुष्ठ की पहचान कर मुफ्त एम डी टी उपचार उपलब्ध कराने तथा भारत में कुष्ठ की स्थिति पर विश्वसनीय आँकड़ा तैयार करने के उद्देश्य से वर्ष 1998 एवं वर्ष 2000 के दौरान राज्य में दो रूपांतरित कुष्ठ निवारण अभियानों (एम एल ई सी) की शुरूआत की गयी थी।

भारत सरकार ने एम एल ई सी – I के लिए वर्ष 1997 में 5.01 करोड़ रुपये विमुक्त किया था। भारत सरकार द्वारा प्रावधानित निधियों की व्यय विवरणी लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। हालांकि, 6 नमूना जाँचित जिलों में, एम एल ई सी I और II अंतर्गत वर्ष 1997–2001 के दौरान भारत सरकार द्वारा जिला कुष्ठ समितियों को दिए गए 2.52 करोड़ रुपये में से सिर्फ 1.71 करोड़ रुपये (68 प्रतिशत) खर्च किए गए थे।

3.2.4.6 मानव–शक्ति प्रबंधन

कार्यक्रम के अंतर्गत 31 मार्च 2001 तक पदों के विभिन्न संवर्गों के स्वीकृत बल एवं पदस्थापित कार्य बल निम्नवत् थे :

7 *औरंगाबाद, भोजपुर, भागलपुर, दरभंगा, धनबाद, दुमका, देवघर, कटिहार, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सिवान, सीतामढ़ी, सिंहभूम, पश्चिमी चम्पारण*

8 *बेगूसराय, पूर्वी चम्पारण, गया, गिरीडीह, गोपालगंज, हजारीबाग, मधुबनी, मुँगेर, नालंदा, पलामू, राँची, सारण, समस्तीपुर, सहरसा।*

9 *गोड्डा, गुमला, जहानाबाद, खगड़िया, लोहरदगा, मधेपुरा, सिंहभूम, वैशाली*

10 *दरभंगा, धनबाद, दुमका, कटिहार, पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी, सिवान, पश्चिमी चम्पारण*

कर्मियों के स्वीकृत बल				पदस्थापित कार्य बल			
(संख्या में)							
चिकित्सकीय	परा–चिकित्सकीय	अन्य	योग	चिकित्सकीय	परा–चिकित्सकीय	अन्य	योग
124	1936	502	2562	90	965	254	1309

इस प्रकार, एन एल सी पी के तहत् 31 मार्च 2001 तक 49 प्रतिशत पद रिक्त थे।

3.2.4.7 *निष्कर्ष*

अपर्याप्त एवं अप्रभावकारी अनुश्रवण

आयुक्त–सह–सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रमों के प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए जिम्मेवार थे। यह पाया गया कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अत्यधिक निधियाँ अव्यवहृत थीं। राज्य में किसी भी नौ लक्षित अन्तःसंरचनाओं, जो कि कुष्ठ से मुकाबला करने के लिए आवश्यक थी, का विकास नहीं हुआ था। कार्यक्रम के प्रभावकारी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु सरकारी तंत्र एवं स्वयंसेवी संगठन के बीच कोई भी तालमेल नहीं था। कुष्ठ के निदान हेतु रूपांतरित कुष्ठ निवारण अभियान एवं मल्टी ड्रग थेरापी अपनाने के लिए जागरूकता के विकास की कमी थी। जिला कुष्ठ पदाधिकारियों ने समय–समय पर कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए नियमित बैठकें नहीं की जो कि आवश्यक था।

वर्ष 1996–2001 के दौरान किसी भी सरकारी एवं गैर–सरकारी अभिकरणों द्वारा कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया गया था।

3.2.5 *राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम (एन पी सी बी)*

3.2.5.1 *प्रस्तावना*

वर्ष 2000 तक 1.4 प्रतिशत से 0.3 प्रतिशत तक अंधापन कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्ष 1976 में राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम (एन पी सी बी) की शुरूआत की गयी थी। कार्यक्रम के विभिन्न गतिविधियों में क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान, चिकित्सा महाविद्यालय एवं जिला अस्पताल के उन्नयन, चलंत चक्षु इकाईयों का विकास, आवश्यक नेत्रविज्ञानीय कार्यबल की नियुक्ति तथा विभिन्न नेत्रविज्ञानीय सेवाओं का प्रावधान शामिल था।

राज्य में कार्यक्रम का आयुक्त–सह–सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जो राज्य स्तर पर राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (आँख) एवं जिला स्तर पर असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा सहायता प्राप्त थे, द्वारा प्रबंधित था। आयुक्त–सह–सचिव, बिहार राज्य अंधापन नियंत्रण समिति (अक्टूबर 2000 में स्थापित) के पदेन अध्यक्ष भी थे जबकि राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी इसके पदेन सदस्य सचिव थे। जिला अंधापन नियंत्रण समितियाँ (वर्ष 1990–97 के दौरान स्थापित) जिलाधिकारियों द्वारा शीर्षित थीं तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधक, इनके सदस्य सचिव थे।

3.2.5.2 *निधियों का प्रावधान एवं व्यय*

वर्ष 1996–2001 के दौरान कार्यक्रम के लिए निधियों के प्रावधान एवं व्यय निम्नवत् थे :

कार्यक्रम पर निम्न व्यय

वर्ष	बजट प्रावधान	भारत सरकार द्वारा आबंटित निधियाँ	भारत सरकार द्वारा विमुक्त निधियाँ	व्यय	बचत (कॉलम 2 – कॉलम 5)	बचत का प्रतिशत
	(लाख रुपये में)					
1	2	3	4	5	6	7
1996-97	100.36	35.92	अनु.	20.71	79.65	79
1997-98	841.63	89.00	7.44	55.73	785.90	93
1998-99	164.25	39.00	19.50	39.79	124.46	76
1999-00	319.49	26.00	13.00	88.33	231.76	73
2000-01	74.70	132.50	57.50	59.52	15.18	20
योग	**1500.43**	**322.42**	**97.44**	**264.08**	**1236.95**	**82**

(स्रोत : बजट, विनियोग लेखा एवं विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना)

कम खर्च एवं भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण 15 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान में से भारत सरकार द्वारा सिर्फ 3.22 करोड़ रुपये आबंटित थे एवं 0.97 करोड़ रुपये विमुक्त किए गए थे।

3.2.5.3 नमूना जाँचित जिले में निधि का प्रावधान एवं व्यय

निधियों का उपयोग नहीं

नमूना जाँचित दस जिलों में वर्ष 1996–2001 के दौरान अव्यवहृत 1.91 करोड़ रुपये के उपलब्ध निधियों में से सिर्फ 1.68 करोड़ रुपये (88 प्रतिशत) ही खर्च किए गए थे तथा 0.23 करोड़ रुपये अव्यवहृत पड़े थे।

3.2.5.4 भौतिक प्रगति

राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियाँ जैसे, क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान की स्थापना, चिकित्सा महाविद्यालय एवं जिला अस्पताल का उन्नयन, चलंत नेत्र इकाईयों का विकास, आवश्यक नेत्रविज्ञानी कार्यबल की नियुक्ति एवं विभिन्न नेत्रविज्ञानी सेवाओं का प्रावधान समाहित था। वर्ष 1996–2000 के दौरान कार्यक्रम का प्रदर्शन निम्नवत् था :

राज्य में अंधापन की व्यापकता आँकने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया

(i) अंधापन की व्यापकता आँकने के लिए कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया गया था। पुनर्वास के उद्देश्य हेतु नहीं ठीक होने वाले अंधे व्यक्तियों का सर्वेक्षण भी जून 2001 तक नहीं किया गया था।

(ii) विभाग द्वारा प्राप्ति के अनुसार वर्ष 1996–2001 के दौरान विभिन्न इकाईयों के उन्नयन/स्थापना में लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ निम्नवत् था :

अल्प उपलब्धि

वर्ष	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी (प्रतिशत)
1.	प्रा. स्वा. के. का मजबूतीकरण			
(क)	सामान्य वर्ग	40	14	26 (65)
(ख)	जनजातीय वर्ग	10	10	शून्य
2.	जिला चलंत इकाई की स्थापना	6	6	शून्य
3.	जिला अस्पताल का उन्नयन	2	2	शून्य
4.	चिकित्सा महाविद्यालय के नेत्र विज्ञान विभाग का उन्नयन	1	शून्य	100
5.	क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान की स्थापना	1	1	शून्य

चिकित्सा महाविद्यालयों के नेत्र विज्ञान विभाग के उन्नयन एवं प्रा. स्वा. केन्द्रों की सुदृढ़ता में कमी का कारण राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (नेत्र) द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(iii) वर्ष 1996–2001 के दौरान राज्य में मोतियाबिन्द ऑपरेशन के संदर्भ में राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (नेत्र) द्वारा सूचित लक्ष्ययों एवं उपलब्धियों का विवरण निम्नवत् था :

मोतियाबिन्द ऑपरेशन में उत्तरोत्तर कमी

वर्ष	वर्ष 1996–2001 के दौरान जनसंख्या (लगभग)	लक्ष्य			उपलब्धि	कमी (प्रतिशत)	
		निर्धारित किये जाने वाले लक्ष्य (1 लाख जनसंख्या पर 400)	निर्धारित लक्ष्य	कमी		मानक के अनुरूप लक्ष्य के विरूद्ध	निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध
	(संख्या लाख में)						
1996-97	1000.00	4.00	1.75	2.25 (56)	1.20 (69)	2.80 (70)	0.55 (31)
1997-98	1000.00	4.00	1.75	2.25 (56)	1.19 (68)	2.81 (70)	0.56 (32)
1998-99	1000.00	4.00	1.92	2.08 (52)	1.28 (67)	2.72 (68)	0.64 (33)
1999-00	1000.00	4.00	1.92	2.08 (52)	1.35 (70)	2.65 (66)	0.57 (30)
2000-01	1000.00	4.00	2.10	1.90 (48)	0.79 (38)	3.21 (80)	1.31 (62)
योग		**20.00**	**9.44**	**10.56 (53)**	**5.81 (62)**	**14.19 (71)**	**3.63 (38)**

(कोष्ठक के अंक प्रतिशत दर्शाता हैं।)

राज्य सरकार ने मोतियाबिंद ऑपरेशन का लक्ष्य वर्ष 1996–2001 के दौरान 48 से 56 प्रतिशत तक कम किया था जबकि घटे हुए लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि भी सिर्फ 38 से 70 प्रतिशत थी। नमूना जाँचित 10 जिलों में वर्ष 1996–2001 के दौरान मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए लक्ष्य (1.88 लाख) के विरूद्ध उपलब्धि (1.66 लाख) में 12 प्रतिशत (0.22 लाख) तक की कमी थी।

शय्या वाले अस्पताल में कैटॉप्स में भारी कमी

पुनः, मानकों के अनुसार, अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन (कैटॉप्स) प्रति शय्या प्रति वर्ष 50 कैटॉप्स की दर से होनी चाहिए थी। यह पाया गया कि नमूना जाँचित 5 जिलों (10 में से) के 6 अस्पतालों में वर्ष 1996–2001 के दौरान कैटॉप्स प्रति शय्या प्रति वर्ष में कमी 35 से 94 प्रतिशत के बीच थी। विस्तृत विवरण निम्नवत् था :

क्रम सं.	जिला का नाम	उपलब्ध शय्याएँ	किया जाना कैटॉप	किया गया कैटॉप	कमी (कोष्ठक में प्रतिशत)
1.	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल	54	13500	2259	11241 (83)
2.	पाटलीपुत्रा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, धनबाद	30	7500	469	7031 (94)
3.	सदर अस्पताल, नालंदा	6	1500	970	530 (35)
4.	चिकित्सा महाविद्यालय एवं सदर अस्पताल, राँची	89	22250	1473	20777 (93)
5.	सदर अस्पताल, सारण	6	1500	239	1261 (84)
	योग	**185**	**46250**	**5410**	**40840 (88)**

(iv) कार्यक्रम के मानक के अनुसार, प्रत्येक जिला के पास कैटॉप्स के लिए एक चलंत इकाई होनी चाहिए। तदनुसार, राज्य में 55 चलंत इकाईयाँ (बिहार : 37 ; झारखण्ड : 18) आवश्यक थी। यह पाया गया कि राज्य में सिर्फ 4 केन्द्रीय चलंत इकाईयाँ एवं 31 जिला चलंत इकाईयाँ स्थापित की गयी थी। नमूना जाँचित 8 जिलों (2 नमूना जाँचित जिलों में कोई भी चलंत इकाई नहीं : धनबाद, समस्तीपुर जिले) में वर्ष 1996–2001 के दौरान कैटॉप्स किए जाने की संख्या तथा वास्तविक रूप से किये गये कैटॉप्स निम्नवत् थे :

क्रम सं.	जिला	मानक के अनुरूप किया जाना कैटॉप्स (प्रति वर्ष 1500 कैटॉप्स)	किया गया कैटॉप्स	कमी (कोष्ठक में प्रतिशत)
		(संख्या में)		
1	खगड़िया	7500	892	6608 (88)
2	नालंदा	7500	1086	6414 (85)
3	वैशाली	7500	124	7376 (98)
4	भोजपुर	7500	776	6724 (90)

क्रम सं.	जिला	मानक के अनुरूप किया जाना कैटॉप्स (प्रति वर्ष 1500 कैटॉप्स)	किया गया कैटॉप्स	कमी (कोष्ठक में प्रतिशत)
		(संख्या में)		
5	दरभंगा	7500	3095	4405(59)
6	दुमका	7500	1215	6285 (84)
7	सारण	7500	1556	5944 (79)
8	राँची	7500	4171	3329 (44)
	योग	**60,000**	**12915**	**47085 (78)**

उपलब्ध चलंत इकाईयों का निम्न प्रदर्शन

अतः, नमूना जाँचित 8 जिलों में वर्ष 1996–2000 के दौरान लक्षित कैटॉप का सिर्फ 22 प्रतिशत (12915) कैटॉप किया गया था। नमूना जाँचित 3 जिलों (खगड़िया, नालन्दा एवं वैशाली) में वर्ष 1996–2001 के दौरान जिला चलंत इकाईयों द्वारा सिर्फ 2102 कैटॉप किया गया था, जबकि उसी अवधि के दौरान इन जिलों में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा 38045 कैटॉप किया गया था।

नेत्र शल्य चिकित्सक द्वारा नगण्य संपादन कार्य

पुनः प्रत्येक जिला चलंत इकाई में एक नेत्र शल्य चिकित्सक था जिसे भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार प्रति वर्ष 700 कैटॉप्स करना था। यह पाया गया कि नमूना जाँचित 7 जिलों (10 में से) में वर्ष 1996–2001 के दौरान जिला चलंत इकाईयों में नेत्र शल्य चिकित्सकों द्वारा 24500 कैटॉप्स के मानक के विरूद्ध सिर्फ 1746[11] कैटॉप्स (7 प्रतिशत) किया गया था। अतः, उस उवधि के दौरान प्रति शल्य चिकित्सक प्रतिवर्ष सिर्फ 50 कैटॉप्स किया गया था। वैशाली, भोजपुर एवं खगड़िया में संपादन नगण्य था। राज्य स्तर पर आयुक्त–सह–सचिव एवं राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिलाधिकारी, अ.शि.चि.सह मु.चि.पदा. एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा कार्यक्रम के अनुश्रवण में अभाव के कारण निम्न प्रदर्शन हुआ था।

अधिसंख्य निर्धन छात्रों को चश्मा नहीं दिया गया

(v) विद्यालय के अपवर्त्तक त्रुटियाँ वाले गरीब बच्चों को चश्मा देना था जिसकी लागत डी बी सी एस द्वारा वहन किया जाना था। नमूना जाँचित 10 जिलों में वर्ष 1996–2001 के दौरान विद्यालय के अपवर्त्तक त्रुटियाँ वाले अधिसंख्य बच्चों को चश्मा नहीं दिया गया था। विस्तृत विवरण निम्नवत् था :

वर्ष	जाँचे गए बच्चे	अपवर्त्तक त्रुटि पाए गए बच्चे	चश्मा दिए गए बच्चे (कोष्ठक में प्रतिशत)
	(संख्या में)		
1996-97	11794	438	116 (26)
1997-98	22494	408	165 (40)
1998-99	35583	1084	82 (8)
1999-00	60804	834	139 (17)
2000-01	26841	733	57 (8)
योग	**157516**	**3497**	**559 (16)**

अतः, वर्ष 1996–2001 के दौरान डी बी सी एस के द्वारा जरूरतमन्द बच्चों के सिर्फ 16 प्रतिशत को अपवर्त्तक चश्मा दिया गया था।

नेत्र शिविरों के लिए कोई लक्ष्य नहीं

(vi) प्रत्येक डी बी सी एस को एक वर्ष के दौरान नेत्र शिविर लगाने तथा जाँच/शल्य क्रिया के लिए रोगियों का लक्ष्य निर्धारित करना था। नमूना जाँचित 10 जिलों में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। हालाँकि यह पाया गया कि इन जिलों में कुल मिलाकर 827 शिविरों का आयोजन एवं 7 लाख रोगियों का शल्य क्रिया की गयी थी। किसी लक्ष्य के अभाव में, आयोजित शिविरों एवं जाँचे गए/शल्य क्रिया

[11] *भोजपुर : 153 ; दरभंगा : 619 ; दुमका : 243 ; खगड़िया : 178 ; नालंदा : 217 ; सारण : 311 ; वैशाली : 25*

किए गए रोगियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन नहीं किया गया था। पुनः डी बी सी एस को शल्य क्रिया के बाद की समस्या एवं जटिल/असफल मामले से सफल मामलों के अनुपात की जानकारी नहीं थी, जबकि यह आवश्यक था।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार शिविरों में कैटॉप्स, एक वर्ष में किए गए कुल कैटॉप्स के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यह पाया गया कि नमूना जाँचित 10 जिलों में 1.66 लाख कैटॉप्स किया गया था जबकि उसी अवधि के दौरान इन जिलों में शिविरों में 71 हजार कैटॉप्स किया गया था। अतः वर्ष 1996–2001 के दौरान शिविरों में किया गया कैटॉप्स कुल किए गए कैटॉप्स का 43 प्रतिशत था।

कोई भी आई ई सी गतिविधि नहीं

(vii) सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई ई सी) गतिविधियों में संभावित लाभार्थियों की पहचान एवं प्रोत्साहन, मीडिया द्वारा सूचना एवं स्वयंसेवी समूहों, शिक्षकों तथा अन्य व्यक्तियों को शिक्षित करना समाहित था। यह पाया गया कि राज्य में जून 2001 तक कोई भी ऐसी गतिविधि शुरू नहीं की गयी थी, जबकि भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम के इस संभाग के क्रियान्वयन के लिए 3 वर्षों (वर्ष 1997–98 : 8.00 लाख रुपये ; वर्ष 1998–99 : 5 लाख रुपये ; वर्ष 2000–01 : 8.00 लाख रुपये) के दौरान 21 लाख रुपये की निधियों का आवंटन किया गया था। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा आबंटित निधियों को विमुक्त नहीं किया गया था।

नेत्र बैंक स्थापित नहीं किए गए

(viii) नेत्र बैंक, जिसे पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना तथा क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान, इंदिरा गाँधी आर्युविज्ञान संस्थान, पटना (वर्ष 1996–98) में स्थापित करना था, निधि के अभाव के कारण जून 2001 तक स्थापित नहीं किया गया था। नमूना जाँचित जिलों में सरकारी या निजी क्षेत्र में कोई भी नेत्र बैंक नहीं था।

वाहनों का दुरूपयोग

(ix) कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1995 एवं वर्ष 1997 के बीच 4 डी बी सी एस (सारण, वैशाली, दुमका एवं नालंदा) को 4 वाहन प्रावधानित किया था। वाहन–पंजी की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ये वाहन जिला अंधापन नियंत्रण समिति के अध्यक्ष/जिलाधिकारी के नियंत्रण में थे। उन्होंने कानून व्यवस्था के लिए इन वाहनों का दुरूपयोग किया जो कि कार्यक्रम से किसी भी तरह संबद्ध नहीं था। डी बी सी एस, सारण को दिया गया वाहन जुलाई 1999 में अनियंत्रित भीड़ द्वारा जला दिया गया था जब इसका उपयोग कथित रूप से कानून व्यवस्था लागू करने में किया जा रहा था।

विटामिन–ए की कमी के मामलों की कोई सूचना नहीं

(x) राज्य या जिला स्तर पर विटामिन–ए की कमी, ग्लूकोमा, अपवर्तक त्रुटियाँ इत्यादि (कैटॉप्स के अलावा) के सन्दर्भ में राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (नेत्र) तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी थी।

अन्तःसंरचना के विकास में कोई गतिविधि नहीं

(xi) राज्य में कार्यक्रम के अंतर्गत अस्पतालों में अन्तःसंरचना के विकास के संदर्भ में जैसे नेत्र वार्ड, शल्य गृह, अंधेरा कमरा एवं शय्या इत्यादि के निर्माण की कोई गतिविधि नहीं की गयी थी। वर्ष 1998–99 से 2001 के दौरान वर्तमान इकाईयों (नेत्र वार्ड, शल्य गृह आदि) के जीर्णोद्धार एवं सुसज्जीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा आबंटित 29 लाख रुपये राज्य द्वारा जिलों को विमुक्त नहीं किए गए थे।

कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं

(xii) जिला या राज्य स्तर पर कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य पदाधिकारियों, नर्सों, शल्य गृह सहायकों इत्यादि के लिए कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। वर्ष 1999–2001 के दौरान भारत सरकार द्वारा आबंटित 19.50 लाख रुपये राज्य द्वारा उपयोग नहीं किए गए थे।

आवश्यक अभिलेख उपस्थापित नहीं किया गया

(xiii) राज्य/जिला स्तर पर राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (नेत्र)/जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा निम्नांकित अभिलेखों का संधारण किया जाना आवश्यक था लेकिन संधारित नहीं किया गया था।

- राज्य स्तर पर डी बी सी एस को प्रदत्त निधियाँ तथा उससे व्यय के अभिलेख ;
- राज्य स्तर पर डी बी सी एस के प्रदर्शन (मोतियाबिंद शल्य क्रिया छोड़कर) के अभिलेख;
- राज्य स्तर पर आई ई सी गतिविधियाँ, नेत्र बैंक, विद्यालय नेत्र जाँच इत्यादि के अभिलेख ;
- गरीबी रेखा के तहत् रहने वाले अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰/महिला/पुरूष को किए गए नेत्र शल्य क्रियाओं के अभिलेख ;
- इकाईयों की स्थापना, उत्थान, उन्नयन, सजावट के संदर्भ में लक्ष्य/उपलब्धि; नमूना जाँचित समितियों (डी बी सी एस) में अंधापन पंजी।

ऐसे पंजी के अभाव में विभिन्न कार्यक्रम गतिविधियों के लिए कोई सूचना न तो संग्रहित थी और न ही संधारित की गयी थी। परिणामस्वरूप ऐसी मंद गतिविधियों का कोई प्रभावी नियंत्रण तथा अनुश्रवण नहीं था।

3.2.5.5 मानव–शक्ति प्रबंधन

31 मार्च 2001 तक कार्यक्रम के अंतर्गत पदों के विभिन्न संवर्गो के स्वीकृत बल तथा पदस्थापित कार्यबल निम्नवत् थे :

कर्मियों की स्वीकृत बल				पदस्थापित कार्यबल			
(संख्या में)							
चिकित्सकीय	परा–चिकित्सकीय	अन्य	योग	चिकित्सकीय	परा–चिकित्सकीय	अन्य	योग
11	63	14	88	7	20	6	33

अतः, 31 मार्च 2001 तक एन पी सी बी के तहत् 63 प्रतिशत पद रिक्त थे।

3.2.5.6 निष्कर्ष

अपर्याप्त एवं अप्रभावकारी अनुश्रवण

आयुक्त–सह–सचिव के समग्र पर्यवेक्षण के तहत् राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (नेत्र) राज्य में अंधापन नियन्त्रण कार्यक्रम (एन पी सी बी) के प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी थे। अनुश्रवण के अभाव में कार्यक्रम बाधित हुआ क्योंकि कार्यक्रम के लिए उपलब्ध निधियों का 82 प्रतिशत खर्च नहीं हुआ था। राज्य में अंधापन के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। राज्य द्वारा केन्द्रीय निधियाँ विमुक्त नहीं किए जाने के कारण संभावित लाभार्थियों की पहचान एवं प्रोत्साहन हेतु सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई ई सी) की गतिविधियाँ परिचालित नहीं की गयी थी। कार्यक्रम के अंतर्गत नेत्र वार्ड, शल्य गृह, अंधकार कक्ष, शय्याओं इत्यादि के निर्माण जैसे आवश्यक अन्तःसंरचना के विकास के संदर्भ में राज्य में कोई गतिविधि परिचालित नहीं थी। भारत सरकार द्वारा इसके लिए प्रावधनित निधि राज्य द्वारा विमुक्त नहीं की गयी थी। कार्यक्रम का प्रभाव किसी पदाधिकारी या गैर सरकारी एजेंसी द्वारा अनुश्रवणित नहीं था।

3.2.6 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन ए सी पी)

3.2.6.1 प्रस्तावना

वर्ष 1987 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरूआत की गयी थी। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना (एन ए सी पी – I) सितम्बर 1992 में पाँच वर्षों के लिए शुरू की गयी थी। तदन्तर, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन ए सी पी – II) वर्ष 1999 में शुरू किया गया था। बिहार में कार्यक्रम 1992 में शुरू किया गया था, एन ए सी पी – I का लक्ष्य (i) ह्यूमन इम्मियोनो डिफिसियन्सी वायरस (एच आई वी) का फैलाव कम करना (ii) एच आई वी संक्रमण से संबंधित रूग्णता एवं नश्वरता कम करना तथा (iii) एच आई वी संक्रमण के परिणामस्वरूप समाजिक–आर्थिक प्रभाव को कम करना था। एन ए सी पी – II का दो मुख्य उद्देश्य (i) देश में एच आई वी संक्रमण के फैलाव को कम करना तथा (ii) दीर्घ कालीन आधार पर एच आई वी / एड्स से मुकाबला करने के लिए देश की क्षमता को बढ़ाना था।

आयुक्त–सह–सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राज्य में कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया था। उन्हें अतिरिक्त निदेशक, एड्स नियंत्रण कोषांग (जून 1998 तक) तथा परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा सहायता प्राप्त था। जिलों में कार्यक्रम का क्रियान्वयन चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों/अधीक्षकों द्वारा किया गया था। जिला स्तरों पर कार्यक्रम के प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए कोई भी समिति का गठन नहीं किया गया था।

3.2.6.2 निधियों का प्रावधान एवं व्यय

वर्ष 1996–2001 के दौरान भारत सरकार द्वारा निधियों का आवंटन, राज्य को विमुक्त निधियाँ एवं व्यय निम्नवत् थे :

वर्ष	राज्य द्वारा बजट प्रावधान	प्रारंभिक शेष	भारत सरकार द्वारा निधि का आवंटन	भारत सरकार द्वारा विमुक्त निधि	कुल प्राप्य निधि (कॉलम 3 + 5)	व्यय	बचत	बचतों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(लाख रुपये में)							
1996-97	240.00	165.17	261.83	25.00	190.17	26.91	163.26	86
1997-98	499.26	163.26	181.58	50.00	213.26	---	213.26	100
1998-99	735.43	213.26	373.77	110.00	323.26	100.41	222.85	69
1999-00	---	222.85	288.96	56.57	279.42	92.46	186.96	67
2000-01	---	186.96	280.50	96.00	282.96	103.52	179.44	64
योग	**1474.69**		**1386.64**	**337.57**	---	**323.30**	**179.44**	

(स्रोत : बजट, विनियोग लेखा तथा विभाग द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

संवीक्षा से प्रकट हुआ :

कार्यक्रम पर कम खर्च

(i) प्रत्येक वर्ष राज्य द्वारा प्राप्त निधियों के कम खर्च करने के कारण वर्ष 1996–2001 के दौरान भारत सरकार द्वारा आबंटित निधियों का सिर्फ 24 प्रतिशत (3.38 करोड़ रुपये) ही राज्य को विमुक्त किया गया था। राज्य द्वारा उपलब्ध निधियों का 36 प्रतिशत (1.79 करोड़ रुपये) खर्च नहीं किया गया था।

एक से 7 वर्षों तक निधि बाधित रही

(ii) वर्ष 1992 से जून 1998 तक राज्य एड्स नियंत्रण कोषांग के माध्यम से एन ए सी पी का क्रियान्वयन किया जाना था तथा कोषांग में 2.16 करोड़ रुपये की भारत सरकार की अव्यवहृत निधियाँ 1 से 7 वर्षों के उपरांत मार्च 1999 में राज्य द्वारा राज्य एड्स नियंत्रण समिति को विमुक्त की गयी थी।

व्यय का प्रमाण उपलब्ध नहीं था

(iii) सहायक निधि (प्रशासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) ने पटना सचिवालय कोषागार (अगस्त 1995) से 17.00 लाख रुपये आहरित किया तथा उसे बैंक (भारतीय स्टेट बैंक, पटना सचिवालय शाखा के खाता सं॰–10838) में निदेशक–प्रमुख, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नाम से रखा। हालाँकि बैंक में राशि जमा करते हुए सहायक निदेशक ने रोकड़ पंजी में इसे खर्च के रूप में दर्ज किया था। वित्त नियंत्रक, राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने 17.00 लाख रुपये की राशि के विरूद्ध व्यय का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया था। उन्होंने कहा (अगस्त 2001) कि एड्स नियंत्रण कोषांग अवधि से संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं था तथा तत्कालीन रोकड़पाल को निलंबित कर दिया गया था। सरकार द्वारा मामले की जाँच अपेक्षित थी।

अवसूलित/ असमायोजित अग्रिमें

(iv) वर्ष 1993–96 के दौरान विभिन्न उद्देश्यों (प्रशिक्षण, कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन) के लिए पाँच कर्मियों, सदर अस्पतालों के 8 अधीक्षकों, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के 7 अधीक्षकों, 5 असैनिक शल्य चिकित्सक एवं निदेशक, ए टी आई, राँची को अतिरिक्त निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण कोषांग द्वारा 23.71 लाख रुपये की दी गयी अग्रिमें जून 2001 तक अतिरिक्त निदेशक/ परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा समायोजित/वसूलित नहीं की गयी थी।

व्यय से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया

(v) एड्स नियंत्रण कोषांग द्वारा वर्ष 1996 से जून 1998 के दौरान 26.91 लाख रुपये के व्यय का लेखा परीक्षा नहीं किया जा सका था क्योंकि संबंधित रोकड़ बही, विपत्र, अभिश्रवों की प्रतिलिपियाँ एवं अन्य अभिलेख लेखा–परीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गयी थीं।

केन्द्रीय सहायता का लाभ प्राप्त न होना

(vi) अतिरिक्त निदेशक, एड्स नियंत्रण कोषांग तथा परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा वर्ष 1996–2001 के दौरान कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर 3.23 करोड़ रुपये के व्यय के लिए जून 2001 तक विश्व बैंक सहायता (आई डी ए) के अंतर्गत भारत सरकार के पास प्रतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसका कारण प्राप्य नहीं था।

3.2.6.3 नमूना जाँचित जिलों में निधियों का प्रावधान एवं व्यय

कार्यकारी अभिकरणों द्वारा निधियों का अल्प उपयोग

जुलाई 1998 से मार्च 2001 के दौरान प्राप्त किए गए 1.40 करोड़ रुपये में से, 7 नमूना जाँचित जिलों में 21 कार्यकारी अभिकरणों[12] द्वारा 86.42 लाख रुपये खर्च किए गए, अप्रैल 1999 एवं मार्च 2001 के बीच राज्य एड्स नियंत्रण समिति को 23.67 लाख रुपये वापस किए गए तथा जून 2001 तक बैंको के चालू खाते में 29.78 लाख रुपये रखे गए थे। खर्च की गयी राशि में से, 6 कार्यकारी अभिकरणों[13] द्वारा जून 2001 तक भारत सरकार को भेजे जाने के लिए राज्य एड्स नियंत्रण समिति को 37.70 लाख रुपये के व्यय के लिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था।

12 *प्राचार्य, जे एल मेडिकल कॉलेज, भागलपुर ; जे एल एम सी एच, भागलपुर, डी एम सी, डी एम सी एच, सी एस सह सी एम ओ, दरभंगा पी एम सी, पी एम सी एच, सी एस सह सी एम ओ, धनबाद, एम जी एम सी एच, सी एस सह सी एम ओ, ब्लड बैंक, जमशेदपुर, एस के एम सी, एस के एम सी एच, सी एस सह सी एम ओ, मुजफ्फरपु, पी एम सी एच, आई जी आई एम एस, पटना, आर एम सी, आर एम सी एच, सी एस सह सी एम ओ, सी सी एल हॉस्पीटल, एच ई सी हॉस्पीटल, राँची*

13 *अधीक्षक, डी एम सी एच, दरभंगा ; प्राचार्य, आर एम सी, राँची ; अधीक्षक, पी एम सी एच, पटना ; अधीक्षक, पी एम सी एच, धनबाद ; आई जी आई एम एस, पटना*

3.2.6.4 भौतिक प्रगति

कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य क्षेत्रों के क्रियान्वयन का प्रदर्शन काफी खराब था तथा जून 2001 तक राज्य में कार्यक्रम की शुरूआत नहीं हुयी थी जैसा कि नीचे प्रदर्शित है :

कार्यक्रम की शुरूआत नहीं

क्रम सं.	अवयव	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी	प्रतिशत
		(संख्या में)			
1	उच्च जोखिम समूह की लक्ष्य मध्यस्थता				
	(क) स्वयंसेवी संस्थान के माध्यम से उच्च जोखिम समूह के बीच एड्स/एच आई वी पीड़ित व्यक्तियों की पहचान	113500 व्यक्तियों	शून्य	113500 व्यक्तियों	100
	(i) नये क्लिनीक खोलना	8	शून्य	8	100
	(ii) पुर्नरूद्धार	17	शून्य	17	100
	(iii) उन्नयन	3	शून्य	3	100
2	सामान्य समुदाय के लिए रोकथाम मध्यस्थता				
	(क) आई ई सी जागरूकता – एफ एच ए सी				
	(i) सम्पर्क किए जाने वाले व्यक्ति	5569836	1520125	4049711	73
	(ii) शामिल किए जाने वाले जिला	14	13	1	-
	(ख) रक्त सुरक्षा				
	(i) जिला अस्पताल में लाइसेंस प्राप्त रक्त अधिकोष की स्थापना	5	2	3	60
	(ii) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में रक्त अधिकोष का उन्नयन	9	शून्य	9	100
3.	निम्न लागत एड्स सावधानी				
	(क) एम सी एच में रोगियों के लिए दवाएँ	9	शून्य	9	100
4	सांस्थिक मजबूतीकरण				-
	(क) निगरानी/प्रहरी निगरानी				
	(i) एच आई वी जाँच के लिए रक्त का संग्रहण	7600	6054	1546	20
	(ii) प्रहरी स्थलों का निर्माण	4	4		
	(b) प्रशिक्षण	9980	6437	3543	36

विडियो फिल्म पर अलाभकारी व्यय

फरवरी 1998 एवं फरवरी 1999 के बीच 12.65 लाख रुपये की लागत पर बीटा कैम्प फॉर्म में निर्मित एड्स नियंत्रण पर 4 विडियो फिल्म एवं 3 क्षेत्रीय भाषाओं (भोजपुरी, मैथिली एवं नागपुरी) में हिन्दी फिल्म का रूपान्तरण तथा उनके बीटा मास्टरिंग में से, सिर्फ एक फिल्म एक बार दूरदर्शन पर दिसम्बर 1998 में प्रसारित किया गया था तथा शेष फिल्में जून 2001 तक सिनेमा हॉल/दूरदर्शन में प्रसारण के लिए राज्य एड्स कोषांग/राज्य एड्स समिति द्वारा विमुक्त नहीं की गयी थी जिसके परिणास्वरूप 12.65 लाख रुपये का अलाभकारी व्यय हुआ।

एच आई वी/एड्स की व्यापकता दर में वृद्धि

पुनः, बिहार में एच आई वी पोजिटिव मामलों की व्यापकता दर को कम करने में कार्यक्रम विफल रहा। इसके विपरीत, एच आई वी मामले जो वर्ष 1996–97 के दौरान जाँचे गए 34059 मामलों में से 0.04 प्रतिशत (16) थे, बढ़कर वर्ष 2000–01 के दौरान जाँचे गए 59011 व्यक्तियों में 0.11 प्रतिशत (68) हो गये। कटिहार सबसे ज्यादा प्रभावित जिला था जहाँ एच आई वी पोजिटिव मामले वर्ष 2000–01 के दौरान जाँचे गए 119 व्यक्तियों में 7.56 प्रतिशत (9) थे। पुनः, एड्स मामले वर्ष 1996–97 के 12 से बढ़कर वर्ष 2000–01 में 32 हो गये थे।

निष्क्रिय उपकरण

नमूना जाँचित 4 चिकित्सा महाविद्यालयों एवं एक अनुसंधान संस्थान के रक्त अधिकोष में वर्ष 1993 एवं सितम्बर 2000 के दौरान एन ए सी ओ द्वारा आपूरित 143 उपकरण

(मूल्य अप्राप्य) उनके प्राप्ति के तिथि से ही निष्क्रिय/लापता/अव्यवहृत/अवितरित/मरम्मति के बगैर पड़े थे।

3.2.6.5 मानव–शक्ति प्रबंधन

अधिसंख्य रिक्त पद

31 मार्च 2001 तक कार्यक्रम के अंतर्गत पदों के विभिन्न संवर्गों के स्वीकृत बल एवं पदस्थापित कार्य बल निम्नवत् थे :

कर्मियों की स्वीकृत बल				पदस्थापित कार्य बल			
चिकित्सकीय	परा – चिकित्सकीय	अन्य	योग	चिकित्सकीय	परा – चिकित्सकीय	अन्य	योग
(संख्या में)							
13	82	25	120	2	--	17	19

अतः एन ए सी पी के अंतर्गत 84 प्रतिशत पद 31 मार्च 2001 तक रिक्त थे।

3.2.6.6 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अपर्याप्त एवं अप्रभावकारी अनुश्रवण

आयुक्त–सह–सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण विभाग के समग्र पर्यवेक्षण के तहत् अतिरिक्त निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण कोषांग/परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन ए सी पी) के अनुश्रवण के लिए जिम्मेवार थे, कार्यक्रम के क्रियान्वयन के प्रभावकारी अनुश्रवण में विफल रहे। राज्य एड्स नियंत्रण समिति (आयुक्त–सह–सचिव द्वारा शीर्षस्थ) के शासी परिषद ने जिसे एन ए सी पी के प्रभावकारी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1998–2001 के दौरान ग्यारह बैठकें करनी थी, ने उस अवधि के दौरान सिर्फ तीन बैठकें की। राज्य स्तर के पदाधिकारियों ने राज्य में कार्यक्रम के क्रियान्वयन की देखरेख एवं मूल्यांकन नहीं किया।

कार्यक्रम के प्रभावकारी विश्लेषण का अभाव था

एन ए सी पी का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन ए सी ओ) ने ओ आर जी सेंटर फॉर सोसल रिसर्च, नई दिल्ली का चयन (मई 2000) किया लेकिन जून 2001 तक राज्य एड्स नियंत्रण के कार्यकलाप पर ओ आर जी केन्द्र का प्रभावकारी विश्लेषण उपलब्ध नहीं था।

मामले सरकार को संदर्भित किए गए (अक्टूबर 2001) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 2002)।

3.3 अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

मुख्याकर्षण

केन्द्र प्रायोजित अनौपचारिक शिक्षा (एन.एफ.ई.) कार्यक्रम, राज्य में 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के उन बच्चों को आरंभिक शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रवर्तित की गयी थी जो सामाजिक आर्थिक कारणों से औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके थे। राज्य में योजना का क्रियान्वयन अप्रभावी था क्योंकि निधि की वृहत् राशि अव्ययित थी तथा मुक्त राशियों का भी राजस्व प्राप्तियों के संवर्धन तथा बैंको को प्रश्रय देने में दुरूपयोग किया गया। योजना का पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण पूरी तरह उपेक्षित था। उपलब्धियाँ अति प्रतिवेदित थीं। पुस्तको की आपूर्ति यथासमय नहीं की गयी थी तथा कोर्स की अवधि विस्तारित की गयी थी। इस प्रकार योजना प्रशिक्षुओं/बच्चों के लक्षित वर्ग के शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति में विफल रही। निधि की वृहत राशि का गबन किया गया क्योंकि निदेशक आंतरिक नियंत्रण को लागू करने मे विफल रहे थे।

227.76 करोड़ रुपये में से 153.90 करोड़ रुपये व्ययित थे। 73.86 करोड़ रुपये (32 प्रतिशत) की बचत के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।

(कंडिका 3.3.4)

वर्ष 1993–94 के दौरान निदेशक, जन शिक्षा, निदेशक, वयस्क शिक्षा तथा 44 जिला जन शिक्षा पदाधिकारियों ने कोषागारों से 132.68 करोड़ रुपये की निकासी की तथा राशियों को मुख्यतः असैनिक जमा और बैंकों में रखा तथा वृहत बचतें भी सरकारी प्राप्तियों के रूप में जमा की गई। इस प्रकार 41.99 करोड़ रुपये का उपयोग राज्य संसाधन के संवर्धन व बैंको को प्रश्रय देने हेतु किया गया। निदेशक, जन शिक्षा, पटना लेखा अभिलेखों के उचित संधारण को सुनिश्चित करने में विफल रहे जिसने कम से कम 11.90 करोड़ रुपये की राशि के गबन को सुगम किया। अन्य गबनों की जाँच हेतु वित्त विभाग द्वारा विशेष लेखा–परीक्षा ढाई वर्षों में भी पूरी नहीं की जा सकी थी।

(कंडिका 3.3.4.1 (क), ख एवं (घ))

भारत सरकार से 16.44 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने के लिए 24 हजार अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र अतिप्रतिवेदित थे। वर्ष 1995–2000 के दौरान 62.50 लाख विद्यार्थियों के लक्षित नामांकन के विरूद्ध केन्द्रों में केवल 45.16 लाख (72 प्रतिशत) नामांकन ही किए गए थे। वर्ष 1998–99 के दौरान कुल उपलब्धि 40 प्रतिशत के निम्न स्तर पर रही।

(कंडिका 3.3.6)

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में कार्यरत 6089 अनुदेशकों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। दो वर्षों के प्राथमिक स्तर पाठ्यक्रम (वर्ग v तक) को तीन से चार वर्षों में पूरा किया गया जिसके परिणामस्वरूप 75.71 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(कंडिका 3.3.6 (ख)(ग))

जिलों/प्रशिक्षुओं को विलंब से तथा अपर्याप्त संख्या में पुस्तकें आपूरित की गयीं। मई 1996 तथा जनवरी 1997 में प्रशिक्षुओं को आवश्यक पुस्तकें क्रमशः वर्ष 1997–98 तथा वर्ष 1999–2000 में वितरित की गयीं। परिणामस्वरूप पाठ्यक्रम की अवधि 2 से 5 वर्षों

तक विस्तारित कर दी गई। हजारीबाग जिले में विद्यार्थियों को पुस्तकों की कुल आवश्यकता का 23 प्रतिशत ही आपूरित किया गया, जबकि मधुबनी, वैशाली, सारण, देवघर तथा पूर्णिया जिले में एन.जी.ओ. ने प्रशिक्षुओं को विहित पुस्तकों की कोई आपूर्ति नहीं की।

(कंडिका 3.3.6 (घ) तथा 3.3.6.2 (ग))

राज्य सरकार ने भारत सरकार को लगभग 60 हजार विशेष अनौ.शि. केन्द्रों, जो छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए थे, को सिर्फ छात्राओं हेतु निमित्त कहकर गलत प्रतिवेदित किया। इसने भारत सरकार से 14.61 करोड़ रुपये की अधिक निधि को प्राप्त करने में मदद किया।

(कंडिका 3.3.6 (च))

एन जी ओ अपने द्वारा परिचालित अनौ.शि. केन्द्रों में लगभग 15 हजार प्रशिक्षुओं का नामांकन करने में विफल रहे तथा दो वर्षों का पाठ्यक्रम पाँच वर्षों तक विस्तारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप पाँच एन जी ओ द्वारा अनौ.शि.के. के परिचालन में 52.79 लाख रुपये का अधिक व्यय किया गया।

(कंडिका 3.3.6.2(ख))

योजना का अनुश्रवण, निरीक्षण तथा मूल्यांकन पूर्णतः उपेक्षित था।

(कंडिका 3.3.8)

3.3.1 प्रस्तावना

अनौपचारिक शिक्षा (एन एफ ई) – एक केन्द्र प्रायोजित योजना – राज्य में 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के उन बच्चों को आंरभिक शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रवर्तित (1984–85) की गयी थी जो सामाजिक–आर्थिक कारणों से औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके थे। योजना का लक्ष्य (i) अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम का विकास करना (ii) राज्य सरकार तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना (iii) स्थानीय चिह्नित युवा व्यक्तियों को अनौ.शि. केन्द्रों के आयोजकों के रूप में प्रशिक्षण देना (iv) महिला आयोजकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना (v) संबंधित पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण सामग्रियों, अनुदेशिक उपायों, मूल्यांकन विधियों आदि को विकसित करना था। योजना में इसके प्रभावी कार्यान्वयन की सुनिश्चितता के लिए निम्नलिखित नीतियाँ परिकल्पित थी :

(क) प्राथमिक स्तर के लिए लगभग दो वर्षों का तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए तीन वर्षों की अवधि का संक्षिप्त पाठ्यक्रम।

(ख) प्रशिक्षुओं को छोटे समूहों में उनके समय/स्थान की सुविधानुसार स्थानीय नियोजित एवं प्रशिक्षित अंशकालिक अनुदेशकों द्वारा शिक्षा प्रदान करवाना।

(ग) औपचारिक शिक्षा के समतुल्य तथा प्रशिक्षुओं के वातावरण एवं आवश्यकताओं से संबंधित पाठ्यक्रम एवं शिक्षण–प्रशिक्षण सामग्रियों का उपयोग

(घ) अनौ.शि.विद्यार्थियों की परीक्षा एवं प्रमाणन जिससे कि वे औपचारिक शिक्षा में प्रवेश पा सकें।

(च) अनौ. शि. योजना 31 मार्च 2001 को समाप्त होनी थी।

3.3.2 सांगठनिक ढाँचा

निम्नलिखित कर्मियों/अभिकरणों ने राज्य में विभिन्न स्तरों पर योजना कार्यान्वित की :

स्तर	कर्मी	कार्य / उत्तरदायित्व
राज्य	(i) सचिव, माध्यमिक, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा	विभाग द्वारा कार्यान्वित योजना का पूर्णरूपेण प्रशासनिक नियंत्रण।
	(ii) निदेशक, जन शिक्षा	कार्यक्रम का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण।
	(iii) संयुक्त सचिव	कार्यक्रम का कार्यान्वयन।
जिला	(i) सहायक निदेशक	अनौ. शि. कार्यक्रम को तकनीकी तथा शैक्षिक सहायता।
परियोजना	(i) परियोजना पदाधिकारी	कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों को परिचालन नीति एवं अभिगम में प्रशिक्षण का आयोजन एवं अनुकूलन।
गाँव	टोला समिति	केन्द्रों के लिए स्थान का चुनाव, उपयुक्त अनुदेशकों की पहचान, अभिभावकों को केन्द्रों में अपने बच्चों को भेजने हेतु अनुनय तथा केन्द्रों के सुचारू परिचालन की सुनिश्चितता।

राज्य सरकार ने विहित पाठ्यक्रम, अनुदेश विधि तथा मूल्यांकन पद्धति के आधार पर शिक्षण एवं पाठन सामग्रियों को विकसित करने हेतु वरिष्ठ सलाहकार द्वारा शीर्षित एक अनौपचारिक शिक्षा संसाधन केन्द्र की स्थापना भी की थी। इसके अलावा, गैर–सरकारी संगठनों (एन जी ओ) ने भी स्वीकृत परियोजना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त राशियों से योजना का कार्यान्वयन किया।

3.3.3 *लेखा–परीक्षा विस्तार*

वर्ष 1995–2000 के दौरान अनौ.शि. योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा निदेशक, वयस्क शिक्षा, 6 जिलों[1] के जिला जन शिक्षा पदाधिकारियों एवं सहायक निदेशकों, 71 परियोजना पदाधिकारियों, 4375 अनौ.शि.केन्द्रों एवं 27 गैर सरकारी संगठनों[2] के अभिलेखों की नमूना–जाँच द्वारा जनवरी से जून 2001 के मध्य की गयी।

3.3.4 *निधिकरण प्रणाली एवं वित्तीय लागत*

केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने योजना का निधिकरण सह–शिक्षा केन्द्रों तथा प्रशासनिक तंत्र के लिए 60 : 40 के अनुपात में तथा केवल बालिकाओं हेतु केन्द्रों के लिए 90 : 10 के अनुपात में किया था। केन्द्र सरकार ने गैर–सरकारी संगठनों को अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के परिचालन हेतु जिसमें उनका प्रशासनिक लागत भी शामिल था, पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान किया था।

वर्ष 1995–2000 के दौरान व्यय के सापेक्ष बजटीय प्रावधान, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा विमुक्त निधि (गै.स.सं. को विमुक्त निधि को छोड़कर) निम्नवत् थी :

1 *सारन, वैशाली, मधुबनी, पूर्णिया, देवघर, हजारीबाग*

2 *(i) सारन जिला समग्र विकास सेवा संस्थान, सारन (ii) गाँधी सेवा आश्रम, सारन (iii) घोघरडीहा प्रखंड स्वराज्य विकास संघ, जगतपुर, मधुबनी (iv) प्रखंड लोक विकास समिति, मधुबनी (v) कमलेश्वरी अंत्योदय आश्रम (vi) सामाजिक विकास संस्थान (vii) महावीर मेमोरियल ट्रस्ट (viii) सतलोक सेवा आश्रम (ix) समाधान (x) नवभारत जागृति केन्द्र, हजारीबाग (xi) छोटानागपुर विकास केन्द्र (xii) जन जागरण केन्द्र (xiii) लोकदीप, मधुपुर, देवघर (xiv) पीडित लोकशाला (xv) लोक जागृति केन्द्र (xvi) एस.पी.ग्रामोद्योग समिति (xvii) एस.पी.अन्त्योदय आश्रम (xviii) कोशी अंचल समग्र विकास एवं कल्याण परिषद्, पूर्णिया (xix) समता ग्राम विकास समिति, वैशाली (xx) वैशाली समाज कल्याण संस्थान (xxi) महुआ महिला विकास संस्थान (xxii) भारतीय जन मंच (xxiii) निर्माण भारती (xxiv) श्रीमती मनोरमा महिला मंडल (xxv) ग्राम स्वराज अभियान संस्थान (xxvi) महिला शिल्प कटाई बुनाई प्रशिक्षण एवं लघु उद्योग केन्द्र (xxvii) अल्पसंख्यक कल्याण संस्थान*

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत	प्रतिशत
	(लाख रुपये में)			
1995-96	6468.68	3959.96	2508.72	39
1996-97	5443.61	4509.38	934.23	17
1997-98	3366.66	745.73	2620.93	78
1998-99	4285.12	3078.46	1206.66	28
1999-2000	3211.98	3096.57	115.41	5
योग	**22776.05**	**15390.10**	**7385.95**	**32**

(स्रोत : बिहार सरकार का विनियोग लेखा)

वर्ष	बजट प्रावधान		कुल	भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि	निकासी की गई राशि	बिहार सरकार के अंश से निकासी की गई राशि	कुल निकासी की गई राशि	व्यय	आधिक्य (+) बचत (–)	बचत की प्रति–शतता
	भारत सरकार का अंश	बिहार सरकार का अंश								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (4–9)	11
	(लाख रुपये में)									
1995-96	2541.67	1876.00	4417.67	2978.31	2971.78	1271.19	4242.97	4242.97	(-)174.70	3.95
1996-97	3862.73	1600.00	5462.73	2590.46	3534.24	1091.22	4625.46	4625.46	(-)837.27	15.32
1997-98	2981.24	1420.00	4401.24	3534.24	578.12	328.13	906.25	820.32	(-)3580.92	81.36
1998-99	3027.49	1420.00	4447.49	1249.27	2369.69	1133.75	3503.44	3478.66	(-)968.83	21.78
1999-2000	2100.05	1111.93	3211.98	1513.82	1895.69	1020.90	2916.59	2916.60	(-)295.38	9.19
योग	**14513.18**	**7427.93**	**21941.11**	**11866.10**	**11349.52**	**4845.19**	**16194.71**	**16084.01**	**(-)5857.10**	**27**

(स्रोत : निदेशालय, जन शिक्षा)

वर्ष 1995–2000 के दौरान 73.86 करोड़ रुपये की बचत के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई कारण नहीं प्रस्तुत किया गया था।

संवीक्षा ने निम्नलिखित प्रकटित किया :

निदेशक द्वारा व्यय के आँकड़ों का मिलान नहीं किया गया

(क) चूँकि नियंत्री पदाधिकारी (निदेशक, जन शिक्षा) ने प्रधान महालेखाकार द्वारा संकलित लेखे से विभागीय लेखे का मिलान नहीं किया था अतः विभाग के व्यय के आँकड़े (4 वर्षों के लिए 160.84 करोड़ रुपये) महालेखाकार कार्यालय में दर्ज़ किए गए आँकड़ों (153.90 करोड़ रुपये) से मेल नहीं खाते थे। इन आँकड़ों के मिलान नहीं किये जाने से दुर्विनियोजन तथा जालसाजी के असंसूचित रह जाने का गंभीर खतरा था। निदेशक, जन शिक्षा व्यय के ऊपर नियंत्रण रखने की दृष्टि से नि. एवं व्य. पदाधिकारियों से नियमित रूप से व्यय की मासिक विवरणियाँ भी प्राप्त नहीं करते थे।

निधियों की आंशिक विमुक्ति

(ख) वर्ष 1995–2000 के दौरान भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गयी 5.17 करोड़ रुपये की राशि राज्य द्वारा निकासी नहीं की गयी थी तथा वह सरकार के रोकड़ शेष का ही एक अंग बनी रही। बजट के राज्यांश का 25.83 करोड़ रुपया राज्य सरकार द्वारा विमुक्त नहीं किया गया था। केन्द्रीय निधि की निकासी में विफलता तथा राज्यांश की अविमुक्ति ने योजना के कार्यान्वयन को बाधित किया।

3.3.4.1 जिलों में व्यय

निदेशालय तथा नमूना जाँचित 6 जिलों में निधियों का आबंटन एवं व्यय निम्नानुसार था:

वर्ष	आबंटन		कुल	व्यय		कुल	आधिक्य (+) बचत (–)		कुल
	निदे– शालय	नमूना जाँचित 6 जिले		निदे– शालय	नमूना जाँचित 6 जिले		निदे– शालय	नमूना जाँचित 6 जिले	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(लाख रुपये में)								
1995-96	3594.50	201.08	3795.58	3595.78	195.92	3791.70	(+)1.28	(-)5.16	(-) 3.88
1996-97	3896.99	267.13	4164.12	3844.88	264.85	4109.73	(-)52.11	(-)2.28	(-) 54.39
1997-98	6.23	406.35	412.58	4.96	379.06	384.02	(-)1.27	(-)27.29	(-) 28.56
1998-99	619.77	364.65	984.42	617.96	361.30	979.26	(-)1.81	(-)3.35	(-) 5.16
1999-2000	8.08	369.55	377.63	7.93	368.48	376.11	(-)0.45	(-)1.07	(-) 1.52
योग	**8125.57**	**1608.76**	**9734.33**	**8071.51**	**1569.61**	**9640.82**	**(-)54.36**	**(-)39.15**	**(-) 93.51**

संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकटित हुआ :

निधियाँ निकासी कर असैनिक जमा तथा व्यापारिक बैंकों में रखी गयी

(क) यद्यपि बिहार कोषागार संहिता के अनुसार कोषागार से धन निकासी कर असैनिक जमा में रखा जाना वर्जित हैं, निदेशक–जन शिक्षा, पटना ने वर्ष 1995–96 के दौरान 35.93 करोड़ रुपये की निकासी की और उसे असैनिक जमा में रखा। यह राशि असैनिक जमा में 5 से 12 माह तक पड़ी रही।

निकासी की गई निधियाँ बैंकों में रखी गयी

(ख) पुनः वर्ष 1996–97 के दौरान निदेशक, जन शिक्षा ने 38.42 करोड़ रुपये की निकासी की और दो बैंक खातों में 1 से 7 महीनों तक के लिए जमा किया। इसी प्रकार, वर्ष 1996–97 से पहले निदेशक, वयस्क शिक्षा तथा 44 जिला जन शिक्षा पदाधिकारियों ने 58.33 करोड़ रुपये (निदेशक : 40.40 करोड़ रुपये वर्ष 1993–96 के दौरान तथा जिला जन शिक्षा पदाधिकारी : 17.93 करोड़ रुपये) की निकासी की और उसे बैंकों में रखा। बैंक खातों में वृहत निधियों के रखे जाने से कदाचार की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था। तदोपरांत इसी राशि को (58.33 करोड़ रुपये) वर्ष 1996–97 (0.08 करोड़ रुपये), 1997–98 (37.07 करोड़ रुपये), 1998–99 (16.84 करोड़ रुपये) तथा वर्ष 1999–2000 (4.34 करोड़ रुपये) के दौरान सरकारी खातों में राजस्व प्राप्तियों के रूप में जमा किया गया। जमा की गयी राशि में 41.99 करोड़ रुपये की भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निधियाँ भी शामिल थीं जिसने राज्य संसाधन को बढ़ाया जबकि कार्यक्रम हेतु निधियों का अभाव बना रहा।

रोकड़ के अत्यधिक अंतशेष से दुर्विनियोजन/ दुरूपयोग की संभावना

(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (नि. एवं व्य. पदा.) को न्यूनतम रोकड़ शेष हाथ में रखना चाहिए जिससे सरकारी धन के दुरूपयोग/दुर्विनियोजन के खतरे से बचा जा सके। इसके विपरीत, वर्ष 1995–2000 के दौरान निदेशालय तथा नमूना–जाँचित 6 जिलों के नि. एवं व्य. पदाधिकारियों ने प्रत्येक वर्ष के अंत में वृहत अंतशेष रखा जैसा नीचे विवरणित है :

क्रम सं.	निदेशक/जिला जन शिक्षा पदाधिकारी	31 मार्च 1996	31 मार्च 1997	31 मार्च 1998	31 मार्च 1999	31 मार्च 2000
		(लाख रुपये में)				
1.	जन शिक्षा निदेशालय	0.54	6152.02	0.25	613.13	155.31
2.	हजारीबाग	66.12	108.06	101.85	152.34	99.94
3.	छपरा	6.65	32.95	18.52	9.55	15.71
4.	वैशाली	6.21	36.36	75.04	103.29	46.66
5.	पूर्णिया	30.82	85.91	157.15	142.91	91.05
6.	देवघर	19.27	43.10	57.95	71.70	32.90
7.	मधुबनी	8.55	15.07	27.04	25.28	16.76
	कुल	**138.16**	**6473.47**	**437.80**	**1118.20**	**458.33**

* *इलाहाबाद बैंक, पाटलिपुत्र (24.29 करोड़ रुपये) ; युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, लंगरटोली (14.13 करोड़ रुपये)*

31 मार्च 2000 को 4.58 करोड़ रुपये के अंतशेष का विवरण निम्नवत् था :

विवरण	निदेशालय के पास	6 जिला जन शिक्षा पदाधिकारियों के पास	कुल	टिप्पणी
	(लाख रुपये में)			
अग्रिम	--	53.94	53.94	पंजी, जिसमें अग्रिम प्रदत्त व्यक्तियों के नाम, कारण तथा तिथि अंकित रहती हैं, लेखा परीक्षा को उपस्थापित नहीं की गयी। इसप्रकार प्रदत्त अग्रिमों की सत्यता संदेहास्पद थी।
असमायोजित अभिश्रव	--	20.18	20.18	निधि के आबंटन के बिना भुगतान विपथन दर्शाता था।
बैंकों में रोकड़	155.25	207.59	362.84	सरकारी धन से बैंक फला फूला जबकि योजना को क्षति पहुँची।
हस्त रोकड़	0.06	21.31	21.37	
कुल	**155.31**	**303.02**	**458.33**	

नियमों के वृहत पैमाने पर उल्लंधन से बड़ी मात्रा में सरकारी निधि का गबन

(घ) लेखा–परीक्षा (फरवरी 1996) में यह पाया गया कि 30 अप्रैल 1995 को निदेशक, जन शिक्षा (वयस्क शिक्षा : 6.28 करोड़ रुपये तथा अनौ.शि. : 22.80 करोड़ रुपये) के रोकड़ बही में 29.08 करोड़ रुपये का अंतशेष था। हालाँकि तीन बैंक खातों में उपलब्ध मात्र 17.18 करोड़ रुपये ही 8 जून 1995 को खोले गए नए रोकड़ बही में अग्रसारित किए गए थे।

फरवरी 1996 के लेखा परीक्षा के जाँच परिणाम के उपरांत, जिसमें 11.90 करोड़ रुपये का संभावित गबन था, निदेशक ने स्थिति की समीक्षा की और पाया (फरवरी 1996) कि नए रोकड़ बही में मात्र तीन बैंकों के खाता शेष ही लिए गए थे जबकि बैंकों में 28 खाते (9 बचत खाता तथा 19 चालू खाता) थे। निदेशक ने एक लिपिक–सह–लेखापाल (शंभू कुमार लाल), जो रोकड़ का भार लिए हुआ था, को दिसंबर 1997 में तथा अन्य दो को (मोहन प्रसाद सिंह, अब सेवा निवृत्त और मुन्नी प्रसाद लाल, अब सेवा निवृत्त) अगस्त 1998 में निलंबित कर दिया। निदेशक ने 25 मार्च 1999 को उन तीन कर्मियों तथा तात्कालीन उप–निदेशक एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (सुबोध कुमार सहाय) के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की। उनमें से एक लिपिक–सह–लेखापाल (शंभू कुमार लाल) को मई 2001 में बर्खास्त कर दिया गया। जन शिक्षा निदेशालय ने बताया (जुलाई 2001) कि वित्त विभाग के लेखा–परीक्षा शाखा द्वारा लेनदेन की विशेष लेखा–परीक्षा वर्ष 1998 से ही चल रही है तथा रोकड़ शेष की वास्तविक स्थिति का पता विशेष लेखा–परीक्षा के समाप्त होने के उपरांत ही चल सकेगा।

हालाँकि सरकारी नियमों के तहत बैंक खातों का परिचालन अनुमान्य नहीं था, निदेशक, जन शिक्षा, पटना 11 बैंकों•• के 32 शाखाओं में 32 बैंक खातों (9 बचत खाते, 23 चालू खाते) का परिचालन कर रहे थे। इन सूचनाओं की भी पुष्टि विभाग द्वारा नहीं की गयी तथा उप–निदेशक ने बताया (फरवरी 2002) कि परिचालित बैंक खातों की वास्तविक संख्या वित्त विभाग द्वारा की जा रही लेखा–परीक्षा की समाप्ति के बाद ही ज्ञात हो सकेगी।

इस प्रकार फरवरी 1996 से 5 वर्ष के बीतने के बाद भी निदेशक गबन की वास्तविक राशि का पता लगाने में विफल रहे। यह तथ्य कि विशेष लेखा–परीक्षा ढाई साल के

•• *इलाहाबाद बैंक, युनाईटेड कॉमर्शियल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, युनियन बैंक, फेडरल बैंक, यूको बैंक, द बिहार स्टेट को–ओपरेटिव बैंक, केनारा बैंक*

बाद भी पूरी नहीं की जा सकी थी, इस बात को इंगित करता था कि वित्त विभाग ने कार्य के प्रति तत्परता नहीं दिखायी।

3.3.5 गैर–सरकारी संगठनों (एन जी ओ) को सहायता–अनुदान

वर्ष 1995–2000 के दौरान भारत सरकार द्वारा बिहार में गैर–सरकारी संगठनों को प्रदत्त सहायता अनुदान निम्नवत् थे :

वर्ष	गै.स.सं.की संख्या	भुगतीत सहायता अनुदान (लाख रुपये में)	अनुदानित अनौ. शि. केन्द्रों की संख्या
1995-96	36	78.68	2550
1996-97	64	249.07	3530
1997-98	69	259.00	3640
1998-99	89	294.80	4705
1999-2000	89	207.29	4705
कुल		**1088.84**	

गैर–सरकारी संगठनों को प्रदत्त निधियों का लेखा–जोखा राज्य द्वारा नहीं रखा गया

राज्य के पूर्व–स्वीकृत मूल्यांकन समिति के अनुमोदनों पर केन्द्र सरकार ने गैर–सरकारी संगठनों को अनुदानों का भुगतान किया, परंतु राज्य सरकार ने अनौ.शि.योजना में शामिल गैर सरकारी संगठनों की संख्या तथा उन्हें भुगतीत राशि संबंधी किसी भी अभिलेख का संधारण नहीं किया। यह भी इस तथ्य के बावजूद था कि सभी मामलों में भारत सरकार के स्वीकृति–पत्र की प्रति राज्य सरकार के सचिव को भेजी जाती थी तथा राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण व देख–रेख होना था। फरवरी 2002 तक निदेशक, जन शिक्षा के पास केवल 29 गैर–सरकारी संगठनों की ही सूची थी जिन्हें वर्ष 1999–2000 के दौरान 1.21 करोड़ रुपये के अनुदान का भुगतान किया गया था। इस प्रकार राज्य सरकार गैर सरकारी संगठनों के कार्यकलापों का अनुश्रवण करने में विफल रही।

19 गैर–सरकारी संगठनों ने अनुदानों की प्राप्तियों और उपयोगिता की कोई सूचना नहीं प्रदान की

नमूना–जाँचित 6 जिलों में अनौ.शि.योजना में 27 गैर–सरकारी संगठन (एन जी ओ) शामिल थे परंतु जिलाधीश/उप आयुक्त ने इन गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान के भुगतान संबंधी किसी अभिलेख का संधारण नहीं किया था। इनमे से मात्र 8 गैर–सरकारी संगठनों[3] ने वर्ष 1997–2000 के दौरान 2.40 करोड़ रुपये के व्यय का अभिलेख लेखा–परीक्षा को नमूना जाँच के लिए प्रस्तुत किया। शेष 19 गैर–सरकारी संगठनों ने वर्ष 1995–2000 के दौरान सहायता अनुदान की प्राप्तियों तथा उनके उपयोग संबंधी कोई सूचना नहीं दी जबकि उनके स्वीकृति पत्र में यह स्पष्ट प्रावधान था कि परियोजनाओं के लेखे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नमूना जाँच करने हेतु उपलब्ध होंगे।

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा नियत, मानकों के अनुसार, नमूना जाँचित 8 गैर–सरकारी संगठनों को वर्ष 1995–2000 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रति माह पुस्तकों एवं लेखन सामग्रियों हेतु प्रति प्रशिक्षु 75 रुपये, अध्यापन एवं पाठन सामग्रियों हेतु प्रति केन्द्र 850 रुपये तथा रौशनी/ईंधन हेतु प्रति केन्द्र 100 रुपये स्वीकृत तथा विमुक्त किए गए थे। इन गैर–सरकारी संगठनों में से देवघर में परिचालित पीपुल इंस्टीट्यूट फॉर डेवलेपमेंट एंड ट्रेनिंग (पीडित), नई दिल्ली ने वर्ष 1995–2000 के दौरान रौशनी एवं इंधन हेतु प्रदत्त 6.00 लाख रुपये की राशि में से बिल्कुल ही खर्च नहीं किया था। इसके अतिरिक्त इसने अध्यापन एवं पाठन सामग्रियों हेतु प्रदत्त 9.38

[3] *(i) पीडित लोकशाला, नई दिल्ली (ii) लोकदीप, मधुपुर, देवघर (iii) संथाल परगना ग्रामोद्योग समिति, देवघर (iv) संथाल परगना अन्त्योदय आश्रम, देवघर (v) सामाजिक विकास संस्थान, मधुबनी (vi) घोघरडीहा प्रखंड सामाजिक विकास संघ (vii) नव भारत जागृति केन्द्र, चौपारन, हजारीबाग (viii) सारन जिला समग्र विकास संस्थान, छपरा*

लाख रुपये की राशि में से केवल 6.07 लाख रुपये का ही उपयोग किया तथा इस तरह 9.31 लाख रुपये भारत सरकार को वापस कर देने के बदले अनिधिकृत रूप से उसे अपने पास रखा।

3.3.6 कार्यक्रम का कार्यान्वयन

वर्ष 1995–2000 के दौरान सरकारी क्षेत्र के तहत अनौ. शि. केन्द्रों, विशेष अनौ. शि. केन्द्रों के परिचालन, बच्चों के नामांकन तथा अनुदेशकों के प्रशिक्षण के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ निम्नवत् थीं :

वर्ष	अनौ.शि.केन्द्रों के लक्ष्य			राज्य द्वारा भारत सरकार को प्रतिवेदित उपलब्धि			राज्य के अभिलेख के अनुसार उपलब्धि	
	सह–शिक्षा	बालिका	कुल	सह–शिक्षा	बालिका	कुल	कुल	भारत सरकार को अधिक प्रतिवेदित
1995-96	30000	20000	50000	27657 (92)	22019 (110)	49676 (99)	38054 (76)	11622
1996-97	30000	20000	50000	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	48057 (96)	44815 (90)	3242
1997-98	30000	20000	50000	27212 (91)	20000 (100)	47212 (94)	46394 (93)	618
1998-99	30000	20000	50000	12127 (40)	8085 (40)	20212 (40)	20564 (40)	---
1999-2000	30000	20000	50000	27738 (94)	20000 (100)	47738 (95)	39414 (79)	8324

(कोष्ठक के आँकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं)

प्रशिक्षुओं का नामांकन तथा अनुदेशकों की उपलब्धता

वर्ष	लक्ष्य (मानकानुसार प्रति केन्द्र 25 बच्चे)	नामांकित प्रशिक्षु					कमी	अनुदेशक		कुल
		कुल	बालिकाएँ	अ.जा.	अ.ज.जा.	अल्पसंख्यक		प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	
	(संख्या में)									
1995-96	1250000	896552	439131	231938	91655	--	353448 (28)	38054	--	38054
1996-97	1250000	1080653	505135	298481	150526	65258	169347 (14)	44186	629	44815
1997-98	1250000	1137600	540318	318437	150601	146594	12400 (9)	46289	105	46394
1998-99	1250000	491346	220303	174556	71371	58402	758654 (61)	19713	499	20212
1999-2000	1250000	910238	439211	308445	103825	68315	339762 (27)	38519	4856	43375

(कोष्ठक के आँकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं)

संवीक्षा ने निम्नलिखित उद्घाटित किया :

भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने हेतु उपलब्धियों को बढ़ा–चढ़ा कर बताया गया

(क) भारत सरकार को प्रतिवेदित करते समय राज्य सरकार ने वर्ष 1995–98 तथा वर्ष 1999–2000 के दौरान अनौ. शिक्षा केन्द्रों की संख्या में 23806 केन्द्रों की संख्या अधिक बताई थी। इसने 16.44 करोड़ रुपये के अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने में मदद दिया।

बड़ी संख्या में अनुदेशक अप्रशिक्षित

(ख) योजना के अनुसार, बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु अनौ. शि.केन्द्र के प्रत्येक अनुदेशकों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी आई ई टी) के तहत जिला संसाधन इकाईयों (डी आर यू) द्वारा प्रथम वर्ष में 30 दिनों के लिए तथा तदोपरांत प्रत्येक वर्ष के लिए 20 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाना था। वैसे जिलों में जहाँ ऐसे संस्थान अवस्थित न थे, अनुदेशकों को गैर–सरकारी संगठनों द्वारा प्रशिक्षित किया जाना था। परंतु यह पाया गया कि वर्ष 1996–2000 के दौरान प्रत्येक साल में अनौ. शि. केन्द्रों में अध्यापन कार्य में संलग्न 105 से 4856 अनुदेशक प्रशिक्षित नहीं थे।

पाठ्यक्रम की पूर्णता में विलंब से अतिरिक्त लागत

(ग) हालाँकि अनौ. शिक्षा के कक्षा V तक का प्राथमिक स्तर पाठ्यक्रम दो वर्षों में पूरा कर लिया जाना था, इन केन्द्रों में पाठ्यक्रम तीन से चार वर्षों में पूरे किए गए। इसके परिणामस्वरूप 75.71 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। अक्टूबर 2000 तक की योजना के प्रतिवेदन में निदेशक, जन शिक्षा ने बताया कि पाठ्यक्रम की पूर्णता में विलंब का कारण मुख्यतः विभाग द्वारा केन्द्रों को पुस्तकों की आपूर्ति तथा निधि की विमुक्ति में विलंब होना था।

प्रशिक्षुओं को पुस्तकों की विलंबित तथा अपर्याप्त आपूर्ति

(घ) दो वर्षों के प्राथमिक स्तर पाठ्यक्रम को चार भागों में (सेमेस्टर) विभक्त किया गया था जिसमें प्रत्येक की अवधि 6 माह की थी। वर्ष 1995–97 के दौरान प्राथमिक स्तर पाठ्यक्रम के प्रत्येक भाग (सेमेस्टर) में प्रशिक्षुओं की आवश्यकता की पुस्तकें निःशुल्क आपूरित की जानी थी। वर्ष 1995–97 पाठ्यक्रम के प्रशिक्षुओं को आपूर्ति की गई पुस्तकों का विवरण निम्नानुसार था :

क्रम सं.	पुस्तकें			सेमेस्टर जिसके लिए विहित था	पुस्तकों की छपाई आदेश की तिथि	जिलों को आपूर्ति की जाने की तिथि
	नाम	आवश्यकता	आपूरित			
		(संख्या लाख में)				
1	पढ़ें–बढ़ें–I	8.97	7.00	प्रथम छमाही 1995-96	मई 1995	जुलाई/ दिसंबर 1995
2	पढ़ें–बढ़ें–II	8.97	4.00	द्वितीय छमाही 1995-96	मई 1995	नवंबर 1995
3	पढ़ें–बढ़ें–III	10.81	11.00	तृतीय छमाही 1996-97	मई 1995	दिसंबर 1995
4	पढ़ें–बढ़ें –IV	10.81	10.00	चतुर्थ छमाही 1996-97	अगस्त 1997	अगस्त 1998
5	गणित बोध भाग – I	10.81	10.00	तृतीय छमाही 1996-97	जूलाई 1997	नवंबर 1997
6	गणित बोध भाग – II	10.81	10.00	चतुर्थ छमाही 1996-97	मार्च 1999	जून/अगस्त 1999
	कुल	**61.18**	**52.00**			

विभाग द्वारा जिलों/प्रशिक्षुओं को आपूरित की गयी पुस्तकें, उन विद्यार्थियों की कुल संख्या के लिए पर्याप्त नहीं थी, जिन्हें उनकी आवश्यकता थी। इसके अलावा जो पुस्तकें प्रशिक्षुओं को मई 1996 तथा जनवरी 1997 में वितरित की जानी थी, वे वर्ष 1997–98 तथा वर्ष 1999–2000 में वितरित की गयी। इस प्रकार जिले में प्रशिक्षुओं को पुस्तकों की विलंब आपूर्ति और वह भी अपर्याप्त संख्या में होने के कारण 2 वर्षों का पाठ्यक्रम 5 वर्षों तक विस्तारित हुआ।

केवल बालिकाओं के लिए केन्द्र की संख्या को अतिप्रतिवेदित कर अधिक निधियों की प्राप्ति की गई

(च) योजना के अनुसार केवल बालिकाओं हेतु अनौ. शि. केन्द्रों पर व्यय का 90 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा प्रदत्त था। यह पाया गया कि वर्ष 1995–2000 के दौरान खोले गए 59.2 हजार विशेष अनौ. शि. केन्द्रों में सह–शिक्षा की सुविधा थी तथा केवल बालिकाओं के लिए वे परिचालित नहीं थे, जबकि इन केन्द्रों को राज्य द्वारा भारत सरकार को केवल बालिकाओं के रूप में प्रतिवेदित किया गया था। इसने उसी अवधि में भारत सरकार द्वारा 14.61 करोड़ रुपये के अधिक निधि की प्राप्ति को सुगम किया।

3.3.6.1 6 जिलों में लक्ष्य व उपलब्धियाँ

(क) नमूना–जाँचित 6 जिलों में अनौ. शि. केन्द्रों के खोले जाने तथा प्रशिक्षुओं के नामांकन संबंधी लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियाँ निम्नवत् थीं :

उपलब्धियाँ लक्ष्य से कम रहीं हालाँकि निधियों की समस्या नहीं थी

वर्ष	केन्द्रों के लक्ष्य (संख्या में)				उपलब्धि			
	पूर्व के अनौ.शि.के.		विशेष अनौ. शि. के.[4]	कुल	पूर्व के अनौ.शि.के.		विशेष अनौ. शि. के.[4]	कुल
	सह–शिक्षा	बालिकाएँ			सह–शिक्षा	बालिकाएँ		
1995-96	2340	900	2410	5650	2029	607	2406	5042 (89)
1996-97	2615	900	2410	5925	2029	607	2406	5042 (85)
1997-98	2615	900	2410	5925	2204	607	2406	5217 (88)
1998-99	--	--	6100	6100	--	--	3444	3444 (56)
1999-2000			6100	6100	--	--	4718	4718 (77)

(कोष्ठ में आँकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं)

इस प्रकार अनौ.शिक्षा केन्द्र के खोले जाने संबंधी लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि में गिरावट थी तथा इस गिरावट का कोई कारण उपलब्ध नहीं था।

यह देखा गया कि बेनीपट्टी पूर्व, बेनीपट्टी पश्चिम, बिसफी के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों (बी ई ई ओ) ने जिला जन शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी को जमा किए गए 34 केन्द्रों के अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों में निम्नलिखित अवलोकन किया था :

अनौ. शि. केन्द्रों की स्थिति का मधुबनी के जिलाधीश द्वारा गलत प्रतिवेदन

(i) बेनीपट्टी पूर्व प्रखंड के तहत एक केन्द्र (माहुली) परिचालित नहीं था, विशेष अनौ.शि.केन्द्र, सरिसाब (डोमटोला) अन्य स्थान पर परिचालित था तथा चंपा डोमटोला अनौ.शि.केन्द्र का निरीक्षण के दौरान पता नहीं लग सका।

(ii) बेनीपट्टी (पश्चिम) प्रखंड के तहत् त्योथ सोनबर्सा, भैरव स्थान का विशेष अनौ. शि. केन्द्र नहीं चल रहा था।

(iii) बिसफी प्रखंड के तहत् कुछ केन्द्र नहीं चल रहे थे क्योंकि गाँववासियों को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

जिलाधिकारी ने विधान परिषद के प्रश्न का गलत उत्तर प्रस्तुत किया

उपरोक्त तथ्यों के बावजूद जिलाधिकारी, मधुबनी ने विधान परिषद के लधु अधिसूचित प्रश्न (सं. ई–38) के अनुपालन में निदेशक, जन शिक्षा, पटना को यह प्रतिवेदित किया (जनवरी 2000) कि सभी 34 केन्द्र परिचालित थे तथा बच्चे लाभान्वित हो रहे थे।

प्रशिक्षुओं का नामांकन

वर्ष	नामांकन किए जाने वाले प्रशिक्षु (प्रति अनौ. शि. के. 25 प्रशिक्षु)	नामांकित प्रशिक्षु	नामांकित बालिकाएँ	कमी (2–3)	कमी (प्रतिशत)
	(संख्या में)				
1	2	3	4	5	6
1995-96	141250	121782	59855	19468	14
1996-97	148145	121782	57972	26363	17
1997-98	148145	133443	62770	14702	10
1998-99	170000	94772	45207	75228	44
1999-2000	127500	128394	60074	--	--

[4] *विशेष अनौ. शि. केन्द्रों में 50 प्रशिक्षुओं तथा 2 अनुदेशकों का सामर्थ्य था। इसलिए इस कॉलम के तहत आँकड़े 25 विद्यार्थियों तथा एक अनुदेशक के बल वाले साधारण अनौ. शि. केन्द्र के दुगुने हैं।*

यह देखा जा सकता था कि वर्ष 1998–99 में प्रशिक्षुओं के नामांकन में भारी कमी आई। वर्ष 1998–99 के दौरान आई भारी कमी (44 प्रतिशत) का कारण नहीं बताया गया। बालिकाओं का नामांकन भी कुल नामांकन का 47 से 49 प्रतिशत था।

पाठ्यक्रम की अवधि 5 वर्षों तक विस्तारित कर दी गयी जिससे वृहत् अतिरिक्त व्यय हुआ

(ख) नमूना जाँचित 4 जिलों में दो वर्षों के शिक्षा का नियत् पाठ्यक्रम 5 वर्षों तक विस्तारित किया गया था। इस पाठ्यक्रम विस्तार के अतिरिक्त कम संख्या में बच्चे शिक्षित किए जाने से 2.39 करोड़ रुपये का अधिक व्यय भी हुआ जो नीचे विवरणित है :

जिला	पाठ्यक्रम को आरंभ किए जाने की तिथि	पाठ्यक्रम की पूर्णता की नियत् तिथि/ माह	पाठ्यक्रम की पूर्णता हेतु ली गयी कुल अवधि	पाठ्यक्रम की पूर्णता में ली गयी अधिक अवधि	विस्तारित अवधि के दौरान किया गया व्यय (लाख रुपये में)
वैशाली	3/94 से 1/96	31-3-1998 (पूर्व का)	27 से 49 माह	3 से 25 माह	91.34
देवघर	3/96 से 4/97	30-4-2000	38 से 50 माह	14 से 26 माह	14.10
मधुबनी	12/95 से 9/96	31-3-2000	45 से 52 माह	21 से 28 माह	77.28
पूर्णिया	6/95 से 11/95	31-3-2000	53 से 58 माह	29 से 34 माह	56.24
कुल					**238.96**

लेखा परीक्षा संवीक्षा ने प्रकटित किया कि वर्ष 1995–2000 के दौरान नमूना–जाँचित 5 जिलों में 35 से 57 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को पुस्तकें आपूरित नहीं की गयी थी। नीचे की तालिका में विवरण दिया गया है :

35 से 57 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को पुस्तकें प्राप्त नहीं हुयीं

जिला का नाम	पुस्तकों की मांग	आपूरित पुस्तकें	आपूर्ति में कमी	प्रतिशतता
(1) छपरा	267000	138625	128375	48
(2) हजारीबाग	281112	178859	102253	36
(3) देवघर	129912	84808	45104	35
(4) वैशाली	258000	148600	109400	42
(5) मधुबनी	148806	67247	81559	57
कुल	**1084830**	**618139**	**466691**	

अनुदेशकों को आंशिक अथवा कोई प्रशिक्षण नहीं

(ग) नमूना–जाँचित जिलों में 7462 अनुदेशकों (1999–2000) में से 1880 अनुदेशक (25 प्रतिशत) या तो अप्रशिक्षित या आंशिक रूप से प्रशिक्षित थे जबकि योजना निर्देशिका के अनुसार सिर्फ प्रशिक्षित अनुदेशकों द्वारा ही प्रशिक्षुओं को शिक्षा प्रदान की जानी थी।

अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए

(घ) अनौ. शि. योजना 31 मार्च 2001 को समाप्त कर दी गयी। परंतु संबंधित परियोजना पदाधिकारियों द्वारा लेखा परीक्षा को अनौ. शि. केन्द्रों के महत्त्वपूर्ण अभिलेख यथा प्रशिक्षुओं की उपस्थिति पंजी, आकस्मिकता पंजी, भंडार पंजी तथा बैंक पास बुक उपस्थापित नहीं किए गए।

3.3.6.2 गैर–सरकारी संगठनों द्वारा अनौ. शि. योजना का कार्यान्वयन

नमूना–जाँचित 6 जिलों में 27 गैर सरकारी संगठनों में से 11 गैर–सरकारी संगठनों का प्रदर्शन निम्नवत् था :

वर्ष	गैर–सरकारी संगठनों द्वारा खोले गए केन्द्र	नामांकित किए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या	नामांकित प्रशिक्षु		कुल	कमी
			बालक	बालिका		
1995-96	455	11375	7142	4476	11618	--
1996-97	640	16000	7812	4452	12264	3736
1997-98	665	16625	8419	6347	14766	1859
1998-99	815	20375	8954	7343	16297	4078
1999-2000	840	21000	9423	7196	16219	4781

संविक्षा ने निम्नलिखित प्रकटित किया :

आवश्यक संख्या में प्रशिक्षुओं का नामांकन नहीं

(क) गैर–सरकारी संगठनों द्वारा परिचालित अनौ. शि. केन्द्रों में वर्ष 1996–2000 के दौरान प्रशिक्षुओं के नामांकन में 14454 की कमी थी।

पाठ्यक्रम अवधि को पाँच वर्षों तक विस्तारित किए जाने से अधिक व्यय

(ख) 5 गैर–सरकारी संगठनों[5] द्वारा पाठ्यक्रम की अवधि के पाँच वर्षों तक विस्तार किए जाने के परिणामस्वरूप 52.79 लाख रुपये की अधिक निधियों का उपयोग किया गया।

(ग) निम्न तालिका यह दर्शाएगी कि एक नमूना–जाँचित जिले (हजारीबाग) में एक गैर–सरकारी संगठन (नव भारत जागृत केन्द्र) द्वारा परिचालित अनौ. शि. केन्द्रों में प्रशिक्षुओं को यथोचित संख्या में पुस्तकें आपूरित नहीं की गयी थीं :

प्रशिक्षुओं को यथोचित संख्या में पुस्तकें आपूरित नहीं की गईं

वर्ष	प्रशिक्षुओं की संख्या	आवश्यक पुस्तकें	आपूरित पुस्तकें	कमी
1995-96	3350	6700	-	6700
1996-97	5138	17076	-	17076
1997-98	5946	15368	4000	11368
1998-99	5432	16266	1000	15266
1999-2000	5321	17460	11701	5759
कुल		**72870**	**16701**	**56169**

इस प्रकार प्रशिक्षुओं को नगण्य संख्या (23 प्रतिशत) में जरूरत की पुस्तकें आपूरित की गयीं, जबकि नमूना जाँचित 5 जिलों (मधुबनी, वैशाली, सारन, देवघर, पूर्णिया) में गैर–सरकारी संगठनों ने प्रशिक्षुओं को राज्य सरकार अथवा एन सी ई आर टी द्वारा विहित पुस्तकें आपूरित नहीं कीं। उन्होंने अन्य निजी प्रकाशनों की पुस्तकें आपूरित कीं जो योजना के तहत् शिक्षा के दो वर्षों के विहित पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थीं।

3.3.6.3 प्रभाव मूल्यांकन

सफल प्रशिक्षुओं का लघु अनुपात। सफल प्रशिक्षुओं को प्रमाण–पत्र नहीं दिए गए

यह पाया गया कि वर्ष 1994–95 के दौरान अनौ. शि. केन्द्रो में नामांकित 6.35 लाख प्रशिक्षुओं में से 4.28 लाख योग्य प्रशिक्षु वर्ष 1997–98 की परीक्षा में बैठे तथा 2.16 लाख प्रशिक्षु (कुल नामांकित प्रशिक्षुओं का 34 प्रतिशत) परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तदंतर वर्ष 1995–97 के दौरान 4 लाख प्रशिक्षु विशेष अनौ. शिक्षा केंद्रो में नामांकित किए गए। इनमे से 3.26 लाख प्रशिक्षु वर्ष 1999–2000 में वार्षिक परीक्षा में बैठने के योग्य हुए, परंतु मात्र 2.78 लाख प्रशिक्षुओं ने परीक्षा दी तथा 1.87 लाख (नामांकित छात्रों का

[5] (i) *पीड़ित लोकशाला, नई दिल्ली* (ii) *संथाल परगना ग्रामोद्योग समिति, देवघर* (iii) *संथाल परगना अंत्योदय आश्रम, देवघर* (iv) *कमलेशराज अंत्योदन आश्रम, मधेपुर, मधुबनी* (v) *प्रखंड लोक विकास समिति, मधुबनी*

29 प्रतिशत) प्रशिक्षु ही अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। इस प्रकार, कुल नामांकित 10.29 लाख प्रशिक्षुओं में से मात्र 4.03 लाख प्रशिक्षु (39 प्रतिशत) ही परीक्षा पास कर सके। निदेशक, जन शिक्षा, बिहार के पास सफल प्रशिक्षुओं को प्रमाण–पत्र दिए जाने तथा अग्रेतर शिक्षा हेतु नियमित विद्यालयों में उनके नामांकन संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं थी।

नमूना जाँचित 6 जिलों में वर्ष 1995–98 के दौरान नामांकित 1.29 लाख प्रशिक्षुओं में से मात्र 0.37 लाख प्रशिक्षु ही वर्ष 1999–2000 की अंतिम परीक्षा हेतु योग्य हो सके। उनमें से 0.22 लाख प्रशिक्षुओं ने परीक्षा पास की। इस प्रकार, वर्ष 1995–98 में नामांकित प्रशिक्षुओं में से मात्र 17 प्रतिशत ने ही सितंबर 2001 तक परीक्षा पास किया। यह देखा गया कि नमूना जाँचित जिलों के सहायक निदेशकों ने सफल प्रशिक्षुओं को कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया था जो उन्हें आगे पढ़ाई जारी रखने हेतु योग्य बनाता।

निदेशक, जन शिक्षा ने लेखा–परीक्षा को गैर–सरकारी संगठनों द्वारा योजना के क्रियान्वयन संबंधी कोई आँकड़ा उपस्थापित नहीं किया। नमूना जाँचित 2 जिलों में 5 गैर–सरकारी संगठनों के अभिलेखों के नमूना जाँच ने दर्शाया कि वर्ष 1995–96 में दो वर्ष के पाठ्यक्रम में नामांकित 0.59 लाख प्रशिक्षुओं ने पाँच वर्षों बाद पाठ्यक्रम पूरा किया। वर्ष 1999–2000 में, जबकि 16492 प्रशिक्षु परीक्षा के लिए योग्य हुए, मात्र 6514 प्रशिक्षु ही परीक्षा में शामिल हुए तथा 3227 प्रशिक्षु ही उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार, वर्ष 1995–96 में गैर–सरकारी संगठनों के तहत अनौ. शिक्षा केन्द्रों में नामांकित प्रशिक्षुओं में से 5 प्रतिशत ही परीक्षा में उत्तीण हो सके जो यह दर्शाता था कि गैर–सरकारी संगठनों द्वारा योजना का क्रियान्वयन दयनीय था। सितंबर 2001 तक सफल प्रशिक्षुओं को कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया था।

विशेष प्रभाव नगण्य

इस प्रकार, अनौ. शिक्षा योजना लक्षित वर्ग के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर कोई विशेष प्रभाव डालने में विफल रही।

3.3.7 अन्य तथ्य

(i) *छपाई–कागजों के उपयोग न किए जाने के कारण हानि*

विदेश से उपहारस्वरूप प्राप्त कागज का समय पर उपयोग नहीं किए जाने के कारण अवसान

जन शिक्षा निदेशालय ने विदेश से अनौ. शिक्षा के लिए पुस्तकों की छपाई हेतु उपहार स्वरूप लगभग 10.50 लाख रुपये मूल्य के 30 टन कागज प्राप्त (अगस्त 1986) किया था जिसे उसने बिहार राज्य टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन, पटना (बी एस टी बी सी) को सुपुर्द कर दिया था। उन्होंने कागज को केन्द्रीय भंडारण निगम (सी डब्लू सी) के गोदाम में रखा तथा अप्रैल 1999 तक 0.69 लाख रुपये का किराया भुगतान किया। यहाँ तक कि सी डब्लू सी ने भी कागज के नीलामी का प्रस्ताव रखा क्योंकि दीर्घकालीन भंडारण से कागज की गुणवत्ता में तीव्र ह्रास हो रहा था। निदेशक, जन शिक्षा, बी एस टी बी सी को कागज के उपयोग की सलाह देने में विफल रहे। अंततः बी एस टी बी सी ने संयुक्त निदेशक, जन शिक्षा को सूचित (जनवरी 2001) किया कि कागज छपाई के लिए अनुपयुक्त हो चुका था। इस प्रकार, निदेशक, जन शिक्षा द्वारा कागजों के समय से उपयोग के मामले में अकर्मण्यता के परिणामस्वरूप 10.50 लाख रुपये मूल्य के कागजों का नुकसान तथा 0.69 लाख रुपये के किराया शुल्क का परिहार्य भुगतान हुआ। सरकारी संपत्ति की ऐसी बर्बादी के विरूद्ध अगस्त 2001 तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी।

3.3.8 अनुश्रवण, निरीक्षण एवं मूल्यांकन

अनुश्रवण, निरीक्षण एवं मूल्यांकन पूर्णरूपेण उपेक्षित

योजना को सफल एवं प्रभावोत्पादक बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर अनौ. शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण (मई 1995) का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

जिलों में अनौ. शिक्षा के सहायक निदेशक द्वारा जन शिक्षा निदेशालय को अग्रसारित करने हेतु सभी निरीक्षण प्रतिवेदनों को संकलित किया जाना था। ऐसा कोई भी निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशालय अथवा नमूना जाँचित लघु स्तरीय कार्यालयों में उपलब्ध नहीं था।

पंचायत तथा प्रखंड स्तरीय समितियों का गठन नहीं किया गया था जैसा कि योजना में परिकल्पित था। हालाँकि जिलाधीश की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमिटियाँ गठित की गयी थीं, तथापि उनकी बैठकों का ब्यौरा, अगर कुछ था, उपलब्ध नहीं कराया गया।

गैर–सरकारी संगठनों के कार्यकलापों का मूल्यांकन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निदेशक, जन शिक्षा की अध्यक्षता में एक संयुक्त मूल्यांकन टीम (जे ई टी) गठित (जुलाई 1998) की गयी थी। संयुक्त निदेशक, अनौ. शिक्षा ने बताया (फरवरी 2001) कि जे ई टी कभी किसी गैर–सरकारी संगठन के पास नहीं पहुँची। हालाँकि, योजना के तहत् पाँच वर्षों से अधिक समय तक कार्य करने वाले गैर–सरकारी संगठनों के कार्यकलापों के मूल्यांकन तथा भारत सरकार को प्रतिवेदित करने हेतु भारत सरकार द्वारा संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में तथा सदस्य के रूप में राज्य सरकार, एस सी ई आर टी तथा डी पी ई पी के अधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व जे ई टी के पुनरूद्धार की आवश्यकता पर बल दिया गया (सितंबर 1999 तथा जून 2000) जबकि जे ई टी का पुनरूद्धार मार्च 2001 तक नहीं हुआ था।

इस प्रकार, योजना का अनुश्रवण, निरीक्षण एवं मूल्यांकन पूर्णरूपेण उपेक्षित था।

मामले सरकार को संदर्भित किए गए (सितंबर 2001) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 2002)।

खण्ड – ख : कंडिकाएँ

पर्यावरण एवं वन विभाग

3.4 दायित्व का अनधिकृत सृजन

वित्तीय नियमावली के उल्लंघन में 2 वन प्रमण्डलों ने 35 लाख रुपये के दायित्वों का सृजन किया। कार्य की वास्तविकता दर्शाने हेतु कोई अभिलेख नहीं था।

कोई भी प्राधिकारी तब तक लोक निधि से व्यय से अर्न्तनिहित दायित्व नहीं बना सकता है जब तक कि व्यय को सरकार या सक्षम प्राधिकारी के साधारण या विशेष आदेशों के द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया हो तथा व्यय का उस वर्ष के विनियोजन में प्रावधान नहीं किया गया हो।

वृक्षारोपण कार्य के मुख्यतः दो खण्ड हैं, यथा "अग्रिम कार्य" तथा " समापन कार्य", जिसमें दो वित्तीय वर्ष अन्तर्निहित है। दो प्रमण्डलों (गया वन प्रमण्डल तथा गया वनरोपण प्रमण्डल) के लिये वर्ष 1998–99 के दौरान सरकार द्वारा अग्रिम कार्य हेतु 52.13 लाख रुपया विमुक्त किया गया था, जबकि आगामी वर्षों में समापन कार्य तथा वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु निधियाँ विमुक्त नहीं की गई थी। मुख्य–वन–संरक्षक (मु. व. सं.) (विकास), बिहार ने सभी क्षेत्रीय मुख्य–वन–संरक्षकों (क्षे.मु.व.सं.) को सूचित (जुलाई 1999) किया कि जब तक सरकार द्वारा वर्ष 1999–2000 के लिये अनुपूरक बजट का अनुमोदन नहीं हो जाता है, तब तक समापन कार्य के लिए कोई भी निधि उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है।

संवीक्षा से प्रकटित (जुलाई–अगस्त 2001) हुआ कि इन आदेशों के उल्लंघन में 2 वन प्रमण्डलों ने वर्ष 1999–2000 के वृक्षारोपण वर्ष के दौरान वृक्षारोपण के समापन से संबंधित 35.01 लाख रुपये के अनाधिकृत दायित्व का सृजन किया, जबकि बजट में इसके लिए कोई निधि का प्रावधान नहीं किया गया था। किये गये कार्य हेतु देय राशि का भुगतान करना बाकी था। विवरण निम्नवत् थे :

क्रम सं.	प्रमण्डलों के नाम	वृक्षारोपण का वर्ष	वृक्षारोपण का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	दायित्व की राशि (लाख रुपये में)
1.	गया वन प्रमंडल, गया	1999-2000	210 एवं 3 नर्सरी	10.64
2.	गया वनरोपण प्रमण्डल, गया	1999-2000	741.587	24.37
	कुल			**35.01**

वन प्रमण्डल पदाधिकारी (व.प्र.पदा.), वनरोपण प्रमण्डल, गया ने बताया कि समापन कार्य, जो समयबद्ध कार्यक्रम था, पूरा कर लिया गया था जबकि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गया वन प्रमण्डल, ने बताया कि निधि की विमुक्ति के लिए उच्च अधिकारियों से आग्रह किया गया था।

अभिलेख में कार्य के वास्तविक कार्यान्वयन संबंधित कोई तथ्य नहीं था तथा व. प्र. पदा. द्वारा उठाए गए दायित्व संदेह से परे नहीं थे।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2001); उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 2002)।

3.5 प्रमण्डलों में अधिक कर्मी

पाँच वन प्रमण्डलों में स्वीकृत बल से अधिक पदस्थापित 39 कर्मियों के वेतन भुगतान पर 45.93 लाख रुपया व्यय किया गया था

राज्य वित्तीय नियमावली के अनुसार सरकार के अधीन कोई भी स्थाई पद सरकार की स्वीकृति के बिना सृजित नहीं किया जा सकता था।

पाँच वन प्रमण्डलों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकटित (अगस्त 2000 से मार्च 2001 के बीच) हुआ कि अप्रील 1997 तथा मार्च 2000 के मध्य सरकार/विभाग द्वारा इन प्रमण्डलों में 39 कर्मियों (8 पदाधिकारियों सहित) की पदस्थापना की गई थी, जबकि इन प्रमण्डलों के लिए ऐसे पदों की स्वीकृति नहीं थी। परिणामस्वरूप अप्रील 1997 से मार्च 2000 के दौरान 39 कर्मियों के वेतन पर 45.93 लाख रुपये का अनधिकृत भुगतान किया गया था। पाँच प्रमण्डलों में अधिक संचालित पदों का विवरण नीचे दर्शाया गया हैं :

क्रम सं.	प्रमंडल	पद	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत बल	आधिक्य	राशि (लाख रुपये में)
			(संख्या में)			
1.	वन प्रसार प्रमंडल, पटना	सहायक वन संरक्षक	शून्य	5	5	18.83
2.	वनरोपण प्रमंडल, गया	सहायक वन संरक्षक प्रसार पर्यवेक्षक प्रसार कर्मी	1 - -	2 3 6	1 3 6	1.31 2.42 3.64
3.	वन प्रमंडल, गया	प्रसार पर्यवेक्षक प्रसार कर्मी	- -	2 2	2 2	2.07 1.64
4.	प्रसार प्रमंडल, बेगूसराय	सहायक वन संरक्षक वन गार्ड, प्रसार पर्यवेक्षक प्रसार कर्मी	- - - -	1 9 3 6	1 9 3 6	1.92 7.40 1.37 2.59
5.	तिरहुत वन प्रसार प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	सहायक वन संरक्षक	1	2	1	2.74
	कुल		**2**	**41**	**39**	**45.93**

तालिका प्रमंडलों में अधिक पदस्थापना के विस्तार को दर्शाती है। सिर्फ वन प्रसार प्रमण्डल, पटना में पाँच सहायक वन संरक्षक पदस्थापित थे, जबकि प्रमण्डल के लिए ऐसा कोई पद स्वीकृत नहीं था। चूँकि पदाधिकारियों के पास पर्याप्त कार्य नहीं था, जैसा कि स्वीकृतियों के अभाव से देखा गया, अतः उनकी पदस्थापना लोकहित के विरूद्ध थी तथा वेतन एवं भत्ते पर किया गया व्यय निष्फल था। प्रसार प्रमंडल, पटना

ने बताया कि सहायक वन संरक्षक का स्वीकृत बल राज्य के कुल स्वीकृत पदों से अधिक नहीं था। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पदस्थापना एक खास प्रमंडल के स्वीकृत बल के अनुसार होना चाहिए था।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2001); उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 2002)।

गृह (आरक्षी) विभाग

3.6 निजी सुरक्षा प्रहरियों के रूप में आरक्षी बलों की तैनाती

आरक्षी अधीक्षक, सारन द्वारा भू. पू. सांसदों, भू. पू. विधायकों एवं अन्य से सुरक्षा प्रहरियों के रूप में आरक्षी बल के उपयोग का 40.35 लाख रुपये के लागत की वसूली नहीं की गयी थी

राज्य सरकार के आदेशों (जनवरी 1993) के अनुसार रेलवे, बैंक, गैर–सरकारी कम्पनियों इत्यादि तथा अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु आरक्षी कर्मियों की तैनाती की लागत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों पर उनसे वसूल किया जाना था।

अभिलेखों के नमूना जाँच (जनवरी 2001) से प्रकटित हुआ कि जून 1985 से दिसम्बर 2000 के दौरान विभिन्न अवधियों में आरक्षी अधीक्षक (आ.आ.), सारन, छपरा ने 5 पूर्व सांसदों[1], 5 पूर्व विधायकों[2] तथा 12 अन्य व्यक्तियों[3] के सुरक्षा प्रहरियों हेतु 25 कांसटेबुलों तथा 4 हवलदारों की तैनाती की। हालाँकि सुरक्षा प्रहरियों के रूप में ऐसे आरक्षी बलों की तैनाती के लागत की वसूली नहीं की गई थी, जबकि उनसे जनवरी 2001 तक 40.35 लाख रुपये वसूलनीय था। आरक्षी अधीक्षक, सारण ने बताया (जनवरी 2001) कि संबद्ध व्यक्तियों से राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन दावा ठोंकने तथा उनसे वसूली हेतु उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2001); उनका उत्तर अप्राप्त था (जनवरी 2002)।

1 *पूर्व सांसद : गिरिजा देवी (2,46,753 रुपये); राम बहादुर सिंह (87,068 रुपये); राजीव प्रताप रूढ़ी (87,734 रुपये); हीरा लाल राय (1,97,773 रुपये); लाल बहादुर राय (2,86,248)।*

2 *पूर्व विधायक : बुधन यादव (5,05,732 रुपये); राज कुमार राय (1,25,674 रुपये), अभय राज किशोर (2,22,448 रुपये); बैद्यनाथ पाण्डेय (7,21,381 रुपये); राम बहादुर राय (2,86,778 रुपये)।*

3 *अन्य व्यक्ति : जय लाल राय (2,33,934 रुपये); महेन्द्र राय (83,214 रुपये); राम प्रवेश राय (43,867 रुपये); ददन प्रसाद यादव (2,79,505 रुपये); राधा चरण प्रसाद (28306); कामेश्वर सिंह (1,54,869 रुपये); सुनील कुमार (44756 रुपये); राम बाबू राय (2,67,131 रुपये); चन्दन देवी (85,956 रुपये); मोहन राय (593 रुपये); साकेत कुमार सिंह (5,091 रुपये); प्रमोद कुमार सिंह (39,940 रुपये)।*

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

3.7 अनुचित अवसूलनीय अग्रिमें

बि.लो.से.आ. ने बारंबार वृहद राशियों की अग्रिमें प्रदान की लेकिन 1.21 करोड़ रुपये के अग्रिम भुगतानों की वसूली/समायोजन नहीं किया। इनमें से 41 लाख रुपये अवसूलनीय थे

सचिव/विशेष पदाधिकारी, बिहार लोक सेवा आयोग (बि.लो.से.आ.) ने विभिन्न परीक्षाओं के संचालन हेतु वर्ष 1972 से 2000 (अगस्त 2000 तक) के दौरान परीक्षा केन्द्रों के 245 प्रभारियों (18.59 लाख रुपये), 551 व्यक्तियों (81.79 लाख रुपये), 21 जिला प्रशासनिक पदाधिकारियों (4.47 लाख रुपये) एवं अन्य (16.11 लाख रुपये) को 1.21 करोड़ रुपये का अग्रिम दिया।

अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2001) से प्रकटित हुआ कि अग्रिमें अगस्त 2000 तक असमायोजित/अवसूलित पड़ी थीं। यह पाया गया कि एक ही निकाय/व्यक्ति को बार–बार दो से ग्यारह अवसरों पर अग्रिमों का भुगतान किया गया था, जबकि दूसरे एवं अनुवर्ती अग्रिमों का भुगतान पूर्व में प्रदत्त अग्रिमों के समायोजन/वसूली के बाद ही किया जाना था। यह भी देखा गया कि वर्ष 1996–2000 के दौरान तीन से पाँच अवसरों पर 7 व्यक्तियों* को 20.82 लाख रुपये का भुगतान किया गया था।

जबकि अग्रिमों को परवर्ती वर्षों तक आगे ले जाया गया था, अग्रिमों की वसूली अथवा समायोजन हेतु आयोग के सचिव द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया था। विशेष पदाधिकारी, वि.लो.से.आ., पटना ने बताया (फरवरी 2001) कि वर्ष 1972–98 की अवधि से संबंधित 41 लाख रुपये की पूर्व अग्रिमें अवसूलनीय लग रही थीं। व्यय के विवरणों के अभाव में अग्रिमों के कपटपूर्ण मामलों/दुरूपयोग से इंकार नहीं किया जा सकता था।

जहाँ सचिव, वि. लो. से. आ. ने स्वीकार किया कि अग्रिम के रूप में प्रदत्त 41 लाख रुपये अवसूलनीय थे, वहीं लेखा–परीक्षा में पाया गया कि अन्य 80 लाख रुपये भी वसूली हेतु पड़े हुए थे।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2001); उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 2002)।

* *रामानन्द सिंह, सी.ओ. (1.53 लाख रुपये), बिन्देश्वरी प्रसाद यादव, सी.ओ. (2.37 लाख रुपये), मो. कुमरूद्दीन, सी.ओ. (1.08 लाख रुपये), दिलीप कुमार सिंह, सी.ओ. (2.66 लाख रुपये), छत्र चरण सिंह, सी.ओ. (2.73 लाख रुपये), देवेन्द्र नारायण सिंह, सी.ओ. (5.94 लाख रुपये), स्वयंवर मिश्र, रोकड़पाल (5.00 लाख रुपये)।*

कल्याण विभाग

3.8 विशेष केन्द्रीय सहायता का दुरूपयोग

सरकारी अनुदेशों की अवहेलना में जिला दण्डाधिकारी, सिवान ने अनुसूचित जाति के लोगों हेतु निर्दिष्ट एस सी ए निधि का दुरूपयोग किया

जनवरी 1999 में राज्य सरकार ने निर्देशानुसार वर्ष 1997–99 के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता योजनाओं के अंतर्गत राज्य द्वारा जिलों को सिर्फ परिवारोन्मुख आयसृजन योजनाओं हेतु आवंटन दिया जाना था जबकि अनुसूचित जाति के लोगों की आबादी पर आधारित भौगोलिक अस्थिरता के सुधार हेतु अन्तःसंरचना सुविधाओं के विकास की योजनाएँ राज्य स्तर पर वर्ष 1997–98 एवं 1998–99 के दौरान शुरू कर दी गयी थीं।

इन निर्देशों की अवहेलना करते हुये जिला कल्याण पदाधिकारी (जि.क.पदा.), सीवान द्वारा प्राप्त 1.16 करोड़ रुपये के विरूद्ध जिला दण्डाधिकारी, सीवान ने विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन (जनवरी 1999) केन्द्र प्रायोजित योजना (अनुसूचित जाति की उन्नति हेतु आयोन्मुख योजना) के अंतर्गत 77.74 लाख रुपये की कुल लागत पर 15 संपर्क पथों (प्राक्कलित लागत 42.52 लाख रुपये), 15 सामुदायिक भवनों (प्राक्कलित लागत 26.25 लाख रुपये) के निर्माण तथा 156 हैंडपंपो के प्रतिष्ठापन (प्राक्कलित लागत 8.97 लाख रुपये) की स्वीकृति दी। स्वीकृतियों के विरूद्ध जिला कल्याण पदाधिकारी, सीवान ने इस उद्देश्य के लिये क्रियान्वयन एजेन्सियों को जनवरी 1999 एवं मई 1999 के बीच 72.49 लाख रुपये विमुक्त किया। विमुक्त की गयी निधियों में से 64.91 लाख रुपये 15 संपर्क पथों (42.52 लाख रुपये), 12 सामुदायिक भवनों (21.00 लाख रुपये) के निर्माण तथा 24 हस्त पंपों के प्रतिष्ठापन (1.39 लाख रुपये) पर खर्च किये गये तथा शेष 7.58 लाख रुपया क्रियान्वयन एजेन्सी (कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, सीवान) द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी को वापस (नवम्बर 1999) कर दिया गया।

इस प्रकार, जिला दण्डाधिकारी, सीवान ने अनुसूचित जाति के लोगों की आय सृजित करने वाली योजनाओं हेतु निर्दिष्ट 64.91 लाख रुपये (आवंटित 115.60 लाख रुपये की निधि का 57 प्रतिशत) का दुरूपयोग किया। लेखा–परीक्षा संवीक्षा ने प्रकटित किया कि जनवरी 1999 के राज्य सरकार के इस आशय का आदेश, कि संपर्क पथों एवं सामुदायिक भवनों के निर्माण जैसी योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया जाना था, के बावजूद जिला दण्डाधिकारी, सीवान ने जनवरी से मई 1999 के दौरान ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित किया। इस तरह के किये गये व्यय को अनुसूचित जाति के लोगों के लिये आय सृजित करने वाली योजनाओं हेतु पुनः आबंटित करने की आवश्यकता थी।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2001); उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 2001)।

अध्याय – IV

कार्य व्यय

खंड–क : समीक्षाएँ

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

4.1 त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना

मुख्याकर्षण

ग्रामीण आबादी को सुरक्षित तथा प्रचुर मात्रा में पेयजल प्रदान करने के राज्य के प्रयासों को अनुपूरित करने के उद्देश्य से वर्ष 1972–73 में भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित योजना, त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्लू.एस.पी.) प्रारंभ किया गया जो कि नौवीं योजना काल तक जारी रहा। कुप्रबंधन, निधियों की कम विमुक्ति, निधियों का अकुशल उपयोग एवं अनुश्रवण के अभाव के कारण राज्य में ए.आर.डब्लू.एस.पी. का क्रियान्वयन प्रभावित रहा। परिणामतः ग्रामीण आबादी को सुरक्षित पेय जल एवं ग्राह्य पेय जलापूर्ति की सुविधा प्रदान करने के वांक्षित उद्देश्य को प्राप्त करने में कार्यक्रम विफल रहा। कार्यक्रम लक्षित समूह के पर्यावरणीय स्वच्छता एवं सामाजिक–आर्थिक स्थिति सुधारने में विफल रहा।

राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से के निधि की विमुक्ति में विफलता तथा निधियों के दयनीय उपयोग के कारण वर्ष 1997–2001 के दौरान भारत सरकार द्वारा 399.08 करोड़ रुपये में से मात्र 46.90 करोड़ रुपये ही विमुक्त किया गया। वर्ष 1997–2001 के दौरान अभियंता–प्रमुख ने 3 से 11 महीनों तक के विलंब से प्रमण्डलों को निधियाँ विमुक्त की। तीन प्रमंडलों में 46.37 लाख रुपये अन्य प्रयोजनों हेतु दुरूपयोग किये गये।

(कंडिका 4.1.5 (i), (iv) एवं (v))

यहाँ तक कि अपर्याप्त विमुक्त निधि का भी दयनीय उपयोग किया गया था। 14 जिलों में उपलब्ध निधि के 36 प्रतिशत का उपयोग नहीं किया गया था।

(कंडिका 4.1.5.1)

ए.आर.डब्लू.एस.पी. के भौतिक उपलब्धि में कमी का मुख्य कारण अपर्याप्त निधि, कार्यों की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन में विलंब था।

(कंडिका 4.1.6)

64 प्रतिशत निधि की उपयोगिता के साथ 82 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्रतिवेदित था जो विश्वसनीय नहीं था।

(कंडिका 4.1.6.1)

नमूना जाँ च से पता चला नलकूपों का निर्माण एवं ए.आर.डब्लू.एस.पी. के तहत कार्यों के संदेहास्पद क्रियान्वयन पर कुल 78 लाख रुपये का अतिरिक्त खर्च हुआ।

(कंडिका 4.1.7 (ii) एवं (v))

स्रोतों की व्यवस्थित पहचान, स्थलों के चयन, प्रशिक्षित तकनीकी कर्मियों की देखरेख से उन्नत संचालन एवं रख रखाव तथा सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित नहीं की गई थी। विधायकों एवं सांसदों के अनुरोध पर स्थल का चयन किये जाने के परिणामस्वरूप

चास प्रमण्डल में बड़ी संख्या में नलकूप विफल रहे। 4 प्रमंडलों मे 324 जलापूर्ति योजनायें, यांत्रिक, असैनिक एवं विद्युत गड़बड़ी के कारण 5 वर्षों तक अकार्यशील रहीं और उन्हें समय पर मरम्मत कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

(कंडिका 4.1.7 (i) एवं (iii))

1.50 करोड़ रुपये के सामग्री की उपयोगिता, जैसा कि 3 प्रमंडलों के विभिन्न कार्यों के स्थल लेखा में दर्ज दर्शाया गया था, संदेहास्पद थी क्योंकि स्थल लेखा लेखा–परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

(कंडिका 4.1.7 (vi))

14 प्रमंडलों में से सिर्फ एक प्रमंडल में जल परीक्षण प्रयोगशाला उपलब्ध था। जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु प्रदत्त 18 लाख रुपये उपकरण की अधिप्राप्ति, शीशे के उपकरण आदि पर खर्च किए गए परन्तु प्रयोगशालाएँ सितम्बर 2001 तक स्थापित नहीं की गयी थीं।

(कंडिका 4.1.9)

नौ जिलों में वर्ष 1998–2001 के दौरान लौह पृथक्करण संयंत्र वाले नलकूपों के लक्षित निर्माण (18245) के 51 प्रतिशत नलकूपों (9224) पर कुल विनिर्दिष्ट निधियों (22.70 करोड़ रुपये) का 73 प्रतिशत (16.58 करोड़ रुपये) खर्च किया गया। लौह अंशों से मुक्त सुरक्षित पेय जल प्रदान करने के वांक्षित उद्देश्य को अंशतः प्राप्त किया गया।

(कंडिका 4.1.9.1)

आठ प्रमंडलों में ए.आर.डब्लू.एस.पी के निधि से 1.89 करोड़ रुपये से खरीदी गई सामग्रियाँ अन्य प्रयोजनों हेतु दुरूपयोगित की गई।

(कंडिका 4.1.10 (ii))

मानव संसाधन विकास कोषांग की स्थापना हेतु वर्ष 1994–95 में भारत सरकार द्वारा विमुक्त 69.99 लाख रुपये में से जून 2001 तक मात्र 21.81 लाख रुपये ही खर्च किए गए। पुनः प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संचालन हेतु वर्ष 2000–01 के दौरान 63.72 लाख रुपये की निधि का आहरण नहीं किया गया।

(कंडिका 4.1.11)

राज्य में ए.आर.डब्लू.एस.पी का अनुश्रवण अप्रभावी था। परिणामस्वरूप कार्यक्रम बड़ी कमियों से ग्रसित था तथा लक्षित ग्रामीण आबादी को सुरक्षित पेय जल एवं ग्राह्य पेय जलापूर्ति सुविधा प्रदान करने के वांक्षित उद्देश्य को मात्र आंशिक रूप से प्राप्त किया गया।

(कंडिका 4.1.12)

4.1.1 प्रस्तावना

ए.आर.डब्लू.एस.पी. का लक्ष्य सभी ग्रामीण आबादी को सुरक्षित एवं ग्राह्य पेयजल प्रदान करना था

ग्रामीण आबादी को सुरक्षित तथा प्रचुर मात्रा में पेय जल प्रदान करने के राज्य के प्रयासों को अनुपूरित करने के उद्देश्य से वर्ष 1972–73 में भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित योजना, त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्लू.एस.पी.) प्रारंभ किया गया था। कार्यक्रम को मिशन दृष्टिकोण• दिया गया एवं वर्ष 1986 में इसे राष्ट्रीय पेय

• *आठवीं योजना अवधि के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति सेक्टर में वैज्ञानिक एवं तकनीकी निवेशों के अधिकतम अन्तर्वाह को सुनिश्चित करने तथा सभी ग्राम निवासियों को आच्छादित करने हेतु।*

जल मिशन (एन.डी.डब्लू.एम.) तथा वर्ष 1991 में राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन (आर.जी.एन.डी.डब्लू.एम.) का नाम दिया गया।

4.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (अ.प्र.), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग राज्य में त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ए. आर. डब्लू. एस. पी.) के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी थे। उन्हें मुख्यालय स्तर पर 4 मुख्य अभियंताओं (मु.अ.), क्षेत्रीय स्तर पर 4 मुख्य अभियंताओं, अंचल स्तर पर 27 अधीक्षण अभियंताओं (अ.अ.) तथा प्रमंडल स्तर पर 84 कार्यपालक अभियंताओं (का.अ.) द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी।

4.1.3 लेखा–परीक्षा विस्तार

अभियंता प्रमुख तथा 14 प्रमंडलों[1] (बिहार 7 और झारखंड 7) के वर्ष 1997–2001 की अवधि के अभिलेखों का नमूना जाँच मई–जून 2001 के दौरान किया गया।

4.1.4 कार्यक्रम उपलब्धि

499 टोला को शामिल नहीं किया गया एवं 121 टोला अंशतः शामिल थे

वर्ष 1991 के जनगणना के अनुसार राज्य में कुल 67.5 हजार गाँव थे। जैसा कि अभियंता–प्रमुख के द्वारा बताया गया (अगस्त 2001) राज्य में ए.आर.डब्लू.एस.पी. के अंतर्गत अप्रील 1997 तक 5.1 हजार अनाच्छादित आवास तथा 16 हजार अंशतः आच्छादित आवास शामिल थे। ए.आर.डब्लू.एस.पी. के अंतर्गत 31 मार्च 2001 तक 499 निवास स्थानों (बिहार : 2; झारखंड : 497) को शामिल नहीं किया गया तथा 121 निवास स्थानों (बिहार : 2 ; झारखंड : 119) को अंशतः शामिल किया गया।

योजना की कमी से स्रोत का असंतुलित विकास

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, मधुबनी में मधुबनी जिला के 64890 जनसंख्या को शामिल करते हुए 411 निवास स्थानों के लिए वर्ष 1997–98 के दौरान 925 पेयजल स्रोत तथा 55200 लोगों हेतु 146 निवास स्थानों के लिए वर्ष 1998–99 के दौरान 368 पेयजल स्रोत विकसित किए गए। इस प्रकार वर्ष 1997–98 के दौरान 70 व्यक्तियों के लिए तथा वर्ष 1998–99 के दौरान 150 व्यक्तियों के लिए एक स्रोत विकसित किया गया, जबकि मानक के अनुसार 250 व्यक्तियों के लिए एक स्रोत की व्यवस्था की जानी थी। अतः ए.आर.डब्लू.एस.पी. का क्रियान्वयन उचित योजना की कमी से ग्रसित तथा दिए गए मानकों को प्राप्त करने में विफल रहा।

4.1.5 वित्तीय परिव्यय एवं खर्च

वर्ष 1997–2001 के दौरान केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा विमुक्त निधियाँ एवं खर्च निम्नवत् थे :

वर्ष	आदि शेष	भारत सरकार द्वारा आवंटित निधि	भारत सरकार द्वारा विमुक्त निधि	कुल उपलब्ध निधि	राज्य द्वारा विमुक्त निधि	व्यय	वर्ष के अंत में अनुपयोगित शेष
	(लाख रुपये में)						
1	2	3	4	5 (2+4)	6	7	8
1997-98	2987.09	11768.00	0.00	2987.09	1386.33	867.36	2119.73
1998-99	2119.73	9380.00	0.00	2119.73	1973.97	850.24	1269.49
1999-2000	1269.49	9380.00	4690.00	5959.49	1176.70	869.99	5089.50
2000-01	5089.50	9380.00	0.00	5089.50	2525.45	1832.74	3256.76
योग		**39908.00**	**4690.00**		**7062.45**	**4420.33**	

(स्रोत : अभियंता–प्रमुख द्वारा प्रस्तुत सूचना)

[1] *बिहार : दरभंगा, पटना पूर्वी , पटना पश्चिमी, मधुबनी, समस्तीपुर, सासाराम तथा ढाका*
झारखंड : चास, धनबाद, दुमका, गढ़वा, जमशेदपुर, राँची पूर्वी, राँची पश्चिमी।

लेखा–परीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ :

निधियों की दयनीय विमुक्ति एवं उपयोग

(i) वर्ष 1997–2001 के दौरान कुल आवंटित निधि (399.08 करोड़ रुपये) में से मात्र 12 प्रतिशत (46.90 करोड़ रुपये) भारत सरकार द्वारा विमुक्त किया गया चूँकि इस अवधि में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध निधि (76.77 करोड़ रुपये) का 42 प्रतिशत (32.57 करोड़ रुपये) राज्य द्वारा उपयोग नहीं की गई। इस प्रकार उपलब्ध निधियों के उपयोग करने में विभाग की विफलता के कारण ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों हेतु निमित केन्द्रीय निधियों की वृहत् राशि का उपयोग राज्य नहीं कर सका।

राज्य द्वारा एम.एन.पी. हेतु पर्याप्त निधि आबंटित नहीं की गई

(ii) राज्य स्तरीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम.एन.पी.) के अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता का आवंटन राज्य सरकार द्वारा कम से कम समान राशि के प्रावधान पर निर्भर था। निम्न तालिका राज्य द्वारा निधि के आबंटन एवं उपयोगिता दर्शाती है।

वर्ष	आवंटन/निधियों का आबंटन		एम. एन. पी. के तहत प्रावधान में कमी	राज्य द्वारा आबंटित निधियों में से एम. एन.पी. पर किया गया व्यय	बचत
	ए.आर.डब्लू.एस. पी. हेतु भारत सरकार द्वारा	एम.एन.पी. हेतु राज्य द्वारा			
	(लाख रुपये में)				
1997-98	11768	3237.54	8530.46 (72)	3237.54	--
1998-99	9380	9700.00	--	7818.58	1881.42 (19)
1999-2000	9380	2800.00	6580.00 (70)	2488.17	311.83 (11)
2000-2001	9380	4549.90	4830.10 (52)	1904.14	2645.76 (58)

(कोष्ठक के अंक प्रतिशत को दर्शाते हैं)

(स्रोत : अभियंता–प्रमुख द्वारा प्रस्तुत सूचना)

भारत सरकार की निधियाँ अनधिकृत रूप से 6 वर्षों से अधिक समय तक असैनिक जमा में पड़ी थीं

(iii) अभियंता–प्रमुख द्वारा वर्ष 1994–95 के दौरान प्राप्त ग्रामीण स्वच्छता हेतु प्राप्त भारत सरकार की 69.95 लाख रुपये की निधियों को 'सिविल डिपोजिट' में रखा गया तथा जून 2001 तक विमुक्त नहीं किया गया। अनुपयोगित निधि राज्य के रोकड़ शेष के साथ सम्मिलित कर दी गई जो उसके अर्थोपाय स्थिति में सहाय्य हुआ।

प्रमंडलों को निधियों की विमुक्ति में अत्यधिक विलंब

(iv) हालाँकि कार्यक्रम में प्राप्ति के एक माह के अंदर केन्द्रीय निधियों के अविलंब आवंटन परिकल्पित था, अभियंता प्रमुख ने वर्ष 1997–2001 के दौरान प्रमंडलों को 3 से 11 महीनों के विलंब से निधियाँ विमुक्त की।

निधियों की ऐसी अत्यधिक विलंब से विमुक्ति के कारण कार्यक्रम प्रभावित हुआ था।

निधियों का दुरूपयोग किया गया

(v) तीन नमूना–जाँचित प्रमंडलों[2] द्वारा वर्ष 1997–2001 के दौरान एम.एन.पी. के अंतर्गत राज्य द्वारा लिए गए कार्यों तथा संवेदकों के पुराने दायित्वों के समाधान हेतु ए.आर.डब्लू.एस.पी. निधियों के 46.37 लाख रुपये का दुरूपयोग किया गया।

[2] *जमशेदपुर, राँची पश्चिमी तथा सासाराम*

4.1.5.1 जिलों में आवंटन एवं व्यय

14 नमूना जाँचित जिलों में निधियों के आवंटन एवं व्यय निम्नवत् थे :

वर्ष	आवंटन	व्यय	प्रतिशत
	(लाख रुपये में)		
1997-98	451.74	206.82	46
1998-99	442.57	201.41	46
1999-2000	113.48	104.36	92
2000-01	458.32	426.92	93
योग	**1466.11**	**939.51**	**64**

अतः उपलब्ध निधियों का 36 प्रतिशत अनुपयोगित रहा जिसका कारण अभिलेखों में नहीं था।

4.1.6 भौतिक प्रगति

आरंभ की गयी योजनाओं की भौतिक प्रगति निम्नवत थी :

कार्यक्रम का नाम	योजना का विवरण	1997–98		1998–99		1999–2000		2000–01	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
		(संख्या में)							
ए.आर.डब्लू. एस.पी.	हस्त नलकूप	8351	7984 (96)	15341	7059 (46)	11981	6531 (55)	18281	9388 (51)
	छिद्रित नलकूप	7122	4175 (59)	3011	3149 (105)	908	820 (90)	--	25

(कोष्ठक के अंक प्रतिशत को दर्शाते हैं)

संवीक्षा से प्रकट हुआ कि उपलब्धियों में कमी का कारण योजनाओं की स्वीकृति, निधियों की विमुक्ति एवं कार्य के संपादन आदि में विलंब था। अभियंता प्रमुख द्वारा बताई गई उपलब्धि (46 से 105 प्रतिशत) व्यय की गई राशि (44.20 करोड़ रुपये), जो विमुक्त निधि का मात्र 63 प्रतिशत थी, से मेल नहीं खाता था तथा अवास्तविक प्रतीत होता था।

4.1.6.1 नमूना जाँचित जिलों में भौतिक प्रगति

नमूना जाँचित 14 जिलों में भौतिक प्रगति निम्नवत थी :

वर्ष		लक्ष्य	उपलब्धि
		(संख्या में)	
1997-98	हस्त नलकूप	2309	1651
	छिद्रित नलकूप	2453	1289
1998-99	हस्त नलकूप	1155	1606
	छिद्रित नलकूप	1188	927
1999-2000	हस्त नलकूप	406	354
	छिद्रित नलकूप	307	142
2000-01	हस्त नलकूप	1933	2015
	छिद्रित नलकूप	0	0
योग		**9751**	**7984**

यह देखा गया कि नमूना जाँचित जिलों में वर्ष 1997–2001 के दौरान भौतिक उपलब्धि, वित्तीय उपलब्धि से मेल नहीं खा रही थी। छिद्रित नलकूपों के तुलना में हस्त नलकूपों

के छिद्रण की भौतिक उपलब्धि अधिक थी। यह इंगित किया कि छिद्रित नलकूपों की उपेक्षा की गई।

4.1.7 कार्यों का सम्पादन

कार्यों के सम्पादन में पायी गयी त्रुटियाँ निम्नवत् थी :

अपूर्ण योजनाओं पर अलाभकारी व्यय

(i) चार नमूना जाँचित प्रमंडलों[3] में 1981 एवं 1987 के बीच 82.43 लाख रुपये के अनुमानित लागत पर स्वीकृत की गई 6 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएँ मार्च 2001 तक अपूर्ण थी, यद्यपि इन योजनाओं के लिए 114.59 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। अपूर्ण योजनाओं के परिणामस्वरूप 78.87 लाख रुपये का अलाभकारी व्यय हुआ। जबकि कार्यपालक अभियंता ने बताया (जून 2001) कि निधि के अभाव के कारण योजनाएँ अपूर्ण पड़ी रही।

योजनाएँ पाँच वर्षों से अधिक काल तक अक्रियान्वित रहीं

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकटित हुआ कि यांत्रिक (36), असैनिक (55) तथा विद्युत (233) गड़बड़ियों के कारण इन प्रमंडलों में 324 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएँ पाँच वर्षों से भी अधिक अवधि तक अक्रियान्वित रहीं जिन्हें दुरूस्त नहीं किया गया था। कार्यपालक अभियंता ने इसका कारण अभियंता–प्रमुख द्वारा मरम्मती के लिए निधि का प्रावधान नहीं किया जाना बताया। अतः कम से कम 3 लाख ग्रामीण अबादी को पेय जल प्रदान करने का उद्देश्य नहीं हासिल किया जा सका तथा जारी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी गई जबकि नई योजनायें शुरू की गयीं।

नलकूपों के छिद्रण पर अतिरिक्त व्यय

(ii) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, यांत्रिक प्रमंडल, दुमका के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकटित हुआ कि 40.90 लाख रुपये की लागत से 350 नलकूपों के छिद्रण के लक्ष्य के विरूद्ध वर्ष 1997–98 के दौरान 40.90 लाख रुपये की लागत से मात्र 111 नलकूपों का छिद्रण किया गया जिसके परिणामस्वरूप विभाग द्वारा पारित आदर्श प्राकलन, प्रति नलकूप पर व्यय 11687 रुपये के अनुसार 27.93 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। यह पाया गया कि आधिक्य व्यय का मुख्य कारण कार्य मद में स्थापना, आकस्मिक व्यय आदि का अनियमित लेखा–जोखा था।

नलकूपों का संदेहास्पद निर्माण

(iii) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, चास के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकटित हुआ कि ए.आर.डब्लू.एस.पी. के अंतर्गत वर्ष 1995–96 के दौरान 100 छिद्रित नलकूपों के निर्माण हेतु 23.07 लाख रुपये की निधि में से वर्ष 1994–95 के दौरान ए. आर. डब्लू. एस. पी. के तहत 120 छिद्रित (125 x 115 मि.मी. व्यास) नलकूपों पर 8.45 लाख रुपये का व्यय किया गया। जबकि वर्ष 1994–95 के दौरान ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। इस प्रकार, वर्ष 1994–95 के दौरान 120 नलकूपों के निर्माण के उद्देश्य से संवेदकों को किया गया भुगतान संदेह से परे नहीं था।

विफल बोरवेल के परिणामस्वरूप निरर्थक व्यय

(iv) तीन नमूना जाँचित प्रमंडलों[4] के 1241 नलकूपों में से 141 (11.5 प्रतिशत) नलकूप विफल थे। कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, चास ने बताया कि स्थलों का चयन क्षेत्र के विधायकों/सांसद के निर्देश से किया गया तथा किसी भूगर्भीय आँकड़े पर आधारित नहीं था जबकि कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, राँची (पश्चिमी) ने बताया कि सतही जल की उपलब्धता को मालूम करने के लिए कोई पूर्व जाँच का प्रावधान नहीं था। इसके परिणामस्वरूप 141 विफल नलकूपों पर 16.43 लाख रुपये का निरर्थक व्यय हुआ।

[3] *चास, दरभंगा, मधुबनी तथा समस्तीपुर*

[4] *चास, गढ़वा तथा राँची पश्चिम*

कार्यों के संदेहास्पद क्रियान्वयन

(v) बिहार लोक कार्य लेखा संहिता के नियम 226 के अनुसार मजदूरी मॉस्टर रॉल पर आहरित की जानी थी। हालाँकि 5 प्रमंडलों[5] में 1999–2001 के दौरान 1152 हस्त रसीदों द्वारा मजदूरी का भुगतान (50.07 लाख रुपये) किया गया था। यह भी प्रकटित हुआ कि कार्यरत वास्तविक मजदूर तथा कार्यों के संपादन की अवधि हस्त रसीदों पर वर्णित नहीं थे। वित्तीय वर्ष 2000–01 के अंतिम दिन 2 प्रमंडलों में (ढाका एवं पटना पूर्वी) 67 मामले हेतु 2.50 लाख रुपये का भुगतान किया गया। हस्त रसीदों पर कार्यों के संपादन की स्वीकृति दर्ज नहीं की गई थी। निष्पादित कार्य के माप हेतु निर्धारित जाँच सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता द्वारा नहीं किया गया इसलिए निष्पादित कार्य की सीमा का आकलन करने के लिए कोई आधार नहीं था। इस प्रकार, हस्त रसीदों द्वारा कार्यों के विभागीय सम्पादन पर 50.07 लाख रुपये का भुगतान संदेहास्पद था।

सामग्रियों का संदेहास्पद उपयोग

(vi) तीन नमूना जाँचित प्रमंडलों[6] में प्रमंडलों द्वारा खरीदी गई 1.50 करोड़ रुपये की सामग्रियों को संबंधित कार्य के स्थल–लेखा में दर्ज नहीं किया गया। लेखा परीक्षा को कोई भी स्थल–लेखा उपलब्ध नहीं कराया गया तथा इस प्रकार कार्यों पर सामग्रियों का उपयोग संदेहास्पद था।

4.1.8 निरंतरता

जलापूर्ति सुविधा की निरंतरता सुनिश्चित नहीं की गई

नमूना जाँच से प्रकटित हुआ कि व्यवस्थित स्रोतों की तलाश एवं स्थल चयन की कमी थी। मानकों के अनुसार उपग्रहों प्रतिविम्ब तथा भूगर्भीय मानचित्र का इस्तेमाल जल स्रोतों एवं स्थल के खोज के लिए की जानी थी। 14 नमूना जाँचित प्रमंडलों[7] में ए.आर. डब्लू.एस.पी. के लिए इन मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। स्थलों का चयन भारत सरकार द्वारा दिए गए मानकों के विरूद्ध क्षेत्रीय विधायक के अनुमोदन पर किया गया और परिणामस्वरूप 3 नमूना जाँचित प्रमण्डलों मे वर्ष 1997–2001 के दौरान 16.43 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ जैसा कि उक्त कंडिका 4.1.7 (iv) में दर्ज है।

4.1.9 जल परीक्षण प्रयोगशालाएँ

जल परीक्षण प्रयोगशाला सुविधा नगण्य

लोगों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल का रासायनिक, जीवाणु तथा जैविक परीक्षण अनिवार्य था। 14 नमूना जाँचित प्रमंडलों में जल परीक्षण प्रयोगशाला मात्र एक प्रमंडल (सासाराम) में उपलब्ध था। अभियंता प्रमुख ने जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु वर्ष 2000–01 के दौरान 9 जिलों[8] को 18 लाख रुपये की राशि विमुक्त किया। इसमें से रसायनिक, जीवाणु जाँच हेतु उपकरण एवं शीशे के उपकरण आदि के अधिप्राप्ति पर 16.74 लाख रुपये व्यय किए गए परन्तु परीक्षण प्रयोगशालाएँ सितम्बर 2001 तक स्थापित नहीं की गयी थीं। इसके अतिरिक्त जल की गुणवत्ता जाँच करने के लिए कोई केमिस्ट या परीक्षण प्रयोगशाला सहायक नहीं था। इस प्रकार जल परीक्षण जाँच की सुविधा, जो पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक थी, उपलब्ध नहीं थी।

5 *ढाका (7.01 लाख रुपये), पटना पूर्वी (5.68 लाख रुपये), पटना पश्चिमी (11.20 लाख रुपये), समस्तीपुर (22.66 लाख रुपये) तथा सासाराम (3.52 लाख रुपये)।*

6 *दुमका, पटना पूर्वी तथा समस्तीपुर*

7 *चास, दरभंगा, ढाका, धनबाद, दुमका, गढ़वा, जमशेदपुर, मधुबनी, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, राँची पूर्वी, राँची पश्चिमी, समस्तीपुर तथा सासाराम*

8 *अररिया, बेगूसराय, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा एवं सुपौल*

4.1.9.1 लौह पृथक्करण संयंत्र

लौह अवयव मुक्त सुरक्षित पेय जल की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गयी

नौ जिलों[9] के पेय जल में लौह अवयव की अत्यधिक मात्रा विद्यमान थी। तद्नुसार अभियंता–प्रमुख ने इन जिलों में वर्ष 1998–99 से वर्ष 2000–01 के दौरान लौह पृथक्करण संयत्र वाले 18245 नलकूपों के छिद्रण का लक्ष्य (दिसम्बर 1998) निर्धारित किया तथा इसके लिए संबंधित प्रमंडलों को 22.70 करोड़ रुपये आबंटित किया। प्रमंडलों द्वारा मार्च 2001 तक 16.58 करोड़ रुपये व्यय किए गए तथा 6.12 करोड़ रुपये अभ्यर्पित कर दिए। व्यय किए गए राशि से लौह पृथक्करण संयंत्र युक्त मात्र 9224 नलकूपों का छिद्रण किया गया। इस प्रकार जबकि विनिर्दिष्ट निधियों का 73 प्रतिशत खर्च किया गया, जबकि भौतिक प्रगति मात्र 51 प्रतिशत थी। अतः लक्षित ग्रामीण लोगों को लौह अवयव से मुक्त सुरक्षित पेय जल प्रदान करने के उद्देश्य को सिर्फ अंशतः प्राप्त किया जा सका।

4.1.10 सामग्री प्रबंधन

अप्रभावी अनुश्रवण

भंडारों के प्रबंधन में निम्नांकित कमियाँ पाई गई :

सामग्रियों के अधिक अधिप्राप्ति से निधियाँ अवरूद्ध हुईं

(i) चार नमूना जाँचित प्रमंडलों[10] में आर.डब्लू.एस.पी. के अंतर्गत वर्ष 1997–2001 के दौरान 2.24 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्रियाँ (यू.पी.वी.सी. केसिंग आई एम–III हस्त पम्प, जी आई पाइप, तारा पम्प, 40 मि.मी. व्यास x 2 मीटर यू.पी.वी.सी. स्ट्रेनर आदि) खरीदी गईं। इनमें से 45.18 लाख रुपये मूल्य की सामग्रियाँ अगस्त 2001 तक अव्यवहृत पड़ी रही। (संदर्भ : परिशिष्ट – XVII) । इस प्रकार तत्काल जरूरत से ज्यादा सामग्रियों के क्रय से 45.18 लाख रुपये अवरूद्ध हुए।

ए.आर.डब्लू.एस.पी. प्रभाव विश्लेषण ने कमियों को इंगित

सामग्रियाँ दुरूपयोगित रहीं

(ii) आठ नमूना जाँचित प्रमंडलों[11] में कार्यक्रम के निधि से खरीदी गई 1.89 करोड़ रुपये की सामग्रियों को 1997–2001 के दौरान एम.एन.पी. के अंतर्गत अन्य कार्यो तथा दशम् वित्त आयोग के अंतर्गत विशेष मरम्मति एवं जमा कार्य पर किया गया (संदर्भ : परिशिष्ट – XVIII)।

4.1.11 मानव संसाधन विकास कार्यक्रम

राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम (एन.एच.आर.डी.पी.) जो आर जी एन डी डब्लयू एम के अंतर्गत वर्ष 1994 में मानव संसाधन विकास (एच आर डी) हेतु शत प्रतिशत वित्तीय सहायता एवं तकनीकी मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया।

केन्द्रीय निधियों के लाभ का उपभोग नहीं किया गया

एच.आर.डी. कोषांग की स्थापना में विलंब होने के कारण बिहार में एच आर डी कोषांग की स्थापना हेतु वर्ष 1994–95 में भारत सरकार द्वारा विमुक्त 69.99 लाख रुपये की निधि को राज्य सरकार द्वारा आहरित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप अगस्त 1997 में भारत सरकार ने पुनः समान राशि विमुक्त किया। इसके विरूद्ध विभाग ने कोषांग की स्थापना हेतु 21.81 लाख रुपया खर्च किया तथा जून 2001 तक 48.18 लाख रुपये का उपयोग नहीं किया। पुनः भारत सरकार ने वर्ष 2000–01 के दौरान 147 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिए 63.72 लाख रुपया स्वीकृत किया (अक्टूबर 2000)। मई

9 *अररिया, बेगूसराय, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा एवं सुपौल*

10 *दरभंगा, जमशेदपुर, मधुबनी एवं सासाराम*

11 *चास, ढाका, धनबाद, गढ़वा, मधुबनी, पटना पश्चिमी, राँची पूर्वी एवं सासाराम*

2001 तक राज्य सरकार द्वारा यह राशि आहरित नहीं की गई थी। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 1.21 करोड़ रुपये की कुल निधियाँ अनुपयोगित पड़ी रहीं।

यह भी पाया गया कि एच आर डी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण देने के लिए अभियंता–प्रमुख द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, पटना पश्चिमी को 30.84 लाख रुपये आबंटित किए गए। इसके विरूद्ध, अभियंता–प्रमुख ने प्रमंडल में इस्तेमाल करने के लिए 8.51 लाख रुपये में दो मारूति जिप्सी की आपूर्ति हेतु पटना के एक फर्म को आदेश जारी किया (मार्च 2001 एवं सितम्बर 2001)। सितम्बर 2001 तक, निधियों के दुरूपयोग हेतु जिम्मेवार अधिकारी(~रियों) के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

4.1.12 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अप्रभावी अनुश्रवण

जबकि अभियंता–प्रमुख के कार्यालय में एक अधीक्षण अभियंता, जो कि दो उपनिदेशकों तथा एक कार्यपालक अभियंता द्वारा सहयोगित थे, कार्यक्रम के अनुश्रवण के लिए जिम्मेवार थे, अनुश्रवण अप्रभावी था। परिणामस्वरूप कार्यक्रम अपने कार्यान्वयन में अनेकों कमियों से ग्रसित था (जैसा कि पूर्व के उप–कंडिकाओं में वर्णित है) तथा ग्रामीण आबादी को सुरक्षित पेयजल एवं ग्राह्य पेय जलापूर्ति सुविधा प्रदान करने के वांक्षित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया गया।

ए.आर.डब्लू.एस.पी. के प्रभाव विश्लेषण ने बड़ी कमियों को इंगित किया

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा लक्षित समूहों पर पेय जलापूर्ति योजनाओं के परिणाम का आकलन नहीं किया गया। यूनिसेफ संरक्षण के अंतर्गत एस टी ई एम, बैंगलूर द्वारा तीन जिलों (पूर्णिया, मुंगेर तथा मुजफ्फरपुर) में किए गए (मई 2001) राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति योजना के सर्वेक्षण से प्रकटित हुआ कि योजना का कार्यान्वयन मुख्यतः निम्नलिखित कमियों से ग्रसित था :

- संस्थागत व्यवस्था की कमी;
- आवधिक जलापूर्ति जाँच नहीं की गई थी। 14 प्रतिशत हस्त पंपों का पानी एवं 53 प्रतिशत परिवारों के लिए पेय जल दूषित था;
- प्रत्येक चार हस्त पंपों में से एक चालू स्थिति में नहीं था;
- दस प्रतिशत से कम परिवारों द्वारा शौचालय का इस्तेमाल किया जाता था जो व्यक्तिगत स्वच्छता की दयनीयता का सूचक था;
- पर्यावरणीय स्वच्छता दयनीय थी चूँकि अधिकतर नलकूप वगैर चबूतरे के थे।

मामले सरकार को संदर्भित किए गए (सितम्बर 2001) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 2002)।

मुख्याकर्षण

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को लोगों को सुरक्षित पेयजल, ग्रामीण आबादी को मल निकास एवं जल निकास सुविधा प्रदान करने तथा शहरी सरकारी भवनों के सफाई तथा जल निकास सुविधा के प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया है।

विभाग में बजटीय एवं वित्तीय प्रबंधन दयनीय था। व्यय नियंत्रण प्रणाली क्रियाशील नहीं थी तथा योजना कार्यक्रमों के लिए बजट प्रावधान में अत्यधिक बचतें थी।

विभाग के योजना, अनुश्रवण तथा क्रियान्वयी इकाईयों के मध्य समन्वय के अभाव के कारण विभाग द्वारा ली गई योजनाओं का क्रियान्वयन बुरी तरह प्रभावित हुआ। समन्वय एवं अनुश्रवण के अभाव ने अधिक मात्रा में व्यर्थ/निष्फल व्यय, योजनाओं पर अतिरिक्त लागत, सामग्रियों की अत्यधिक खरीद, वर्ष के अन्तिम क्षण में निधियों का आवंटन, वर्षों तक अधूरी पड़ी रही योजनाओं पर अत्यधिक निष्क्रिय निवेश तथा अधिक संख्या में अफलीभूत योजनाओं को बढ़ावा दिया।

गैर योजना बजट आकलन तदर्थ आधार पर बनाया गया। विभाग ने अपेक्षित बजटीय नियंत्रण कार्यप्रणाली लागू नहीं किया क्योंकि नि. एवं आ. पदाधिकारियों द्वारा समुचित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।

नियंत्री पदाधिकारियों ने वर्ष 1996–2000 से संबंधित 900.65 करोड़ रुपये के विभागीय लेखे का महालेखाकार के लेखे से समाधान नहीं किया। इससे गंभीर अनियमितताओं के अनुद्घाटित रह जाने का खतरा था।

(कंडिका 4.2.4 एवं 4.2.4.1 (vii))

वर्ष 1996–2000 के दौरान 498.15 करोड़ रुपये (बजट प्रावधानों का 36 प्रतिशत) अव्यवहृत पड़े रहे। 58.81 करोड़ रुपये के अधिक व्यय का कारण नहीं बताया गया।

(कंडिका 4.2.4.1 (i) तथा (viii))

वि. लो. का. संहिता का उल्लंघन करते हुए युनिसेफ निधि के 2.32 करोड़ रुपये के लेखे को न तो प्रमंडलीय लेखे में प्रदर्शित किया गया न ही इस निधि के संचालन का अनुश्रवण अ.प्र. स्तर से किया गया।

(कंडिका 4.2.4.1 (x))

सात प्रमंडलीय पदाधिकारियों ने 1.58 करोड़ रुपये की उद्दिष्ट निधियों का दुरूपयोग किया।

(कंडिका 4.2.4.2 (क) (i) तथा (ii))

बिहार पठारी विकास परियोजना के अधीन ड्रिल नलकूपों की योजना की शूरूआत स्थल की भू–जल विज्ञानी जाँच कराए बिना ही की गई तथा अफलीभूत नलकूपों पर 2.65 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

(कंडिका 4.2.5)

वर्ष 1999 में यू.पी.वी.सी.पाइप, स्ट्रेनर्स इत्यादि की अधिप्राप्ति के लिए निविदा पर निर्णय करने में विलंब के कारण 0.72 करोड़ रुपये की अधिक लागत आई। तीन प्रमंडलीय पदाधिकारियों ने उपलब्ध प्रावधानों से 1.65 करोड़ रुपये के अधिक दायित्वों का अनाधिकृत रूप से सृजन किया।

(कंडिका 4.2.6.1 (i) तथा (iv))

11 प्रमंडलों में वर्ष 1980–93 के दौरान प्रारंभ की गई एवं 2 वर्षों में पूरी की जाने वाली 30 ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएँ 3.16 करोड़ रुपये खर्च किए जाने के बावजूद भी अपूर्ण रही। अन्य 9 प्रमंडलों में 3.06 करोड़ की लागत पर क्रियान्वित की गई 44 ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएँ रख रखाव के अभाव में 1 से 18 वर्षों तक अक्रियाशील रहीं।

(कंडिका 4.2.6.2 (i) एवं (ii))

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गिरीडीह एवं साहेबगंज में वर्ष 1991–99 के दौरान 2.69 करोड़ रुपये की लागत पर गाड़े गए 1341 बोरवेल बेकार हो गए क्योंकि इनमें हस्तचालित पंप नहीं लगाया गया।

(कंडिका 4.2.6.2 (v) तथा (vi))

नमूना–जाँचित प्रमंडलों में अफलीभूत बोरवेल, नलकूपों के अधिक ड्रिल किए जाने से कार्य के संदेहास्पद समापन, अवमानक कार्यों एवं कार्य के विलंबित समापन के कारण अधिक लागत पर कुल 6.11 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

(कंडिका 4.2.6.3 से 4.2.6.7 तक)

18 कार्यपालक अभियंताओं ने वर्ष 1996–2000 के दौरान 16.49 करोड़ रुपये का कार्य श्रमिकों द्वारा मस्टर रॉल के बदले हस्त रसीद के माध्यम से विभागीय स्तर पर क्रियान्वित किया, जिसके कारण व्यय की सत्यता संदेहास्पद थी।

(कंडिका 4.2.6.8)

16 कार्यपालक अभियंताओं ने वर्ष 1996–2000 के दौरान मरम्मती एवं रख–रखाव के कार्य पर हुए 10.19 करोड़ रुपये के व्यय से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा को नहीं दिखाया। इन मरम्मती कार्यों का निरीक्षण संबंधित अधीक्षण अभियंताओं द्वारा नहीं किया गया जो गंभीर संदेह उत्पन्न करता था।

(कंडिका 4.2.6.9)

निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए नियंत्री पदाधिकारी ने डी जी एस एंड डी से सामग्रियाँ प्राप्त कीं। विभिन्न प्रमंडलों द्वारा 16.62 करोड़ रुपये के महालेखाकार के नामे संज्ञापन का समायोजन मार्च 2001 तक नहीं किया गया। मंडार के अत्यधिक संग्रहण के कारण मार्च 2001 तक 14.94 करोड़ रुपये मूल्य के भंडार बेकार पड़े रहे। नमूना–जाँचित 8 प्रमंडलों में 1.15 करोड़ रुपये मूल्य के भंडार का दुर्विनियोजन पाया गया।

(कंडिका 4.2.7 (i), (ii) तथा 4.2.7.1 (i))

8 प्रमंडलीय पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न विर्निदिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त की गई 1.55 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्रियों को अन्य कार्यों के लिए विचलित किया गया।

(कंडिका 4.2.7.1 (ii))

चार यांत्रिक प्रमंडलों ने वर्ष 1996–2000 के दौरान की गई विद्युत खपत पर विलंबित भुगतान के मद में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 1.11 करोड़ रुपये का परिहार्य भुगतान

किया। दो यांत्रिक प्रमंडलों का जुलाई 2000 तक 23.24 करोड़ रुपये के विद्युत शुल्क का अपरिशोधित दायित्व था।

(कंडिका 4.2.8 (i))

4 प्रमंडलों में जहाँ जल–जाँच की गई थी, 40 में से 38 नलकूप प्रदूषित जल विसर्जित कर रहे थे लेकिन कोई उपचारी कार्य नहीं किया गया।

(कंडिका 4.2.9)

प्रबंधन सूचना व्यवस्था पूरी तरह उपेक्षित थी तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार के अंतर्गत क्रियाकलाप अप्रभावी थे।

(कंडिका 4.2.10 तथा 4.2.10.1)

विभाग को विभिन्न श्रेणियों के कर्मियों के स्वीकृत पदों एवं पदस्थापित बल की सूचना नहीं थी। 6 प्रमंडलों में 3.66 करोड रुपये निष्क्रिय कर्मियों पर व्यय किये गये थे। विभाग अधिक संख्या में कार्यभारित कर्मियों के बोझ से दबा हुआ था तथा कार्यभारित कर्मियों एवं नियमित कर्मियों का अनुपात 7 : 3 था।

(कंडिका 4.2.11)

महालेखाकार द्वारा विभागीय पदाधिकारियों को निर्गत किए गए (1983–2000) 726.72 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं को दर्शाने वाले 683 निरीक्षण प्रतिवेदनों (2993 कंडिकाएँ) की अनुक्रिया निराशाजनक थी।

(कंडिका 4.2.12)

अनुश्रवण अदक्ष एवं अप्रभावकारी था।

(कंडिका 4.2.13)

4.2.1 प्रस्तावना

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की जवाबदेही (क) ग्रामीण एवं शहरी लोगों को (आरा, भागलपुर, झरिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर तथा पटना को छोड़कर जहाँ जल आपूर्ति एवं सफाई सुविधा नगरपालिका संस्थाएँ उपलब्ध कराती हैं) सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना तथा (ख) ग्रामीण लोगों के लिए कम लागत के शौचालयों का निर्माण के माध्यम से जल निकास एवं मल निकास की सुविधा उपलब्ध कराना तथा शहरी सरकारी भवनों में सफाई तथा मल निकास व्यवस्था का प्रबंधन कराने की थी। जल आपूर्ति कार्यक्रम का क्रियान्वयन (i) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (न्यू. आ. का.), (ii) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (त्व. ग्रा. ज. आ. का.) तथा त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (त्व. श. ज. आ. का), (iii) छोटानागपुर एवं संथाल परगना के 67 प्रखंडों में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त बिहार पठारी विकास परियोजना एवं (iv) ओवरसीज इकोनोमी कोअपरेशन फंड (ओ.इ.सी.एफ.) से सहायता प्राप्त बौद्ध केन्द्रों के लिए जल आपूर्ति योजनाओं के अधीन था।

4.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के समस्त प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अभियंता–प्रमुख सह विशेष सचिव विभागीय क्रियाकलापों के प्रबंधन एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी थे। उनकी सहायता के लिए 8 मुख्य अभियंता (मुख्यालय : 4, प्रक्षेत्र: 4), 26 अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक : 4 एवं असैनिक : 22) तथा बिहार एवं झारखंड के सभी 89 प्रमंडलों के 89 प्रमंडलीय अभियंता (यांत्रिक : 16 एवं असैनिक : 73) थे।

4.2.3 लेखा–परीक्षा का विस्तार

वर्ष 1996–2001 के दौरान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के क्रियाकलाप की समीक्षा नवंबर 2000 तथा जून 2001 के बीच अभियंता प्रमुख, 2 मुख्य अभियंता[1], 3 अधीक्षण अभियंता[2] तथा 26 कार्यपालक अभियंता[3] के अभिलेखों की नमूना जाँच द्वारा की गई।

4.2.4 बजट प्रक्रिया एवं वित्तीय परिव्यय

बिहार बजट नियमावली के नियम 83 के अनसार लो. स्वा. अ. वि. को स्थापना खर्च का आकलन वित्त विभाग को प्रत्येक वर्ष 25 अक्टूबर तक प्रस्तुत करना था तथा बिहार बजट नियमावली के नियम 87 के अनुसार कार्य, मरम्मती, औजार एवं संयंत्र के लिए माँग का विस्तृत ब्यौरा लो. स्वा. अ. विभाग द्वारा वित्त विभाग को प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर तक प्रस्तुत करना था।

तदर्थ बजट से वित्तीय कुप्रबंधन को बढ़ावा

अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा योजना तथा गैर योजना कार्य एवं स्थापना के लिए बजट आकलन तैयार किया जाना था। स्थापना के गैर–योजना बजट के लिए 119 संवितरण पदाधिकारियों से पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुए वास्तविक व्यय के आधार पर आकलन करना था। तथापि, सरकार के सचिव, लो. स्वा. अ. वि. ने वर्ष 1997–98 एवं वर्ष 2000–01 को छोड़कर वर्ष 1996–2001 के दौरान वित्त विभाग को बजट आकलन के प्रस्तुतिकरण की समय सीमा का पालन नहीं किया। इन तीन वर्षों में वित्त विभाग को बजट प्रस्ताव भेजने में 10 से 62 दिनों का विलंब किया गया। योजना एवं विकास विभाग द्वारा निर्धारित लो. स्वा. अ. वि. के लिए परिव्यय सीमा के आधार पर योजना के लिए बजट आकलन तैयार किया गया। चूँकि आकलन तदर्थ आधार पर तैयार किया गया तथा समुचित बजटीय नियंत्रण नहीं रखा गया था, अतः सतत बचतें, अनुचित प्रावधान, अशोधित दायित्व तथा असैनिक जमा/डी. आर. डी. ए. के पास निधि का अनुचित जमाव हुआ, जैसा नीचे विवरणित है।

4.2.4.1 बजट प्रावधान एवं व्यय

विभाग द्वारा अधिक बचत का कारण नहीं बताया गया

योजना (4215–जल आपूर्ति एवं स्वच्छता) तथा गैर योजना (2215–जल आपूर्ति एवं स्वच्छता) के तहत बजट प्रावधान एवं व्यय निम्नवत थे :

वर्ष	अनुदान			व्यय			आधिक्य (+)/बचत (–)		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
	(करोड़ रुपये में)								
1996-97	207.97	112.09	320.06	62.94	115.06	178.00	(-) 145.03	(+) 2.97	(-) 142.06
1997-98	140.21	138.01	278.22	64.57	130.59	195.16	(-) 75.64	(-) 7.42	(-) 83.06
1998-99	189.23	193.96	383.19	101.28	155.66	256.94	(-) 87.95	(-) 38.30	(-) 126.25
1999-2000	135.50	281.83	377.33	40.39	230.16	270.55	(-) 95.11	(-) 11.67	(-) 106.78
2000-01	110.00	238.43	348.43	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	-	-	-
योग	**782.91**	**964.32**	**1747.23**	**269.18**	**631.47**	**900.65**	**(-) 403.73**	**(-) 54.42**	**(-) 458.15**

(स्त्रोत : बिहार सरकार का विनियोग लेखा)

विभाग द्वारा वर्ष 1991–2000 के दौरान अन्य स्त्रोतों से प्राप्त की गई निधियाँ निम्नलिखित थीं :

1 *मुख्य अभियंता, यांत्रिक, पटना, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर*

2 *अ. अ. (यांत्रिक), मुजफ्फरपुर, (असैनिक) दरभंगा एवं जमशेदपुर*

3 *आदित्यपुर, अररिया, औरंगाबाद, पूर्वी भागलपुर, पश्चिमी भागलपुर, बिहारशरीफ, दरभंगा, देवघर, धनबाद (यांत्रिक), गया (यांत्रिक), गिरीडीह, गोड्डा, हाजीपुर, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर (यांत्रिक), नवादा, पूर्वी पटना, पूर्णिया, साहेबगंज, समस्तीपुर, सासाराम, सासाराम (यांत्रिक), सिवान एवं तेनुघाट*

क्रम सं.	कार्यक्रम	निधी का स्रोत	आबंटन की अवधि	आबंटित निधि	मार्च 2001 तक व्यय	शेर्ष
				(करोड़ रुपये में)		
1.	बौद्ध परिपथों (राजगीर, नालंदा, बोधगया एवं वैशाली) को जल आपूर्ति	शहरी विकास विभाग के माध्यम से ओ.ई.सी.एफ.	1991-2001	13.36	12.14	1.22 (जमा)
2.	वि. प. वि. परियोजना	प. नि. वि., वि. प. वि. प., राँची के माध्यम से विश्व बैंक कोष	1994-2001	60.27	53.00	7.27 (अभ्यर्पित)
3.	10वें वित्त आयोग के अधीन जल आपूर्ति एवं सफाई	जिला प्रशासन के माध्यम से शिक्षा विभाग द्वारा आबंटित केंद्रीय निधि	1998-2001	25.94	20.85	5.09 (जमा)

यह पाया गया कि वर्ष 1996–2000 के दौरान कुल अनुदान का योजना एवं गैर योजना अनुदान क्रमशः 48 एवं 52 प्रतिशत था, जबकि व्यय कुल व्यय का क्रमशः 30 एवं 70 प्रतिशत था। इस प्रकार योजना मद के वृहत् हिस्से (60 प्रतिशत) को खर्च नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अधिकतर व्यय वेतन भुगतान में था।

नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वर्ष 1996–2000 के दौरान अधिक निधियों की बचतों (30 से 40 प्रतिशत) तथा वर्ष 1996–97 के दौरान अधिक व्यय (गैर योजना) का कारण नहीं बताया गया, जबकि संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे प्रधान महालेखाकार द्वारा तैयार कर लिए गए थे तथा सरकार को भेज दिए गए थे।

संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ :

(i) *बजट प्रावधान को खर्च करने में विफलता*

वर्ष 1996–2000 के दौरान 498.15 करोड़ रुपये (निधियों का 36 प्रतिशत) अव्यवहृत रह गए जिसमें से 403.73 करोड़ रुपये मुख्यतः ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के अंतर्गत योजना कार्यक्रमों से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान कुछ उपशीर्षों (परिशिष्ट–XIX) के अंतर्गत अनावश्यक रूप से 3.85 करोड़ रुपये के अनुपूरक प्रावधान किए गए जो पूर्णतः अव्यवहृत रहे।

(ii) *केन्द्रीय निधियों का उपयोग नहीं*

सफाई परियोजना के लिए केन्द्रीय निधि खर्च नहीं की गई

भारत सरकार द्वारा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (त्व. ग्रा. ज. आ. का.) के लिए विमुक्त किए गए 78.03 करोड़ रुपये (वर्ष 1996–97 : 31.13 करोड़ रुपये; वर्ष 1999–2000 : 46.90 करोड़ रुपये) में से 10.62 करोड़ रुपये मार्च 2001 तक अव्यवहृत थे। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999–2000 के दौरान पूर्ण सफाई अभियान परियोजना (पू. स. अ. परि.) के लिए विमुक्त 7.30 करोड़ रुपये को अभियंता प्रमुख द्वारा योजनाओं को अंतिम रूप नहीं देने के कारण विभाग द्वारा मार्च 2001 तक उपयोग नहीं किया गया।

(iii) *राज्य सरकार द्वारा व्यय का मिलान नहीं किया जाना*

पेयजल आपूर्ति विभाग, भारत सरकार की विवरणी (मई 2000) के अनुसार राज्य सरकार के पास 31 मार्च 2000 तक त्व. ग्रा. ज. आ. कार्यक्रम निधि का अव्यवहृत शेष 90.73 करोड़ रुपये था जबकि राज्य सरकार के अभिलेखों के अनुसार उस दिन तक विभाग के पास 50.90 करोड़ रुपये का अव्यवहृत शेष था। राज्य सरकार द्वारा शेष का समाधान किया जाना अभी तक बाकी था।

(iv) *बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन*

निकासी की गई निधि को "असैनिक जमा" में रखा गया, जबकि यह वर्जित था

वर्ष 1990–95 के दौरान त्व. ग्रा. ज. आ. कार्यक्रम एवं पू. स. अ. परियोजना के लिए निकासी किए गए 55.99 करोड़ रुपये को मार्च 2001 तक "असैनिक जमा" में रखा गया। तीन प्रमंडलों द्वारा 31 मार्च 1998 एवं 31 मार्च 1999 को 10.12 करोड़ रुपये एवं 38.67 करोड़ रुपये (दोनों न्यू. आ. का. राज्य निधि) की निकासी की गई एवं बिना निर्दिष्ट प्रयोजन के बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उसी महीने में डी. आर. डी. ए. (पटना, हजारीबाग तथा राँची) को स्थानांतरित कर दिया गया। राज्य के विभिन्न प्रमंडलों को वितरित करने के लिए प्रमंडलों ने अगले वर्ष में 4 से 6 महीने के बाद डी. आर. डी. ए. से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राशि वापस ले ली। वितरित राशि का उपयोग अनुवर्ती वर्षों (1999–2001) में किया गया। इस प्रकार, स्पष्टतः बजट प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने के लिए निकासी की गई, जो नियम के प्रतिकूल थी। प्रमंडलों द्वारा ये लेन–देन सरकार के सचिव, लो. स्वा. अभि. वि. के निर्देशों पर किए गए। अतः कोषागार से निधियों की निकासी से संबंधित संहित प्रावधानों का घोर उल्लंघन किया गया।

(v) *ग्रा. ज. आ. निधियाँ वर्षों तक अव्यवहृत पड़ी रही*

ग्रा. ज. आ. निधियाँ अव्यवहृत

ग्रामीण जल आपूर्ति योजना एवं ग्रामीण सफाई योजना (संदर्भ : परिशिष्ट – XX) के तहत 44.16 करोड़ रुपये के कुल प्रावधान योजनाओं के अक्रियान्वयन/अस्वीकृति के कारण वर्षों तक (वर्ष 1996–2000) पूर्णतः अव्यवहृत रहे।

(vi) *राज्य अंश के अल्प विमुक्ति के कारण योजनाएँ अपूर्ण रहीं*

राज्य द्वारा अनुरूप अंश की विमुक्ति नहीं

भारत सरकार ने 14 शहरी जल आपूर्ति योजनाओं[4] के लिए वर्ष 1996–2001 के दौरान 6.07 करोड़ रुपये विमुक्त किया। राज्य सरकार ने इसके बदले 1.44 करोड़ रुपये ही विमुक्त किया। अभियंता प्रमुख ने कहा (जुलाई 2001) कि राज्य अंश की अल्प विमुक्ति के कारण 13 योजनाएँ पूरी नहीं की जा सकी।

(vii) *विभागीय लेखे का समाधान नहीं*

नियंत्री पदाधिकारी ने आँकड़ों का समाधान नहीं किया

व्यय के विभागीय आँकड़ों का महालेखाकार की बही में दर्ज आँकड़ों से समाधान करने का दायित्व नियंत्री पदाधिकारी (अ. प्र.) का था। वर्ष 1996–2001 के दौरान इसकी अवहेलना की गयी जबकि इसके लिए प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.), राँची द्वारा समय–समय पर उन्हें स्मारित किया गया था। अतः वर्ष 1996–2000 के दौरान 900.65 करोड़ रुपये का व्यय असमाधित रह गया। व्यय के सतत् असमाधान से व्यय–नियंत्रण का अभाव एवं अविश्वसनीय बजट आकलन के अलावे घोर अनियमितता, गबन और जालसाजी, अगर कोई हो, के भी अनुद्घाटित रह जाने का खतरा था।

(viii) *आधिक्यों का कारण नहीं बताया गया*

कुछ उपशीर्षों के अंतर्गत हुए आधिक्य का कारण नहीं बताए गए

लेखा परीक्षा को समीक्षा के दौरान या विनियोग लेखे तैयार करते समय प्रधान महालेखाकर को ग्रामीण एवं शहरी जल आपूर्ति और ग्रामीण सफाई योजना के कुछ उपशीर्षों के अंतर्गत वर्ष 1996–2000 के दौरान हुए 58.81 करोड़ रुपये (संदर्भ : परिशिष्ट–XXI) के अधिक व्यय का कारण नहीं बताया गया।

[4] *अमरपुर, बरवाडीह, चाकुलिया, हिसुआ, गम्हौर, जनकपुर रोड, कौथ, लातेहार, मोहिउद्दीनगर, मुरी, रफीगंज, राजमहल, सरायकेला, शिवहर*

(ix) *जमा कार्यों का लेखा समर्पित नहीं किया गया*

महालेखाकार को समर्पित प्रमंडलीय लेखा में यूनिसेफ से प्राप्त राशि नहीं दर्शाई गई

वि. लो. का. ले. संहिता की कंडिका 428 तथा 437 से 440 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार प्रमंडल द्वारा किसी भी स्त्रोत से प्राप्त की गई निधि को प्रमंडलीय लेखे में प्रदर्शित होना था। इन प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विभाग के विशेष सचिव ने निर्देश निर्गत किया (सितंबर 1994) कि यूनिसेफ से प्राप्त राशि को बैंक खाता में जमा किया जाना चाहिए एवं उससे हुए लेन–देन के लिए अलग अभिलेख (प्रमंडलीय लेखा से अलग) संधारित किया जाना चाहिए। अतः 2.32 करोड़ रुपये के यूनिसेफ निधि का लेखा 24 प्रमंडलों द्वारा जनवरी 1999 से मार्च 2001 के दौरान महालेखाकार को समर्पित नहीं किया गया एवं इसके अंतर्गत लेन–देन लेखा परीक्षा द्वारा जाँच नहीं की जा सकी। प्रमंडलों द्वारा जनवरी 1999 से पूर्व प्राप्त की गई निधियों की मात्रा उपलब्ध नहीं करायी गयी।

इसके अतिरिक्त विशेष सचिव के निर्देशानुसार (सितंबर 1994) प्रत्येक संबंधित प्रमंडल द्वारा अभियंता प्रमुख को मासिक व्यय विवरणी समर्पित करना था ताकि प्रदान की गई निधि से हुए व्यय का उनके द्वारा समुचित अनुश्रवण किया जा सके। हाँलाकि, यह पाया गया कि यूनिसेफ निधि से हुए व्यय का मासिक लेखा प्रमंडलों ने अभियंता प्रमुख को समर्पित नहीं किया था। अतः यूनिसेफ निधियों से हुए व्यय का अभियंता प्रमुख स्तर से अनुश्रवण नहीं हुआ।

4.2.4.2 नमूना जाँचित प्रमंडलों का वित्तीय प्रदर्शन

नमूना जाँचित 26 प्रमंडलों का वित्तीय प्रदर्शन निम्नवत् था :

नमूना जाँचित प्रमंडलों का आवंटन एवं व्यय

वर्ष	मूल कार्य			मरम्मती कार्य		
	आबंटन	व्यय	बचत	आबंटन	व्यय	बचत
	(करोड़ रुपये में)					
1996-97	15.92	13.22	2.70	10.06	9.69	0.37
1997-98	7.13	5.94	1.19	11.12	10.82	0.30
1998-99	39.33	37.43	1.90	16.37	15.66	0.71
1999-2000	12.15	10.98	1.17	24.55	23.53	1.02
कुल	**74.53**	**67.57**	**6.96**	**62.10**	**59.70**	**2.40**

नमूना जाँचित 26 प्रमंडलों में से 5 प्रमंडलों (पूर्वी भागलपुर, नवादा, पूर्णिया, अररिया तथा औरंगाबाद) का योजना–व्यय से सम्बन्धित वित्तीय प्रदर्शन दयनीय था क्योंकि वर्ष 1996–2000 के दौरान उपलब्ध कराई गई राशि (10.59 करोड़ रुपये) का केवल 55 प्रतिशत (5.81 करोड़ रुपये) ही व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त, संवीक्षा से निम्नलिखित ज्ञात हुआ :

(क) निधियों का दुरूपयोग

(i) 6 प्रमंडलों[5] में वर्ष 1996–2000 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के 72.03 लाख रुपये का पुराने दायित्वों के परिसमापन के लिए दुरूपयोग किया गया, जो निधियों के आवंटन की शर्तों के अनुसार निषिद्ध था। इसके परिणास्वरूप भी वर्ष 1996–2000 के दौरान लिए गए 813 ट्यूबवेल की गड़ाई का कार्य अधूरा रहा।

(ii) इसी प्रकार, प्रमंडलीय पदाधिकारी, लो. स्वा. अ. प्रमंडल, साहेबगंज ने न्यू.आ. का. निधि के 46.41 लाख रुपये (मजदूरी घटक) का दुरूपयोग वर्ष 1998–99 में

[5] *पूर्वी भागलपुर, पश्चिमी भागलपुर, देवघर, गिरीडीह, गोड्डा तथा तेनुघाट*

सामग्रियों की अधिप्राप्ति के लिए किया जिसके परिणास्वरूप 106 नलकूपों की गड़ाई तथा 452 गड़े नलकूपों के विशेष मरम्मती का कार्य अधूरा रहा।

(iii) कार्यपालक अभियंता, लो. स्वा. अ. प्रमंडल, तेनुघाट ने वर्ष 1994–95 एवं वर्ष 1996–97 के दौरान 39.14 लाख रुपये (न्यू. आ. का. का 20.44 लाख रुपये एवं त्व. ग्रा. का. का 18.70 लाख रुपये) के योजना निधि का दुरूपयोग गड़े नलकूपों की मरम्मती एवं रख–रखाव (गैर योजना) पर किया (जुलाई 1996)।

(ख) अतिदेय अस्थाई अग्रिमें

वसूली के लिए अतिदेय अस्थाई अग्रिमें

यद्यपि अधीनस्थ पदाधिकारियों को छोटे–छोटे भुगतान के लिए भुगतित अस्थाई अग्रिमों को वित्तीय वर्ष के अंत तक शून्य कर देना था फिर भी, प्रमंडलों के आवधिक लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों में बारंबार चर्चित होने के बावजूद 8 प्रमंडलों[6] के 36 अधीनस्थ पदाधिकारियों को भुगतान किए गए 18.98 लाख रुपये 1 से 27 वर्षों तक वसुली के लिए अतिदेय थे। अतिदेय अग्रिमों की वसुली/समायोजन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, कार्यपालक अभियंता, लो. स्वा. अ. प्रमंडल, गिरीडीह, ने वर्ष 1991–94 के दौरान 3 सहायक अभियंताओं एवं 3 कनीय अभियंताओ को दी गई 13.40 लाख रुपये की अस्थाई अग्रिमों को विविध लोक कार्य अग्रिमों के तहत दर्ज किया था तथा राशि मार्च 2001 तक असमायोजित थी। अग्रिम की राशि को संबंधित अधिकारियों से जब्त तथा एकमुश्त वसूली किया जाना था।

(ग) निधियों का दुर्विनियोजन/गबन

निधियों के दुर्विनियोजन के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं

(i) एक कनीय अभियंता (जनार्दन प्रसाद) को वर्ष 1991–92 के दौरान भुगतान किए गए 0.93 लाख रुपये के अस्थाई अग्रिम का दुर्विनियोजन कार्यपालक अभियंता, लो. स्वा. अ. प्रमंडल ने उद्घाटित (नवंबर 1993) किया लेकिन उन्होंने कनीय अभियंता के विरूद्ध जुलाई 2000 तक कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की।

रोकड़ की हानि के लिए प्राथमिकी दर्ज कराने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं

(ii) कार्यपालक अभियंता, लो. स्वा. अ. प्रमंडल, आदित्यपुर ने एक लेखा लिपिक को लेखा संधारण में की गई लापरवाही के कारण रोकड़पाल के प्रभार से भारमुक्त किया (जून 2000) लेकिन स्थापना रोकड़ पंजी का प्रभार सौंपे जाने को सुनिश्चित नहीं किया। कार्यपालक दंडाधिकारी, सरायकेला ने तिजोरी तोड़ने (21 जुलाई 2000) के बाद पाया कि रोकड़ का वास्तविक शेष 9,11,244 रुपये के बदले मात्र 1836 रुपये था जो 9,09,408 रुपये का गबन दर्शाता था। कार्यपालक अभियंता ने प्राथमिकी दर्ज की (मई 2001) तथा कोई विभागीय कार्रवाई शुरू नहीं किया।

(घ) विविध लोक कार्य अग्रिमें

वि. लो. का. अ. के अंतर्गत गलत दर्ज करने से निधियों के दुरूपयोग/ दुर्विनियोजन का खतरा था

बिहार लोक कार्य लेखा संहिता के नियम 382 का उल्लंघन करते हुए कार्यपालक अभियंता, लो. स्वा. यांत्रिक प्रमंडल, गया ने वर्ष 1967–91 के दौरान अनधिकृत रूप से 1.58 करोड़ रुपये विविध लोक कार्य अग्रिम (वि. लो. का. अ.) के अंतर्गत दर्ज किया, जो मार्च 2001 तक समाप्त नहीं हुआ था। वि.लो.का.अ. के अंतर्गत 1.58 करोड़ रुपये लंबे समय तक लंबित रहने का कारण आकलन की स्वीकृति तथा निधियों के प्रावधान के बिना ही व्यय करना, कर्मी विशेषों को अग्रिम देना आदि था जिससे निधियों के दुरूपयोग/दुर्विनियोजन की संभावना थी।

[6] *औरंगाबाद, पश्चिमी भागलपुर, देवघर, धनबाद (यांत्रिक), गया (यांत्रिक), गिरीडीह, मुजफ्फरपुर (यांत्रिक) तथा पूर्वी पटना*

जमाकार्यों पर अत्यधिक व्यय असमाशोधित था

कार्यपालक अभियंता, लो. स्वा. अ. प्रमंडल, नवादा ने वर्ष 1995–96 में जिलाधिकारी, नवादा द्वारा जमा किए गए 23.50 लाख रुपये के बदले 679 नलकूप के मरम्मती के जमा कार्यों पर 37.00 लाख रुपये वि.लो.का.अ. में व्यय डेबिट किए बगैर ही खर्च किया जो वसूली के लिए लंबित था। जिलाधिकारी, नवादा से जुलाई 2000 तक राशि प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अलावा जिलाधिकारी, नवादा द्वारा शहरी जल आपूर्ति योजना के लिए जमा किए गए 62.96 लाख रुपये के विरूद्ध कार्यपालक अभियंता, लो. स्वा. अ. प्रमंडल, नवादा ने वर्ष 1987–91 के दौरान 86.29 लाख रुपया खर्च किया जिसमें अन्य कार्यों के लिए प्राप्त किए गए 24.82 लाख रुपये के सामग्री भी शामिल थे। इस प्रकार कार्यपालक अभियंता ने अनधिकृत रूप से 23.33 लाख रुपये के दायित्व का सृजन किया जिसका जुलाई 2000 तक परिसमापन नहीं हुआ था और न ही राशि की वसूली सुनिश्चित करने हेतु इसे वि. लो. आ. अ. शीर्ष में स्थानान्तरित किया गया था।

लो. स्वा. प्रमंडल, गया में विविध सामग्रियों की प्राप्ति के लिए विभिन्न फर्मों को वर्ष 1967–92 के दौरान प्रोफार्मा विपत्रों के विरूद्ध अग्रिम भुगतान किये गये तथा वि.लो.का. अ. के अंतर्गत रखे गये 14.63 लाख रुपये मार्च 2001 तक असमायोजित थे। अग्रिमों की वसूली/समायोजन की क्षीण संभावना थी।

स्थानांतरित सामग्रियों की लागत अन्य प्रमंडलों से अवसूलित

हालाँकि एक प्रमंडल से दूसरे में सामग्रियों का स्थानांतरण उनकी कुल लागत के वसूली के बाद की जानी थी, वर्ष 1984–2001 के दौरान 12 प्रमंडलों में 1.63 करोड़ रुपये की सामग्रियाँ अन्य प्रमंडलों को भेजी गयी जिनके लागत की वसूली मार्च 2001 तक नहीं हुयी थी।

(ङ) निधियाँ अनधिकृत रूप से असैनिक जमा में रखी गई

निधियाँ अनधिकृत रूप से बैंक के चालू खाते में रखी गयी

कार्यपालक अभियंता, लो.स्वा.यांत्रिक प्रमंडल, गया ने न्यू.आ.का. के तहत नलकूप गड़ाई के लिए 31 मार्च 1991 को 17.83 लाख रुपये के निधियों की निकासी की तथा इसे अनधिकृत रूप से असैनिक जमा में जमा कर दिया। मार्च 2001 तक निधि असैनिक जमा में पड़ी रही तथा कार्यक्रम 10 वर्षों तक क्रियान्वित नहीं हुआ।

(च) निधियाँ बैंकों में रखी गई

निधि को अनधिकृत रूप से बैंक के चालू खाते में रखा गया

कार्यपालक अभियंता, लो. स्वा. प्रमंडल, तेनुघाट द्वारा 3 जल आपूर्त्ति योजनाओं के नवीकरण तथा दसवें वित्त आयोग के तहत कार्यों के लिए उपायुक्त, बोकारो से प्राप्त की गई (मार्च तथा जुलाई 2000 के दौरान) 54.14 लाख रुपये की राशि को "8782 लो.का.जमा" के तहत जमा करने के बदले बैंक ऑफ इंडिया, जैना मोड़, बोकारो के चालू खाते में जमा किया गया। इस जमा खाते में से मार्च से जुलाई 2000 के दौरान किए गए 15.50 लाख रुपये के लेन देन को महालेखाकार को समर्पित संबंधित मासिक लेखे में जुलाई 2000 तक नहीं दर्शाया गया। अतः बैंक के चालू खाते में रखी गयी राशि के लेन देन से सृजित परिसंपत्तियाँ महालेखाकार को प्रस्तुत मासिक लेखे में प्रदर्शित नहीं हुई। इससे भी महत्त्वपूर्ण यह था कि बैंक में रखे 38.64 लाख रुपये ने बैंक को सरकारी धन पर फलने–फूलने का मौका दिया।

4.2.5 कार्यक्रम क्रियान्वयन

अभियंता प्रमुख द्वारा प्रस्तुत राज्य में वर्ष 1996–2001 के दौरान गड़े नलकूपों के निर्माण का लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ निम्नवत् थे :

भौतिक उपलब्धि में गिरावट का कोई कारण नहीं

कार्यक्रम	1996-97		1997-98		1998-99		1999-2000		2000-01		योग	
	ल	उ	ल	उ	ल	उ	ल	उ	ल	उ	ल	उ
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (न्यू. आ. का)												
निर्माण												
हस्तनलकूप	40483	9673 (24)	38602	23277 (60)	30482	21419 (70)	7271	14293 (197)	6806	1810 (27)	123644	70472 (57)
गड़े नलकूप	10941	5817 (53)	4679	5238 (112)	12917	10373 (80)	2128	5733 (269)	--	173+11	30665	27334 (89)
विशिष्ट मरम्मति												
हस्तनलकूप	24077	28145 (117)	23688	16305 (69)	34474	11436 (33)	--	17925	--	--	82239	73811 (90)
गड़े नलकूप	1412	689 (49)	312	622 (199)	718	135 (19)	589	361 (61)	--	--	3031	1807 (60)
2. त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (त्व. ग्रा. ज. आ. का.)												
हस्तनलकूप	13836	4458 (32)	8351	7984 (96)	15341	7059 (46)	11981	6531 (54)	18281	9388 (51)	67790	35420 (52)
गड़े नलकूप	6820	7563 (111)	7122	4175 (59)	3011	3149 (105)	908	820 (90)	--	25	17861	15732 (88)
स्वच्छ कूप	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20
झरना कूप	--	42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42
3. ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम												
निम्न लागत शौचालय												
वैयक्तिक	1800	1278 (71)	151	31 (21)	14400	6433 (45)	11874	12568 (106)	--	--	28225	20310 (72)
सामूहिक	38	10 (26)	11	--	451	108 (24)	439	151 (34)	--	--	939	269 (29)

(नोट : ल–लक्ष्य ; उ–उपलब्धि)

(कोष्ठक के आँकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं और आधिक्य उपलब्धियों में पूर्व लक्ष्यों की उपलब्धियाँ भी शामिल हैं।)

यह पाया गया कि समग्र भौतिक उपलब्धि में 10 से 71 प्रतिशत की कमी आई। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत् कम लागत वाले व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण में उपलब्धि लक्ष्यों की 72 प्रतिशत थी जबकि कम लागत वाले सामुहिक शौचालयों का निर्माण उपेक्षित था जहाँ उपलब्धि अत्यल्प 29 प्रतिशत थी। चूँकि वर्ष 1996–2001 के दौरान योजना निधि में समग्र रूप से 403.73 करोड़ रुपये की बचत थी, लक्ष्य की अनुपलब्धि के लिए त्रुटिपूर्ण कार्यक्रम प्रबंधन जिम्मेवार था।

उपलब्धियों के आधिक्य में विगत वर्षों के लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धियाँ सम्मिलित थीं जिसके कारण वे किसी खास वर्ष के लक्ष्य के विरूद्ध वास्तविक उपलब्धियों को प्रदर्शित नहीं करते थे। अभियंता–प्रमुख द्वारा अन्य मामलों में उपलब्धियों में कमी के कारण प्रस्तुत नहीं किए गए।

इसके अतिरिक्त, बि. प. वि. परि. तथा दसवें वित्त आयोग के तहत कार्यक्रमों से संबंधित 31 मार्च 2001 तक संचित लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ निम्नवत् थी :

	कार्य का विवरण	लक्ष्य	उपलब्धि	अभ्युक्ति
बिहार पठारी विकास परियोजना (बि॰प॰वि॰परि॰)	गड़े नलकूप	12820	13094	1853 अफलीभूत योजनाएँ सम्मिलित
	ग्रैवेल पैक्ड नलकूप	305	239	22 अफलीभूत योजनाएँ सम्मिलित
	विशेष मरम्मत	2032	2210	332 अफलीभूत योजनाएँ सम्मिलित
दसवाँ वित्त अयोग	हस्तनलकूप	9305	9009 (97)	
	आइ॰एम॰–III	445	440 (99)	
	गड़े नलकूप	670	482 (72)	
	ग्रै. पै. नलकूप	2046	1793 (88)	
	तारा पम्प	969	820 (85)	
	आइ.आर.पी.	223	223 (100)	
	विद्यालयों में शौचालय	1317	1263 (96)	

(कोष्ठक के आँकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं)

बि.प.वि.परि. की उपलब्धियों को बढा चढ़ा कर बताया गया

यह पाया गया कि बि.प.वि.परि. के तहत उपलब्धियों में अफलीभूत योजनाएँ (छिद्रित नलकूप : 1853 ; ग्रै.पै. : 22 तथा विशेष मरम्मत : 332) जो मुख्यतः स्थल के भू–जल विज्ञानी जाँच किए बिना ही क्रियान्वित की गयी थी, भी सम्मिलित थीं जिनपर स्वीकृत आकलन के अनुसार 2.65 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। अभियंता प्रमुख द्वारा वि.प.वि.परि. तथा दसवें वित्त आयोग के तहत योजनाओं की उपलब्धियों में कमी का कारण नहीं बताया गया।

4.2.5.1 नमूना–जाँचित प्रमंडलों में कार्य की प्रगति

प्रमंडल द्वारा गिरावट का कारण निधि एवं सामग्रियों का अपर्याप्त/विलंबित प्रावधान बताया गया

भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ निम्नवत थीं :

कार्यक्रम	1996-97		1997-98		1998-99		1999-2000		योग	
	ल	उ	ल	उ	ल	उ	ल	उ	ल	उ
एम. एन. पी (निर्माण)	22258	12729 (57)	8439	5842 (69)	7150	6055 (85)	6739	6371 (95)	44586	30997 (70)
एम. एन. पी (एस. आर.)	11575	10405 (90)	7973	8039 (101)	3941	3311 (84)	6874	5167 (75)	30363	26922 (89)
एआरपी (निर्माण)	8275	4649 (56)	2983	1559 (52)	100	103 (103)	201	69 (34)	11559	6380 (55)
सीआरएसपी (एलसीएल)	2694	268 (10)	2159	21 (01)	2145	1446 (67)	1232	898 (73)	8230	2633 (32)
केएपीवाई (एमएनपी)	--	--	--	--	--	--	1197	517 (43)	1197	517 (43)
केएपीवाई (एआरपी)	--	--	--	--	5170	2877 (56)	--	--	5170	2877 (56)

(ल–लक्ष्य, उ–उपलब्धि ;कोष्ठक के आँकडे प्रतिशत दर्शाते हैं।)

वर्ष 1996–2000 के दौरान प्रमंडलवार लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ परिशिष्ट–XXII के अनुसार थीं जो दर्शाती थी कि त्व. ग्रा. ज. आ. का. के तहत 6 प्रमंडलों[7] में 68 से 100 प्रतिशत के बीच कमी थी।

उपलब्धि में कमी तथा केंद्र प्रायोजित ग्रामीण सफाई कार्यक्रम जैसी योजनाओं के कुछ श्रेणियों में नगण्य उपलब्धि का कारण प्रमंडलीय पदाधिकारियों द्वारा प्रमंडलों को विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम क्षण में निधि का आबंटन, अभियंता प्रमुख द्वारा सामग्रियों की विलंबित अधिप्राप्ति तथा योजनाओं के मजदूरी घटक के लिए अपर्याप्त निधि का आबंटन बताया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि नमूना जाँचित प्रमंडलों में वर्ष 1996–2000 के दौरान 6.96 करोड़ रुपये के योजना निधि की बचत थी।

4.2.6 कार्यों का क्रियान्वयन

कार्य के क्रियान्वयन में पाई गई कमियाँ निम्नवत् थी :

4.2.6.1 कार्य प्रदान करने में त्रुटि

संविदा का विलंबित निर्णय के कारण 0.72 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत

(i) नई दिल्ली की एक प्रतिष्ठान (रूंगटा इरिगेशन लिमिटेड) द्वारा विभिन्न विनिर्देशों के यू.पी.वी.सी. पाइप, स्ट्रेनर इत्यादि (कुल लागत 2.77 करोड़ रुपये) की आपूर्त्ति के लिए उद्धृत किए गए (मई 1999) निम्नतर दर को सचिव, लो. स्वा. अ. वि. की अध्यक्षता वाली विभागीय क्रय समिति द्वारा कार्य के लिए प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तावित दर की वैधता अवधि (6 माह) समाप्त होने के केवल 3 दिन पहले (नवंबर 1999), अनुमोदित किया गया। फर्म ने अनुबंध नहीं किया। विभाग ने प्रतिष्ठान के अग्रधन की राशि (6.78 लाख रुपये) को जब्त कर लिया जिसके विरूद्ध प्रतिष्ठान ने उच्च न्यायालय, पटना को अर्जी दी तथा विभाग यह मामला हार गया (अगस्त 2000)। इसी बीच विभाग ने नई संविदा आमंत्रित की (दिसंबर 1999) तथा उसी प्रतिष्ठान द्वारा

[7] अररिया, भागलपुर (पूर्व), भागलपुर (प.), नवादा, पूर्णिया, सासाराम

उद्धृत निम्नतम दर (कुल 3.49 करोड़ रुपये) को क्रय समिति द्वारा बढ़े हुए दर को अनुमोदित किया गया (29 दिसंबर 1999)। संविदा पर निर्णय लेने में विलंब किए जाने के कारण 0.72 करोड़ रुपये की अतिरिक्त परिहार्य लागत आई।

निर्माण कार्य के लिए प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं उठाया गया, परिणामतः एजेंसी को अदेय लाभ

(ii) संविदा आमंत्रित किए बगैर ही अ. अ. (भागलपुर, देवघर तथा धनबाद) द्वारा वर्ष 1996–2000 के दौरान 4 प्रमंडलों[8] में 2915 गड़े नलकूप का निर्माण कार्य (न्यू.आ.का., त्व.ग्रा.का. तथा दसवें वित्त आयोग के तहत) अनधिकृत रूप से 16 संवेदकों को नामित कर आकलित लागत से 3 से 5 प्रतिशत अधिक 4.10 करोड़ रुपये (34 अनुबंध) पर दिया गया था। परिणामतः कार्य प्रदान करने के स्तर पर 14.89 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई तथा संवेदकों को अदेय वित्तीय लाभ मिला।

(iii) अ.अ., लो. स्वा. अंचल, धनबाद द्वारा लो. स्वा. प्रमंडल तेनुघाट में 465 गड़े नलकूपों के निर्माण (न्यू. आ. का. – वर्ष 1997–98) का कार्य 5 संवेदकों को जून एवं जुलाई 1998 में 14,453 रुपये प्रति नलकूप की दर से दिया गया जबकि वही कार्य 2 संवेदकों से जनवरी 1999 में 11,968 रुपये की दर से कराया गया था। अ.अ. द्वारा उच्चतर दर पर कार्य प्रदान करने से संवेदक को 11.56 लाख रुपये का अदेय लाभ हुआ जिसकी जिम्मेवारी अगस्त 2001 तक निर्धारित नहीं की गई थी।

अनधिकृत रूप से दायित्व का सृजन

(iv) तीन प्रमंडलों (गिरीडीह, गोड्डा एवं तेनुघाट) में प्रमंडलीय पदाधिकारियों ने न्यू. आ. का. 1997–99 के तहत केवल 1121 गड़े नलकूपों के लिए 1.27 करोड़ रुपये के उपलब्ध निधि के विरूद्ध 2080 गड़े नलकूप के निर्माण के लिए 2.92 करोड़ रुपये के 42 अनुबंध क्रियान्वित किया। परिणामस्वरूप प्रमंडलों द्वारा 1.65 करोड़ रुपये के अनधिकृत दायित्व का सृजन किया गया। इन दायित्वों की सूचना प्रमंडलीय अभियंताओं एवं अधीक्षण अभियंताओं द्वारा उच्चाधिकारियों यथा–मुख्य अभियंता तथा अभियंता प्रमुख को नहीं दी गई।

4.2.6.2 जल आपूर्ति योजनाओं पर अलाभकारी निवेश

अलाभकारी जल आपूर्त्ति योजनाओं पर 12.01 करोड़ रुपये का व्यय

(i) ग्यारह प्रमंडलों[9] में वर्ष 1980–93 के दौरान शुरू की गई 30 ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएँ पूरी नहीं हुई थीं (मार्च 2001 तक) जबकि कार्य प्रारंभ होने से दो वर्षों के अंदर इन्हें पूरा होना था। अधूरे कार्य पर 3.16 करोड़ रुपये का व्यय प्रतिवेदित था।

(ii) नौ प्रमंडलों[10] में वर्ष 1967–93 में 3.06 करोड़ रुपये की कुल लागत पर निर्मित 44 ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएँ निधि के अभाव में असैनिक, यांत्रिक एवं विद्युत खामियों को नहीं हटाने/ठीक करने के कारण मार्च 2001 तक 1 से 18 वर्षों तक अक्रियाशील रहीं।

(iii) लो. स्वा. प्रमंडल, दुमका (अब लो. स्वा. प्रमंडल, देवघर) ने वर्ष 1973–85 के दौरान जसीडीह औद्योगिक क्षेत्र जल आपूर्ति योजना पर 96.74 लाख रुपये की आकलित राशि के विरूद्ध 52.22 लाख रुपये व्यय किया। योजना मार्च 2001 तक अधूरी रही क्योंकि कार्य के लिए आवश्यक 44.52 लाख रुपये की निधि उद्योग विभाग द्वारा प्रदान नहीं की गई।

8 *पूर्वी भागलपुर, गोड्डा, साहेबगंज तथा तेनुघाट*

9 *औरंगाबाद, पश्चिमी भागलपुर, दरभंगा, देवघर, गिरीडीह, गोड्डा, पूर्वी पटना, साहेबगंज, समस्तीपुर, सिवान एवं तेनुघाट*

10 *आदित्यपुर, अररिया, पूर्वी भागलपुर, पश्चिमी भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी पटना, समस्तीपुर, सासाराम तथा सिवान*

(iv) मौजूदा धनबाद शहर जल आपूर्ति योजना के पुनर्गठन हेतु 3.57 करोड़ रुपये की आकलित लागत खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (ख. क्षे. वि. प्रा.) धनबाद द्वारा वहन की गई तथा लो. स्वा. प्रमंडल, धनबाद द्वारा योजना का क्रियान्वयन वर्ष 1990–91 में शुरू किया गया। ख. क्षे. वि. प्रा. ने प्रमंडल को वर्ष 1990–95 के दौरान 85.49 लाख रुपये तथा वर्ष 1990–91 के दौरान 1.94 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्रियाँ (सी आई पाइप) प्रदान की। मार्च 1995 तक प्रमंडल ने 2.79 करोड़ रुपये की पूरी राशि एवं सामग्रियों का उपयोग कर लिया था। तत्पश्चात ख.क्षे.वि.प्रा. धनबाद के द्वारा निधि प्रदान नहीं करने के कारण कार्य स्थगित कर दिया गया। व्यय किए गए 2.79 करोड़ रुपये में से 21.00 लाख रुपये की लागत पर तैयार एक आर.सी.सी पानी टंकी (मटकुरिया) को शुरू किया गया (जनवरी 1994), अन्य अधूरे कार्यों पर व्यय किया 2.58 करोड़ रुपये मार्च 2001 तक निष्फल रहे।

(v) लो. स्वा. प्रमंडल, गिरीडीह में न्यू. आ. का. (164) तथा त्व. ग्रा. का. (451) के तहत वर्ष 1991–97 के दौरान 1.42 करोड़ रुपये की उपलब्ध निधियों में से 70.29 लाख रुपये की लागत पर 615 नलकूप की गड़ाई की गई। प्रमंडल ने शेष 0.72 करोड़ रुपये में से 0.26 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्रियाँ (अन्य प्रमंडलों को स्थानांतरित : बिना लागत के 19.19 लाख रुपये + भंडार में : 7.06 लाख रुपये) प्राप्त की एवं अन्य कार्यों पर 0.46 करोड़ रुपये खर्च किया जबकि 65 मि.मी. जी. आई. पाइप बिछाने, हैंडपंप लगाने तथा चबुतरा एवं निकास व्यवस्था का निर्माण जैसे कार्य के आवश्यक मद मार्च 2001 तक शुरू नहीं किये गए। नलकूपों के स्थापित होने के बाद चबुतरा एवं निकास व्यवस्था के निर्माण तथा हैंडपंप लगाने में 4 से 10 वर्षों के विलंब के कारण बोरवेल के अवरूद्ध हो जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। कार्यपालक अभियंता ने कहा (मार्च 2001) कि मामला जाँच के अधीन था। अतः कार्य एवं भंडार सामग्री के अर्जन पर किया गया 1.42 करोड़ रुपये का कुल व्यय निष्फल रहा।

(vi) वर्ष 1997–99 के दौरान लो. स्वा. प्रमंडल, साहेबगंज में गाड़े गए गए 726 बोरवेल (न्यू. आ. का. : 403 ; त्व. ग्रा. का. : 131 ; अन्य : 192) मार्च 2001 तक हैंडपंप से युक्त नहीं थे। अतः 1 लाख से अधिक की आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा सका तथा 1.27 करोड़ रुपये का व्यय निष्फल रहा।

4.2.6.3 असफल बोरवेल

भू–जल विज्ञानी जाँच किए बिना ही बोरवेल स्थापित करने के कारण कूप ध्वस्त हो गए एवं व्यर्थ व्यय हुआ

5 प्रमंडलों[11] में वर्ष 1996–2000 के दौरान भू–जल विज्ञानी जाँच बगैर किए ही बोरवेल के स्थलों का चयन किया गया। परिणामतः 92.00 लाख रुपये व्यय से संबंधित 706 बोरवेल (6453 में से) असफल हो गए।

4.2.6.4 सामग्रियों का अन्यायोचित/अधिक खपत

अभियंता–प्रमुख द्वारा अनुमोदित सामग्री एवं श्रम घटक को समाविष्ट करते हुए मानक आकलन के आधार पर नलकूपों की गड़ाई करनी थी। हालाँकि यह पाया गया कि नलकूपों की गड़ाई करते समय प्रमंडलों द्वारा मानक आकलन से अत्यधिक विचलन किया गया। पाए गए मामले निम्नवत थे :

अधिक नलकूपों की गड़ाई एवं परिणामी अधिक सामग्रियों के उपयोग के कारण अधिक लागत

लो. स्वा. प्रमंडल, साहेबगंज में वर्ष 1996–98 के कार्यक्रमों के तहत 1091 नलकूपों (न्यू. आ. का. – 595 ; त्व. ग्रा. ज. आ. का. : 278 ; अन्य : 218) के लिए 32730 मीटर (30 से 60 मीटर तक) आकलित गड़ाई के बदले मार्च 2001 तक 46959 मीटर गड़ाई किया

[11] *आदित्यपुर, धनबाद (यांत्रिक), गिरीडीह, साहेबगंज एवं तेनुघाट*

गया, परिणामतः 26.07 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय पर 14229 मीटर (43 प्रतिशत) अधिक गड़ाई की गयी। इसके अतिरिक्त आकलन के अनुसार 878 (1091 में से) नलकूपों (न्यू. आ. का. : 595, त्व. ग्रा. ज. आ. का.: 185 तथा अन्य : 98) के लिए 10536 मीटर यू.पी.वी.सी. केसींग पाइप की आवश्यकता थी। इसके बदले में 20645 मीटर पाइप (आकलित मात्रा से 96 प्रतिशत अधिक) का उपयोग किया गया, परिणामतः 26.81 लाख रुपये लागत के 10109 मीटर अधिक केसींग पाइप की खपत हुई। इस प्रकार नलकूपों की कुल अतिरिक्त लागत 52.88 लाख रुपये हुई। मानक से काफी अधिक पाइपों की गड़ाई एवं खपत पर किया गया व्यय संदेहास्पद था।

सामग्रियों की अधिक खपत के कारण अधिक लागत

इसके अतिरिक्त लो. स्वा. प्रमंडल, मुंगेर में वर्ष 1996–2000 के दौरान 1408 नलकूपों (248 जी.पी.टी., 54 डी.टी. तथा 1106 एच.टी.) का निर्माण किया गया जिनमें 8336 मीटर (125 मि.मी. व्यास) यूपीवीसी पाइप, 6248 मीटर (65 मि.मी.) जी आई पाइप, 33733 मीटर (40 मि.मी.) जी.आई. पाइप की आवश्यकता थी। इसके बदले इन कार्यों में 16168 मीटर (125 मि.मी. व्यास) यू.पी.वी.सी. पाइप, 14004 मीटर (65 मि.मी) जी आई पाइप तथा 50759.28 मीटर (40 मि.मी.) जी आई पाइपों की खपत की गयी जिसके परिणामस्वरूप 46.55 लाख रुपये मूल्य के 7832 मीटर (125 मि.मी. व्यास) यू.पी.वी.सी. पाइप, 7756 मीटर (65 मि.मी. व्यास) जी.आई.पाइप तथा 17026.28 मीटर (40 मि.मी. व्यास) जी.आई.पाइप की अधिक खपत हुई।

यू.पी.वी.सी.पाइप के बदले जी.आई.पाइप के उपयोग के कारण अधिक लागत

इसके अलावे प्रमंडलीय पदाधिकारी, मुंगेर ने वर्ष 1996–2000 के दौरान 302 गड़े नलकूपों के निर्माण में आकलन के अनुसार यू.पी.वी.सी. पाइप के बदले उसी व्यास के 5806.49 मीटर (125 मि.मी. व्यास) जी.आई पाइप का उपयोग किया जिसके परिणामस्वरूप 11.44 लाख रुपये की अधिक लागत आई।

यह पाया गया कि बोरवेलों की अधिक गड़ाई, अधिक सामग्रियों की खपत तथा नलकूपों में अनिर्दिष्ट सामग्रियों का प्रयोग इसलिए संभव हुआ क्योंकि प्रमंडलीय पदाधिकारी द्वारा मानक आकलनों का पालन नहीं किया गया था। योजनाओं के क्रियान्वयन में संबंधित अधीक्षण अभियंताओं/मुख्य अभियंताओं तथा अभियंता–प्रमुख द्वारा अनुश्रवण में अभाव के कारण भी यह सुगम हुआ।

4.2.6.5 कार्यों की काल्पनिक पूर्णता : 16.38 लाख रुपये

सामग्रियों पर ही पूरा व्यय होने के कारण विशेष मरम्मती कार्य संदेहास्पद

लो. स्वा. प्रमंडल, साहेबगंज को 452 नलकूपों (न्यू.आ.का. के तहत) के विशेष मरम्मती के लिए वर्ष 1997–98 के दौरान श्रम (13.03 लाख रुपये) एवं सामग्री (3.35 लाख रुपये) घटक के लिए 16.38 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए थे। प्रमंडल ने केवल सामग्रियों की अधिप्राप्ति पर पूरी निधि अनधिकृत रूप से खर्च कर दी। पूरा मरम्मती कार्य कथित रूप से पूरा कर दिया गया हालांकि श्रम घटक पर कोई व्यय नहीं आया। अतः व्यय संदेहास्पद था।

4.2.6.6 अवमानक कार्य : 1.47 करोड़ रुपये

नलकूपों का अवमानक निर्माण

भारत सरकार द्वारा दसवें वित्त आयोग के तहत माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों में नलकूपों के निर्माण के लिए नलकूपों के स्वीकृत आकलन (35600 रुपये प्रति कूप) को जिलाधिकारी, नवादा एवं मुंगेर द्वारा तकनीकी गुणवत्ता को सुनिश्चित किए बिना ही घटाकर 15,950 रुपये कर दिया गया। नलकूपों की आकलित लागत को जिस आधार पर कम किया गया उसे भी प्रमंडलीय पदाधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। तदनुसार दो लो. स्वा. प्रमंडलों ने 1.47 करोड़ रुपये की लागत पर 932 नलकूपों (मुंगेर–484 तथा नवादा–448) का निर्माण किया गया। इन कार्यों के गुणवत्ता

नियंत्रण संबंधी कोई भी निरीक्षण नहीं किया गया। अतः इन नलकूपों की भारत सरकार द्वारा निर्धारित तकनीकी मानदंड के प्राप्ति की संभावना संदेहास्पद थी।

4.2.6.7 नलकूपों का विलंबित पूर्णता

नलकूपों के विलंबित निर्माण के कारण अतिरिक्त लागत

पाँच प्रमंडलों[12] में वर्ष 1991–98 के दौरान 16403 नलकूपों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य 10.09 करोड़ रुपये की लागत पर पूरा किया जाना था। लेकिन कार्य को विलंब से शुरू करने के कारण उसी लागत पर वर्ष 1996–2000 के दौरान 11409 नलकूपों (70 प्रतिशत) का निर्माण एवं मरम्मत किया गया। कार्य के क्रियान्वयन में विलंब का मुख्य कारण वित्त विभाग द्वारा निधि की विमुक्ति में विलंब तथा विमुक्त निधि को "असैनिक जमा" में अवरोधन था। कार्य के विलंबित पूर्णता के कारण 2149 रुपये प्रति नलकूप (औसतन) की लागत पर अन्तर के परिणामस्वरूप 2.45 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

4.2.6.8 बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन

विभागीय स्तर पर हस्त रसीद के माध्यम से संदेहास्पद कार्यों (16.49 करोड़ रुपये) का क्रियान्वयन

नियमानुसार केवल आकस्मिक रखरखाव के कार्य के मामले में ही विभागीय रूप से क्रियान्वयन अनुज्ञेय है। इसका उल्लंघन करते हुए 18 प्रमंडलों[13] के कार्यपालक अभियंताओं ने वर्ष 1996–2000 के दौरान योजना शीर्ष (4215 – जल आपूर्ति एवं स्वच्छता इत्यादि) के तहत 16.49 करोड़ रुपये का मूल कार्य विभागीय रूप से श्रमिकों के माध्यम से हस्त रसीद पर क्रियान्वित किया। मस्टर रॉल के बदले बड़े पैमाने पर हस्त रसीदों पर श्रमिकों को किए गए भुगतान को देखते हुए फर्जी कार्य एवं निधि के दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

4.2.6.9 नियमित मरम्मत एवं रख रखाव पर किए गए वृहत व्यय का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया

मरम्मत एवं रख रखाव के कार्यों में अनाचार की जाँच आवश्यक थी

16 प्रमंडलों[14] में वर्ष 1996–2000 के दौरान ग्रामीण एवं शहरी जल आपूर्ति योजनाओं, गड़े हुए/हस्त नलकूपों की मरम्मती एवं रख रखाव तथा सरकारी भवनों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर 10.19 करोड़ रुपये खर्च किया गया। इन व्ययों की प्रामाणिकता की नमूना जाँच नहीं की जा सकी क्योंकि कार्यपालक अभियंताओं ने अनुमोदित वार्षिक आकलन, सामग्री खपत विवरणी, लाभार्थियों से संतोषप्रद कार्य का प्रमाणपत्र, कार्य भारित कर्मियों की तैनाती के संदर्भ में जल आपूर्ति योजनाओं एवं नलकूपों का लॉग बुक/इतिहास पत्रक प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त शिकायत पुस्तिका एवं नलकूपों के मरम्मती के दौरान पाए गए रद्दी–सामग्रियों का लेखा भी संधारित नहीं किया गया था। इसके अलावे अधीक्षण अभियंता द्वारा वर्ष 1996–2000 के दौरान इन मरम्मती कार्यों का निरीक्षण कभी नहीं किया गया था जबकि बि. लो. का.

12 *पूर्वी भागलपुर, बिहारशरीफ, देवघर, धनबाद (यांत्रिक) तथा पूर्वी पटना*

13 *अररिया (54 लाख रुपये), औरंगाबाद (31.60 लाख रुपये), पूर्वी भागलपुर (48.97 लाख रुपये), प. भागलपुर (51.51 लाख रुपये), बिहारशरीफ (130 लाख रुपये), दरभंगा (69.99 लाख रुपये), गोड्डा (13.34 लाख रुपये), हाजीपुर (267 लाख रुपये), मधुबनी (111.52 लाख रुपये), मोतिहारी (145 लाख रुपये), मुंगेर (79 लाख रुपये), नवादा (93.39 लाख रुपये), पूर्वी पटना (50.25 लाख रुपये), पूर्णिया (212 लाख रुपये), साहेबगंज (12 लाख रुपये), सासाराम (65.28 लाख रुपये), समस्तीपुर (147.69 लाख रुपये) तथा सिवान (66.13 लाख रुपये)।*

14 *आदित्यपुर, पूर्वी भागलपुर, प. भागलपुर, बिहारशरीफ, दरभंगा, देवघर, गया (यांत्रिकी), गिरीडीह, गोड्डा, हाजीपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर (यांत्रिकी), पूर्वी पटना, साहेबगंज, सिवान एवं तेनुघाट*

ले. संहिता से संलग्न सरकार के मई 1987 के निर्णय के तहत यह अपेक्षित था। अभिलेखों का प्रस्तुत नहीं किया जाना इन मरम्मती कार्यों पर संदेह बढ़ाता था।

4.2.7 भंडार की अधिप्राप्ति

भंडार की प्राप्ति की प्रक्रिया

भंडार के लिए कार्यपालक अभियंता के माँग पत्र के आधार पर जिसे अधीक्षण अभियंता एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के मार्फत भेजा जाता था, अभियंता प्रमुख द्वारा भंडार के वार्षिक अधिप्राप्ति (यू.पी.वी.सी. पाइप, जी.आई पाइप, स्ट्रेनर, हस्त पंप) की व्यवस्था की जाती थी। केंद्रीय क्रय समिति द्वारा अनुमोदित दर पर निविदा आमंत्रित करने के बाद क्रय किया गया। हालाँकि आकस्मिकता की स्थिति में मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता भी, उन्हें सौंपे गए अधिकार से, कार्यपालक अभियंता से प्राप्त मांगपत्र के आधार पर सामग्रियाँ प्राप्त कर सकते थे। भंडार की अधिप्राप्ति में पाई गई त्रुटियां निम्नवत् थीं :

सामग्रियों की अधिप्राप्ति में प्रक्रियाओं का उल्लंघन

(i) सरकार के आदेशानुसार (दिसंबर 1983) विभाग द्वारा सामग्रियों की अधिप्राप्ति निधियों की उपलब्धता की स्थिति में ही की जानी थी। इसका उल्लंघन करते हुए अभियंता प्रमुख वर्ष 1996–97 तक डी.जी.एस.एवं डी. से सामग्रियाँ प्राप्त करते रहे। विभिन्न लो. स्वा. अ. प्रमंडलों द्वारा डी.जी.एस.एवं डी. से वर्ष 1983–97 से संबंधित 16.62 करोड़ रुपये के क्रय किए गए भंडार का नामे संज्ञापन मार्च 2001 तक लेखे में समायोजन के लिए लंबित थे।

लो. स्वा. अभि. प्रमण्डल, धनबाद में ही सिर्फ डी. जी. एस. एंड डी. के माध्यम से 42.41 लाख रुपये मूल्य के भंडार सामग्री (पाइपों, टी एंड पी आदि) के लिए सितम्बर 1993 से जून 1995 के मध्य महालेखाकार (ले. एवं. ह.) द्वारा जारी किए गए नामे संज्ञापनों को मार्च 2001 तक प्रमण्डलीय लेखे में दर्ज नहीं किया गया।

आबंटित निधियों से अतिरिक्त व अधिक क्रय

नमूना–जाँचित 17 प्रमंडलों[15] में इनमें से 7.22 करोड़ रुपये के नामे संज्ञापन समायोजन के लिए लंबित थे। विभाग/प्रमंडल द्वारा ऐसी सभी अधिप्राप्तियाँ आबंटित निधियों के अतिरिक्त की गई थी और इस तरह बजटीय नियंत्रण से अनदेखी की गयी। यद्यपि मुख्य अभियंता (शहरी), लो. स्वा. अ. विभाग की अध्यक्षता में विभागीय छानबीन समिति ने 9 प्रमंडलों[16] में वर्ष 1985–97 के दौरान योजना कार्य में हुए ऐसे लेन–देन की वित्त विभाग द्वारा विशेष लेखा परीक्षा की आवश्यकता महसूस की लेकिन मार्च 2001 तक मुख्य अभियंता ऐसी लेखा परीक्षा नहीं करवा सके। इसके अतिरिक्त कार्यपालक अभियंता, लो.स्वा.अ., प्रमंडल राँची पश्चिम ने समिति को बताया कि वे 56.85 लाख रुपये के समायोजन के लिए लंबित नामे संज्ञापन की स्थिति सुनिश्चित करेंगे तथा समिति को 10 मई 2000 तक सूचित कर देंगे। यह पाया गया कि जून 2001 तक कार्यपालक अभियंता ने समिति को सूचित नहीं किया था।

अनधिकृत क्रय की वित्त विभाग द्वारा लेखा परीक्षा नहीं

अत्यधिक अधिप्राप्ति से भंडार सामग्री की निष्क्रियता बढ़ी

(ii) भंडार की निष्क्रियता एवं अत्यधिक संग्रहण से बचने के लिए भंडार का क्रय कार्य में उसके तात्कालिक उपयोग के लिए करना था। इसका उल्लंघन करते हुए अ.प्र. ने वर्ष 1996–2000 के दौरान राज्य के विभिन्न प्रमंडलों के लिए अधिक मात्रा में भंडार (यू.पी.वी.सी. पाइप, जी. आई. पाइप, यू.पी.वी.सी स्ट्रेनर, आइ.एम.–III हैंडपंप, तारा पंपसेट इत्यादि) प्राप्त किया। परिणामस्वरूप विभिन्न प्रमंडलों में मार्च 2001 तक 14.94 करोड़ रुपये मूल्य के भंडार व्यर्थ पड़े रहे (संदर्भ : परिशिष्ट–XXIII)। यह पाया गया

15 *औरंगाबाद, पूर्वी भागलपुर, बिहारशरीफ, दरभंगा, गिरीडीह, गोड्डा, हाजीपुर, मधुबनी, मोतिहारी, नवादा, पूर्वी पटना, पूर्णिमा, साहेबगंज, समस्तीपुर, सासाराम, सिवान एवं तेनुघाट*

16 *बेतिया, चास, चतरा, गढ़वा, गिरीडीह, पूर्वी पटना, सरायकेला, शेखपुरा तथा सीतामढ़ी*

कि वित्तीय वर्ष के एकदम अंत में समग्र निधि को सामग्रियों की खरीद पर खर्च कर दिया गया जबकि कार्यों के श्रम घटकों के लिए कोई निधि उपलब्ध नहीं थी।

कार्यों की अव्यवहृत सामग्रियाँ अभिकरणों से वसूली नहीं गयीं

दो लोक स्वास्थ्य प्रमण्डलों (गोड्डा एवं आदित्यपुर) में वर्ष 1997–98 के न्यू. आ. का. के अंतर्गत गड़े नलकूपों के निर्माण के लिए 10.61 लाख रुपये मूल्य की 8 अभिकरणों को निर्गत की गई सामग्रियों (आई.एम.III हस्तचालित पम्प सेट, 125 मि.मी. व्यास यू. पी. वी. सी. पाईप, 65 मि.मी. व्यास जी. आई. पाइप, सीमेन्ट इत्यादि) का कार्यों में उपयोग नहीं किया गया था तथा कार्यपालक अभियंताओं द्वारा मई 2001 तक इसकी वसूली उनलोगों से नहीं की गयी थी।

प्रमंडलों से बिना माँगपत्र के ही अ.प्र. ने सामग्रियाँ प्राप्त किया

इसके अतिरिक्त अ.प्र. ने संबंधित प्रमंडलों से बिना कोई माँगपत्र पाए ही तीन प्रमंडलों (पूर्वी भागलपुर, गिरीडीह तथा गोड्डा) के लिए 56.19 लाख रुपये मूल्य के 65 मि.मी. व्यास वाली जी.आई पाइप तथा 125 मि.मी. यू.पी.वी.सी. पाइप प्राप्त किया तथा ये सामग्रियाँ स्थल लेखे में अव्यवहृत पड़ी हुई थीं। इन अव्यवहृत क्रयों की जाँच अपेक्षित थी।

अ.अ./मु.अ. की बिना स्वीकृति के खास सामानों की खरीद

(iii) चार प्रमंडलीय पदाधिकारियों (औरंगाबाद, पूर्वी भागलपुर, पटना यांत्रिक तथा तेनुघाट) ने वर्ष 1996–2000 के दौरान 24.54 लाख रुपये मूल्य के ब्लीचिंग पाउडर तथा हस्तनलकूप के लिए कल–पुर्जे, मोटर पंप एवं विद्युत सामानों जैसी सामग्रियों का अनाधिकृत रूप से क्रय किया जबकि इन सामग्रियों की खरीद मुख्य/अधीक्षण अभियंताओं द्वारा की जानी थी।

मार्च 1998 में प्राप्त किए गए उपकरण अधिष्ठापित नहीं किए गए

(iv) प्रमंडलीय पदाधिकारी, लो.स्वा.यांत्रिक प्रमंडल, पटना ने 4 शहरी जल आपूर्ति योजनाओं (नूरसराय, सोहसराय, चंडी एवं राजगीर) के लिए फरवरी तथा मार्च 1998 में 20.60 लाख रुपये की लागत पर 4 उर्ध्व टरबाईन पंप, 5 अवगाहन क्षम पंपसेट तथा 2 चेनपुल्ली प्राप्त किया। संबंधित असैनिक कार्य पूरा नहीं होने के कारण प्राप्त किए गए उपकरण दिसंबर 2001 तक अधिष्ठापित नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप 19.62 लाख रुपये के उपकरण 4 वर्षों से अधिक तक बेकार पड़े रहे।

भंडार के स्थानांतरण से हुई प्राप्ति को राजस्व में जमा नहीं किया गया

(v) 5 प्रमंडलों[17] में वर्ष 1996–2000 के दौरान अन्य प्रमंडलों को स्थानांतरित भंडार के लिए 40.21 लाख रुपये के बिक्री प्राप्ति को परवर्त्ती वर्षों के कार्यों में उनके उपयोग के लिए अनाधिकृत रूप से "लोक कार्य जमा" में रख दिया गया।

अतः अभियंता–प्रमुख, मुख्य–अभियंता, अधीक्षण अभियंताओं एवं कार्यपालक अभियंताओं द्वारा भंडार की अधिप्राप्ति में किए गए नियमों एवं प्रक्रियाओं के उल्लंघन से आबंटित निधि से काफी अधिक भंडार की खरीद, अनाधिकृत खरीद, भंडार की अत्यधिक अधिप्राप्ति, प्रमंडलों से बिना माँग–पत्र के भंडार की अधिप्राप्ति, लागत के बिना वसूली के सामग्रियों का स्थानांतरण इत्यादि संभव हुआ।

4.2.7.1 भंडार की क्षति/दुर्विनियोजन

भंडारों का दुर्विनियोजन

(i) नमूना जाँचित 8 प्रमंडलों में 1.15 करोड़ रुपये मूल्य के भंडार का दुर्विनियोजन पाया गया। (संदर्भ : परिशिष्ट – XXIV)

भंडारों की चोरी के लिए कोई विभागीय कार्रवाई नहीं

(ii) 4 प्रमंडलों[18] में 1992–2000 के दौरान विभिन्न स्थलों से 32.68 लाख रुपये लागत के मोटर पंप तथा संबद्ध सामग्री, जी. आई. पाइप इत्यादि चोरी हो गए। पुलिस में सभी मामलों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गयी लेकिन पुलिस के जाँच परिणाम

17 *औरंगाबाद, दरभंगा, गोड्डा, पटना (यांत्रिक) तथा तेनुघाट*

18 *औरंगाबाद, देवघर, धनबाद (यांत्रिक) तथा तेनुघाट।*

उपलब्ध नहीं थे। यह पाया गया कि उत्तरदायित्व के निर्धारण तथा क्षति की वसूली के लिए कोई विभागीय कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी।

सामग्रियाँ विचलित

(iii) 8 प्रमंडलों[19] में त्व. ग्रा. ज. आ. का. तथा न्यू. आ. का., के लिए प्राप्त किए गए 1.55 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्रियों को वर्ष 1996–2001 के दौरान बिना लागत वसूल किए ही दूसरे कार्य के लिए स्थानांतरित कर दिया गया जिससे दोनों कार्यक्रमों को नुकसान उठाना पड़ा।

4.2.7.2 भंडार का भौतिक सत्यापन

भंडारों के वार्षिक भौतिक सत्यापन का अभाव

(क) प्रमंडलों, अवर प्रमंडलों तथा कार्य स्थलों पर भंडारों का वार्षिक भौतिक सत्यापन नियमित रूप से नहीं कराया गया, यद्यपि नियम के तहत अपेक्षित था। ऐसे सत्यापन नमूना जाँचित प्रमंडलों में 2 से 3 वर्ष के बाद कराए गए जबकि लो. स्वा. प्रमंडल, प. भागलपुर में इसे अक्टूबर 1992 से ही नहीं कराया गया था। ऐसी विफलता से भंडार के दुर्विनियोजन/चोरी का खतरा था।

अनुपयोगी भंडारों के निपटारे के लिए कोई कार्रवाई नहीं

(ख) प्रमंडलीय पदाधिकारियों द्वारा अनुपयोगी सामग्रियों के निपटारे हेतु यथा मामलानुसार नीलामी, बिक्री या अपलेखन की कोई कारवाई नहीं की गई। नलकूपों की मरम्मती के समय निकली रद्दी सामग्रियों का लेखा संधारित नहीं किया गया। अतः रद्दी सामग्रियों के संभावित दुर्विनियोजन को नकारा नहीं जा सकता। कार्यपालक अभियंता ने अनुपयोगी सामग्रियों का सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार नहीं किया तथा उनके लाभप्रद निपटान के लिए कारवाई शुरू नहीं की। संबंधित अधीक्षण अभियंताओं ने भी प्रमंडलों में भंडारों की स्थिति का भौतिक स्थिति सत्यापित करने के लिए पदाधिकारियों को नामित नहीं किया।

क.अ. ने स्थल लेखा समर्पित नहीं किया

(ग) स्थल लेखे की सामग्रियों को, जिसे कनीय अभियंता द्वारा प्रमंडलीय पदाधिकारियों को मासिक रूप से समर्पित करना था, 6 से 12 महीने बाद समर्पित किया गया तथा किसी–किसी मामले में समर्पित ही नहीं किया गया। परिणामस्वरूप नमूना जाँचित सभी प्रमंडलों में प्रमंडलीय पदाधिकारियों द्वारा कार्य में भंडार सामग्रियों का अधिक उपयोग/कमी अथवा कार्यस्थल पर भंडार के शेष को नियंत्रित नहीं किया गया।

4.2.8 यांत्रिक शाखा

मशीनों की मरम्मती एवं रखरखाव के लिए यांत्रिक शाखा

मशीनों के रखरखाव एवं मरम्मती, ग्रामीण एवं शहरी जल आपूर्त्ति योजनाओं के संचालन तथा रीग मशीन से नलकूपों के गड़ाई की लिए विभाग में एक यांत्रिक शाखा था।

विद्युत विपत्र पर विलंबित भुगतान अधिभार का परिहार्य भुगतान

(i) यांत्रिक प्रमंडलों (धनबाद, गया, मुजफ्फरपुर एवं सासाराम) ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को वर्ष 1996–2000 के दौरान विलंबित भुगतान के मद में 1.11 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त प्रमंडलों को यथासमय भुगतान पर मिलने वाली प्रति इकाई 2 पैसे की छूट की भी क्षति हुई। प्रमंडलीय पदाधिकारियों द्वारा विलंबित भुगतान अधिभार के भुगतान के लिए विभाग द्वारा निधि के असामयिक एवं अपर्याप्त प्रावधानों को उत्तरदायी ठहराया गया (मई – दिसंबर 2000)।

विद्युत विपत्र का अपरिसमाप्त दायित्व

इसके अतिरिक्त यांत्रिक प्रमंडल, धनबाद एवं गया के ऊपर जुलाई 2000 तक के विद्युत शुल्क के बकाए एवं उस पर लगे विलंबित भुगतान अधिभार के मद में 23.24 करोड़

19 *आदित्यपुर, पूर्वी भागलपुर, प. भागलपुर, दरभंगा, देवघर, गोड्डा, नवादा तथा तेनुघाट।*

रुपये (धनबाद – 9.95 करोड़ रुपये एवं गया – 13.29 करोड़ रुपये) का अपरिसमाप्त दायित्व था।

विद्युत विपत्रों का दोहरा भुगतान

(ii) यांत्रिक प्रमंडल, पटना के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि शहरी जल आपूर्त्ति योजना, बाढ़ के माह दिसंबर 1999 के लिए 10.11 लाख रुपये की माँग के विरूद्ध बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बि. रा. वि. बो.) को 9.37 लाख रुपये का भुगतान किया गया जिससे अभुगतीत 0.74 लाख रुपये रह गए। उसी संबंधन का माह जनवरी 2000 के लिए बि. रा. वि. बो. के 10.63 लाख रुपये की दूसरी माँग, जिसमें दिसंबर 1999 का बकाया भी सम्मिलित था, का पूरा भुगतान प्रमंडलीय पदाधिकारी द्वारा बिना समुचित जाँच के किया गया। परिणामस्वरूप 9.37 लाख रुपये (10.11 लाख रुपये – 0. 74 लाख रुपये) का दोहरा भुगतान हुआ।

अक्रियाशील ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के लिए विद्युत शुल्क का भुगतान

(iii) प्रमंडलीय पदाधिकारी, लो. स्वा. यांत्रिक प्रमंडल, सासाराम द्वारा अक्टूबर 1999 तथा फरवरी 2000 के दौरान उन पाँच ग्रामीण जल आपूर्त्ति योजनाओं के लिए विद्युत शुल्क (6.57 लाख रुपये) का भुगतान किया गया जो यांत्रिक एवं विद्युत दोष के कारण एक वर्ष से अधिक अवधि तक अक्रियाशील थी।

4.2.9 जल गुणवत्ता परीक्षण का अभाव

जल परीक्षण आवश्यक

लोगों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु तथा इसके सार्वजनिक प्रयोग की अनुमति देने के पहले जल का रसायनिक, जीवाणु तथा जैविक परीक्षण किया जाना था। राज्य में 3 जल परीक्षण प्रयोगशालाएँ (मुजफ्फरपुर, पटना तथा सहरसा) थीं। तथापि नमूना–जाँचित 22 प्रमंडलों में से 18 के गड़े/हस्त नलकूपों का जल परीक्षण नहीं किया गया जिससे मानव–स्वास्थ्य को घोर खतरा था। नमूना–जाँचित 4 प्रमंडलों[20] में जहाँ वर्ष 1996–2000 के दौरान जल–परीक्षण किये गये थे, यह पाया गया कि परीक्षित 40 में से 38 नल कूपों में अत्यधिक आयरन, फ्लोराइड तथा आर्सेनिक तत्व थे लेकिन प्रमंडलीय पदाधिकारियों ने जल को पीने योग्य बनाने हेतु कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किया। परिणामस्वरूप इन प्रमंडलों में कम से कम 4500 लोगों को दूषित जल प्रदान किया जा रहा था।

जहाँ जल परीक्षण कराए गए वहाँ दूषित जल की आपूर्त्ति उजागर हुई

4.2.10 प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम. आई. एस.)

सूचना प्रणाली का निष्प्रभावी प्रबंधन

विभिन्न पेयजल आपूर्त्ति योजनाओं के बारे में जानकारी, आयोजन एवं अनुश्रवण के लिए लो. स्वा. अ. वि. में शत प्रतिशत केंद्रीय सहायता से प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम. आई. एस.) को लागू करना था। इसके लिए भारत सरकार ने वर्ष 1998–2001 के दौरान 87. 43 लाख रुपये विमुक्त किया जिसमें से 24.17 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा व्यवहृत किए गए तथा इस प्रयोजन के लिए राज्य बजट में निधि के अनाबंटन के कारण 63.26 लाख रुपये अव्यवहृत (जून 2001) रहे। अतः विभाग में जल आपूर्ति क्षेत्र में विभिन्न क्रियाकलापों के आयोजन, अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन व्यवस्था से संबंधित सूचना प्राद्यौगिकी पर आधारित एम. आइ. एस. को लो. स्वा. अ. वि. में उन्नत नहीं किया गया।

4.2.10.1 सूचना शिक्षा एवं संचार (सू. शि. सं.)

सू. शि. सं. क्रियाकलाप पूरी तरह उपेक्षित

बिहार के पायलट जिलों (सिवान, पूर्णिया एवं धनबाद) में राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन (रा. गाँ. रा. पे. ज. मि.) के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच 50 : 50 लागत अंश पर जल से उत्पन्न रोगों की अभिव्यक्ति एवं लक्षण से संबंधित मामले के लिए सू.

20 बिहारशरीफ, हाजीपुर, मुंगेर तथा साहेबगंज

शि. सं. आधारित जागरूकता सृजन अभियान कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा था। भारत सरकार ने बिहार के लिए 1.45 करोड़ रुपये लागत की सू. शि. सं. परियोजना की मंजूरी दी तथा इसके लिए 36.36 लाख रुपये विमुक्त (जून 1997) किया जो राज्य द्वारा मार्च 2001 तक व्यवहृत नहीं किया गया था। केंद्रीय विमुक्ति के विरूद्ध राज्य सरकार ने वर्ष 1999–2000 के दौरान केवल 28.00 लाख रुपये का अंशदान किया।

लो. स्वा. प्रमंडल, पश्चिमी पटना ने सु. शि. सं. क्रियाकलाप पर बिना किसी टेलीफिल्म के मंजूरी के ही मार्च 2000 में निदेशक, दिल्ली दूरदर्शन को प्रसारित करने के लिए 24.74 लाख रुपये का भुगतान किया। इसी तरह न्यू. आ. का. के तहत् निदेशक, पटना दूरदर्शन को मार्च 2000 में प्रसारित करने के लिए कोई सू. शि. सं. सामग्री उपलब्ध कराए बिना ही 15.00 लाख रुपये का भुगतान किया गया। दोनों निधियों का प्रमंडल द्वारा दूरदर्शन से मार्च 2001 तक उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम, पटना को "आयरन रिमूवल ऐंड सैनिटेशन" पुस्तिका के मुद्रण के लिए 1.25 लाख रुपये का भुगतान (मार्च 2000) किया गया, जो मार्च 2001 तक मुद्रित नहीं हुई थी।

अतः सू. शि. सं. क्रियाकलाप पूरी तरह उपेक्षित था।

4.2.11 मानव बल प्रबंधन

मानव बल प्रबंधन अप्रभावी

विभाग ने राज्य में विभिन्न श्रेणियों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों (तकनीकी एवं गैर तकनीकी दोनों) के पदों एवं पदास्थापित कर्मियों के लिए अभिलेख/पंजी को संधारित नहीं किया था। परिणामतः विभाग को मानव बल की पर्याप्तता की जानकारी नहीं थी। इसके अतिरिक्त विभाग ने कार्य दिवस की बर्बादी/क्षति को रोकने के लिए उपलब्ध मानव बल के कुशल एवं प्रभावी उपयोग का अनुश्रवण नहीं किया।

वर्ष 2000–01 के बजट प्रस्तावों के अनुसार विभाग में 16274 कर्मचारी (तकनीकी : 1462 ; गैर–तकनीकी : 3590 कार्यभारित : 11222) थे लेकिन वह आरंभिक सूचना/अभिलेख, जिसके आधार पर कर्मचारियों की संख्या परिकलित की गई थी, लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी। विभाग कार्य भारित कर्मियों की बड़ी संख्या (11222) के बोझ से दबा हुआ था। विभाग में कार्यभारित कर्मियों एवं नियमित कर्मचारियों का अनुपात 7 : 3 था।

बिना कार्य के रहे कर्मियों पर विशाल राशि खर्च की गई

6 प्रमंडलों में निष्क्रिय कर्मियों पर 3.66 करोड़ रुपये खर्च किए गए जिसका विवरण निम्नवत् था :

(i) मुजफ्फरपुर (यांत्रिक), पूर्वी भागलपुर तथा पश्चिमी भागलपुर में मानकों के अनुसार 288 कार्यभारित कर्मियों के बदले 448 पदास्थापित थे जिसके परिणामस्वरूप 160 कार्यभारित कर्मी अधिक परिनियोजित थे जिनके वेतन एवं भत्ते पर वर्ष 1996–2000 के दौरान 1.57 करोड़ रुपये का अधिक व्यय हुआ।

(ii) लो. स्वा. यांत्रिक प्रमंडल, गया में 69 अक्रियाशील ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के लिए 210 प्रचालन कर्मी बिना कार्य के थे, जबकि उनके वेतन एवं भत्ते पर वर्ष 1996–2000 के दौरान 0.54 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

(iii) लो. स्वा. प्रमंडल, देवघर में एक जीप चालक पिछले चार वर्षों से निष्क्रिय था क्योंकि जीप वृहत् मरम्मति में थी जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1996–2000 के दौरान बिना कार्य के रहे चालक के वेतन एवं भत्ते पर 2.40 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

(iv) 11 यांत्रिक प्रमंडलों[21] में 48 (94 में से) रिग मशीनें पिछले 5 से 8 वर्षों से अक्रियाशील थी। उन अक्रियाशील रिग मशीनों पर कुल 336 प्रचालन कर्मी परिनियोजित थे। वर्ष 1996–2001 के दौरान उनके वेतन एवं भत्ते पर 11.49 करोड़ रुपये का खर्च किया गया।

केंद्रीय निधि से लाभ प्राप्त नहीं किया गया

4.2.11.1 राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम (रा. मा. सं. वि. का.) जिसे रा.गाँ.रा.पे. ज.मि. ने वर्ष 1994 से आरंभ किया था, ने मा. सं. वि. तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए शत प्रतिशत वित्तीय निवेश तथा तकनीकी मार्गदर्शन मुहैया कराने का अनुबंध किया था। बिहार में मा.सं.वि. प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1994–95 में विमुक्त 69.99 लाख रुपये की राज्य द्वारा निकासी मा. सं. वि. प्रकोष्ठ के निर्माण में विलंब के कारण नहीं की गई। तदनंतर भारत सरकार ने उसी राशि को अगस्त 1997 में विमुक्त किया। इसमें से विभाग ने प्रकोष्ठ की स्थापना पर 21.81 लाख रुपया खर्च किया तथा जून 2001 तक 48.18 लाख रुपये का उपयोग नहीं किया। अतः केंद्रीय निधि से निर्दिष्ट लाभ प्राप्त करने में राज्य विफल रहा।

4.2.12 निरीक्षण प्रतिवेदनों पर अमल नहीं

निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति दयनीय अनुक्रिया

वर्ष 1983–2000 के दौरान 2939 कंडिकाओं से सन्निहित 683 निरीक्षण प्रतिवेदन जो विभाग के विभिन्न कार्यालयों में 726.72 करोड़ रुपये के वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करते थे, उपेक्षित रहे। संबंधित पदाधिकारियों द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई तथा लेखा परीक्षा टिप्पणी के अनुपालन के अभाव में ये लंबित (अक्टूबर 2000) थे। विभागीय

अदक्ष/अ
अनुश्रवण

21 *भागलपुर, डाल्टेनगंज, धनबाद, दुमका, गया, हजारीबाग, जमशेदपुर, मुंगेर, पटना, राँची तथा सासाराम*

पदाधिकारियों द्वारा 264 निरीक्षण प्रतिवेदनों के आरंभिक उत्तर भी नहीं भेजे गए। विवरण निम्नवत थे :

क्रम सं.	लेखा परीक्षा प्रेक्षण की श्रेणी	कंडिका की संख्या	सन्निहित राशि (करोड़ रुपये में)
1.	ग्रामीण जलापूर्ति योजना पर निष्फल व्यय	577	163.39
2.	सामग्रियों के घटने के कारण हानि	439	42.34
3.	सामग्रियों का फर्जी सामंजन एवं दर्ज करना	371	45.54
4.	ठीकेदारों को अनुचित वित्तीय लाभ	179	21.87
5.	सरकारी निधि को अवरूद्ध रखना	157	56.21
6.	अधिक भुगतान की राशि की वसूली लंबित	37	57.29
7.	निम्नस्तरीय क्षतिग्रस्त कार्य के कारण हानि	24	2.34
8.	स्थापना पर अनियमित व्यय	754	225.54
9.	यंत्रों पर प्राक्कलित अनुदान की राशि से अधिक अनियमित व्यय	148	34.04
10.	भंडार पाल के द्वारा प्रभार नहीं सौपने के कारण हानि	05	.68
11.	भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा लेखा का असमर्पण	11	2.62
12.	निधि के निकासी में एल.ओ.सी. का उल्लंघन	41	29.97
13.	जमा/बैंक गारंटी का नगदीकरण नहीं किया जाना	11	1.05
14.	जुर्माना नहीं लगाना	37	1.67
15.	विविध लोक कार्य अग्रिम की वसूली लंबित	148	42.17
	योग	**2939**	**726.72**
	प्रारंभिक उत्तर अप्राप्त/नि.प्र./कंडिका	नि.प्र. 264	कंडिका 1670

4.2.13 अनुश्रवण

अदक्ष/अप्रभावी अनुश्रवण

दो उपनिदेशकों (मूल्यांकन एवं अन्वेषण) तथा प्रत्येक ग्रामीण एवं शहरी जल आपूर्ति योजना से एक कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण) की सहायता से अ. प्र. के अधीन अधीक्षण अभियंता द्वारा शीर्षित अनुश्रवण प्रकोष्ठ योजनाओं के समन्वय तथा अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी था।

यह पाया गया कि योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन विभाग में योजना, अनुश्रवण, क्रय, बजट एवं कार्यान्वयन इकाईयों के बीच समन्वय के अभाव के कारण प्रभावित हुआ।

अभियंता–प्रमुख तथा उनके कार्यवाहक यथा मु. अ., अ.अ., तथा का.अ. के स्तर पर अनुश्रवण एवं समन्वय के अभाव का परिणाम व्यर्थ/निष्फल व्यय, अतिरिक्त लागत, सामग्रियों की अत्यधिक खरीद, वित्तीय वर्ष के अन्तिम क्षण में निधियों का आबंटन, अधूरी योजनाओं पर वर्षों से विशाल निरर्थक निवेश तथा अधिक संख्या में विफल एवं परित्यक्त योजनायें थीं।

मामले सरकार को संदर्भित किए गए (अगस्त 2001) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 2002)।

भवन निर्माण एवं आवास विभाग

4.3 दैनिक वेतन भोगी मजदूरों की अवैध नियुक्ति : 2.50 करोड़ रुपये

दैनिक वेतन भोगी मजदूरों की अवैध नियुक्तियों के परिणास्वरूप 2.50 करोड़ रुपये का अनधिकृत व्यय हुआ

सरकार ने जुलाई 1975 में कार्य भारित पदों के सृजन तथा वर्तमान रिक्त पदों को भरने पर भी पाबंदी लगा दी। आदेश को 22 अक्टूबर 1984 के भूतलक्षी प्रभाव से अक्टूबर 1987 में दोहराया गया।

मुख्य अभियंता (मु.अ.) दक्षिण बिहार प्रभाग, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ने कार्य भारित माली (उद्यान सेवक) के 50 पदों की स्वीकृति (जनवरी 1986) दी तथा इन पदों के विरूद्ध 40 दैनिक वेतन भोगी मजदूरों की नियुक्ति (जून 1986) की। शेष 10 पदों को अधीक्षण अभियंता (अ.अ.) उद्यान संगठन, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिसम्बर 1987 में भरा गया।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना (जून 1993) के अनुसार सरकारी कार्यालयों में अगस्त 1985 के बाद स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध की गई दैनिक भोगी मजदूरों की सभी नियुक्तियों को अवैध समझा जाना था तथा इसे रद्द किया जाना था। इन आदेशों के बावजूद भी कार्यभारित मालियों तथा अन्य कार्य भारित मजदूरों की नियुक्ति आदेशों को रद्द करने की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

पुनः अक्टूबर 1975 में जारी सरकारी (वित्त विभाग) अनुदेशों के उल्लंधन में कार्यपालक अभियंता, उद्यान प्रमंडल, पटना ने जुलाई 1987 और अगस्त 1990 के बीच 9 (50 में से) मालियों की सेवाओं को अवैध रूप से नियमित कर दिया।

सरकारी आदेश की अवहेलना करते हुए दैनिक वेतन भोगी मजदूरों के अवैध रूप से कार्यरत रहने के परिणास्वरूप जनवरी 1986 से जनवरी 2002 के दौरान उनके वेतन एवं भत्तों पर 2.50 करोड़ रुपये का अनधिकृत व्यय हुआ जिसमें जुलाई 1993 से जनवरी 2002 तक की अवधि के 2.09 करोड़ रुपये शामिल थे।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2001) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 2002)।

पथ निर्माण विभाग

4.4 पथ कार्यों में अतिरिक्त व्यय

निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किये बगैर पथ कार्यों को शुरू करने के परिणास्वरूप क्षतिग्रस्त पथ पटलों के सुधार पर 23.58 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय तथा लगभग 6 वर्षों से अपूर्ण पड़े पथ कार्यों पर 80.46 लाख रुपये का भारी व्यय हुआ

मोहनिया – रामगढ़ पथ (15 कि.मी. लम्बे) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु (जनवरी 1991) 1 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी तथा मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकन संगठन, पटना द्वारा 1.12 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति (जून 1993) दी गई। कार्य में 75 मी.मी. मोटे बिटुमिनस स्प्रे ग्राऊटिंग (डब्लू बी एम के उपर बी एस जी : दूसरा से 12वाँ कि.मी.) तथा अलकतरायुक्त सतह (पहला से 15वाँ कि.मी.) के साथ–साथ गिट्टी बालू भरते हुये पथ पटल बनाना तथा अन्ततः अलकतरायुक्त सतह के उपर 20 मी.मी. मोटे पूर्व मिश्रित स्तर देना था।

कार्य मौलिक रूप से पथ निर्माण प्रमंडल, बक्सर द्वारा लिया गया तथा नवम्बर 1995 तक पूरा करने हेतु 1.21 करोड़ रुपये पर एक एजेन्सी ''क'' को दे दिया गया (नवम्बर 1993)। समय पर दावे का भुगतान नहीं होने के कारण एजेन्सी ने आगे के कार्य को क्रियान्वित करने में असमर्थता प्रकट (नवम्बर 1995) की। निधियों के अभाव में कार्य के संविदा को बन्द कर (जून 1998) दिया गया। किये गये कार्य के मूल्य के रूप में एजेन्सी को 14.03 लाख रुपये का भुगतान (नवम्बर 1998) कर दिया गया था।

कार्य के बंद किए जाने के परिणामस्वरूप 15 कि.मी. लम्बाई का पथ पटल क्षतिग्रस्त हो गया। क्षतिग्रस्त पथ के सुधार हेतु कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, भभुआ (एक नया सृजित प्रमंडल) ने 17.58 लाख रुपये पर एक दूसरे एजेन्सी के साथ 6 महीनें के अन्दर कार्य पूरा करने हेतु 3 संविदाओं (दिसम्बर 1998) का अनुबंध किया। इसके विरूद्ध अप्रील 2001 तक 23.58 लाख रुपये का भुगतान किया गया था।

इसके अलावे पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के शेष बचे कार्य को भी एक एजेन्सी ''ख'' को 89.66 लाख रुपये की लागत पर दिसम्बर 1999 तक कार्य पूर्ण करने हेतु पुर्ननिविदा के बाद आबंटित (नवम्बर 1998) किया गया। यह भी देखा गया कि तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने में ढाई वर्षों का विलंब तथा 37 महीनों के बाद कार्य को देने के परिणामस्वरूप 16.00 लाख रुपये का लागत अतिरेक तथा 6 वर्षों से अधिक का समय अतिरेक हुआ। जनवरी 2001 तक एजेन्सी को 42.58 लाख रुपये भुगतान कर दिया गया था तथा पथ कार्य अपूर्ण पड़ा हुआ था।

इस प्रकार निधि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बगैर पथ कार्य शुरू किये जाने के फलस्वरूप क्षतिग्रस्त पथ पटल के सुधार पर 23.58 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय तथा लगभग 6 वर्षों तक अपूर्ण पड़े पथ कार्यों पर 80.46 लाख रुपये (14.03 लाख रुपये + 23.58 लाख रुपये + 42.85 लाख रुपये) का भारी व्यय हुआ।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2001) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 2002)।

4.5 अपूर्ण पुलों पर निष्क्रिय निवेश : 1.16 करोड़ रुपये

कार्य की प्रगति के अनुश्रवण में कार्यपालक अभियंता की विफलता के फलस्वरूप अपूर्ण पुल कार्यों पर 1.16 करोड़ रुपये का निष्क्रिय निवेश हुआ

मुजफ्फरपुर जिले के 6 पथों[1] के विभिन्न विस्तारों में 8 स्क्रू पाईल पुल, 9 ह्यूम पाईप पुलिया तथा सेतु तक पहुँच मार्ग के निर्माण की प्रशासनिक मंजूरी पथ निर्माण विभाग द्वारा 2.12 करोड़ रुपये के लिये तथा इसकी तकनीकी स्वीकृति दिसम्बर 1998 में मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकन संगठन, पटना द्वारा 2.20 करोड़ रुपये के लिये दिया गया था। इसके विरूद्ध वर्ष 1998–99 से 2000–01 के दौरान पथ निर्माण विभाग द्वारा 2.31 करोड़ रुपये कार्यपालक अभियंता (का.अ.), पथ निर्माण प्रमंडल संख्या 2, मुजफ्फरपुर को मुहैया कराया गया, जिन्होंने संवेदकों के भुगतान (1.61 करोड़ रुपये) तथा अन्य आकस्मिक भुगतानों (9 लाख रुपये) पर 1.70 करोड़ रुपये खर्च कर दिया। 61 लाख रुपये की शेष राशि अभ्यर्पित/व्यपगत हो गई।

कार्य को मार्च से जून 1999 के दौरान पूर्ण करने हेतु (जून 2000 तक करने के लिए एक संविदा के कार्य को छोड़कर) 2.17 करोड़ रुपये के कुल संविदा मूल्य पर 9 निविदादाताओं के साथ कार्यपालक अभियंता ने 19 अनुबंध (वर्ष 1998–99 के दौरान 18 तथा वर्ष 1999–2000 में एक) क्रियान्वित किये। सभी कार्यों को वर्ष 1998–2000 के बीच सौंप दिया गया था। संवेदकों ने 1.61 करोड़ रुपये के कुल मूल्य का कार्य क्रियान्वित किया, जिसमें नवम्बर 2000 तक 54.12 लाख रुपये के कुल मूल्य के 9 ह्यूम पाईप पुलिया तथा एक क्षतिग्रस्त पहुँच मार्ग का पूर्ण कार्य शामिल था। स्क्रू पाइल पुलों (8 संख्या) तथा पहुँच मार्ग (1 संख्या) का कार्य अपूर्ण था, क्योंकि कार्यों को संवेदकों द्वारा छोड़ दिया गया था, जबकि इन कार्यों पर कार्यपालक अभियंता ने 1.16 करोड़ रुपये खर्च किया था। सभी पुलों पर कार्य शुरू किए गए थे, लेकिन वे अपूर्ण रहे। कार्यपालक अभियंता ने बताया (नवम्बर 2000) कि निधियों के अभाव में कार्य अपूर्ण थे। संविक्षा से प्रकटित हुआ कि यह सही नहीं था क्योंकि पथ निर्माण विभाग ने प्रमंडलों को आवश्यकता से अधिक निधि मुहैया कराया था लेकिन प्रमंडलीय पदाधिकारी अनुसूची के अनुसार कार्यों की पूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु कार्यों की प्रगति का अनुश्रवण करने में विफल रहे। पुलों के निर्माण में निम्न तथ्य पाये गये :

(i) 60.94 लाख रुपये के कुल संवेदी लागत पर दो निविदादाताओं को सौंपा गया शिवहर–सीतामढ़ी पथ के 25वें कि.मी. तथा शिवहर–मीनापुर पथ के पहले एवं चौथे कि. मी. पर स्थित 3 स्क्रू पाईल पुलों के निर्माण का कार्य संवेदकों द्वारा कोई कारण बताये बिना छोड़ दिया गया था, कार्यपालक अभियंता ने 36.69 लाख रुपये का भुगतान (दिसम्बर 1999 से मार्च 2000) कर दिया था। हाँलाकि कार्य की अंतिम अभिलेखित मापी के अनुसार कार्य का वास्तविक क्रियान्वयन मात्र 24.98 लाख रुपये का था, परिणामतः 11.71 लाख रुपये का अधिक भुगतान किया गया। बढ़ाकर की गई मापी

1 *शिवहर–मीनापुर पथ, शिवहर–सीतामढ़ी–मुशुरह–बेलवाघाट पथ, मीनापुर – बेलसंड पथ, मझौली – कटरा पथ, रून्नीसैदपुर–कटरा–केवटसा पथ तथा राजेपुर – कछौटिया पथ*

तथा कार्यपालक अभियंता द्वारा पूर्व अवसरों पर निर्धारित जाँच मापी नहीं लिये जाने के कारण अधिक भुगतान संभव हुआ।

(ii) 31 मार्च 1999 तक पूर्ण करने हेतु रून्नी सैदपुर – कटरा पथ के 25 कि.मी. में स्क्रू पाईल पुल के निर्माण का कार्य निम्नतम निविदादाता को 5 मार्च 1999 को 21.40 लाख रुपये पर दिया गया था। संवेदक ने 12.16 लाख रुपये मूल्य के पुल निर्माण सामग्रियों को प्राप्त करने के बाद बिना कोई कारण बताये कार्य छोड़ दिया। नवम्बर 2000 तक उसने सामग्रियों को प्रमंडल को वापस नहीं किया। कार्यपालक अभियंता ने न तो सामग्रियों की वापसी हेतु कोई प्रभावकारी कार्रवाई की और न ही संविदा के अनुसार उसके जोखिम एवं लागत पर दूसरे एजेन्सी द्वारा कार्य को पूरा करवाया। कार्यपालक अभियंता ने संवेदक के 1.84 लाख रुपये की जमानत राशि को जब्त नहीं किया। उन्होंने मामले को पुलिस/महालेखाकार/विभागीय उच्च प्राधिकारियों को भी प्रतिवेदित नहीं किया।

इस प्रकार, कार्य का पर्यवेक्षण तथा कार्य की वांछित प्रगति को सुनिश्चित करने में भी कार्यपालक अभियंता की विफलता के फलस्वरूप अपूर्ण पुल कार्यों पर 2 वर्षों के लिये 1.16 करोड़ रुपये का निष्क्रिय निवेश हुआ। इसमें 11.71 लाख रुपये का अधिक भुगतान तथा 12.16 लाख रुपये के पुल सामग्रियों का दुर्विनियोजन शामिल था।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2001) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 2002)।

4.6 पथ कार्यों पर निष्फल व्यय : 2.14 करोड़ रुपये

निधि की उपलब्धता के बगैर ही कार्य शुरू करने के फलस्वरूप अपूर्ण पथ कार्यों पर 2.14 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ

अधीक्षण अभियंता (अ.अ.), पथ निर्माण अंचल, मुजफ्फरपुर ने छपवा–हरसिद्धी–सेवराहा पथ (लंबाई 19.15 कि.मी.) के सुधार हेतु वर्ष 1990–94 के दौरान 24 निविदाएँ आमंत्रित की। पथ कार्य में मिट्टी कार्य, पथ पटल बनाना, पुल एवं पुलिया का निर्माण शामिल था। निविदाओं को 1.32 करोड़ रुपये के निम्नतम निवेदित लागत पर अंतिम रूप दिया गया था। कार्यपालक अभियंता (का.अ.), पथ निर्माण प्रमंडल, मोतिहारी ने वर्ष 1993–94 एवं 1996–97 के बीच कार्य पूर्ण करने हेतु 1.32 करोड़ रुपये के लिये वर्ष 1990–91 तथा 1993–94 के बीच 27 अनुबंध क्रियान्वित किया।

19.15 कि.मी में से 7 कि.मी. लम्बा पथ (5 से 7, 10, 12, 15 एवं 18वें) (अनुबंधित मूल्य : 50 लाख रुपये) मार्च 1992 में 48.54 लाख रुपये पर पूरा हो गया था। 82 लाख रुपये के अनुबंधित मूल्य का शेष 12.15 कि.मी. का पथ कार्य (1 से 4, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17 तथा 19.15 वें कि.मी) वर्ष 1990–94 के दौरान संवेदकों (20 अनुबंध) को सौंपा गया था। हालाँकि विपत्रों के भुगतान नहीं होने के कारण 48.55 लाख रुपये प्राप्त करने के बाद संवेदकों ने वर्ष 1997 में कार्य बन्द कर दिया था।

शेष बचे कार्यों (मूल्य : 33.45 लाख रुपए) को सितम्बर 1999 तक पूरा करने हेतु 1.63 करोड़ रुपये के कुल अनुबंधित मूल्य पर मार्च 1999 में दो संवेदकों (निम्नतम निविदा के आधार पर) को सौंपा गया। अक्टूबर 2001 तक कार्य पूरा नहीं हुआ था, जबकि

संवेदकों को 1.17 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया था। तकनीकी स्वीकृति के अभाव में 2 कि.मी. (4 एवं 7 वें कि.मी.) के दो विस्तारों का कार्य अक्टूबर 2001 तक शुरू नहीं किया गया था। इस प्रकार, 12.15 कि.मी. पथ पर 83.55 लाख रुपये का लागत अतिरेक तथा 4 वर्षों से अधिक का समय अतिरेक हुआ जबकि 7 कि.मी. पथ समय से तथा प्राक्कलित लागत से कम पर पूरा हुआ था।

इसके अलावे, पुल/पुलिया कार्यों तथा अपूर्ण पथों के परिणामस्वरूप पूर्ण हुए पथ की भी उपयोगित नहीं रही तथा 2.14 करोड़ रुपये का व्यय अलाभकारी रहा।

इस प्रकार, प्रमंडल द्वारा निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किये बगैर पथ/पुल कार्य शुरू करने के परिणामस्वरूप 7 वर्षों से अधिक समय तक अधूरे पड़े पथ कार्यों पर 2.14 करोड़ रुपये का अलाभकारी व्यय हुआ।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2001) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 2002) ।

4.7 उच्च स्तरीय पुल पर 79.60 लाख रुपये का अनुत्पादक व्यय एवं पहुँच पथ का संदेहात्मक निर्माण : 36.85 लाख रुपये

उच्च स्तरीय पुल पर 79.60 लाख रुपये का अनुत्पादक व्यय के अलावा पहुँच पथ के निर्माण पर 36.85 लाख रुपये का संदेहात्मक व्यय था

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा डुमराँव–बिक्रमगंज पथ के 38 वें कि.मी. में काव नदी पर जून 1991 में 79.60 लाख रुपये की लागत पर एक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण पूरा किया गया था। पुल को जोड़ने हेतु पहुँच पथ के निर्माण के लिये एक प्राक्कलन नवम्बर 1993 में मुख्य अभियंता (मु.अ.) , केन्द्रीय रूपांकण संगठन (के.रू.सं.) , पटना द्वारा 15.18 लाख रुपये के लिये स्वीकृत किया गया था। इस प्राक्कलन के विरूद्ध कोई कार्य नहीं शुरू किया गया था। सात वर्षों बाद मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण संगठन ने 68.80 लाख रुपये के लिये पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की मंजूरी (फरवरी 2000) दी। कार्यपालक अभियंता (का.अ.) , पथ निर्माण प्रमंडल, डेहरी–आन–सोन ने मार्च 2000 में कार्य के लिये निविदा आमंत्रित किया। एक निविदाकर्ता द्वारा 57.33 लाख रुपये के निम्नतम दर का प्रस्ताव दिया गया था। हालाँकि एक दूसरे संवेदक के प्रतिवेदन पर कि उसका निविदा संबधी कागजात असामाजिक तत्वों द्वारा छीन लिया गया था, मु. अ., दक्षिण बिहार प्रक्षेत्र, पटना ने पुनर्निविदा हेतु आदेश (मई 2000) दे दिया।

संवेदक ने कार्य दिसम्बर 2001 तक पूरा करने हेतु प्रमण्डलीय पदाधिकारी के साथ अनुबंध क्रियान्वित (17 मार्च 2001) किया तथा किये गये कार्य के मूल्य के लिये मार्च 2001 तक 36.85 लाख रुपये का भुगतान प्राप्त किया। तब से मई 2001 तक कार्य में कोई प्रगति नहीं थी। अभिलेखों की संवीक्षा (मई 2001) से प्रकटित हुआ कि 36.85 लाख रुपये मूल्य का 65 प्रतिशत कार्य (मिट्टी कार्य, मिट्टी कार्य को ठोस बनाना, बालू भराई, ग्रेड I, II एवं III गिट्टी मुहैया कराना, बोल्डर पिचींग इत्यादि) 12 दिनों (अनुबंध की तिथि से) के अन्दर पूरा हो गया था जो खासकर इस आलोक में अवास्तविक लगता था कि कार्य को 9 माह में पूरा करना अनुबंधित था। इसके अलावे कार्यपालक

अभियंता ने अनुबंध के क्रियान्वयन से पहले ही 5 मार्च 2001 को संवेदक को कार्यादेश निर्गत कर दिया। कार्यपालक अभियंता ने बताया (मई 2001) कि संवेदक अधिक परिमाण में कार्य करने में सक्षम था। यह स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि श्रम विभाग द्वारा निर्गत (दिसम्बर 2000) श्रम निबंधन प्रमाणपत्र के अनुसार संवेदक मात्र 50 मजदूरों को प्रतिदिन कार्य में लगाने हेतु प्राधिकृत था। इस प्रकार, संवेदक को 12 दिनों के कार्य के लिये 36.85 लाख रुपये का भुगतान संदेहात्मक था तथा जाँच की आवश्यकता थी।

पुनः पहुँच पथ के निर्माण में विलंब के परिणामस्वरूप पूर्ण उच्च स्तरीय पुल पर मई 2001 तक 10 वर्षों से व्यवहार में नहीं था।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (अगस्त 2001) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 2002) ।

जल संसाधन विभाग

4.8 अकार्यशील कार्यशाला

एक यांत्रिक कार्यशाला, जहाँ वर्ष 1994 से ही विद्युत आपूर्ति नहीं रहने से कोई कार्य नहीं किया गया था, के 28 कर्मियों के वेतन एवं भत्तो पर 7 वर्षों में 1.12 करोड़ रुपये व्यय किया गया

पूर्वी कोसी परियोजना के सिंचाई प्रमंडल, बथनाहा के अधीन विभिन्न संवर्गों के 28 तकनीकी कर्मियों के स्वीकृत बल के साथ एक यांत्रिक कार्यशाला नहर फाटक एवं आसपास स्थित सभी प्रमंडलों के सभी प्रकार के वाहनों की मरम्मति तथा रख रखाव हेतु कार्यशील (अप्रील 1954 से) थी।

कार्यशाला 7 वर्षों से अकार्यशील थी क्योंकि नवम्बर 1994 से कार्यशाला में कोई कार्य नहीं किया गया था। कार्यपालक अभियंता ने बताया (जुलाई 2000) कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के उर्जा शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने के कारण पिछले 10 वर्षों से विद्युत आपूर्ति नहीं थी। नवम्बर 1994 से दिसम्बर 2001 के दौरान कार्यशाला में पदस्थापित 28 निष्क्रिय कर्मियों के वेतन एवं भत्तो पर 1.12 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे।

इसके अलावा कार्यशाला के मशीन, औजार एवं संयंत्र निष्क्रिय पड़े थे तथा इस अवधि के दौरान निजी अभिकर्त्ताओं द्वारा नहर फाटक तथा निरीक्षण वाहन की मरम्मति एवं रख–रखाव पर 9.73 लाख रुपये खर्च किए गए थे।

इस प्रकार, कार्यशाला की अकार्यशीलता के परिणामस्वरूप बिना कार्य के रह रहे कर्मियों पर 1.12 करोड़ रुपये का निरर्थक व्यय हुआ।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2001) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 2002) ।

अध्याय – V

भंडार एवं सामग्री

खण्ड – ख : कंडिका

पथ निर्माण विभाग

5.1 अलकतरा का दुर्विनियोजन तथा अभिलेखों को उपस्थापित करने से निरंतर इंकार

पथ निर्माण प्रमंडल, दरभंगा के पास 1.17 करोड़ रुपये मूल्य के अलकतरा की प्राप्ति एवं वितरण की कोई जानकारी नहीं थी

अभियंता–प्रमुख द्वारा 2500 टन अलकतरा की आपूर्ति हेतु इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आई ओ सी) , हल्दिया को दिये गये आदेश (मार्च 1991 एवं अक्टूबर 1992) के आधार पर कम्पनी ने पथ निर्माण प्रमंडल, दरभंगा को ढुलाई संवेदक के माध्यम से (जून 1992 एवं मार्च 1994 के बीच) 99.45 लाख रुपये मूल्य के 2490 टन अलकतरे की आपूर्ति की। प्रमंडल ने ढुलाई संवेदक[1] को ढुलाई शुल्क के रूप में 17.11 लाख रुपये का भुगतान किया। हाँ लाकि प्रमंडल ने किसी कार्य में अलकतरे की उपयोगिता दर्शाने हेतु कोई स्थल लेखा प्रस्तुत नहीं किया था। प्रमंडलीय पदाधिकारियों द्वारा अभिलेखों को बारम्बार प्रस्तुत नहीं किये जाने से 1.17 करोड़ रुपये (99.45 लाख रुपये + 17.11 लाख रुपये) के मूल्य के अलकतरा की जालसाजी एवं दुर्विनियोजन से इंकार नहीं किया जा सकता था।

प्रमंडल की विफलता को सरकार (सितम्बर 1999) तथा बिहार सरकार के मुख्य सचिव (अक्टूबर 2000) के ध्यान में भी लाया गया था परन्तु उनकी अनुक्रिया मई 2001 तक प्राप्त नहीं हुई थी।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जूलाई 2001) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 2002) ।

1 *पवन कैरियर, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता*

अध्याय – VI

स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता

खण्ड – क : समीक्षा

पर्यावरण एवं वन विभाग

6.1 वायु प्रदूषण एवं अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित पर्यावरण अधिनियमों एवं नियमों का क्रियान्वयन

मुख्याकर्षण

राज्य सरकार/राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने वायु प्रदूषण एवं अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित पर्यावरण अधिनियमों एवं नियमों का समुचित क्रियान्वयन नहीं किया। प्रदूषक इकाइयों के सर्वेक्षण एवं छानबीन के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गयी थी। उचित निगरानी, तकनीकी उत्थान, परिवेशी गुणवत्ता अवलोकन एवं ध्वनि प्रदूषण के लिए कार्रवाई अपर्याप्त थी। प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना, सूचना का प्रसार, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, नियमित निरीक्षण की उपेक्षा की गयी थी। उत्पादित खतरनाक/जैव चिकित्सकीय/नगरीय ठोस अपशिष्ट इत्यादि के भण्डारण, उपचार एवं निपटान की शर्तों को पूरा नहीं किया गया था। इसके परिणास्वरूप, प्रमुख शहरों में वायु में निलम्बित ठोस कण का घनत्व उच्च/चिंताजनक था।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने प्रदूषक औद्योगिक इकाईयों का विस्तृत सर्वेक्षण नहीं कराया।

(कंडिका 6.1.5)

पर्षद एवं उद्योग विभाग के बीच समन्वय की कमी के कारण सहमति प्रबंध प्रभावित हुआ। औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के पहले बी एस पी सी बी से अनिवार्य पूर्व अनुमति सुनिश्चित नहीं की गई थी।

(कंडिका 6.1.6 (क))

बी एस पी सी बी के द्वारा अपनाये गए उत्सर्जन मानक प्रदूषण घटाने के लिए भारत सरकार की घोषित नीति के अनुरूप नहीं थे। इसके परिणास्वरूप, प्रदूषण निवारण एवं अपशिष्ट नियमन के लिए तकनीकी उन्नयन प्रभावित हुआ।

(कंडिका 6.1.7)

पाँच राष्ट्रीय परिवेशी वायुमण्डल गुणवत्ता अनुश्रवण (एन ए ए क्यू एम) स्टेशनों में वायु में निलम्बित ठोस कण का घनत्व उच्च या चिंताजनक था, जो वायु प्रदूषण के उच्च स्तर को दर्शाता था

(कंडिका 6.1.8)

नवम्बर 1994 में सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप, राज्य में 21 उत्सर्जन जाँच केन्द्र स्थापित किया जाना था। इसके विरूद्ध सिर्फ 4 केन्द्रों की स्थापना की गयी थी, जिसमें से एक केन्द्र (बेगूसराय) मानवशक्ति के अभाव में वर्ष 1997 से अकार्यशील था।

(कंडिका 6.1.9)

पटना, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद शहरों में औसत परिवेशी ध्वनि स्तर निर्धारित मानक से अधिक था।

(कंडिका 6.1.10)

अधिसंख्य औद्योगिक इकाईयों के पास अनुबद्ध उत्सर्जन एवं बहिःस्राव मानकों के पालन के लिए कोई सुविधा नहीं थी। दोषी उद्योगों के विरूद्ध बी एस पी सी बी ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की।

(कंडिका 6.1.11)

सरकार एवं बी एस पी सी बी द्वारा वायु प्रदूषण से संबंधित सूचना का प्रचार अपर्याप्त था। बी एस पी सी बी द्वारा वर्ष में सिर्फ एक बार पर्यावरण दिवस पर जागरूकता बैठक/सेमिनार आयोजित किया गया था।

(कंडिका 6.1.13)

बी एस पी सी बी ने 8500 उद्योगों के निरीक्षण के लिए कोई भी मानक निर्धारित या लक्ष्य तय नहीं किया था जबकि भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशानिर्देश के अनुरूप यह आवश्यक था। छः वर्षों में राज्य में सिर्फ पाँच हजार निरीक्षण ही किए गए थे।

(कंडिका 6.1.16)

राज्य में अत्यधिक मात्रा में जनित खतरनाक अपशिष्ट के उपचार, भण्डारण एवं निपटान के लिए कोई सुविधा नहीं थी। खतरनाक अपशिष्ट के निपटान हेतु स्थल की पहचान नहीं की गयी थी। हालाँकि जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट के निपटान के लिए सरकार/बी एस पी सी बी से प्राधिकार आवश्यक था, जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली संस्थाओं की पहचान नहीं की गयी थी।

(कंडिका 6.1.19 (क) एवं (ख))

पटना एवं गया शहर में 165 अस्पतालों, औषधालयों एवं उपचार –गृहों ने स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट उत्पन्न करते हुए स्थानीय क्षेत्रों में अशोधित जैव–चिकित्सकीय अपशिष्टों का निस्सरण किया।

(कंडिका 6.1.19 (ख))

बी एस पी सी बी ने राज्य के 170 स्थानीय निकायों में से किसी को भी अनिवार्य प्राधिकरण निर्गत नहीं किया था। किसी भी स्थानीय निकाय ने ठोस अपशिष्टों का प्रबंध एवं निपटान पर्यावरण अधिनियम एवं नियम के अनुसार नहीं किया था। पटना में अपरिष्कृत कूड़ा–कचरा के लिए कम्पोस्ट प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव एक वर्ष से भी अधिक समय सरकार के पास लंबित पड़ा था।

(कंडिका 6.1.19 (ग))

राज्य में पर्यावरण अधिनियमों एवं नियमों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण अपर्याप्त एवं अप्रभावी था तथा क्रियान्वयन के प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया गया था।

(कंडिका 6.1.22)

6.1.1 प्रस्तावना

संसद द्वारा वायु (प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधिनियमन (मार्च 1981) का अनुसरण करते हुए अपशिष्ट (खतरनाक, नगरीय ठोस एवं जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट) प्रबंधन सहित प्रदूषक के सभी विशेष एवं सामान्य प्रावधानों को शमिल करते हुए आच्छादन अधिनियम के रूप में समग्र पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 को अधिनियित किया गया था। तदनुसार, खतरनाक अपशिष्ट नियम, 1989, खतरनाक

रसायन के निर्माण, भण्डारण एवं आयात नियम, 1989, जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट नियम, 1998 एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 जैसे विभिन्न नियम भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये थे। राज्य में कुल मिलाकर 8506 इकाई (उद्योग : 3749 ; अस्पताल एवं नर्सिंग होम : 4587 तथा नगरपालिका : 170) तथा 17.13 लाख वाहन मुख्य एवं अन्य वायु प्रदूषक थे। खतरनाक एवं विषैले अपशिष्टों द्वारा मृदा प्रदूषित हुई थी।

6.1.2 सांगठनिक ढाँचा

अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव, राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 5 सदस्य, राज्य निगम/बोर्ड से दो पदाधिकारी एवं तीन गैर सरकारी सदस्यों वाले बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (बी एस पी सी बी) के माध्यम से बिहार में पर्यावरण अधिनियम एवं नियम के क्रियान्वयन के लिए आयुक्त–सह–सचिव द्वारा शीर्षित वन एवं पर्यावरण विभाग उत्तरदायी था। राज्य पर्षद में दो आंचलिक कार्यालय[1], आठ क्षेत्रीय कार्यालय[2], एक केन्द्रीय प्रयोगशाला तथा क्षेत्रीय कार्यालयों[3] से सम्बद्ध 7 प्रयोगशाला थे। शासकीय स्तर पर सचिव एक परामर्शी, 3 उप–परामर्शी एवं अन्य सहायक कर्मचारियों से सहायतित थे।

6.1.3 लेखा परीक्षा विस्तार

31 मार्च 2000 को अन्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (असैनिक) में जल प्रदूषण से संबंधित पर्यावरण अधिनियम एवं नियम के क्रियान्वयन में हुई त्रुटियों का उल्लेख किया गया था। वन एवं पर्यावरण विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद तथा इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालयों[4] के अभिलेखों की मार्च एवं जून 2001 के बीच नमूना जाँच के द्वारा वर्ष 1995–2001 के दौरान वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित पर्यावरण अधिनियमों एवं नियमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। वाहन, नगरीय अपशिष्ट एवं जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट के कारण प्रदूषण से संबंधित सूचना 3 विभागों (परिवहन, शहरी विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), 2 नगर निगमों[5], 4 नगरपालिकाओं[6], 6 असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों[7] से संग्रहित किया गया।

6.1.4 वित्तीय प्रबंध

बी एस पी सी बी के आय के स्रोत मुख्यतः केन्द्र/राज्य सरकार से सहायता अनुदान, भारत सरकार से जल उपकर संग्रहण की प्रतिपूर्ति, उद्योगों पर लगने वाले सहमति शुल्क तथा जमा पर ब्याज थे। वर्ष 1995–2000 (मार्च 2000 तक तैयार लेखे) के दौरान बी एस पी सी बी के राजस्व एवं व्यय का वर्षवार ब्यौरा निम्नवत् था :

1 दोनों पटना में।

2 बेगूसराय, देवघर, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, मुजफ्फरपुर, पटना एवं राँची।

3 बेगूसराय, देवघर, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, मुजफ्फरपुर एवं राँची।

4 बेगूसराय, धनबाद, जमशेदपुर, मुजफ्फरपुर एवं राँची।

5 पटना एवं राँची

6 बेगूसराय, धनबाद, जुगसलाई (जमशेदपुर) एवं मुजफ्फरपुर।

7 बेगूसराय, धनबाद, जमशेदपुर, मुजफ्फरपुर, पटना एवं राँची।

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्ति	कुल प्राप्य निधि	पर व्यय					स्थापना व्यय का प्रतिशत	अंत शेष	प्राप्य निधि के प्रतिशत के रूप में व्यय
				पूँजी एवं कार्यक्रम			स्थापना	योग			
				अनु-संधान व विकास	अनु-संधान व विकास प्रशिक्षण	अन्य (योजना)					
	(लाख रुपये में)									(लाख रुपये में)	
1995-96	317.70	231.10	548.80	0.51	3.52	33.69	169.55	207.27	82	341.53	38
1996-97	341.53	320.99	662.52	0.23	शून्य	23.52	241.02	264.77	91	397.75	40
1997-98	397.75	345.23	742.98	0.08	शून्य	37.39	206.50	243.97	85	499.01	33
1998-99	499.01	458.62	957.63	0.46	0.06	32.50	253.85	286.87	88	670.76	30
1999-2000	670.76	390.94	1061.70	0.64	0.32	65.50	243.53	309.99	79	751.71	29
योग		1746.88					1114.45	1312.87	85		

प्राप्तियों में भारत सरकार द्वारा योजना सहायता (0.58 करोड़ रुपये), उपकर की प्रतिपूर्ति (7.46 करोड़ रुपये), सहमति शुल्क (4.95 करोड़ रुपये), अनुसंधान एवं विकास (1.22 करोड़ रुपये), राज्य सरकार (शून्य) तथा अन्य स्त्रोत (3.25 करोड़ रुपये) शामिल था।

स्थापना पर अधिकांश व्यय

उपलब्ध निधियों का सिर्फ 29 से 40 प्रतिशत तक ही उपयोग किया गया था जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2000 तक 7.52 करोड़ रुपये का अव्यवहृत शेष था। पुनः, कुल व्यय का 79 से 91 प्रतिशत व्यय स्थापना पर किया गया था।

6.1.5 प्रदूषक इकाईयों के सर्वेक्षण का अभाव

प्रदूषक इकाईयों का कोई भी सर्वेक्षण एवं सूचीकरण नहीं किया गया

वायु अधिनियम के संदर्भ में संपूर्ण राज्य "वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र" घोषित किया गया था। प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण एवं समापन के लिए कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बी एस पी सी बी को खान, अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल इत्यादि सहित औद्योगिक स्थापनाओं का सर्वेक्षण कराना आवश्यक था। प्रदूषक इकाईयों की कुल संख्या के आकलन के लिए बी एस पी सी बी द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया था। हालाँकि यह पाया गया कि बी एस पी सी बी ने सहमति के लिए प्राप्त आवेदन, क्षेत्र इकाईयों के खण्डवार निरीक्षण एवं शिकायत के आधार पर उद्योग, होटल, हॉस्पीटल, स्टोन क्रशर, चिमनी इत्यादि कुल मिलाकर 3749 प्रदूषक इकाईयों (मई 2001 तक) की पहचान की थी। इसके पास राज्य में प्रदूषक इकाईयों की क्रमबद्ध एवं पूर्ण सूची नहीं थी। अतः प्रदूषण संबंधी मामले का अनुश्रवण किसी विश्वसनीय सूचना पर आधारित नहीं था।

बी एस पी सी बी के सदस्य सचिव ने कहा (जून 2001) कि राज्य में पर्यावरण प्रोत्साहन गतिविधियों पर निर्णय लेने हेतु पर्यावरण महत्त्व के आधार पर बी एस पी सी बी बिहार में जिलावार आंचलिक एटलस तैयार कर रहा था।

6.1.6 सहमति प्रबंधन

सहमति प्रबंधन एवं औद्योगिक इकाईयों के वर्गीकरण में पायी गई त्रुटियाँ निम्नवत् थी :

बी एस पी सी बी की बिना सहमति के ही उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक इकाईयों की स्वीकृति

(क) प्रदूषण उत्पन्न करने वाले किसी भी उद्योग की स्थापना के पूर्व पर्षद से सहमति लेना आवश्यक है। हालाँकि, बी एस पी सी बी को बिना उसके पूर्व सहमति उद्योग विभाग से लाइसेन्स के अंतर्गत स्थापित ऐसे उद्योगों की संख्या की जानकारी नहीं थी। बी एस पी सी बी की सहमति के बगैर औद्योगिक इकाई स्वीकृत नहीं हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए बी एस पी सी बी तथा औद्योगिक इकाईयों को स्वीकृति प्रदान करने वाले विभाग के बीच कोई समन्वय नहीं था। इसने औद्योगिक इकाईयों को दी गयी सहमति या असहमति के कोई अभिलेख/आँकड़ा संधारित नहीं किया था जैसा कि अधिनियम की धारा 51 के तहत् आवश्यक था। यह स्पष्ट है कि

प्रदूषण उत्पन्न करने वाली बहुत सी औद्योगिक इकाईयाँ बी एस पी सी बी के सहमति के बगैर ही चल रही थीं।

सहमति आवेदन के निपटारे में 290 दिनों तक का विलंब किया गया

(ख) नमूना जाँचित क्षेत्रों में 39 उत्सर्जन सहमति आवेदनों में से 24 सहमति आदेश चार महीने के निर्दिष्ट समय के बाद 9 से 290 दिनों के विलंब से निर्गत किया गया था। लेखा परीक्षा को वर्ष 1995–2001 के दौरान सहमति के लिए प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या, सहमति की स्वीकृति या अस्वीकृति तथा अधिनियम के अनुसार निर्धारित अवधि के अन्दर सहमति के निर्गत न होने की स्थिति में मान ली गई सहमति का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया।

भारत सरकार के मार्गदर्शन के अनुरूप औद्योगिक इकाईयों का वर्गीकरण नहीं किया गया

(ग) भारत सरकार द्वारा निर्गत (सितम्बर 1988) मार्गदर्शन के अनुसार, निगरानी के उद्देश्य के लिए औद्योगिक इकाईयों को उनके प्रदूषण स्थिति के अनुसार लाल (उच्च प्रदूषण सामर्थ्य), नारंगी (मध्यम प्रदूषण सामर्थ्य) तथा हरा (निम्न/तुच्छ प्रदूषण सामर्थ्य) के रूप में वर्गीकृत करना आवश्यक था। इन मार्गदर्शनों का उल्लंघन करते हुए बी एस पी सी बी ने प्रदूषण सामर्थ्य के बदले निवेशित पूँजी को आधार बनाकर बड़ा, मध्यम एवं लघु औद्योगिक इकाईयों के रूप में वर्गीकरण किया। परिणामस्वरूप, प्रदूषण करने वाले इकाईयों का अनुश्रवण सुनिश्चित नहीं था।

6.1.7 उत्सर्जन मानक

उत्सर्जन मानकों को सूत्रबद्ध नहीं किया गया

भारत सरकार ने प्रदूषण समापन के लिए अपने नीति वक्तव्य (मार्च 1992) में अपशिष्ट कम करने, अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने तथा उनके पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता पर बल दिया था। तदनुसार, प्रदूषण निवारण एवं अपशिष्ट नियंत्रण के लिए तकनीकी उन्नयन हेतु नियम संहिता एवं मार्गदर्शन विकसित किया जाना था। हालाँकि, भारत सरकार के नीति वक्तव्य के अनुरूप वातावरण में वायु प्रदूषक के उत्सर्जन की गुणवत्ता एवं संघटन के संदर्भ में बी एस पी सी बी द्वारा विभिन्न औद्योगिक संयंत्रों के लिए उत्सर्जन के लिए विभिन्न मानक की रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की गयी थी। अतः तकनीकी उन्नयन की नीति उपेक्षित रही।

सदस्य सचिव, बी एस पी सी बी ने कहा (जून 2001) कि बी एस पी सी बी एवं अनुसंधान संगठनों के विशेषज्ञों के सहयोग से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (सी पी सी बी) द्वारा लगातार अध्ययन के बाद भार आधारित या सान्द्रता आधारित मानक तैयार किये गये थे तथा तैयार मानकों की समीक्षा सामान्यतः इनके अधिसूचना के 5 वर्षों के बाद की गयी थी। यह कथन स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अगस्त 1990 में निर्धारित मानक जून 2001 तक पुनर्रीक्षित नहीं किये गये थे।

6.1.8 परिवेशी वायु गुणवत्ता अवलोकन (ए ए क्यू ओ)

आवश्यक परिवेशी वायुमण्डल गुणवत्ता अवलोकन नहीं किया गया

वायु अधिनियम 1981 की धारा 16(2)(एच) के अनुसार बी एस पी सी बी द्वारा एक वर्ष[8] में SO_2 एवं NO_2 प्रत्येक के लिए 624 परिवेशी वायु गुणवत्ता अवलोकन तथा एस पी एम के लिए 312 अवलोकन करना आवश्यक था। तदनुसार 5 (7 एन ए ए क्यू एम[9] में

[8] *एक वर्ष में सप्ताह में दो बार चौबीस घंटा के नियमित अंतराल पर कम से कम 104 माप का वार्षिक अंकगणितीय माध्य का अर्थ (i) एक वर्ष = 52 सप्ताह x सप्ताह में दो बार = 104 माप (2) संख्या (क) SO_2 = सल्फर डायआक्साइड व NO_2 = नाइट्रोजन आक्साइड – 104 माप x 6 (4 घंटा के अंतराल पर) = 624 प्रेक्षण (ख) एस पी एम के लिए = निलंबित ठोस कण – 104 माप x 3 (8 घंटा पर) अंतराल = 312 प्रेक्षण।*

[9] *राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता अनुश्रवण*

से) स्टेशनों (धनबाद : क्षेत्रीय कार्यालय, एम ए डी ए, बी आई टी, सिन्दरी ; जमशेदपुर : बर्मा माइन्स वाटर टॉवर एवं साक्ची वाटर टॉवर) में वर्ष 1996–2000 के दौरान SO_2 एवं NO_2 प्रत्येक के लिए 15600 एवं एस पी एम के लिए 7800 गुणवत्ता अवलोकनों की नमूना जाँच आवश्यक थी। इसके विरूद्ध, उसी अवधि के दौरान SO_2 के लिए सिर्फ 7221 (46 प्रतिशत), NO_2 के लिए 7514 (48 प्रतिशत) तथा एस बी एम के लिए 4252 (55 प्रतिशत) गुणवत्ता अवलोकन किया गया था। बी एस पी सी बी ने विद्युत आपूर्ति में विफलता/अनुश्रवण उपकरण की विफलता को कमी का कारण बताया।

यह पाया गया कि पटना के 4 चयनित आवासीय क्षेत्रों तथा धनबाद एवं जमशेदपुर के खनिज क्षेत्रों में एस पी एम सान्द्रता के कारण प्रदूषण संकटपूर्ण या उच्च[10] था तथा विगत 5 वर्षों के दौरान कोई सुधार नहीं हुआ था। यहाँ तक कि धनबाद के आवासीय एवं खनिज दोनों क्षेत्रों में SO_2 सान्द्रता भी काफी अधिक थी।

सदस्य सचिव ने कहा (जून 2001) कि एस पी एम का उच्च सान्द्रण मुख्यतः (क) पथ की खराब स्थिति (ख) खुले ट्रक एवं ट्रैक्टर से बालू, ईंट, कोयला इत्यादि की ढुलाई तथा (ग) वायु के तीव्र प्रवाह से गंगा बालू लाए जाने के कारण था। यह कहा गया कि बी एस पी सी बी ने दिसम्बर 1999 एवं अप्रैल 2000 में राज्य सरकार को खनिज एवं स्टोन क्रशिंग गतिविधियों, वाहनों के परिचालन इत्यादि के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण की समस्याओं के बारे में अवगत कराया था। हालाँकि, कोई कार्रवाई नहीं की गई।

6.1.9 *वाहन जनित वायु प्रदूषण*

उत्सर्जन जाँच केन्द्र के अभाव के कारण कुल वाहनों के सिर्फ 8 से 13 प्रतिशत की ही जाँच की गई थी

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावलियों में (i) वाहनों से धुँआ एवं गैस के उत्सर्जन की सुरक्षित सीमा तथा (ii) वाहनों द्वारा निर्धारित उत्सर्जन मानकों के अनुपालन की जाँच विहित की गयी थी। बिहार सरकार (परिवहन विभाग) ने शहरों में निबंधित प्रत्येक 40 हजार वाहनों के लिए एक स्व निर्वहन उत्सर्जन जाँच केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया (नवम्बर 1994) था। तदनुसार, बिहार एवं झारखण्ड राज्य में स्व निर्वहन उत्सर्जन के नियंत्रण एवं वायु गुणवत्ता सुधारने हेतु 21 उत्सर्जन जाँच स्टेशनों (बोकारो–2, पटना–5, राँची–3, जमशेदपुर–4, मुजफ्फरपुर–2, हजारीबाग–2 तथा धनबाद–3) को स्थापित किए जाने की आवश्यकता थी। हालाँकि जुलाई 1995 में सरकार ने सिर्फ 7 स्व निर्वहन उत्सर्जन जाँच स्टेशन[11] स्थापित करने का निर्णय लिया।

इन लक्ष्यों के विरूद्ध बी एस पी सी बी द्वारा जून 2001 तक सिर्फ 4 केन्द्र (पटना, जमशेदपुर, धनबाद तथा बेगूसराय) स्थापित किये गये थे। इनमें से एक केन्द्र (बेगूसराय) मानव शक्ति के अभाव के कारण अपने स्थापना काल (वर्ष 1997) से ही अकार्यशील था। तीन कार्यशील स्टेशनों द्वारा वर्ष 1996–2000 के दौरान पटना, धनबाद

10

प्रदूषण स्तर	*औद्योगिक (आई)*		*आवासीय*	
	SO_2 व NO_2	*एस पी एम*	*SO_2*	*एस पी एम*
उच्च (एच)	*80-120*	*360-540*	*60-90*	*140-210*
संकटपूर्ण (सी)	*>120*	*>540*	*>90*	*>210*

11 *पटना, जमशेदपुर, धनबाद एवं बेगूसराय में राज्य पर्षद द्वारा स्थापित किये जाने वाले 4 केन्द्र ; बी एस आर टी कारपोरेशन द्वारा मुजफ्फरपुर एवं राँची में स्थापित किये जाने वाले दो केन्द्र तथा पटना में प्रारंभिक रूप में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित किये जाने वाला एक केन्द्र।*

एवं जमशेदपुर में सिर्फ 0.04 लाख से 0.38 लाख वाहनों यानि कुल वाहनों की संख्या का 8 से 13 प्रतिशत के ही निर्वहन उत्सर्जन की जाँच की जा सकी।

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1992 में संशोधन करते हुए भारत सरकार की अधिसूचना (मई 1992) के अनुसार वाहन जनित प्रदूषण के नियंत्रण के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनानी थी तथा सभी वर्गों के वाहनों के लिए आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण–पत्र निर्गत करना था। हालाँकि बिहार/झारखण्ड राज्यों में परिवहन विभाग द्वारा जून 2001 तक ऐसी कोई भी कार्य योजना शुरू नहीं की गई थी।

6.1.10 ध्वनि प्रदूषण

सर्वेक्षण किए गए अधिकतर शहरों का परिवेशी ध्वनी स्तर निर्धारित मानक से अधिक था

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत् तैयार किए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियमावली 2000 में परिकल्पित क्षेत्रों का वर्गीकरण औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय या शांत क्षेत्रों/प्रक्षेत्रों में तथा वाहनों के परिचालन से उद्भूत ध्वनि सहित ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए अपनाये जाने वाले उपाय राज्य द्वारा जून 2001 तक नहीं किये गए थे। वर्ष 1993–94 में बी एस पी सी बी द्वारा 7 शहरों[12] में ध्वनि स्तर के सर्वेक्षण से प्रकट हुआ कि सभी 7 शहरों के आवासीय क्षेत्रों एवं पटना, हजारीबाग एवं राँची के शांत क्षेत्रों मे रात में ध्वनि स्तर निर्धारित सीमा से अधिक था। पटना, हजारीबाग, जमशेदपुर तथा धनबाद में दिन में ध्वनि स्तर सीमा से अधिक था। वर्ष 1999–2000 में बी एस पी सी बी ने पटना में ध्वनि स्तर का सर्वेक्षण किया जिससे यह ज्ञात हुआ कि दिन एवं रात दोनों समय में ध्वनि स्तर निर्धारित मानक से काफी अधिक था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष 1999–2000 के दौरान पटना में औसत परिवेशी ध्वनि स्तर

क्षेत्र	मानक (Leg dB (A))		अभिलेखित ध्वनि स्तर	
	दिन	रात	दिन	रात
आवासीय	55	45	73	54
वाणिज्यिक	65	55	80	60
औद्योगिक	75	70	66	54
शांत प्रक्षेत्र	50	40	66	57

हालाँकि राज्य सरकार ने ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु प्रावधानों एवं आचार संहिता को लागू करने के लिए जिलाधिकारियों को समय–समय पर निर्देश निर्गत किया था, परंतु उसने जिलाधिकारियों द्वारा निर्देश के क्रियान्वयन का अनुश्रवण नहीं किया था।

6.1.11 प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली की स्थापना

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश (फरवरी 1992) के अनुसार, उद्योग, परिचालन या प्रक्रिया जिसने 16 मई 1981 को या उससे पहले उत्पादन शुरू कर दिया था, द्वारा 31 दिसम्बर 1993 तक उत्सर्जन मानक का अनुपालन आवश्यक था तथा जिसने 16 मई 1981 के बाद परन्तु 31 दिसम्बर 1991 के पहले उत्पादन शुरू किया था, को उत्सर्जन मानक का अनुपालन करने के लिए 31 दिसम्बर 1992 तक का समय दिया गया था। जनवरी 1994 में सी पी सी बी ने बी एस पी सी बी को पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण सुविधा स्थापित करने तथा वास्तविक मामलों की जाँच करने तथा मामला के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के पूरा होने के लिए प्रत्येक इकाई को आवश्यक समय निर्धारित करने तथा अधिकतम 6 महीना (30 जून 1994 तक) से ज्यादा समय

[12] *बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, पटना, राँची एवं सिन्दरी*

सीमा नहीं देने तथा जान बूझकर चूक करने वाले चिह्नित मामलों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया था।

अधिकांश औद्योगिक इकाइयों के पास उत्सर्जन एवं बहिःस्राव मानकों को पूरा करने की सुविधा नहीं थी

दिसम्बर 2000 तक बी एस पी सी बी द्वारा उच्च प्रदूषण औद्योगिक संभाग में 68 इकाईयों की पहचान की गयी। इसमें से, 4 इकाइयाँ[13] (बड़ी) प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता को पूरा किए बगैर कार्यरत् थीं। बी एस पी सी बी ने इस चूक के लिए सिर्फ पतरातू थर्मल पावर स्टेशन को कारण बताओ नोटिस निर्गत (अप्रैल 1993 एवं जून 1996) किया। अन्य के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी।

6.1.12 अभियोजन

सभी 3 अभियोजन मामलों का निर्णय बी एस पी सी बी के विरूद्ध किया गया

बी एस पी सी बी को वायु अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत निर्गत निर्देशों के अनुपालन में विफल उद्योग के विरूद्ध मुकदमा चलाना था। यह पाया गया कि बी एस पी सी बी ने मई 2001 तक वायु अधिनियम के तहत 96 चूक कर्त्ता इकाइयों के विरूद्ध मामला दायर किया था। इसमें से न्यायालय द्वारा निष्पादित तीन मामले में बी एस पी सी बी के विरूद्ध निर्णय किए गए। अन्य मामले 2 से 12 वर्षों तक लम्बित थे।

6.1.13 सूचना का प्रसार

सूचना के प्रसार के लिए सुविधा अपर्याप्त थी

सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, बी एस पी सी बी द्वारा पर्यावरण खतरा के बारे में जनता को शिक्षित करने के उद्देश्य से वायु प्रदूषण संबधी सूचना का संग्रहण एवं प्रसार आवश्यक था। यह दर्शाने वाला कोई अभिलेख नहीं था कि बी एस पी सी बी द्वारा वर्ष में एक बार पर्यावरण दिवस पर जागरूकता सभा/सेमिनार आयोजित करने को छोड़कर राज्य सरकार या बी एस पी सी बी द्वारा वायु प्रदूषण पर सूचना के प्रसार के लिए कोई भी कार्रवाई की गई थी।

हालाँकि सदस्य सचिव ने दावा किया (अप्रैल 2001) कि विभिन्न माध्यमों जैसे (क) सीधा संपर्क द्वारा (ख) मुद्रण एवं इलेक्ट्रोनिक मिडिया द्वारा (ग) पर्यावरण बुलेटिन एवं सेमिनार कार्यशाला के माध्यम से सूचना का संग्रहण एवं प्रसार किया गया था, लेकिन इसकी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा पुष्टि नहीं की गयी थी।

6.1.14 प्रशिक्षण एवं अनुसंधान

प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्य उपेक्षित रहा

वायु अधिनियम की धारा 17 (घ) के अंतर्गत, राज्य पी सी बी एवं सी पी सी बी दोनों को वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या कम करने से संबंधित कार्यक्रमों एवं सामूहिक शिक्षा कार्यक्रम में लगे हुए व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करना था। यह पाया गया कि नवम्बर 1995 एवं दिसम्बर 1995 के दौरान क्रमशः सिर्फ 19 व्यक्तियों एवं 16 व्यक्तियों को बी एस पी सी बी के द्वारा कोयला एवं कोयला आधारित उद्योगों पर प्रशिक्षण के साथ–साथ वायु एवं जल के नमूने की तैयारी एवं विश्लेषण पर प्रशिक्षण दिया गया था। लौह एवं इस्पात उद्योगों में 14 व्यक्तियों को प्रदूषण नियंत्रण का प्रशिक्षण दिया गया (फरवरी 1999) था। बी एस पी सी बी ने वर्ष 1996 से 1998 की अवधि के दौरान कर्मचारियों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया तथा अनुसंधान गतिविधि पर नगण्य व्यय किया गया था। इस प्रकार, राज्य में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्य उपेक्षित था।

[13] *बोकारो थर्मल पावर स्टेशन 'ए' एवं 'बी', चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन तथा पतरातू थर्मल पावर स्टेशन (पी टी पी एस)*

6.1.15 सरकारी विश्लेषक

वायु विश्लेषण की जाँच के लिए कोई भी सरकारी विश्लेषक नहीं

वायु अधिनियम 1981 की धारा 28(I) तथा धारा 29 के अन्तर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना ने जून 2001 तक न तो वायु प्रयोगशाला स्थापित किया और न ही राज्य विशलेषक की नियुक्ति ही की। अतः बी एस पी सी बी के विश्लेषक द्वारा कराए गए वायु विश्लेषण की विशुद्धता, सरकार के किसी अभिकरण से सुनिश्चित नहीं की गई थी जो कि वायु अधिनियम 1981 की धारा 27(3) के तहत् आवश्यक था।

6.1.16 उद्योगों का निरीक्षण

उद्योगों के निरीक्षण के लिए कोई मापदण्ड नहीं

वायु अधिनियम में निर्धारित था कि बी एस पी सी बी के अधिकारियों को नियमित रूप से उद्योगों का निरीक्षण करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदूषण को कम करने के लिए कार्यक्रम का संतोषप्रद क्रियान्वयन हो रहा था। हालाँकि भारत सरकार ने उद्योगों के नियमित निरीक्षण के लिए निर्देश निर्गत किया था, बी एस पी सी बी द्वारा निरीक्षण के लिए कोई मापदण्ड एवं लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। बी एस पी सी बी ने कहा (अप्रैल 2001) कि लघु एवं मध्यम संभाग इकाइयों में एक वर्ष में कम से कम एक बार तथा वृहत् उद्योगों के लिए एक वर्ष में दो से तीन बार निरीक्षण करना था। चिह्नित इकाईयों (वृहत् : 319, मध्यम : 341 तथा लघु : 3089) तथा निरीक्षण की निर्धारित बारम्बारता के आधार पर 24408 निरीक्षण (छः वर्षों के लिए वार्षिक 4068 निरीक्षण) करना चाहिए था। इसके विरूद्ध वर्ष 1995–2001 के दौरान बी एस पी सी बी के द्वारा सिर्फ 5441 निरीक्षण (21 प्रतिशत) किया गया था। निरीक्षण में इस तरह की कमियों ने अनुश्रवण प्रक्रिया अप्रभावकारी बनाया। इसके अतिरिक्त, निरीक्षण के दौरान शामिल उच्च प्रदूषक उद्योगों (लाल संवर्ग) की संख्या प्राप्य सूचना से प्रकट नहीं हुई।

78 प्रतिशत उद्योग का निरीक्षण नहीं किया गया

6.1.17 वार्षिक प्रतिवेदन

सरकार एवं विधान मण्डल को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलंब

वायु अधिनियम के अनुसार बी एस पी सी बी को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद चार महीने के अंदर राज्य सरकार को अपनी गतिविधियों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था जिसे विधान मण्डल के पटल पर वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद नौ महीने के अन्दर रखना था। हालाँकि, वर्ष 1995–96 से 1998–99 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन सरकार एवं राज्य विधान मण्डल को प्रस्तुत करने में 12 से 24 महीने की देरी की गयी थी। बी एस पी सी बी ने जून 2001 तक वर्ष 1999–2000 एवं वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार नहीं किया था।

6.1.18 पर्यावरणीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (ई ए आर)/पर्यावरणीय विवरणी (ई एस)

पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक औद्योगिक संचालन या प्रक्रिया द्वारा कच्चे सामग्री की खपत, जनित प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय के प्रभाव की सूचना से सम्बंधित एक पर्यावरणीय विवरणी (ई एस), पर्यावरणीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (ई ए आर) बी एस पी सी बी को प्रत्येक वर्ष के 15 मई या उसके पहले प्रस्तुत करना था।

अधिकांश इकाइयों ने पर्यावरणीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया था

नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि टाटा आयरन एवं स्टील कम्पनी (टिस्को) तथा बोकारो इस्पात संयंत्र को छोड़कर वर्ष 1996–2001 के दौरान किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा ई ए आर प्रस्तुत नहीं किया गया था। इन दो औद्योगिक इकाईयों में से टाटा आयरन एवं स्टील कम्पनी (टिस्को) द्वारा वर्ष 1996–97 में 9 महीने से ज्यादा तथा वर्ष

1997–98 में तीन वर्षों से अधिक के विलंब से ई ए आर/ ई एस प्रस्तुत किया गया था। अन्य वर्षों (वर्ष 1998–2001) के लिए टिस्को द्वारा जून 2001 तक ई ए आर/ई एस प्रस्तुत नहीं किया गया था। बोकारो इस्पात संयंत्र (बी एस पी) द्वारा वर्ष 1997–98 एवं 1998–99 में क्रमशः 4 एवं 3 महीने से अधिक विलंब से बी एस पी सी बी को ई ए आर/ ई एस प्रस्तुत किया गया था। बी एस पी द्वारा अन्य वर्षों यथा वर्ष 1996–97 एवं 1999–2001 के लिए बी एस पी सी बी को ई ए आर/ ई एस प्रस्तुत नहीं किया गया था। औद्योगिक इकाईयों द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों एवं नियमावलियों का पालन सुनिश्चित कराने में बी एस पी सी बी विफल रहा।

6.1.19 अपशिष्ट प्रबंधन

अपशिष्ट मुख्यतः तीन श्रेणियों के थे यथा, घातक अपशिष्ट, जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट।

(क) घातक अपशिष्ट

बी एस पी सी बी मार्च 2001 तक घातक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले 48 औद्योगिक इकाइयों (बिहार कॉस्टिक एवं केमिकल लिमिटेड, पलामू, टाटा आयरन एवं स्टील कम्पनी, जमशेदपुर, बोकारो इस्पात संयंत्र, इंडियन आयल कॉरपोरेशन, बरौनी इत्यादि) को चिह्नित किया था तथा घातक अपशिष्ट के भण्डारण के लिए 37 आद्योगिक इकाइयों को अधिकृत किया था। आठ औद्योगिक इकाइयाँ कार्यशील नहीं थीं तथा 3 अन्य औद्योगिक इकाइयों को प्राधिकृत करने का कार्य प्रगति पर था (मई 2001)।

घातक अपशिष्ट बिना अभिक्रिया के ही निपटारित

48 विभिन्न इकाइयों (13 जिलों में) में जनित घातक अपशिष्ट 53260.79 टन प्रति वर्ष था जिसमें से 75.40 टन भस्म करने योग्य था, 2327.20 टन पुनः चक्रित/बेचा गया तथा 50858.19 टन भण्डारित/ढेर/भूमि भरणित था। हालाँकि, कोई भी साधारण स्थल/अभिक्रिया, भण्डारण एवं निपटान सुविधा (टी एस डी एफ) वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार तैयार नहीं की गयी थी। बी एस पी सी बी द्वारा स्वीकृत प्राधिकरण के अनुसार सभी 37 औद्योगिक इकाइयाँ, औद्योगिक परिसर में ही घातक अपशिष्ट का ढेर लगा रही थीं। औद्योगिक परिसर के अन्दर तथा औद्योगिक परिसर के बाहर निम्न स्तर के क्षेत्रों में भी अपशिष्ट का ढेर लगाने का प्रचलन अस्वास्थ्यकर था तथा एक वृहत् प्रदूषक था।

घातक अपशिष्ट (प्रबंध एवं हस्तन) निमावली 1989 के नियम 8 के अंतर्गत राज्य सरकार को निपटान स्थलों की पहचान करनी चाहिए तथा राज्य के अंतर्गत निपटान स्थलों की तालिका को आवधिक रूप से प्रकाशित करना चाहिए। यह पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ई.आइ.ए.) करने के लिए तथा अधिसूचना के पहले भूमि भरण स्थल की लोक स्वीकृति के लिए आवश्यक था।

घातक अपशिष्ट के लिए स्थलों की पहचान नहीं की गई

संवीक्षा से प्रकट हुआ कि हालाँकि राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों/उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला संकट प्रबंधन समिति को घातक अपशिष्ट के लिए स्थल की पहचान करने हेतु निर्देश दिया था (मई 1993), जून 2001 तक उनमें से किसी ने भी स्थल की पहचान नहीं की थी। राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर में स्थल पहचान का कार्य बी एस पी सी बी को सौंपा (जनवरी 1994) था। बी एस पी सी बी ने रौतिनिया गाँव के नजदीक एक स्थल की पहचान (जून 1995) की थी जो सरकार द्वारा सितम्बर 1997 में अधिसूचित किया गया। इसी दरम्यान रौतिनिया, मुजफ्फरपुर में भूमि भरण एवं भस्मीकरण योजना के लिए 33.23 लाख रुपये की लागत का प्रस्ताव भारत सरकार एवं सी पी सी बी के पास भेजा गया (जून 1997) था। जून

भस्मीकरण योजना क्रियान्वित नहीं

2001 तक योजना स्वीकृत नहीं की गयी थी। अतः, राज्य में घातक अपशिष्ट के उचित निपटारा हेतु कोई प्रक्रिया नहीं थी तथा इससे व्यक्तियों के स्वास्थ्य को खतरा था।

(ख) जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट

जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 1998 के अनुसार मानव शारीरिक अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट, सूक्ष्म जैवीय/जैव–प्रौद्योगिकी अपशिष्ट, तीक्ष्ण अपशिष्ट, फेंकी गयी औषधियाँ/आविष औषध, ठोस अपशिष्ट, द्रव अपशिष्ट, भस्मन राख, रासायनिक अपशिष्ट इत्यादि जैसे जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट उत्सर्जन कराने वाले प्रत्येक संस्थान तथा जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट एवं जैव–चिकित्सकीय सुविधा के संचालन करने वाले प्रत्येक प्रचालक को यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे अपशिष्ट का परिचालन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव न डाले, राज्य सरकार (जून 2000 से राज्य बोर्ड) से प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक था।

जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट उत्पादन करने वाले संस्थाओं का पहचान नहीं की गयी थी

संवीक्षा से प्रकट हुआ कि अप्रैल 2001 तक न तो राज्य सरकार और न ही बी एस पी सी बी ने जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट उत्पादन करने वाले संस्थाओं तथा प्राधिकरण के लिए जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट निपटारा सुविधा में लगे हुए प्रचालकों की पहचान नहीं की गयी थी।

यह स्वीकार करते हुए कि कोई भी संस्था को प्राधिकार नहीं दिया गया था, बी एस पी सी बी ने कहा (अप्रैल 2001) कि वे अस्पताल, नर्सिंग होम, पशुपालन संस्था, पशु क्लीनिक तथा अपशिष्ट जनित/ढेर लगाने वाले अन्य संस्थाओं की तालिका तैयार कर रहे थे तथा नियमावली के प्रावधानों का पालन करने के लिए पहचानित अस्पतालों को नोटिस जारी किया जाना था। हालाँकि 2001 तक ऐसे नोटिस अन्य संस्थाओं को निर्गत नहीं किए गए थे।

जैव चिकित्सकीय अपशिष्टों की वस्तुस्थिति राज्य द्वारा सुनिश्चित नहीं

"भारत में शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन" पर एक प्रतिवेदन में योजना आयोग ने अनुमानित किया कि अस्पताल द्वारा 1 से 2 किलो अपशिष्ट प्रति व्यक्ति प्रति दिन जनित हो रहा था जिसमें से 15 प्रतिशत घातक एवं संक्रामक था। यह पाया गया कि राज्य सरकार/बी एस पी सी बी ने जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट की स्थिति का पता लगाने के लिए तथा राज्य में इसके पृथ्क्करण एवं निपटारा हेतु सर्वेक्षण नहीं किया था। जिलों में चिकित्सा संस्थान द्वारा जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट के जनन एवं निपटान के संदर्भ में नियमों एवं विनियमनों के अनुपालन हेतु बी एस पी सी बी में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य स्वास्थ्य पदाधिकारी को सूचना निर्गत नहीं की गयी, जबकि 21198 शय्याओं वाले राज्य में 4290 सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों तथा नमूना जाँचित 6 जिलों[14] के 2509 शय्या क्षमता वाले 297 निजी स्वास्थ्य संस्थान क्रमशः 21 टन एवं 3 टन जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट प्रति दिन उत्पादित कर रहे थे। अतः छः जिलों में इन संस्थाओं द्वारा प्रति वर्ष उत्पादित 8760 टन जैवीय अपशिष्ट या तो पास पड़ोस में ढेर लगाया गया या तो आस–पास फेंका गया जिससे पर्यावरण प्रदूषित हुआ। पटना में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रति दिन 3 टन जैवीय अपशिष्ट उत्पादित हो रहा था जिसे पास–पड़ोस में अभिक्रिया के बगैर ढेर लगाया गया तथा आस पास फेंका गया जो शहर में गंभीर स्वास्थ्य संकट उत्पन्न कर रहा था।

[14] *धनबाद, गया, जमशेदपुर, मुजफ्फरपुर, पटना एवं राँची के असैनिक शल्य चिकित्सकों द्वारा सूचित*

अभिक्रिया के बगैर जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट स्थानीय रूप से फेंका गया

बी एस पी सी बी द्वारा जून से सितम्बर 2001 के दौरान पटना एवं गया शहर में किए गये जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के यादृच्छिक अध्ययन से प्रकट हुआ कि पटना (136) एवं गया (29) शहरों में 165 अस्पताल, औषधालय एवं नर्सिंग होम प्रति दिन 5 टन जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट उत्पादन कर रहे थे। इन अपशिष्टों की अभिक्रिया नहीं की गयी तथा स्थानीय रूप से फेंका गया जिससे गंभीर स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हुआ।

इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आई जी आई एम एस), पटना में जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के अधिष्ठापन के लिए भारत सरकार ने मार्च 2001 में 63.50 लाख रुपये विमुक्त किया। हालाँकि ऐसी कोई प्रणाली आई जी आई एम एस, पटना में जनवरी 2002 तक अधिष्ठापित नहीं की गयी थी।

(ग) नगरीय ठोस अपशिष्ट (एम एस डब्लू)

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अनुसार बी एस पी सी बी जिसे भस्मीकरण मानक समाहित स्थल जल, परिवेशी वायु, लीचेट• गुणवत्ता एवं ठोस अपशिष्ट के कम्पोस्ट गुणवत्ता से संबंधित मानकों का नगरीय प्राधिकार द्वारा अनुपालन का अनुश्रवण करना था, के प्राधिकरण के उपरान्त प्रत्येक नगरीय प्राधिकार, नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, भण्डारण, पृथ्ककरण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं निपटान के लिए अन्तः संरचना के विकास के लिए उत्तरदायी थे।

लेखा–परीक्षा संवीक्षा से निम्नांकित प्रकट हुआ :

ठोस अपशिष्ट के निपटारा के लिए नगरीय निकाय को प्राधिकार नहीं

(i) नगरीय ठोस अपशिष्ट (एम एस डब्लू) के निपटान स्थल एवं निपटान पद्धति की पहचान राज्य सरकार द्वारा नहीं की गयी थी। बी एस पी सी बी द्वारा राज्य में 170 निकायों में से किसी को भी प्राधिकार निर्गत नहीं किया था न ही नगरीय ठोस अपशिष्ट के निपटान के प्राधिकार हेतु कभी भी नगरीय निकायों ने आवेदन दिया था। अतः राज्य (बिहार एव झारखण्ड) में कोई भी स्थानीय निकाय, अधिनियम एवं संबंधित नियमावली में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन एवं परिचालन नहीं किया था।

पटना में ठोस अपशिष्टों के अभिक्रिया के लिए कोई सुविधा नहीं

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, नई दिल्ली के प्रतिवेदन (मार्च 1995) के अनुसार, 0.360 कि.ग्रा./दिन प्रति व्यक्ति एम एस डब्लू पटना शहर में उत्पादित होता था। वर्ष 1991 के 917243 के जनसंख्या के आधार पर, पटना नगर निगम क्षेत्र में प्रति दिन 330 टन नगरीय ठोस अपशिष्ट उत्पादित होता था तथा इन ठोस अपशिष्टों के लिए कोई अभिक्रिया सुविधा नहीं थी तथा पूरा अपशिष्ट बेतरतीब तरीके से (जुलाई 2000 तक) फेंक दिया गया था जिससे व्यक्तियों को स्वास्थ्य संकट का जोखिम था।

कच्चा कचरा के लिए पटना में कम्पोस्ट संयंत्र स्थापित नहीं किया गया

पटना नगर निगम के प्रतिवेदन (जुलाई 2000) के अनुसार पटना नगर निगम क्षेत्र में अपशिष्ट उत्पादन लगभग 550–600 टन/दिन था तथा राँची में कचरा प्रसंसकरण संयंत्र की स्थापना के लिए मेकॉन लिमिटेड के परियोजना प्रतिवेदन (अप्रैल 2001) के अनुसार राँची में प्रति दिन 250 टन नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन होता था। पर्यावरण अनुकूल रीति से अभिक्रिया करने एवं अपशिष्टों के अवैज्ञानिक जमाव को दूर करने के लिए पटना नगर निगम ने राज्य सरकार (जुलाई 2000) के पास एक 300 टन प्रति दिन (कच्चा कचरा) कम्पोस्ट संयंत्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजा था जो आगामी 10 वर्षों तक पटना की आवश्यकताओं को पूरा करता। राज्य सरकार द्वारा जून 2001 तक प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया गया था।

• *रिसन द्वारा सूखने योग्य*

6.1.20 अनुसंधान एवं विकास कोषांग तथा आंचलिक कार्यालय

(i) पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित समस्याओं पर अनुसंधान करने हेतु बी एस पी सी बी ने वर्ष 1991 में एक अनुसंधान एवं विकास कोषांग का गठन किया था। हालाँकि, उन्होंने वर्ष 1995–96 से 1999–2000 के दौरान इन गतिविधियों पर 13.13 करोड़ रुपये के कुल व्यय में से मात्र 1.92 लाख रुपये (एक प्रतिशत से कम) खर्च किया था।

प्रस्तावित आंचलिक/उप–आंचलिक कार्यालय एवं अनुश्रवण स्टेशन की स्थापना नहीं

(ii) बी एस पी सी बी ने 5.83 करोड़ रुपये की लागत पर आठवीं योजना (वर्ष 1992–97) के दौरान वायु एवं जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए नये आंचलिक एवं उप–आंचलिक कार्यालय (गया, बोकारो, सिवान आदि में) के गठन तथा अधिक अनुश्रवण केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा था। राज्य सरकार ने मई 2001 तक प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में अधिनियम एवं नियमों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण बाधित हुआ।

6.1.21 सहमति शुल्क का उद्ग्रहण एवं वसूली

प्राधिकार शुल्क के अनुद्ग्रहण/ अवसूली के कारण हानि

स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट के निकास/निपटान के लिए प्राधिकार आवश्यक था। चूँकि राज्य में 4240 सरकारी स्वास्थ्य संस्थान तथा 6 शहरों (राँची, पटना, जमशेदपुर, धनबाद, गया एवं मुजफ्फरपुर) में 297 अस्पताल/नर्सिंग होम अधिनियम के तहत् शामिल नहीं थे, 45.87 लाख रुपये प्रति वर्ष का प्राधिकार शुल्क बी एस पी सी बी द्वारा वसूली नहीं जा सकी थी।

6.1.22 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अपर्याप्त एवं अप्रभावकारी अनुश्रवण गतिविधि

वायु अधिनियम के धारा 10 के अनुसार, बी एस पी सी बी को तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करना आवश्यक था। इसके विरूद्ध, राज्य में पर्यावरणीय अधिनियम एवं नियमों के क्रियान्वयन के अनुश्रवण हेतु वर्ष 1999–2000 में सिर्फ एक बैठक, प्रत्येक वर्ष 1997–98 एवं 2000–01 में दो बैठकें तथा प्रत्येक वर्ष 1996–97 एवं 1998–99 में तीन बैठकें आयोजित की गयी थी। अतः अनुश्रवण गतिविधि अपर्याप्त एवं अप्रभावकारी था।

मामले सरकार को संदर्भित किए गए (अगस्त 2001); उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 2002)।

6.2 सामान्य

6.2.1 नियंत्रक – महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्त्तें) अधिनियम 1971 की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार संचित निधि में से अनुदानों एवं ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकायों एवं प्राधिकारों की प्राप्तियों तथा व्यय की लेखा परीक्षा नियंत्रक – महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी है। अधिनियम की धारा 15 यह प्रावधानित करती है कि जहाँ संचित निधि में से निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये कोई अनुदान या ऋण किसी को दिये जायें, वहाँ नियंत्रक – महालेखापरीक्षक उन प्रक्रियाओं की संवीक्षा करेगा जिसमें मंजूरी देने वाला प्राधिकारी उन शर्त्तों की पूर्ति के बारे में अपने को संतुष्ट करता है जिसके अधीन ऐसे अनुदान एवं ऋण दिये गये हैं। अधिनियम की धारा 19 के तहत् सांविधिक निगमों की लेखाओं की लेखा परीक्षा राज्यपाल द्वारा नियंत्रक – महालेखापरीक्षक से परामर्श के उपरान्त सौंपी जा सकती है।

वर्ष 2000–01 के दौरान विभिन्न गैर–सरकारी निकायों एवं संस्थानों को 633.60 करोड़ रुपये दिये गये थे। यह राजस्व लेखा पर सरकार के सकल व्यय का 4.69 प्रतिशत था। वर्ष 1999–2000 के दौरान कुल 705.07 करोड़ रुपये के अनुदान का भुगतान किया गया था, जो राजस्व व्यय का 5 प्रतिशत था। विवरण नीचे दिये गये हैं :

	रकम (करोड़ रुपये में)	
	1999-2000	**2000-01**
(i) शैक्षिक संस्थान (विश्वविद्यालय सहित)	518.65	463.00
(ii) पंचायती राज संस्थान, स्थानीय निकाय	6.93	2.90
(iii) निगम एवं स्वायत्त निकाय	26.69	0.0006
(iv) नगरपालिकाएँ	115.44	57.17
(v) अन्य	37.36	110.53
योग	**705.07**	**633.60**

निम्नांकित तालिका व्यापक उद्देश्यों को प्रदर्शित करती है, जिसके लिये अनुदान दिये गये थे :

	1999-2000	**2000-01**
	(करोड़ रुपये में)	
विश्वविद्यालयों, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थानों को सहायता	518.65	463.00
नगरपालिकाओं एवं पंचायती राज व्यवस्था, जिला परिषदों, नगर निगमों एवं अधिसूचित क्षेत्र समितियों के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को संशोधित वेतन तथा भत्ते और अन्य लाभों के लिये अंशदान, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण इत्यादि।	66.01	18.68
कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये लघु एवं सीमान्त किसानों को सहायता, जल प्रदूषण पर नियंत्रण एवं रोकथाम, पर्यावरण सुधार इत्यादि।	36.26	19.15
स्वास्थ्य स्वच्छता के लिये मल निकासी योजना एवं शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम।	3.10	47.39
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को बकाये विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु नगरपालिकाओं, निगमों, अधिसूचित क्षेत्र समितियों को सहायता।	27.58	16.00
अन्य	53.47	69.38
योग	**705.07**	**633.60**

जहाँ अनुदान विर्निदिष्ट प्रयोजन के लिए दिए जाते हैं, सरकार के वित्तीय नियमों के तहत् विभागीय पदाधिकारियों से लेखापरीक्षा को वर्ष के अन्दर इस आशय का प्रमाण

प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि प्राप्तकर्त्ता द्वारा अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया जिसके लिए इसे दिया गया था। दर्शाये गए सितम्बर 2001 के अन्त तक अनुदानों के संदर्भ में कुल 1500.42 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रतीक्षित था जैसा कि परिशिष्ट XXV में दर्शाया गया है।

उपयोगिता प्रमाणपत्रों के अभाव में यह स्पष्ट नहीं था कि विभागीय पदाधिकारियों ने किस प्रकार अपने को संतुष्ट किया कि प्राप्तकर्त्ताओं ने अनुदान का उपयोग इस प्रयोजन या उन प्रयोजनों के लिए किया अथवा कितना किया, जिस उद्देश्य के लिए वह दिया गया था।

6.3 सरकारी अनुदानों एवं ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकाय एवं प्राधिकार

निकायों/प्राधिकारों की संख्या, जिसने 5 लाख रुपये (वर्ष 1983–84 से 25 लाख रुपये) से कम अनुदान/ऋण प्राप्त नहीं किया एवं जिनसे लेखाएँ प्राप्त नहीं (सितम्बर 2001) हुए जिससे नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्त्तें) अधिनियम 1971 के धारा 14 के प्रयोज्यनीयता निर्धारित की जा सके, नीचे दर्शाए गये हैं :

वर्ष	निकायों/प्राधिकारों की संख्या जिसने एक वर्ष में 5 लाख रुपये (वर्ष 1983–84 से 25 लाख रुपये) से कम ऋण/अनुदान प्राप्त नहीं किया	निकायों/प्राधिकारों की संख्या जिनसे सितम्बर 2001 तक लेखाएँ प्राप्त नहीं हुई
1981-82	34	1
1982-83	29	0
1983-84	24	1
1984-85	20	2
1985-86	42	4
1986-87	48	4
1987-88	21	5
1988-89	48	9
1989-90	49	12
1990-91	33	11
1991-92	35	15
1992-93	36	24
1993-94	38	2
1994-95	13	14
1995-96	49	16
1996-97	67	18
1997-98	50	19
1998-99	65	41
1999-2000	65	37
2000-01	33	73
योग	**799**	**308**

वार्षिक लेखे के अप्राप्ति की सूचना सरकार को मई 2000 में दी गई थी। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 2002)।

लेखा परीक्षा संवीक्षा के लिये संबद्ध निकायों/प्राधिकारों द्वारा लेखाओं के अप्रस्तुतीकरण से निधि की अनुपयोगिता, दुरूपयोग, विचलन के साथ–साथ गबन के मामलों पर समय पर टिप्पणी करना मुश्किल हो जाता है। इसके अतिरिक्त समाज के गरीब/पिछड़े वर्गों की मुश्किलों के निवारण हेतु अन्य सरकारी क्रियाकलापों, उदाहरणस्वरूप गरीबी रेखा

से नीचे बसे लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने, उनके विकास कार्य के लिये निर्धारित लक्ष्यों की अप्राप्ति के मामले, लेखा परीक्षित लेखाओं के अभाव में लेखा परीक्षा टिप्पणी के माध्यम से मामले संबद्ध सरकार/प्राधिकारी को अप्रतिवेदित रह जाता है। कल्याण, विकास तथा अनुसंधान क्रियाकलाप की विफलता/सफलता का वित्तीय पक्ष अनदेखा रह सकता है।

कृषि विभाग

6.4 कोल्ड स्टोरेज का विलंब से निर्माण

कोल्ड स्टोरेज के निर्माण का दोषपूर्ण प्राक्कलन तथा समुचित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण की कमी के कारण 3.66 करोड़ रुपये के प्रक्षेपित राजस्व की हानि के अलावे 1.30 करोड़ रुपये की लागत अतिरेक तथा 8 वर्षों का समय अतिरेक हुआ

पटना सिटी कृषि उत्पाद विपणन समिति (ए पी एम सी) ने 1.91 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत पर 18 माह के भीतर पूरा करने हेतु 8000 मेट्रिक टन क्षमता के एक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराने का निर्णय (जनवरी 1989) लिया। कोल्ड स्टोरेज को वर्ष 1991–92 में 38.88 लाख रुपये का तथा तदोपरान्त वार्षिक 46.66 लाख रुपये का प्राक्कलित राजस्व प्रदान करना था। 1.87 करोड़ रुपये तथा 1.27 करोड़ रुपये (सिर्फ असैनिक कार्य) के लिये प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति क्रमशः अप्रील 1989 तथा नवम्बर 1989 में दिया गया था। कार्य के कुछ अतिरिक्त मद (अतिरिक्त फर्श का निर्माण, बंकर कॉइल सिस्टम, कन्डेसिंग टैंक, प्रिकूलिंग चैम्बर इत्यादि), जो मूल प्राक्कलन में प्रावधानित नहीं था, को शामिल करने के बाद प्रशासनिक अनुमोदन 2.83 करोड़ रुपये (अगस्त 1994) हेतु पुनरीक्षित किया गया था।

संवीक्षा से प्रकटित (सितम्बर 2000) हुआ कि कार्यपालक अभियंता ने कार्य को विभाजित कर दिया एवं इसे वर्ष 1990–91 से 1999–2000 के मध्य विभिन्न एजेंसियों को कार्यान्वयन हेतु सौंप दिया। भवन कार्य 1.60 करोड़ रुपये की लागत पर पूरा हुआ (दिसम्बर 1993)। फरवरी 1994 तक पूरा करने हेतु प्रशीतक के प्रतिष्ठापन का कार्य 49.56 लाख रुपये की लागत पर एक फर्म को दिया गया (अगस्त 1993) तथा उन्हें 26.18 लाख रुपये भुगतान किये गये। नियमित विद्युत आपूर्ति, कन्डेन्सर टैंक की पूर्णता, बंकर कॉइल के लिये आवश्यक अंतःसंरचना इत्यादि जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिये फर्म के अनेक अनुरोधों के बावजूद बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद द्वारा फर्म को ये उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे कार्य पूरा नहीं हो सका।

जून 1994 से नवम्बर 1995 के बीच 13 स्मार पत्रों के बावजूद फर्म उपस्थित नहीं हुआ तथा कार्यपालक अभियंता द्वारा जोखिम एवं लागत की धारा लगाये बगैर रद्द (फरवरी 1996) कर दिया गया। पुनः फर्म द्वारा प्रस्तुत अग्रधन एवं जमानत राशि हेतु 4.96 लाख रुपये के बैंक गारंटी को जब्त नहीं किया गया क्योंकि गारंटी अगस्त 1994 में ही समाप्त हो गयी थी। शेष प्रशीतक कार्य 58.12 लाख रुपये की लागत पर दूसरे फर्म द्वारा पूरा (मार्च 1999) किया गया था।

विभिन्न एजेन्सियों द्वारा मार्च 1999 में पूरा किये गये कोल्ड स्टोरेज के निर्माण पर कुल 3.17 करोड़ रुपये की लागत आई, परिणामस्वरूप 1.30 करोड़ रुपये का लागत अतिरेक तथा 8 वर्षों से अधिक का समय अतिरेक हुआ।

वर्ष 1991–92 से वर्ष 1998–99 के दौरान फर्म को प्रशीतक निर्माण हेतु अंतःसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव के कारण 1.30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार के अलावा 3.66 करोड़ रुपये के प्रक्षेपित राजस्व की हानि हुयी।

उपर्युक्त मामला आयुक्त एवं सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार को जून 2001 में संदर्भित किया गया। उनका उत्तर अप्राप्त था।

6.5 लीची निर्यात योजना

लीची निर्यात योजना को बढ़ावा देने हेतु 75 लाख रुपये के केन्द्रीय सहायता को 5 वर्षों में भी पूर्णतः उपयोग में नहीं लाया जा सका, क्योंकि पूर्वशीतलन एवं पैक हाउस सुविधायें स्थापित नहीं किये गये थे तथा प्रशीतक वाहनों का समुचित रूप से उपयोग नहीं किया गया था, जिसने निर्यात योजना को प्रभावित किया

प्रधानमंत्री के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु एवं सीमांत किसानों के लाभ हेतु लीची के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर में पूर्वशीतलन केन्द्रों की स्थापना (50 लाख रुपये) तथा दो प्रशीतक वाहनों के क्रय (25 लाख रुपये) के लिये बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (पर्षद) पटना को 75 लाख रुपये विमुक्त (मई 1997) किया। संवीक्षा ने प्रकटित किया कि पर्षद ने पूर्वशीतलन एवं पैक हाउस सुविधाओं को स्थापित किए बगैर 43.58 लाख रुपये में 2 प्रशीतक वाहनों का क्रय (अक्टूबर 1999) किया। इसमें से एक वाहन 0.19 लाख रुपये के मासिक किराये दर पर एच आई डेयरी एग्रो प्रोडक्ट लि., हाजीपुर को लीज पर (अक्टूबर 1999) दे दिया गया था, जबकि दूसरा क्रय किये जाने के समय से ही निष्क्रिय पड़ा था तथा अन्ततः कृषि उत्पाद बाजार समिति, हाजीपुर को हस्तांतरण (दिसम्बर 2000) कर दिया गया। इस प्रकार वाहन को किराये पर देने से नष्ट होने वाले फलों की ढुलाई में किसानों को सहायता नहीं मिली एवं योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर में पूर्वशीतलन केन्द्रों तथा गंधकीकरण संयंत्र (सल्फोकेशन प्लांट) की स्थापना हेतु पर्षद द्वारा प्राप्त निविदाओं (मार्च 1999) को पर्याप्त निधि की अनुपलब्धता के कारण अंतिम रूप नहीं दिया गया था (मई 2001)। पर्षद ने सूचित (मई 2001) किया कि सरकार से अतिरिक्त निधि प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

इस प्रकार कार्यक्रमों के अव्यवस्थित कार्यान्वयन के कारण पूर्वशीतलन केन्द्रों की स्थापना हेतु 50 लाख रुपये अव्यवहृत पड़े रहे तथा 21.79 लाख रुपये की लागत पर क्रय किये गये वाहन भी निष्क्रिय पड़े रहे (दिसम्बर 2000)।

मामला आयुक्त एवं सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार को मार्च 2001 में तथा पुनः जून 2001 में संदर्भित किया गया था। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2002)।

ग्रामीण विकास विभाग

6.6 एक फर्म को अदेय वित्तीय सहायता : 28 लाख रुपये

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गया ने अतिदेय अग्रिम भुगतानों की अवसूली द्वारा एक फर्म को अदेय वित्तीय लाभ पहुँचाया

प्रबंध निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (जि.ग्रा.वि.अ.), गया ने जवाहर रोजगार योजना (ज.रो.यो.) के अन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माण एवं मरम्मति इत्यादि के लिये गया जिले के विभिन्न प्रखण्डों को 38330 बोरी सीमेंट की आपूर्ति हेतु एक फर्म (बिरला जूट इन्डस्ट्रीज, गया) को 41.54 लाख रुपये का अग्रिम (अप्रील 1996) दिया। अनुबंध के अनुसार सीमेंट की आपूर्ति 30 जून 1996 तक की जानी थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 सितम्बर 1996 तक कर दिया गया था।

यह पाया गया कि फर्म ने 23.35 लाख रुपये मूल्य का मात्र 23778 बोरी सीमेंट की ही आपूर्ति की। 18.19 लाख रुपये मूल्य के शेष 14552 बोरी सीमेंट अप्रील 2001 तक भी आपूरित नहीं किये गये थे। जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा या तो अग्रिम भुगतान की वसूली अथवा ज.रो.यो. के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन के लिये सीमेंट की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप फर्म को अप्रील 1996 से ही 18.19 लाख रुपये का अदेय वित्तीय लाभ मिला। सीमेंट की अनापूर्ति ने ज.रो.यो. योजनाओं को भी अवरूद्ध किया। जि.ग्रा.वि.अ.,गया ने मार्च 2001 तक मूल बकाये पर 9.82 लाख रुपये के ब्याज (12 प्रतिशत प्रतिवर्ष के उधार दर पर) की भी हानि उठाई।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2001); उनका उत्तर अप्राप्त था (जनवरी 2002)।

शहरी विकास विभाग

6.7 पटना में बस पड़ाव के निर्माण में विलम्ब

शहरी विकास विभाग द्वारा प.क्षे.वि.प्रा. को आवश्यक भूमि हस्तानांतरित नहीं किये जाने के कारण बस पड़ाव का निर्माण पूरा नहीं हुआ तथा बस पड़ाव के अपूर्ण निर्माण पर किया गया 2.20 करोड़ रुपये का व्यय निष्फल साबित हुआ

नगर में यातायात भीड़–भाड़ को कम करने हेतु पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (प.क्षे.वि.प्रा.) ने पुरन्दरपुर/मीठापुर कृषि फार्म में एक बस अड्डा के निर्माण हेतु 43.64 करोड़ रुपये के प्राक्कलित लागत पर 4.17 करोड़ रुपये (भूखंडों से किराया मद में 3.16 करोड़ रुपये, 15 रुपये प्रति बस के दर पर किराया के मद में 0.81 करोड़ रुपये तथा अन्य विधियों से 0.20 करोड़ रुपये का राजस्व) प्रतिवर्ष प्राक्कलित राजस्व के साथ एक परियोजना का अनुमोदन (मई 1995) किया। प.क्षे.वि.प्रा. ने योजना हेतु 50 एकड़

भूमि हस्तानान्तरण करने के लिये शहरी विकास विभाग (श.वि.वि.) से आग्रह (मई 1995) किया। योजना का वित्त पोषण हुडको से कर्ज द्वारा होना था।

राज्य सरकार ने प्रस्तावित बस अड्डे हेतु विद्युतीकरण कार्य के अलावे पैसेन्जर शेड, शौचालय, चेकपोस्ट, सड़क तथा पुलिया का निर्माण एवं हस्त पंपों प्रतिष्ठापन के लिये 2.07 करोड़ की स्वीकृति (अप्रील 1998) दी। कार्य एक संवेदक को 2.15 करोड़ रुपये पर छः महीने के भीतर पूरा करने हेतु सौंपा (फरवरी 1999) गया। संवेदक ने सड़क पर ब्लैक टॉपिंग को छोड़ 2.07 करोड़ रुपये का कार्य कार्यान्वित किया। प.क्षे.वि.प्रा. ने भी चार फीडरों के विद्युत लाईन एवं खम्भे, जो निर्माण होने वाले नये बस पड़ाव के चहारदिवारी के भीतर थे, के स्थान परिवर्तन पर 12.35 लाख रुपये खर्च किया।

हालाँकि मई 1998 में पटना उच्च न्यायालय ने प.क्षे.नि.प्रा. को नवम्बर 1998 तक हार्डिंग पार्क से वर्तमान बस पड़ाव को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया जिसे दिसम्बर 1999 तक बढ़ा दिया गया था।

प.क्षे.वि.प्रा. द्वारा दिये गये 14.93 करोड़ रुपये के कर्ज हेतु एक आवेदन (अगस्त 1998) की अनुक्रिया में हुडको ने 12 करोड़ रुपये की स्वीकृति (मार्च 1999) दी लेकिन राशि को विमुक्त नहीं किया, क्योंकि भूमि बन्धीकरण हेतु प.क्षे.नि.प्रा. को हस्तानांतरित नहीं किया गया था। हाँलाकि सरकार ने प.क्षे.वि.प्रा. द्वारा बस पड़ाव के निर्माण हेतु 59.69 एकड़ भूमि श.वि.वि. को हस्तानांतरित (फरवरी 2000) कर दिया था, श.वि.वि. ने प.क्षे.वि. प्रा. द्वारा भूमि का मूल्य भुगतान नहीं किये जाने के कारण भूमि प.क्षे.वि.प्रा. को हस्तानांतरित नहीं किया (सितम्बर 2000)।

इस प्रकार 2.20 करोड़ रुपये के व्यय के बावजूद प.क्षे.वि.प्रा. को भूमि हस्तानांतरित होना शेष था तथा बस पड़ाव पूर्ण होना तथा उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद स्थानांतरित किया जाना बाकी था। चूँकि बस पड़ाव स्थानांतरित नहीं हुआ था, प.क्षे.वि.प्रा. को बसों के पार्किंग शुल्क से होने वाले 81 लाख रुपये के वार्षिक राजस्व की हानि हो रही थी, जबकि नगर के हृदयस्थली पर भारी यातायात भीड़–भाड़ बिना कम हुये जारी था।

प.क्षे.वि.प्रा. के उपाध्यक्ष ने राज्य सरकार को सूचित (अगस्त 2001) किया कि परियोजना तभी पूरा किया जा सकता है, जबकि राज्य सरकार या तो शेष कार्यों हेतु बजटीय आबंटन करे अथवा हुडको ऋण को सुगम बनाने हेतु राज्य सरकार गारंटी प्रस्तुत करे या उक्त भूमि का स्वत्वाधिकार (टाइटिल) प.क्षे.वि.प्रा. के पक्ष में पट्टे पर दे/ स्थानांतरित करे। सरकार ने कहा (सितम्बर 2001) कि हुडको ऋण की विमुक्ति हेतु सरकारी गारंटी मुहैया कराने अथवा अन्य स्त्रोतों से ऋण की व्यवस्था करने के लिये अगस्त 2001 में एक बैठक की गई थी। हालाँकि इन मामलों पर अंतिम निर्णय लिया जाना प्रतीक्षित था (जनवरी 2002)।

मामला आयुक्त एवं सचिव, शहरी विकास विभाग, बिहार सरकार को जुलाई 2001 एवं फरवरी 2002 में संदर्भित किया गया। उनका उत्तर अप्राप्त था (फरवरी 2002)।

6.8 शुल्कों का उदग्रहण नहीं किये जाने के कारण राजस्व की हानि

पटना नगर निगम ने 96.15 लाख रुपये की हानि उठायी क्योंकि करों के बकाये मांग में डिमांड नोटिस शुल्क तथा वारंट शुल्क सम्मिलित नहीं थे

पटना नगर निगम अधिनियम 1951 यह अपेक्षा करता है कि मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी/प्रशासक, देय होने के बाद तिमाही के प्रथम दिन ही होल्डिंग कर के भुगतान हेतु कर–दाताओं को एक विपत्र प्रस्तुत करे। विपत्र देने के 15 दिनों के अन्दर अगर कर का भुगतान नहीं किया गया है तब अधिनियम के धारा 205 के अन्तर्गत शुल्क के साथ भुगतान किये जाने वाले कर हेतु मांग की सूचना निर्गत करना है। मांग की सूचना मिलने के 21 दिनों के अन्दर कर का भुगतान करने में विफल रहने पर उपर्युक्त अधिनियम के धारा 206 के अन्तर्गत शुल्क के साथ कर की वसूली हेतु वारंट का निर्गत किया जाना अपेक्षित है।

नियम आगे विहित करता है कि मांग के प्रत्येक सूचना में मांग के प्रति रुपये पर 25 पैसे का शुल्क तथा प्रत्येक जारी वारंट में 12 पैसे प्रति रुपये की दर पर शुल्क शामिल रहेगा। लगाये गये शुल्क को वसूली राशि में शामिल किया जाना था।

संवीक्षा ने प्रकटित किया (अप्रील 2000, अप्रील 2001 तथा दिसम्बर 2001) कि पटना नगर निगम ने मांग की सूचना तथा वारंट एवं शुल्क का दावा निर्गत करने तथा उसके विरूद्ध वसूली दर्शाने हेतु कोई पंजी का संधारण नहीं किया था। ऐसे शीर्ष के अन्तर्गत कोई राशि जमा की गई हो, ऐसा रोकड़पाल की रोकड़ बही या लेखापाल की रोकड़बही में दर्शित नहीं था।

मांगों की सूचनायें एवं वारंट निर्गत करने हेतु निर्धारित शुल्क की वसूली संबंधी अधिनियम एवं नियमों के उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण निगम को वर्ष 1993–96 के दोरान 96.15 लाख रुपये के शुल्क (मांग की सूचना निर्गत नहीं किये जाने के कारण 64.97 लाख रुपये तथा वारंट निर्गत नहीं किये जाने के कारण 31.18 लाख रुपये) की हानि हुई थी।

मामला आयुक्त एवं सचिव, शहरी विकास विभाग, बिहार सरकार को मार्च 2001 एवं मई 2001 में संदर्भित किया गया था। उनका उत्तर जनवरी 2002 तक प्राप्त नहीं हुआ था।

6.9 दसवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों का उपयोग

6.9.1 प्रस्तावना

दसवें वित्त आयोग (द.वि.आ.) ने बिहार में 170 शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) को वर्ष 1996–2000 के दौरान विकास कार्यों एवं प्रारंभिक राशि के लिये सहायतानुदान के रूप में 67.09 करोड़ रुपये आबंटित किया तथा वर्ष 1996–97 के दौरान राज्य सरकार को 16.77 करोड़ रुपये विमुक्त किया। तदन्तर राज्य सरकार ने 34 शहरी स्थानीय निकायों को 8.39 करोड़ रुपये, प्रत्येक के दो किस्तों में, कुल 16.77 करोड़ रुपये विमुक्त (अप्रील 1997 एवं फरवरी 1998) किया। शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान (1.68 करोड़ रुपये) का 10 प्रतिशत मैंचिंग शेयर के रूप में अंशदान करना था। विकास कार्य में (i) जल–मल निकास सहित पथ (ii) जलापूर्ति (iii) सामुदायिक शौचालय (iv) सामुदायिक भवनें (v) पार्क (vi) संस्थागत वित्त हेतु प्रारंभिक राशि (vii) स्वच्छता, पथ निर्माण एवं जलापूर्ति मरम्मति कार्यों इत्यादि से संबंधित उपकरणों एवं मशीनों का क्रय तथा (viii) प्रभावकारी अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण (कर्मियों के वेतन एवं अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर) को सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय निकायों का सुदृढ़ीकरण शामिल था।

सरकार ने विनिर्दिष्ट किया कि प्रत्येक स्थानीय निकायों हेतु निर्धारित विहित प्रतिशतता में द.वि.आ. के अनुदान तथा स्थानीय निकायों के अंशदान (16.60 करोड़ रुपये) का 90 प्रतिशत (i) जल – मल निकास (6.63 करोड़ रुपये) (ii) पथों (5.20 करोड़ रुपये) तथा (iii) जलापूर्ति (4.77 करोड़ रुपये) पर व्यय किया जाना था। शेष 10 प्रतिशत (1.85 करोड़ रुपये) को अंतःसंरचना के विकास हेतु संस्थागत वित्त आकर्षित करने के लिये सीमा राशि/प्रारंभिक राशि के रूप में उद्दिष्ट करना था। हालाँकि, किसी व्यक्तिगत मामले में शहरी स्थानीय निकाय, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन पर कार्यक्रम घटक में सम्मिलित अन्य मदों पर राशि व्यय कर सकता था। किसी भी मामले में अनुदान की राशि का उपयोग स्थापना व्यय के लिये नहीं करना था तथा अन्य प्रयोजनों के लिये विचलन नहीं करना था।

क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (जहाँ अस्तित्व में है) के परामर्श तथा जिला दंडाधिकारी के अनुमोदन पर योजनाओं का चयन किया जाना था। स्थानीय निकायों को एक अलग खाता का संधारण तथा सरकार को मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक था।

17 शहरी स्थानीय निकायों[1] द्वारा वर्ष 1996–2001 के दौरान दसवें वित्त आयोग अनुदान के उपयोग का नमूना जाँच अप्रील एवं मई 2001 के दौरान किया गया जिसका निष्कर्ष नीचे विवर्णित है :

6.9.2 वित्तीय उपलब्धियाँ

34 शहरी स्थानीय निकायों को विमुक्त 16.77 करोड़ रुपये में से 9.44 करोड़ रुपये उन 17 शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित था, जिसे राशि का 10 प्रतिशत, जो 0.94 करोड़ रुपये था, अंशदान करना था। 10.38 करोड़ रुपये (9.44 + 0.94) की कुल राशि का उपयोग होना आवश्यक था, जैसा निम्नांकित है :

क्रम सं.	कार्य का मद	उद्दिस्ट राशि	व्ययित राशि	शेष
		(करोड़ रुपये में)		
1	जल निकास/मल निकास का निर्माण/विकास	4.23	2.94	1.29
2	पथों का निर्माण/विकास	2.87	2.69	0.18
3	जलापूर्ति योजनाएँ	2.25	1.73	0.52
4	संस्थागत वित्त अंतःसंरचना हेतु सीमा राशि	1.03	शून्य	1.03
	कुल	**10.38**	**7.36**	**3.02**

पायी गयी कमियाँ नीचे विवर्णित हैं :

[1] *नगर निगम* (1) राँची (2) गया (3) पटना
नगरपालिकायें (1) लोहरदग्गा (2) बिहारशरीफ (3) शेखपुरा (4) जमुई (5) मुंगेर (6) कटिहार (7) अररिया (8) खगड़िया (9) मधेपुरा (10) चतरा (11) गढ़वा (12) औरंगाबाद (13) भभुआ
अधिसूचित क्षेत्र समिति (1) कोडरमा

(I) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अंशदान नहीं किया गया

17 स्थानीय निकायों हेतु 94.43 लाख रुपये के मैचिंग शेयर के विरूद्ध सिर्फ राँची नगर निगम ने 20.79 लाख रुपये के अपने उद्दिष्ट राशि का अंशदान किया तथा तीन स्थानीय निकायों (गया, मुंगेर एवं भभुआ) ने 16.27 लाख रुपये के अपने उद्दिष्ट अंश के विरूद्ध मात्र 3.01 लाख रुपये का अंशदान दिया। 13 स्थानीय निकायों ने 57.37 लाख रुपये की आवश्यकता राशि के विरूद्ध कोई राशि का अंशदान नहीं किया। 70.63 लाख रुपये का अंशदान नहीं करने/अंशदान कम करने के कारण योजना का क्रियान्वयन बुरी तरह प्रभावित हुआ, क्योंकि उद्देश्य के लिये सिर्फ दसवें वित्त आयोग का अनुदान ही उपलब्ध था, जबकि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कोई निधि मुहैया नहीं करायी गयी थी।

(II) सीमा राशि (मार्जिन मनी) नहीं रखी गयी

1.04 करोड़ रुपये की राशि, जो निधि (द.वि.आ. अनुदान + 10 प्रतिशत अंशदान) का 10 प्रतिशत थी, को अंतःसंरचना विकास हेतु संस्थागत वित्त आकर्षित करने के लिये सीमा राशि/प्रारंभिक राशि के रूप में रखा जाना था। किसी भी शहरी स्थानीय निकाय ने सीमा राशि हेतु निधि उद्दिष्ट नहीं किया जिससे अंतःसंरचना विकास के आगे की योजना हेतु सीमा राशि मुहैया कराने का प्रयोजन विफल रहा।

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अंश का अंशदान नहीं करने/अंशदान कम करने तथा अपने पास सीमा राशि को नहीं रखने के कारण योजनाओं का कार्यान्वयन सिर्फ उपलब्ध द.वि.आ. अनुदानों से वित्त पोषित था तथा व्यय की विहित प्रतिशतता का पालन नहीं किया गया था। कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं :

(क) पटना नगर निगम को आबंटित अनुदान (3.32 करोड़ रुपये) तथा उस पर 10 प्रतिशत अंशदान (0.33 करोड़ रुपये) से संबंधित 3.65 करोड़ रुपये में से 70 प्रतिशत नाला के निर्माण/विकास (2.55 करोड़ रुपये) एवं 20 प्रतिशत पथों (0.73 करोड़ रुपये) पर व्यय करना था तथा 10 प्रतिशत को सीमा राशि (0.37 करोड़ रुपये) के रूप में रखना था। जलापूर्ति पर कोई व्यय नहीं किया जाना था। बाद में राज्य सरकार ने ट्रैक्टर, फौगिंग मशीन एवं अन्य सफाई उपकरणों के क्रय पर व्यय हेतु इस निधि से 0.99 करोड़ रुपये स्वीकृत (अप्रील 1998) किया। व्यय का पुनरीक्षित आबंटन तथा किये गये वास्तविक व्यय नीचे दिये गये है :

कार्य का मद	किया जाने वाला व्यय	किया गया व्यय	अन्तर
	(करोड़ रुपये में)		
नाला	1.86	2.13	+ 0.27
पथ	0.53	0.04	_ 0.49
जलापूर्ति	शुन्य	0.08	+ 0.08
सफाई उपकरण	0.99	1.07	+ 0.08
सीमा राशि	0.27	शून्य	_ 0.27
कुल	**3.65**	**3.32**	

इस प्रकार नाला (0.27 करोड़ रुपये), सफाई उपकरण (0.08 करोड़ रुपये) तथा जलापूर्ति (0.08 करोड़ रुपये) पर अधिक व्यय किया गया था, जो कि अनियमित एवं अनाधिकृत था।

(ख) चार नगरपालिकाओं[2] ने 30.51 लाख रुपये प्रत्येक (10 प्रतिशत अंशदान को शामिल करके) के आबंटन के विरूद्ध नाला एवं पथों पर क्रमशः 19.91 लाख रुपये तथा 50.40 लाख रुपये खर्च किया। जलापूर्ति योजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया जाना था जबकि इस उद्देश्य के लिये 30.51 लाख रुपये आबंटित किया गया था। इस प्रकार, पथों पर किया गया 19.88 लाख रुपये का अधिक व्यय का वित्त पोषण नाला एवं जलापूर्ति हेतु आबंटन से निधि का विचलन कर किया गया था। (संदर्भ : परिशिष्ट–XXVI)

6.9.3 निधियों का विचलन

सरकारी अनुदेशों की अवहेलना करते हुये 9 स्थानीय निकायों ने नाला, पथ के निर्माण एवं जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन, कर्मियों के वेतन भुगतान, बाजार परिसर का निर्माण इत्यादि हेतु 50.61 लाख रुपये को राज्य सरकार से अनुमोदन लिये बगैर विचलित किया।

6.9.4 अन्य अनियमितताएँ

(I) लेखे का संधारण

राज्य सरकार के निदेशों (अप्रील 1997) के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को एक अलग लेखे का संधारण करना आवश्यक था, लेकिन सिर्फ 3 स्थानीय निकायों ने अनुदानों को अलग बचत बैंक खाते में रखा तथा एक अलग रोकड़ बही का संधारण किया। बाकी बचे शहरी स्थानीय निकायों ने अनुदानों को या तो नगरपालिका निधि में अथवा अन्य उद्देश्यों हेतु संधारित बैंक खाते में जमा कर दिया। पृथक लेखे के अभाव में लेखा–परीक्षा लेखे की सत्यता की जाँच नहीं कर सका।

(II) योजनाओं का चयन

पाँच नगरपालिकाओं[3] में 45 योजनाओं, जिसमें 27.99 लाख रुपये का व्यय किया गया था, का चयन जिला दण्डाधिकारी के अनुमोदन के बगैर किया गया था।

(III) सरकार के अनुमोदन के बगैर व्यय

चार शहरी स्थानीय निकायों[4] ने वर्ष 1997–98 से वर्ष 1999–2000 के दौरान ट्रैक्टर, पंप, कम्प्युटर के क्रय, पार्कों के रखरखाव इत्यादि पर 16.69 लाख रुपये का व्यय राज्य सरकार के अनुमोदन के बगैर किया था।

(IV) उपयोगिता प्रमाण–पत्र

सिर्फ चार शहरी स्थानीय निकायों[5] ने सरकार को उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया था। किसी भी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था।

2 *(1) कटिहार (2) अररिया (3) खगड़िया (4) मधेपुरा*

3 *(1) अररिया (2) खगड़िया (3) मधेपुरा (4) लोहरदगा (5)शेखपुरा*

4 *लोहरदगा : 3.81 लाख रुपये ; कटिहार : 4.66 लाख रुपये ; जमुई : 0.21 लाख रुपये ; पटना : 8.01 लाख रुपये*

5 *(1) मुंगेर (2) लोहरदगा (3) पटना (4) भभुआ*

(V) अन्य सरकारी विभागों को राशि हस्तानांतरित की गयी

बिहारशरीफ नगरपालिका (19.78 लाख रुपये) तथा शेखपुरा नगरपालिका (3.90 लाख रुपये) द्वारा वर्ष 1998–2000 के दौरान योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रखण्ड कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जिला परिषद, कार्यपालक अभियंता, एन आर ई पी इत्यादि जैसे सरकारी विभागों को 23.68 लाख रुपये हस्तानांतरित किया गया था। लेकिन न तो उपयोगिता प्रमाण–पत्र और न ही राशि का समायोजन लेखा–परीक्षा को प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार कार्यान्वयन से संबंधित स्थिति का पता लगाया जा सका।

6.9.5 निष्कर्ष

द.वि. आयोग अनुदान से योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित सरकारी अनुदेशों का पालन अधिकांश मामलों में नहीं किया गया था। 70.63 लाख रुपये का अंशदान नहीं दिये जाने/अंशदान कम दिये जाने से विकास कार्यों का विस्तार अवरूद्ध हुआ। किसी भी शहरी स्थानीय निकाय ने अंतःसंरचना विकास हेतु 1.03 करोड़ रुपये की सुरक्षित राशि नहीं रखी।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2001); उनका उत्तर अप्राप्त था (जनवरी 2002)।

अध्याय – VII

वाणिज्यिक क्रियाकलाप

खण्ड – ख : कंडिकाएँ

7.1 सामान्य

राज्य में 31 मार्च 2001 को 29 विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक/अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रम थे। इनमें से, परिशिष्ट XXVII में वर्णित 26 उपक्रमों ने अपने स्थापन से ही प्रोफार्मा लेखा तैयार नहीं किया था। मामला समय–समय पर संबंधित प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग के साथ उठाया गया था।

मार्च 2001 तक 3 अन्य उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखा 14 से 24 वर्षों तक की अवधि से लंबित थे। संबद्ध विवरण परिशिष्ट XXVIII में दर्शाये गये हैं।

ऐसा देखा गया था कि किसी भी उपक्रम ने अपने वाणिज्यिक लेखा (दोहरी प्रविष्टि पद्धति में लेखा) का संधारण नहीं किया था जैसा कि विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक/अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रमों के संदर्भ में निर्धारित था।

वित्त विभाग

7.2 सरकारी प्रेसों तथा सरकारी लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन का कार्यकलाप

बिहार सचिवालय प्रेस को अपनी तीन शाखाओं (पटना स्थित सचिवालय शाखा और राज भवन शाखा प्रेस एवं राँ ची स्थित शाखा प्रेस) के साथ राज्य की सभी मुद्रण आवश्यकताओं को पूरा करना था। सरकारी विभागों/कार्यालयों में सभी प्रकार के अनुसूचित प्रपत्र की आपूर्ति हेतु मुद्रण कार्य सरकारी प्रेस एवं फार्म, गया को सौंपा गया था। गुलजारबाग (पटना) स्थित सरकारी लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन ने सरकारी विभागों और कार्यालयों में आपूर्ति हेतु लेखन सामग्री मदों की अधिप्राप्ति की एवं संहिता, नियमावली एवं नियम पुस्तिका इत्यादि का प्रकाशन किया। सरकारी प्रेसों तथा सरकारी लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन के दैनिक क्रियाकलाप, उनके संबंधित अधीक्षकों/उपाधीक्षकों/सहायक अधीक्षकों के द्वारा शासित होते थे तथा ये अपर/विशेष सचिव, वित्त विभाग द्वारा सहायता प्रदत वित्त आयुक्त के सम्पूर्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण के अधीन थे।

इन सभी इकाईयों एवं निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री पटना के कार्यालयों के कार्यकलापों में मितव्ययिता, दक्षता एवं प्रभावकारिता को आँ कने हेतु 1996–2001 से संबंधित अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँ च फरवरी से जून 2001 के दौरान की गई। पाई गई त्रुटियाँ निम्नलिखित थीं :

7.2.1 बजट आबंटन एवं व्यय

1996–2001 के दौरान प्रत्येक वर्ष के निधियों के आवंटन एवं व्यय निम्नवत थे :

वर्ष	बिहार सचिवालय प्रेस, गुलजारबाग पटना			सरकारी प्रेस एवं फार्म, गया			सरकारी लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, गुलजारबाग, पटना		
	आबंटन	व्यय	बचत	आबंटन	व्यय	बचत	आबंटन	व्यय	बचत
	(करोड़ रुपये में)								
1996-97	5.33	4.55	0.78	2.86	1.98	0.88	1.95	1.36	0.59
1997-98	6.47	4.59	1.88	3.79	1.78	2.01	1.92	1.28	0.64
1998-99	6.82	4.53	2.29	3.80	1.91	1.89	2.19	0.78	1.41
1999-2000	6.40	5.93	0.47	3.94	3.10	0.84	2.32	1.82	0.50
2000-01	6.83	4.67	2.16	3.59	1.82	1.77	2.27	1.05	1.22
योग	**31.85**	**24.27**	**7.58**	**17.98**	**10.59**	**7.39**	**10.65**	**6.29**	**4.36**

19.33 करोड़ रुपये अव्यवहृत रहे

(i) इन इकाईयों के 32 प्रतिशत (19.33 करोड़ रुपये) प्रावधानित निधियाँ अव्यवहृत पड़ी रहीं। इकाइयों द्वारा अधिक बचत का कारण मशीनों/सामग्रियों की खरीद को अंतिम रूप नहीं दिया जाना बताया गया।

(ii) 1999–2000 के दौरान अधीक्षक, बिहार सचिवालय प्रेस, गुलजारबाग ने 23.50 लाख रुपये, जो मशीन एवं उपकरण की अधिप्राप्ति जेसे पूंजी सृजन के लिए था, को मजदूरी के भुगतान के लिए विचलित किया। 1998–99 के दौरान उन्होंने कार्यालय व्यय हेतु रखे 6.72 लाख रुपये को 400 के.वी.ए. का विद्युत उपकेन्द्र अधिष्ठापित करने पर विचलित किया था। जबकि उपकेन्द्र का अधिष्ठापन अपूर्ण रहा (अप्रैल 2001)।

7.2.2 प्रोफार्मा लेखा तैयार नहीं किया गया

14 वर्षो से अधिक से प्रोफार्मा लेखा तैयार नहीं किया गया था

बिहार सचिवालय प्रेस, सरकारी लेखनसामग्री भंडार एवं प्रकाशन, गुलजारबाग तथा सरकारी प्रेस एवं फार्म, गया ने क्रमशः वर्ष 1980–81, 1986–87 तथा अपने स्थापना वर्ष (1912) से ही प्रोफार्मा लेखा तैयार नहीं किया, जब कि बिहार वित्तीय नियमावली के अन्तर्गत अपेक्षित था। फलस्वरूप इकाईयों की वर्षवार वित्तीय स्थिति सुनिश्चित नहीं की गई।

7.2.3 प्रदर्शन मूल्यांकन

(i) प्रणाली में त्रुटियाँ

उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं

(क) बिहार के सरकारी प्रेसों में अनुसरणीत भारत सरकार के प्रेसों की हस्त पुस्तिका के अनुसार उत्पादन का भौतिक लक्ष्य वित्त विभाग द्वारा निर्धारित किया जाना था। जबकि, वित्त विभाग द्वारा किसी भी प्रेस के लिए ऐसा लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

कार्यों का लागत प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया

(ख) प्रत्येक कार्य के वास्तविक लागत के साथ तुलना करने हेतु इकाईयों द्वारा कार्यों का लागत प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इसके अभाव में अन्य विभागों से प्राप्त कार्यों का मूल्यांकन एक–मुश्त विश्लेषण पर किया गया था।

(ग) कार्यादेश पंजी को नियमित रूप से बंद नहीं किया गया तथा लंबित रहने के कारणों तथा सुधारात्मक उपायों को सुनिश्चित करने हेतु लंबित कार्यो का विश्लेषण नहीं किया गया। 1996–2001 के पाँच वर्षो के दौरान पटना प्रेस में मात्र 2948 कार्य (प्रतिवर्ष 590 कार्य के औसत पर) प्राप्त हुए थे, जिनमें से 173 कार्य अप्रील 2001 तक लंबित थे। 2775 पूर्ण कार्यों में से 62 कार्य निजी प्रेसों के माध्यम से कराये गये थे।

(घ) बेकार कागजों अथवा रद्दी एवं कतरनों इत्यादि का कोई लेखा संधारण नहीं किया गया था। अतः उनके लाभप्रद निपटान को सुनिश्चित नहीं किया गया था तथा उनके निपटान मूल्य के दुर्विनियोजन से इंकार नहीं किया जा सकता था।

(ii) क्षमता उपयोग

गया को छोड़ किसी भी प्रेस ने विभिन्न सम्भागों में अधिष्ठापित मशीनों की अधिष्ठापित क्षमता, अधिष्ठापन की तिथि, मूल लागत तथा विभिन्न प्रभागों में संस्थापित मशीनों का दैनिक उत्पादन के विवरण से समाहित मशीन कार्ड का संधारण नहीं किया था। प्रेसों में उपलब्ध मशीन घंटा, संचालन का वास्तविक घंटा तथा एक मशीन पर किया गया वास्तविक मुद्रण कार्य एवं इसके वास्तविक उत्पादन को दर्शाने वाले मशीन के लॉग बुक का संधारण नहीं किया गया था। इस प्रकार प्रेसों में अधिष्ठापित मशीनों का क्षमता उपयोग सुनिश्चित करने योग्य नहीं था। वर्ष 1996–2001 के दौरान राजकीय प्रेस एवं फार्म, गया का क्षमता उपयोग निम्नवत था :

पिछले तीन वर्षो में क्षमता उपयोग 9 से 22 प्रतिशत था

वर्ष	निर्धारित उत्पादन क्षमता	वास्तविक उत्पादन	उपयोग का प्रतिशत
	(अंकनों की संख्या लाख में)		
1996-97	971.46	452.62	47
1997-98	957.70	254.61	27
1998-99	975.36	88.50	09
1999-2000	990.42	96.57	10
2000-2001	1039.26	230.11	22

यह देखा गया कि क्षमता उपयोग वर्ष 1996–97 के 47 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2000–01 में 22 प्रतिशत हो गया। प्रेस के अधीक्षक द्वारा दयनीय क्षमता उपयोग का कारण मशीनों का पुराना होना, मशीन संचालकों की कमी तथा उर्जा की अपर्याप्त आपूर्ति इत्यादि को ठहराया गया। जबकि ऐसा कोई अभिलेख नहीं था जो दर्शाता कि अधीक्षक ने निधि की उपलब्धता के बावजूद पुराने मशीनों के प्रतिस्थापन हेतु कोई कदम उठाया हो।

वर्ष 1996–2001 के दौरान प्रेसों द्वारा किये गये मुद्रण कार्य निम्नवत थे :

वर्ष	बिहार सचिवालय प्रेस, गुलजारबाग (शाखा प्रेसों सहित)	राजकीय प्रेस एवं फार्म, गया
	(पृष्ठों की संख्या)	अंकनों की संख्या लाख में
1996-97	18249	452.62
1997-98	11005	254.61
1998-99	12451	88.50
1999-2000	9398	96.57
2000-2001	उपलब्ध नहीं	230.11

वर्ष 1996–97 की तुलना में अनुवर्ती वर्षो में प्रेसों के प्रदर्शन में असाधारण ह्रास हुआ।

प्रति वर्ष 2 लाख पृष्ठों की मुद्रण क्षमता बढ़ाने का उद्देश्य विफल रहा। मुद्रण कार्य 1973–74 के 77,000 पृष्ठों से घटकर वर्ष 1999–2000 में 9398 पृष्ठ हो गया

अक्टूबर 1973 में वित्त विभाग द्वारा प्रेसों की मुद्रण क्षमता को 80,000 पृष्ठों से 2,00,000 पृष्ठ प्रति वर्ष बढ़ाने के उद्देश्य से वर्तमान प्रेसों के पुनर्गठन हेतु निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री का पद सृजित किया गया था। जबकि, प्रेसों की मुद्रण क्षमता बढ़ाने के बदले मुद्रण कार्य वर्ष 1973–74 के 77,000 पृष्ठों से घटकर वर्ष 1996–97 में 18,249 पृष्ठ तथा अंततः 1999–2000 में 9398 पृष्ठ हो गया। हालाँकि वित्त विभाग ने वर्ष 1973 में एक पद सृजित करने के अलावे प्रेसों के कार्यकलापों को सुधारने हेतु कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की।

(iii) मानक प्रपत्रों की आपूर्ति में कमी

राजकीय प्रेस एवं फॉर्म, गया के फॉर्म प्रभाग में वर्ष 1996–2001 के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों की प्राप्ति एवं निर्गमन का विवरण निम्न था :

वर्ष	अनुसूची 53		अनुसूची 47		अनुसूची 21		ब–मुख्यालय		अ–मुख्यालय	
	प्राप्ति	निर्गमन	प्राप्ति	निर्गमन	प्राप्ति	निर्गमन	प्राप्ति	निर्गमन	प्राप्ति	निर्गमन
	(संख्या लाख में)									
1996-97	54.75	84.27	2.23	5.38	0.62	1.98	10.41	1.17	---	0.22
1997-98	24.15	73.54	0.14	1.25	---	0.50	0.92	4.22	---	0.02
1998-99	16.47	37.32	0.31	0.37	---	0.36	3.26	5.49	0.22	0.23
1999-2000	47.65	29.28	0.16	---	0.66	0.25	10.10	0.15	---	0.01
2000-01	120.44	59.41	5.15	2.37	0.11	0.85	5.75	15.41	1.62	0.22

वर्ष 1996–97 की तुलना में अनुवर्ती वर्षों में अनुसूची 53, 47 और 21[1] से संबंधित प्रपत्रों की आपूर्ति में कमी थी। अभिलेखों में इसका कोई कारण उपलब्ध नहीं था।

इसके अलावे, विभिन्न मुद्रण आदेशों के तहत भिन्न प्रपत्रों की प्रतियों की काफी संख्या मुद्रण मशीन एवं सामग्री की कमी के कारण वर्ष 1993 से मशीन/कम्पोजिंग प्रभाग में लंबित थी जैसा कि नीचे वर्णित है :

[1] *साधारण कार्यालय प्रपत्र; अनुसूची–53; निबंधन पत्र; अनुसूची–21*

वर्ष	मुद्रण हेतु लंबित	
	कम्पोजिंग प्रभाग	मशीन प्रभाग
	(संख्या लाख में)	
1993-94	86.42	---
1994-95	115.27	216.94
1995-96	740.30	696.54
1996-97	394.05	988.96
1997-98	---	59.01

(iv) कार्य अवधि की हानि

4.53 लाख मानव घंटा (76 प्रतिशत) अनुपयोगी रहा और विद्युत वाधित रहने के कारण 0.29 लाख मानव घंटे की हानि हुई।

बिहार सचिवालय प्रेस, गुलजारबाग तथा इसकी दो शाखा प्रेसों में वर्ष 1996–2000 के दौरान उपलब्ध 6 लाख मानव घंटा में से 4.53 लाख मानव घंटा (76 प्रतिशत) विहित मानकों के अनुरूप कम्पोजीटरों के कार्य नहीं करने के कारण अनुपयोगी रहा तथा विद्युत बाधित रहने के कारण 0.29 लाख मानव घंटे की हानि हुई। प्रेस द्वारा ऐसी हानियों को विश्लेषित नहीं किया गया तथा कोई सुधारात्मक कारवाई नहीं की गई। तदन्तर, बिहार सचिवालय प्रेस, गुलजारबाग ने वर्ष 1996–2001 के दौरान निजी एजेन्सियों के माध्यम से मुद्रण कार्य हेतु 83.99 लाख रुपये खर्च किया तथा वर्ष 1996–2001 के दौरान निजी प्रेसों को विभिन्न प्रकार के 2068 रीम कागज (अभिलेखों से मूल्य आँकने योग्य नहीं) निर्गत किया।

(v) निष्क्रिय मशीन

आधे मशीन काफी समय से निष्क्रिय थे

प्रशिक्षित एवं कुशल संचालकों की अनुपलब्धता एवं कल पुर्जे/मरम्मती के अभाव में बिहार सचिवालय प्रेस, गुलजारबाग, राजकीय प्रेस एवं फार्म, गया तथा सचिवालय शाखा प्रेस, राँची में क्रमशः 60 (140 मे से), 51 (99 में से) एवं 18 (25 में से) मशीन 31 मार्च 2001 तक निष्क्रिय पड़े थे। विवरण परिशिष्ट – XXIX पर दिये गये हैं। प्रेसों के लिये मशीनों को उपयोगी बनाने हेतु निदेशक द्वारा कोई कारवाई नहीं की गई थी।

(vi) कम्पोजिंग इकाइयों के प्रदर्शन में गिरावट

कम्पोजिंग इकाईयों के प्रदर्शन में तीव्र गिरावट हुई।

बिहार सचिवालय प्रेस एवं इसकी दो शाखा प्रेसों (राँची एवं सचिवालय शाखा प्रेस) के कम्पोजिंग इकाइयों में वर्ष 1996–2000 के दौरान उत्पादन निम्न थे :

वर्ष	हस्त कम्पोजिशन	ऑफसेट कम्पोजिशन	लिनो कम्पोजिशन	मोनो कम्पोजिशन	समग्र योग
	(संख्या में)				
1996-97	5189.00	1961.25	3858.75	4347.75	18248.75
1997-98	4389.25	---	3182.75	3473.25	11005.25
1998-99	4802.25	497.75	2104.25	5046.75	12451.00
1999-2000	3283.25	2071.50	2094.50	1948.50	9397.75

1996–97 की तुलना में वर्ष 1999–2000 में सभी कम्पोजिशनों की मात्रा में 51.5 प्रतिशत की गिरावट आई। प्रेस द्वारा वर्ष 2000–01 के लिए सूचना संधारित नहीं की गयी थी। ऐसी गिरावट का कारण न तो बताया गया और न ही प्रेस के अधीक्षक के पास अभिलेख में था।

(vii) प्रेसों का आधुनिकीकरण

आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू नहीं की गई

बिहार में प्रेसों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा अक्टूबर 1999 में एक अध्ययन किया गया। मार्च 2002 तक पूरा करने हेतु परिषद ने 5.03 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत पर 16 महीनों में प्रेसों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव किया। हाँलाकि वित्त विभाग द्वारा जुलाई 2001 तक इस संबंध में कोई कारवाई शुरू नहीं की गई तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम अपूर्ण रहा। इस प्रकार, अध्ययन हेतु राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को भुगतान किया गया 5.70 लाख रुपया अलाभप्रद साबित हुआ।

(viii) पुस्तकों का प्रकाशन

प्रकाशन शाखा राज्य सरकार के सभी नियम, संहिता, नियमावली इत्यादि के प्रकाशन एवं वितरण/बिक्री की व्यवस्था करने हेतु उत्तरदायी था। संवीक्षा से प्रकटित हुआ कि वर्ष 1981 से पूर्व मुद्रित 64.89 लाख रुपये मूल्य की 9.45 लाख मूल्यांकित पुस्तकें तथा 2.23 लाख अमूल्यांकित पुस्तकें 20 से 65 वर्षो से भंडार में पड़ी थीं। इन प्रकाशित सामग्रियों को अन्ततः दीमकों द्वारा नष्ट कर दिया गया था क्योंकि उनके सुरक्षित रख–रखाव एवं संरक्षण की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी।

पुस्तकों का पूर्ण भौतिक सत्यापन कभी भी नहीं किया गया। परिणामतः पुस्तकों की कमी/हानि को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

7.2.4 भंडार एवं सामग्री

भंडार एवं सामग्री का संधारण दोषपूर्ण था। वहाँ काफी व्यर्थ भंडार थे

(i) संयंत्र, मशीन, औजार, फर्नीचर, उपकरण एवं उपस्कर इत्यादि की सूची जो प्राप्ति की संख्या, हस्तानांतरण, बिक्री, हानि इत्यादि द्वारा निपटान की संख्या एवं हस्तशेष को दर्शाता था, का संधारण प्रेसों एवं राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन द्वारा नहीं किया गया था। इस प्रकार इन प्रेसों में इन परिसम्पत्तियों का कोई संख्यात्मक लेखा नहीं था।

(ii) लेखा–परीक्षा में शामिल किसी भी वर्ष में भंडार का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। इस प्रकार भंडारो की कमी/हानि, अगर हो, को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था।

(iii) बिहार सचिवालय प्रेस, गुलजारबाग में वर्ष 1998–99 के दौरान क्रय किये गये 6.57 लाख रुपये मूल्य के विभिन्न प्रकार के कागज[2] की जुलाई 2001 तक खपत नहीं हुई थी तथा 2 वर्षो से अधिक तक भंडार में पड़े हुए थे क्योंकि उनकी अधिप्राप्ति बिना किसी आवश्यकता के की गई थी।

[2] *मैपलीथो रील पेपर : 68 रीम ; 17 किलो मैपलीथो : 471 रीम ; 19.6 किलो मैपलीथो : 144 रीम ; रील पेपर : 111 रील ; 28.9 किलो पल्प बोर्ड ग्रीन : 180 रीम ; पल्प बोर्ड पींक : 46 रीम ; पल्प बोर्ड येलो : 44 रीम एवं पल्प बोर्ड ब्लू : 40 रीम।*

(iv) राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन में 31 मार्च 2001 तक वर्ष 1996–2001 के दौरान मुद्रित 3.17 लाख रुपये मूल्य के विभिन्न प्रकार के 3.4 लाख कैलेन्डर एवं 13.2 हजार अमूल्यांकित माउन्ट कैलेण्डर भंडार में पड़े हुए थे। यह संसूचित करता था कि कैलेण्डर का मुद्रण आवश्यकता से अधिक किया गया परिणामस्वरूप सरकार को धन एवं सामग्री की हानि हुई।

(v) 1.73 लाख रुपये मूल्य के 1615 रीम कागजों की चोरी (नवम्बर 1996) के लिए भंडारपाल से 1.18 लाख रुपये की वसूली की गई थी। राजकीय लेखन सामग्री भंडार के चार अन्य कर्मियों से वसूलनीय शेष 0.55 लाख रुपये की वसूली (अप्रील 2001) नहीं की गई थी।

7.2.5 लंबित बकाया

1977–78 से मुद्रण शुल्क (7.01 करोड़ रुपये) बकाया

अप्रील 2001 तक विभिन्न विभागों एवं स्वायत निकायों से 7.01 करोड़ रुपये का मुद्रण शुल्क वसूली हेतु 1977–78 एवं इसके बाद से बकाया था जैसा कि नीचे विवरणित है:

वर्ष	बिहार सचिवालय प्रेस, गुलजारबाग	राजकीय प्रेस एवं फार्म, गया	राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, गुलजारबाग	योग
	(लाख रुपये में)			
1995-96 तक	221.55	211.22	44.40	477.17
1996-97	0.31	88.46	16.11	104.88
1997-98	12.32	3.71	--	16.03
1998-99	0.42	76.88	12.35	89.65
1999-2000	10.61	--	--	10.61
2000-01	2.92	--	--	2.92
योग	**248.13**	**380.27**	**72.86**	**701.26**

(अभिकरण–वार विवरणी परिशिष्ट – XXX में दी गई है।)

संबंधित एजेन्सियों से बकाये देय राशि की वसुली हेतु प्रेसों एवं वित्त विभाग द्वारा कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाया गया था।

7.2.6 विलम्बित प्रेषण

विक्रय प्राप्ति के प्रेषण में 163 दिनों तक का विलम्ब

यद्यपि पुस्तकों एवं प्रकाशनों की विक्रय प्राप्ति उसी दिन अथवा एक दिन बाद कोषागार में प्रेषित की जानी थी, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, गुलजारबाग के प्रकाशन शाखा द्वारा वर्ष 1996–2001 के दौरान प्राप्त विक्रय प्राप्ति 3.78 लाख रुपए को 7 से 163 दिनों के विलंब के बाद जमा किया गया था। यह सरकारी धन का अस्थायी दुर्विनियोजन था।

7.2.7 अन्य रोचक तथ्य

(i) पैकरों के वेतन एवं भत्ते पर अनधिकृत व्यय

पैकिंग कार्यो को छोड़ देने के बाद भी पैकरों की तैनाती जारी

यद्यपि राजकीय प्रेस एवं फार्म, गया में पैकिंग कार्य सरकार द्वारा वर्ष 1987 में ही छोड़ दिया गया था, वर्ष 1996–2001 के दौरान 11 से 14 पैकरों के तैनाती की गई थी तथा उनके वेतन एवं भत्ते पर 27.84 लाख रुपये का अनधिकृत व्यय किया गया था।

(ii) निष्क्रिय कर्मियों पर निरर्थक व्यय

अकार्यशील कैन्टीन के 8 कर्मी बगैर काम के रहे।

(क) प्रेसों का कैन्टीन पिछले 8 से 10 वर्षों से अकार्यशील था। हालाँकि वर्ष 1996–2001 के दौरान 8 निष्क्रिय कैन्टीन कर्मियों[3] के वेतन एवं भत्ते पर 15.90 लाख रुपये का निरर्थक व्यय किया गया।

15 टंकण मशीन मैकेनिक के पास कोई कार्य नहीं था क्योंकि कल पूर्जे का क्रय नहीं किया गया था

(ख) राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, गुलजारबाग में वर्ष 1997–2001 के दौरान टंकण मशीनों की मरम्मती एवं रख–रखाव के लिये पदस्थापित 15 कर्मियों ने कल पुर्जे के क्रय नहीं होने के कारण टंकण मशीनों का कोई मरम्मती कार्य पूरा नहीं किया। वर्ष 1997–2001 के दौरान उनके वेतन एवं भत्ते पर 22.81 लाख रुपये का भुगतान किया गया था।

(iii) अस्वीकृत पद पर अनियमित व्यय

बिहार सचिवालय प्रेस, गुलजारबाग (पटना) में वर्ष 1999–2001 के दौरान 5 कॉपी होल्डर्स, 2 करेक्टर्स तथा 2 मशीन फ्लाई बॉय पदस्थापित थे जबकि स्वीकृत बल के अनुसार कोई रिक्ति नहीं थी, फलस्वरूप उस अवधि के दौरान उनके वेतन एवं भत्ते पर 8.22 लाख रुपये का अनियमित व्यय हुआ।

(iv) उर्जा शुल्क पर अत्यधिक व्यय

150 के वी ए के आवश्यक भार के विरूद्ध 230 के वी ए अनुबंधित भार के लिए विद्युत प्रभार का भुगतान किया गया

बिहार सचिवालय प्रेस, गुलजारबाग 230 के वी ए के अनुबंधित भार पर मासिक विद्युत विपत्र प्राप्त करता था। हालाँकि उर्जा की खपत लगभग 150 के वी ए ही था। तदनुसार, मार्च 1979 में प्रेस द्वारा पेसु को अगले वित्तीय वर्ष से कम भार पर नये अनुबंध के लिए आग्रह किया गया था। लेकिन निदेशक विद्युत बोर्ड के साथ नया अनुबंध करने में विफल रहे, परिणामतः विद्युत प्रभार के लिये अनुबंधित माँग के न्यूनतम 75 प्रतिशत के आधार पर कम से कम 1.30 लाख इकाई प्रतिवर्ष का अत्यधिक भुगतान करना पड़ा। जून 1990 से मार्च 2001 की अवधि के दौरान (जिसके लिये अभिलेख उपलब्ध थे) विद्युत प्रभार के रूप में 14.12 लाख रुपये (लगभग) का अधिक भुगतान किया गया था।

7.2.8 अनुश्रवण

दयनीय अनुश्रवण के कारण प्रेसों के कार्य में गिरावट आई

प्रेसों तथा राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन के कार्यकलापों का निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, जिनके पास 8 सहयोगी कर्मियों का स्वीकृत बल था तथा वित्त आयुक्त, जो प्रेसों तथा राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन के कार्यकलापों के देख–रेख व प्रशासन के लिए अतिरिक्त/विशेष सचिव तथा अन्य सहयोगी कर्मियों से सहायतित थे, द्वारा अनुश्रवित नहीं था। परिणामस्वरूप, उनकी कार्यशीलता में निरंतर गिरावट आती गई।

7.2.9 निष्कर्ष

निदेशक एवं वित्त आयुक्त द्वारा अनुश्रवण के अभाव में राजकीय प्रेसों एवं राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन के कार्यकलाप पूरी तरह से कुप्रबंधित थे। परिणामस्वरूप, इन इकाइयों को प्रदत्त निधियों के बड़े भाग या तो अनुपयोगित थे या

[3] *कैन्टीन क्लर्क – बिहार सचिवालय प्रेस, गुलजारबाग में एवं राजकीय प्रेस एवं फार्म, गया में प्रत्येक एक ; मजदूर एवं हलवाई : बिहार सचिवालय प्रेस, गुलजारबाग, राजकीय प्रेस एवं फार्म, गया एवं राजकीय लेखन सामग्री एवं भंडार एवं प्रकाशन, गुलजारबाग प्रत्येक में एक।*

अन्य उद्देश्यों हेतु विचलित किए गये थे। ये इकाइयाँ व्यवस्था की कमियों से प्रभावित थीं जिसका परिणाम दयनीय क्षमता उपयोग, कार्य अवधियों का ह्रास, संयंत्र एवं मानवशक्ति की निष्क्रियता तथा आवश्यक लेखों एवं अभिलेखों का संधारण नहीं किया जाना था। प्रेसों के आधुनिकीकरण का कार्य भी अधूरा पड़ा रहा।

(बीरेन्द्र कुमार)
महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार

पटना
दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

वि. ना. कौल

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक

परिशिष्ट –1

भाग 'क' सरकारी लेखे

(संदर्भ : कंडिका 1.1)

I. संरचनाः

राज्य सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है:(I) संचित निधि (II) आकस्मिकता निधि और (III) लोक लेखा

भाग I : संचित निधि

राजस्व, ऋण एवं ऋणों की वसूलियों से सरकार की सभी प्राप्तियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत गठित किए गये राज्य की संचित निधि में जाती हैं। सरकार के सभी व्यय इस निधि से पूरा किये जाते हैं तथा राज्य विधानमंडल के स्वीकृति के बगैर किसी भी राशि की निकासी इस निधि से नहीं की जा सकती है। इसके मुख्यतः दो भाग होते है, यथा–राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) तथा पूंजीगत लेखा (पूंजीगत प्राप्तियाँ, व्यय, लोकऋण तथा कर्जे एवं पेशगियाँ इत्यादि)।

भाग II : आकस्मिकता निधि

भारत के संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत गठित आकस्मिकता निधि, राज्य विधान मंडल से स्वीकृति के लिए लम्बित अत्यावश्यक अदूरदर्शित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य के राज्यपाल के विवेकाधीन रखे गए अग्रदाय के रूप में होता है। ऐसे व्यय तथा संचित निधि से समतुल्य राशि का आकस्मिकता निधि में हस्तांतरण के लिए राज्य विधान मंडल से परावर्ती अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। वर्ष के दौरान विधानमंडल द्वारा अधिकृत निधि की काया 350 करोड़ रुपये की थी।

भाग III: लोक लेखा

लघु बचत, भविष्य निधि, जमा, आरक्षित निधि, उचंत तथा प्रेषण इत्यादि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो कि संचित निधि का अंश नहीं होता है को लोक लेखा में दर्ज किया जाता है तथा विधान मंडल द्वारा पारित होना आवश्यक नहीं है।

II. वार्षिक लेखा का प्रारूप

राज्य सरकार के लेखे दो खण्डों यथा वित्त लेखा एवं विनियोग में तैयार किया जाता है। सरकारी लेखे में उचित वर्गीकरण के अंतर्गत प्राप्तियाँ एवं व्यय दोनों से संबंधित सभी लेन–देन का ब्योरा वित्त लेखा प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखा, सरकार द्वारा खर्च की गयी राशि के साथ–साथ बजट अनुदान में राज्य विधानमंडल द्वारा अधिकृत राशि का ब्यौरा प्रस्तुत करता है। अनुदान से अधिक किसी भी व्यय का विधान मंडल द्वारा नियमित करना आवश्यक है।

भाग – 'ख' सूचकांकों/अनुपातों की सूची एवं उनके गणना का आधार

(संदर्भ : कंडिका 1.11.2)

सूचकांक/अनुपात		गणना का आधार
सुदृढ़ता	बी.सी.आर.	राजस्व प्राप्तियां घटाव सभी योजना (वृहत् शीर्ष 1601–2,03, 04 के अन्तर्गत) एवं गैर–योजना राजस्व व्यय
चालू राजस्व से शेष		
प्रारंभिक घाटा		
ब्याज अनुपात		
	पूँजीगत परिव्यय	वित्त लेखे की विवरणी सं. 13 के अनुसार पूँजीगत व्यय
पूँजीगत परिव्यय बनाम पूंजीगत प्राप्तियाँ		
	पूँजीगत प्राप्तियाँ	आन्तरिक ऋण (निवल अर्थोपाय पेशगियाँ) + भारत सरकार से ऋण एवं पेशगियाँ + लघु बचत, भ०नि० इत्यादि से निवल प्राप्तियाँ + राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों से प्राप्त पुनर्भुगतान – राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण
कुल कर प्राप्तियाँ वनाम जी.एस.डी.पी		
राज्य कर प्राप्तियाँ वनाम जी.एस.डी.पी		
नम्यता		उपरोक्त अनुसार
– चालू राजस्व से शेष	पूँजीगत पुनर्भुगतान	वृहत शीर्षो 6003 एवं 6004 के अन्तर्गत वितरण घटाव दोनों वृहत शीर्षो के अन्तर्गत अर्थोपाय पेशगियाँ/ दोनों वृहत शीर्षो के अर्न्तगत ओवरड्राफ्ट की अदायगियाँ
- पूंजीगत अदायगियाँ बनाम पूँजीगत उधार		
	राज्य कर प्राप्तियाँ	
		वित्त लेखा की विवरण 17
	कुल कर प्राप्तियाँ	
		राज्य कर प्राप्तियाँ जोड़ संघीय करों में राज्य का हिस्सा
अपूर्ण योजनाएँ		
–कुल कर प्राप्तियाँ बनाम जी.एस.डी.पी		
–कर्ज बनाम जी.एस.डी.पी		
भेदयता		
राजस्व घाटा		लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका सं. 1.9.5
राजकोषीय घाटा		लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कडिका स. 1.9.5
- प्रारम्भिक घाटा वनाम राजकोषीय घाटा	प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा घटाव ब्याज
कुल लम्बित गारन्टियाँ सुगमता पत्र बनाम सरकार का कुल राजस्व प्राप्तियाँ सहित	लम्बित गारन्टियाँ	प्रदर्शन IV
	राजस्व प्राप्तियाँ	प्रदर्शन II
परिसम्पत्तियाँ बनाम दायित्व	परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व	
	ऋण	वर्ष के अन्त में उधार एवं अन्य दायित्व (वित्त लेखा का विवरण सं० – 4)

परिशिष्ट–II

14 नवंबर 2000 को परवर्ती बिहार एवं नए राज्य झारखण्ड के बीच संयुक्त बिहार राज्य के परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के बँटवारे को दर्शाती विवरणी

(संदर्भ : कंडिका 1.1)

(करोड़ रुपये में)

	क्रम सं.		14.11. 2000 तक का शेष	वितरित		बिहार के लेखे में शामिल बाँटे जाने वाले शेष
				बिहार	झारखण्ड	
I	**दायित्व**					
	1.	आन्तरिक कर्ज ऋण	8745.34	6533.64*	2211.70*	—
	2.	रिजर्व बैंक के जमा में कमी	113.58	84.85@	28.73@	—
	3.	केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं पेशगियाँ	14828.95	11078.71*	3750.24*	—
	4.	आकस्मिकता निधि	350.00	—	—	350.00
	5.	लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	7549.56	—	—	7549.56
	6.	जमा	1963.26	—	—	1963.26
	7.	आरक्षित निधि	342.36	—	—	342.36
II	**परिसम्पत्तियाँ**					
	1.	सकल पूँजीगत परिव्यय	11935.23	—	—	11935.23
	2.	ऋण एवं पेशगियाँ	6583.36	—	—	6583.36
	3.	पेशगियाँ	94.67	—	—	94.67
	4.	प्रेषण शेष	1504.05	—	—	1504.05
	5.	उचंत एवं विविध शेष	716.12	—	—	716.12
	6.	नकद	96.44	—	—	96.44

* बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के खण्ड 48 (2) के तहत पठित खण्ड 2 (4) के अंतर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामला विभाग (बजट डिविजन) के आदेश एफ सं. 9(3)–बी(एस)/2000 (दिनांक 26 जुलाई 2000) के तहत 645.30 : 218.44 के जनसंख्या अनुपात में बँटवारा किया गया है।

@ भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 79.4 : 20.6 के अनुपात में बाँटा गया।

परिशिष्ट–III

राज्य योजना कार्यक्रमों, केन्द्रीय योजना कार्यक्रमों एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत अधिक बचतों की विवरणी

(संदर्भ : कंडिका 1.8.3)

I. बचत की समग्र स्थिति

योजनाएँ	पूरक सहित कुल प्रावधान	व्यय	बचत
		(करोड़ रुपये में)	
राज्य योजना	30,89,65.73	10,01,20.43	20,88,45.30
केन्द्रीय योजना	5,23.66	16.85	5,06.81
केन्द्रीय प्रायोजित	6,51,40.83	2,13,09.72	4,38,31.11
योग	**37,46,30.22**	**12,14,47.00**	**25,31,83.22**

II. अधिक बचतों से प्रभावित योजनाएँ (1 करोड़ रुपये एवं अधिक)

क्रम सं.	योजना का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
	राज्य योजना कार्यक्रम			
1.	अनुदान सं.1 – कृषि विभाग क–2401–फसल पालन क2–103–बीज क 3 (ख) समेकित खाद्यान्न विकास कार्यक्रम	1.13	--	1.13
2.	क 7 – 109 – विस्तार एवं कृषक प्रशिक्षण क 7 (5) कृषि विस्तार योजना	17.68	11.80	5.88
3.	क 10 – 796 – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना क 10 (20) (2) जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	1.14	--	1.14
4.	ङ – 2705 – कमाण्ड क्षेत्र विकास ङ 6 – 105 – अयाकत विकास ङ 6 (1) क्षेत्र विकास कमाण्ड स्तर (i) राज्य योजनागत कार्यक्रम	34.75	14.09	20.66
	योग अनुदान सं.–1	**54.70**	**25.89**	**28.81**
5.	अनुदान सं. 2 पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग क2–101–पशुपालन सेवाएँ एवं पशु स्वास्थ्य क2(2)–अस्पताल, दवाखाना और अन्य स्थापना	1.41	0.40	1.01
	कुल अनुदान सं. 2	**1.41**	**0.40**	**1.01**
6.	अनुदान सं. 3 भवन निर्माण एवं आवास विभाग 2 क–4059–लोक कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय 2 ख 1 (2) – 700 – अन्य आवास 2 ख 1 (2) (1) – अन्य क्षेत्र उपयोजना वर्ष 1999–2000 की अपूर्ण योजनाओं तथा वर्ष 2000–01 की पुनरीक्षित एवं नई उपयोजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान	2.22	0.31	1.91
7.	2ख1(2)(2) जनजातीय क्षेत्र उपयोजना वर्ष 1999–2000 की अपूर्ण योजनायें पुनरिक्षित प्राक्कलित राशि एवं वर्ष 2000–01 की नई योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	1.78	0.02	1.76
	कुल अनुदान सं. – 3	**4.00**	**0.33**	**3.67**

क्रम सं.	योजना का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
8.	**अनुदान सं. 8 – नागरिक विमानन विभाग** ख – 3053 – नागरिक विमानन ख1–80–सामान्य ख–1(1)–003–प्रशिक्षण एवं शिक्षा ख–1(1)(1) प्रशिक्षण एवं शिक्षा	2.21	--	2.21
9.	ख1(2)–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना ख1(2)(1) प्रशिक्षण एवं शिक्षा	2.24	--	2.24
	योग अनुदान सं. – 8	**4.45**	**--**	**4.45**
10.	**अनुदान सं. – 10 – उर्जा विभाग** 3क–6801–उर्जा परियोजनओं के लिए ऋण 3क1(1)–201–जल विद्युत उत्पादन (अन्य क्षेत्र उपयोजना) 3क1(1) बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण	15.07	--	15.07
11.	3क 3–800 – विद्युत विभाग को अन्य ऋण 3 क 3 (I) बिहार राज्य विद्युत विभाग को ऋण	202.54	39.95	162.59
	योग अनुदान सं. 10	**217.61**	**39.95**	**177.66**
12.	**अनुदान सं.17– वित्त (वाणिज्य कर) विभाग** क–2040–कर एवं बिक्री, व्यापार आदि क2–101–संग्रहण अधिभार क2(1) जिला अधिभार	4.00	--	4.00
	योग अनुदान सं. – 17	**4.00**	**--**	**4.00**
13.	**अनुदान सं.18–खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग** ग–3456–असैनिक आपूर्तियाँ ग 2–800–अन्य व्यय ग 2(1)–जिला अधिभार, जन वितरण प्रणाली, उपभोक्ता संरक्षण	3.73	2.52	1.21
	योग अनुदान सं. – 18	**3.73**	**2.52**	**1.21**
14.	**अनुदान सं. 20 – स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग** क–2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य क1–01–शहरी स्वास्थ्य सेवा – ऐलोपैथी क1 (1)–001–निदेशन एवं प्रशासन क1(1)(1) अधीक्षण	3.75	0.19	3.56
15.	क 1(1)(3) अन्धापन की रोकथाम	1.63	0.17	1.46
16.	क3(2)–103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क3(2)(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	61.57	15.97	45.60
	योग अनुदान सं. – 20	**66.95**	**16.33**	**50.62**
17.	**अनुदान सं. 21–उच्चतर शिक्षा विभाग** क–2202–सामान्य शिक्षा क1–03 विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा क1(2)–102 विश्वविद्यालयों को सहायता क1(2)(10) राज्य विश्वविद्यालयों का विकास	9.20	--	9.20
	योग अनुदान सं. – 21	**9.20**	**--**	**9.20**
18.	**अनुदान सं. 22 – गृह विभाग** ख 11–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना ख 11(1) पुलिस आवासीय निर्माण निगम को अनुदान	6.00	--	6.00
19.	ख 12–800–अन्य व्यय ख 12(1) पुलिस आवासिय निर्माण निगम को अनुदान	22.50	0.01	22.49
20.	ग 2–101–कारा ग 2 (4) केन्द्रीय एवं प्रमण्डलीय कारा	2.70	--	2.70
	योग अनुदान सं. 22	**31.20**	**0.01**	**31.19**

क्रम सं.	योजना का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
21.	**अनुदान सं. – 23 – उद्योग विभाग** क–2851–ग्रामीण एवं लघु उद्योग क2–102–लघु उद्योग क2(3) जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना – झारखण्ड क्षेत्र	2.00	0.13	1.87
22.	क4–104–हस्तशिल्प उद्योग क4(3) बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान	1.00	--	1.00
23.	क 7–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना क 7 (2) बिहार राज्य खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड को सहायता (अनुदान)	2.00	--	2.00
24.	क 7 (4) रेशम उत्पादन का विकास	2.21	0.98	1.23
25.	क 7 (8) राँची में रूपांकण विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र	1.02	--	1.02
25.	ख–2852–उद्योग ख1–80–सामान्य ख 1 (3)–102–औद्योगिक उत्पादकता ख 1 (3) (8) अनऔद्योगिक जिलों में विकास केन्द्रों की स्थापना (अनुदान)	9.00	--	9.00
26.	ख 1 (3) (9) अनऔधोगिक जिलों में मिनी विकास केन्द्रों की स्थापना (अनुदान)	4.00	--	4.00
27.	2 ग – 4885–उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य पूँजी 2 ग 1 – 800 – अन्य व्यय 2 ग 1 (2) औद्योगिक विकास के लिए भू–हदबन्दी	2.50	1.00	1.50
28.	3ग–6885 – उद्योग एवं खनिजों को अन्य ऋण 3ग 01–वित्तीय औधोगिक सस्थान को ऋण 3ग (1)(2)–बिक्री कर से विमुक्ति के बदले उद्योग को सूद रहित ऋण (झारखण्ड क्षेत्र)	4.00	--	4.00
	योग अनुदान सं. – 23	**27.73**	**2.11**	**25.62**
29.	**अनुदान सं. 30 – अल्पसंख्यक कल्याण विभाग** 2क–4225–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु पूंजीगत परिव्यय 2क1–80–सामान्य 2 क1(1)–800–अन्य व्यय 2क1(1)(1)–अल्प संख्यक कल्याण विभाग इकाई (i) अल्पसंख्यक लड़कों एवं लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण	25.50	14.20	11.30
30.	(ii) अल्पसंख्यक भवन सह हज गृह का निर्माण	2.00	--	2.00
31.	(ii) कब्रगाह का कंक्रीट चहारदिवारी	8.50	1.45	7.05
32.	2ग–5465–सामान्य वित्तीय एवं व्यापार संस्थानों में निवेश 2ग1–01–सामान्य वित्तीय संस्थानों में निवेश 2ग(1)–190–लोक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों, बैंकों आदि में निवेश (अन्य क्षेत्र उपयोजना) 2ग1(1)(1) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम का हिस्सा पूंजी – राज्य समान सहभागिता राज्यांश	5.00	--	5.00
33.	2 ग 1 (1) (2) बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम का हिस्सा पूँजी (पूँजीगत अंश)	2.00	--	2.00
	योग अनुदान सं. 30	**43.00**	**15.65**	**27.35**
34.	**अनुदान सं. 35–योजना एवं विकास विभाग** ख–2053–जिला प्रशासन ख3 – 796 – जनजातीय क्षेत्र उपयोजना ख 3 (1) क्षेत्रीय योजना	11.50	--	11.50
35.	ख 3 (2) बिहार पठारी विकास कार्यक्रम	77.49	37.86	39.63
36.	ख 3 (3) योजना तंत्र (झारखण्ड) का सुदृढीकण	4.39	--	4.39

क्रम सं.	योजना का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
37.	ड 2 (3)–204–केन्द्रीय सांख्यिकी संस्थान ड2(3)(10) सांख्यिकी संयंत्र का कम्प्युटराइजेशन	2.06	--	2.06
38.	ड2(3)(11) राष्ट्रीय कृषि बीमा की वसूली	3.98	--	3.98
	योग अनुदान सं. 35	**99.42**	**37.86**	**61.56**
39.	**अनुदान सं. 36–लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग** 2क–4215–जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 2क1–01–जलापूर्ति 2क1(1)(1)–102–ग्रमीण जलापूर्ति (अन्य क्षेत्र उप–योजना) 2क1(1)(1)ग्रमीण पाईप जलापूर्ति योजना (iv) विशेष समेकित योजना	2.01	--	2.01
40.	(vii) 10 वॉ वित्त आयोग की अनुशंसा पर टाल एवं दियारा विकास योजना	1.00	--	1.00
41.	2क1(1)(3) ग्रामीण जलापूर्ति योजना (द्वारा नलकूप, कुँआ–कार्य) (ii) विशेष समग्र योजना	6.89	--	6.89
42.	2क1(2)–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 2क1(2)(2) 20,000 जनसंख्या तक के ग्रामीण/अर्द्धशहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति (i)सामान्य	1.28	--	1.28
43.	2क1(2)(3) ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना (नलकूप, कुँआ इत्यादि) (i) सामान्य	3.74	--	3.74
44.	(ii) विशेष समग्र योजना	2.26	--	2.26
45.	2क2–02–परनाला एवं स्वच्छता 2क2(1)–106–परनाला सेवाएँ 2क2(1)(1)–ग्रामीण स्वच्छता (i) सामान्य	1.84	--	1.84
	योग अनुदान सं. – 36	**19.02**	**--**	**19.02**
46.	**अनुदान सं. 37–राज भाषा विभाग** क2–796–जनजातीय क्षेत्र उप–योजना क2(1) राजभाषा विभाग	1.93	--	1.93
	योग अनुदान सं.–37	**1.93**	**--**	**1.93**
47.	**अनुदान सं.40–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग** क–2029 – भू–राजस्व क1–102–सर्वे एवं बन्दोबस्ती कार्यक्रम क1(2) किरायेदार लेखा पुस्तिका को लागू करना	8.77	7.40	1.37
48.	क 4 – 800--अन्य व्यय क4(2) चकबन्दी	10.00	2.97	7.03
	योग अनुदान सं. 40	**18.77**	**10.37**	**8.40**
49.	**अनुदान सं. 41–पथ निर्माण विभाग** 2 ख 2 – 03 – राज्य उच्च पथ 2 ख 2(1)–052–मशीन एवं उपकरण 2ख 2 (1)(1)–मशीन एवं उपकरण	7.44	--	7.44
50.	2ख2(3)–337–पथ कार्य 2ख2(3)(1) वृहत् पथ	188.72	78.19	110.53
51.	2 क 2 (4) – 796 – जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 2 ख 2 (4) (1) वृहत् पथ	46.94	3.63	43.31
52.	2 ख 2 (4) (2) मशीन एवं उपकरण	3.00	--	3.00
53.	2 ख 2 (4) (3) पूल	7.38	0.19	7.19
	योग अनुदान सं. 41	**253.48**	**82.01**	**171.47**

क्रम सं.	योजना का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
54.	**अनुदान सं. 42–ग्रामीण विकास विभाग** क–2501–ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम क1–01–समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम क1(1)–800–अन्य व्यय क1(1)(1)(1) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (i) स्थापना व्यय	9.86	0.33	9.53
55.	(ii) सामान्य	25.64	23.49	2.15
56.	(iii) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष समेकित योजनाएँ	25.64	17.24	8.40
57.	क2–02–सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम क2(1)–101–लघु सिंचाई क2(1)(1) सुखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम जल छाजन विकास कार्यक्रम	5.23	1.47	3.76
58.	क2(2)–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना क2(2)(1)सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम जल छज्जन विकास कार्यक्रम	1.54	0.21	1.33
59.	ख–2505–ग्रामीण रोजगार ख 1 – 01 – राष्ट्रीय कार्यक्रम ख1(1)–702–जवाहर रोजगार योजना ख1(1)(2) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (ii) अनुसूचित जाति के लिए विशेष समेकित योजना	16.89	1.42	15.47
60.	(iii) मुख्यालय स्थापना	2.04	0.16	1.88
61.	ख1(1)(3) इन्दिरा आवास योजना (ii) अनुसूचित जाति के लिए विशेष समेकित योजना	24.87	--	24.87
62.	ख 1 (1) (4) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (1) सामान्य	190.15	68.30	121.85
63.	(ii) अनुसूचित जाति के लिए विशेष समेकित योजना	21.49	--	21.49
64.	ख1(1)(5) बीमा रोजगार कार्यक्रम (i) सामान्य	46.79	40.02	6.77
65.	(ii) अनुसूचित जाति के लिए विशेष समग्र योजना	20.05	--	20.05
66.	ख1(2)–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना ख1(2)(2) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (i) सामान्य	3.70	--	3.70
67.	(ii) अनुसूचित जाति के लिए विशेष समग्र योजना	1.59	--	1.59
68.	ख 1 (2) (3) इन्दिरा आवास योजना (i) सामान्य	16.09	--	16.09
69.	(ii) अनुसूचित जाति के लिए विशेष समग्र योजना	6.89	--	6.89
70.	ख 1 (2) (3)–न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (i) सामान्य	66.99	--	66.99
71.	(i) अनुसूचित जाति के लिए विशेष समग्र योजना	28.71	--	28.71
72.	ख1 (2)(4) बीमा रोजगार कार्यक्रम (i) सामान्य	14.21	--	14.21
73.	(ii) अनुसूचित जाति के लिए विशेष समग्र योजना	6.09	--	6.09
74.	ग–2515–अन्य ग्रामीण योजना कार्यक्रम ग4(2) विशेष योजना (1) कोशी प्रभावित क्षेत्र	2.00	0.88	1.12
75.	(ii) लघु कार्य	13.33	--	13.33
76.	2क–4515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय 2क2–103–ग्रामीण विकास 2क2(1)–न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ii) शीर्ष कार्य	3.56	0.70	2.86
77.	(iii) पुराने पथों का मजबूतीकरण	18.52	1.63	16.89

क्रम सं.	योजना का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
78.	(iv) नए पथों का निर्माण एवं आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में पुराने पथों का जीर्णोद्धार	18.05	1.42	16.63
79.	(v) नए पूल/पूलों का निर्माण	14.25	--	14.25
80.	(vi) लघु कार्य	1.06	--	1.06
81.	(vii) नाबार्ड (आर. आई. डी. एफ.)	17.10	--	17.10
82.	(ix) नए पथों का निर्माण	3.57	--	3.57
83.	2क2(2) मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण विभाग)	40.46	23.59	16.87
84.	2क2(3) विधायकों एवं विधान पार्षदों की अनुशंसा पर योजनाओं का क्रियान्वयन	170.50	154.82	15.68
85.	2क2(4) बाढ़ प्रभावित पथों का पुनः निर्माण	30.00	--	30.00
86.	2क3—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 2क3(1)—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (iii) नए पुल/पुलों का निर्माण	3.33	--	3.33
87.	(iv) पुराने पथों का मजबूतीकरण	4.33	--	4.33
88.	(vii) आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में पुराने पथों का जीर्णोद्धार एवं नए सड़कों का निर्माण	3.33	--	3.33
89.	(viii) नाबार्ड (आर.आई.डी.एफ.)	4.00	--	4.00
90.	2क3(3)विधायकों एवं विधान पार्षदों के अनुशंसा पर योजनाओं का क्रियान्वयन	29.50	7.28	22.22
	योग अनुदान सं. 42	**911.35**	**342.96**	**568.39**
91.	**अनुदान सं. 43 – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग** क—2203—तकनीकी शिक्षा क2—004—शोध क2(2)बिहार विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद (अनुदान)	1.50	--	1.50
92.	क6—105—पॉलीटेकनिक क6(3) डिप्लोमा पाठ्यक्रम—पॉलीटेकनिक शिक्षा का मजबूतीकरण	2.91	0.44	2.47
93.	क8—112—अभियंता तकनीकि महाविद्यालय एवं संस्थान क8(1) स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	1.41	--	1.41
94.	क9—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना क9(1) बिहार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (अनुदान)	1.00	--	1.00
95.	2क—4202—शिक्षा एवं खेल, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 2क1—02—तकनीकी शिक्षा 2क1(1)—104—पॉलीटेकनीक 2क1(1)(1) पॉलीटेकनीक/अभियांत्रिकी/तकनीकी विश्वविद्यालय	1.18	--	1.18
	योग अनुदान संख्या 43	**8.00**	**0.44**	**7.56**
96.	**अनुदान सं. 44—मध्य, प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग** क—2202—सामान्य शिक्षा क 1—01—प्राथमिक शिक्षा क 1(3)—101—सरकारी प्राथमिक विद्यालय क (3)(1) प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	27.59	--	27.59
97.	क1(3)(2) अनुसूचित जाति के लिए विशेष समेकित योजना —सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	12.80	--	12.80
98.	क1(3)(3) झारखण्ड क्षेत्र हेतु राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय (10वें वित्त आयोग की सिफारिश पर)	6.01	--	6.01
99.	क1(6)—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना क1(6)(1) राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	8.35	--	8.35

क्रम सं.	योजना का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
100.	क1(6)(2)–न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगारोन्मुखी योजना	15.94	--	15.94
101.	क1(6)(4) अनौपचारिक शिक्षा	2.65	--	2.65
102.	क1(6)(5) बिहार शिक्षा परियोजना	3.33	--	3.33
103.	क1(7)–800अन्य व्यय क1 (7)(1) सूचना शिक्षा	10.47	8.07	2.40
104.	क1(7)(2)–न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगारोन्मुखी योजना	51.31	5.55	45.76
105.	क1(7)(4) झारखण्ड क्षेत्र अनौपचारिक शिक्षा के लिए विशेष समेकित कार्यक्रम	3.00	--	3.00
106.	क1(7)(5) झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष समेकित कार्यक्रम	14.01	--	14.01
107.	क1 (7)(6) अनुसूचित जाति के लिए विशेष समेकित योजना; अनौपचारिक शिक्षा	2.49	--	2.49
108.	क1(7)(7) बिहार शिक्षा परियोजना (कार्यालय व्यय)	11.20	7.06	4.14
109.	क1(7)(8) झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष समेकित योजना बिहार शिक्षा परियोजना	2.40	--	2.40
110.	क2(5)–109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय क2 (5) (1) अन्य विद्यालय	1.76	--	1.76
111.	क 2 (5) (4) विभागीय कार्य वृहत कार्य	3.60	--	3.60
112.	क3–03–विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा क3(1)–103–राजकीय कॉलेज एवं संस्था क3(1)(4) इन्टरमीडिएट शिक्षा	7.64	1.63	6.01
113.	क3(3)–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना क3(3)(2) इन्टरमीडिएट शिक्षा	1.88	--	1.88
	योग अनुदान सं. 44	**186.43**	**22.31**	**164.12**
114.	**अनुदान सं. – 45 ईख विभाग** क–2401–फसल पालन क1–108–वाणिज्यिक फसल क1(2) ईख विकास	1.46	--	1.46
	योग अनुदान सं. 45	**1.46**	**--**	**1.46**
115.	**अनुदान सं. 46 – पर्यटन विभाग** ख – 3452–पर्यटन ख1 (2)–101–पर्यटन केन्द्र ख1(2)(2) पर्यटन सूचना केन्द्रों का कम्प्युटरीकरण एवं पुनरूद्धार (iv) केन्द्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए वर्ष 1990–91 से 1999–2000 तक राज्य का हिस्सा	1.55	--	1.55
116.	(v) होटल प्रबंधन के लिए अनुदानें	1.53	--	1.53
	योग अनुदान सं. 46	**3.08**	**--**	**3.08**
117.	**अनुदान सं. 47 – परिवहन विभाग** 2ग–5055–पथ परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय 2ग1–190–लोक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश 2ग1(1) बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का हिस्सा	1.75	--	1.75
	योग अनुदान सं. 47	**1.75**	**--**	**1.75**
118.	**अनुदान सं. 48–शहरी विकास विभाग** 2 ख–4215–जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय 2ख1–01–जलापूर्ति 2ख1(1)–101–शहरी जलापूर्ति 2ख1(1)(1) केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित शहरी जलापूर्ति योजना के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लिए सहायता अनुदान	2.39	--	2.39

क्रम सं.	योजना का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
119	2ख2–02–नाला एवं स्वच्छता 2ख2(1)–106–नाला एवं स्वच्छता 2ख2(1)(1) मलजल प्रवाह एवं नाला के निर्माण के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लिए सहायता अनुदान	4.84	--	4.84
120.	2ख2(2)–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 2ख2(2)(1) मल–जल प्रवाह एवं नाला के निर्माण के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लिए सहायता अनुदान	2.00	--	2.00
121.	2ग–4217–शहरी विकास पर पूँजिगत परिव्यय 2ग1–60–अन्य शहरी विकास योजनायें 2ग1(1)–800–अन्य व्यय 2ग1(1)(1) झारखण्ड क्षेत्र स्वायत्त परिषद (iv) परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान	1.88	--	1.88
122.	2ग(1)(2) अनुसूचित जाति के लिए पर्यावरण विकास योजना के अंतर्गत अनुदान – झुग्गी झोपड़ी सफाई एवं पर्यावरण विकास	23.51	18.76	4.75
123.	2ग1(1)(3) दशम् वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान – शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान	50.21	--	50.21
124.	2ग1(1)(4) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को सहायता अनुदान	4.41	1.69	2.72
125.	2ग1(1)(6) शहरी क्षेत्र सहायता अनुदान के नागरिक सुविधा	3.05	--	3.05
126.	2ग1(1)(7) शहरी स्थानीय निकायों का परिवहन के लिए सहायता अनुदान	11.95	--	11.95
127.	2ग1(2)–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 2ग1(2)(1) झारखण्ड क्षेत्र स्वायत्त परिषद–शहरी क्षेत्र में गरीबी उन्मुलन योजना – स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के लिए शहरी स्थीनय निकायों को सहायता अनुदान	1.14	--	1.14
128.	2ग1(2)(3) शहरी क्षेत्र सहायता अनुदान में नागरिक सुविधा	1.25	--	1.25
129.	2ग1(2)(4) परिवहन के लिए स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान	3.91	--	3.91
130.	3ख–6215–जलापूर्ति एवं स्वच्छता के लिए ऋण 3ख1–01–जलापूर्ति 3ख1(1)–191–स्थानीय निकायों, नगरपालिका आदि का ऋण 3ख1(1)(2) शहरी जलापूर्ति योजना के लिए नगर निगम एवं नगरपालिका को ऋण	6.43	1.35	5.08
131.	3ख 1 (2)–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 3ख 1 (2) (1) शहरी स्थानीय निकायों को जनजातीय क्षेत्रों के लिए ऋण	1.75	--	1.75
132.	3ख2–02–परनाला एवं स्वच्छता 3ख2(1)–191–स्थानीय निकायों को ऋण, नगरपालिका इत्यादि 3ख 2(1)(2) नगरपालिका एवं नगर निगम को जल निकास तंत्र के लिए ऋण, नगरपालिका इत्यादि	5.04	--	5.04
133.	3ख2(2)–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 3ख2(2)(2)नगरपालिकाओं को परनाला हेतु ऋण एवं नाला तंत्र हेतु स्थानीय निकायों को ऋण, नगरपालिका इत्यादि	1.80	--	1.80

क्रम सं.	योजना का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
134.	3ग–6217–शहरी विकास हेतु ऋण 3ग1–60–अन्य शहरी विकास योजनाए 3ग1(1)–191–स्थानीय निकायों को ऋण, निगम, इत्यादि 3ग1(1)(2) शहरी स्थानीय निकायों को परिवहन हेतु ऋण	23.89	--	23.89
135.	3ग(1)(3) शहरी स्थानीय निकायों की परिवहन हेतु ऋण (झारखण्ड क्षेत्र स्वायत्त परिषद)	3.75	--	3.75
136.	3ग1(3) जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 3ग1(3)(1) शहरी स्थानीय निकायों को परिवहन हेतु ऋण	7.82	--	7.82
	योग अनुदान संख्या – 48	**161.02**	**21.80**	**139.22**
137.	**अनुदान सं. 49–जल संसाधन विभाग** 2क–4701–वृहत् एवं मध्यम सिंचाई हेतु पूँजीगत परिव्यय 2क1–02–वृहत् सिंचाई गैर–वाणिज्यिक 2क1(2)–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना 2क1(2)(2) स्वर्णरिखा परियोजना (i) स्थापना	36.48	20.87	15.61
	2क1(2)(1) स्वर्ण रेखा परियोजना (नाबार्ड)	43.60	--	43.60
138.	2क2–04–मध्यम सिंचाई (गैर–वाणिज्यिक) 2क2(1)छोटानागपुर और संथाल परगना सिंचाई योजना (ए.आई.बी.पी., नाबार्ड एवं आर.आई.डी.एफ. के अलावे) (i) स्थापना	41.39	23.78	17.61
139.	(ii) कार्य	50.81	19.49	31.32
140.	2क2(2) उत्तरी बिहार सिंचाई परियोजना 2क2(2)(1) उत्तरी बिहार सिंचाई परियोजनाएँ (ए.आई.बी.पी., नाबार्ड एवं आर. आई. डी. एफ के अलावे) (i) स्थापना	41.83	28.95	12.88
141.	(ii) कार्य	25.00	--	25.00
142.	2क2(2) उत्तर बिहार सिंचाई परियोजना (ए. आई. वी. पी.) (ii) कार्य	120.00	56.11	63.89
143.	2क2(3) दक्षिण बिहार सिंचाई परियोजना 2क2(3)(1) दक्षिण बिहार सिंचाई परियोजना (ऐ. आई. बी. पी., नाबार्ड और आर. आई. डी. एफ. ई. के अलावे) (i) स्थापना	68.65	54.13	14.52
144.	2क2(3)दक्षिण बिहार सिंचाई परियोजनाएँ 2क2(3)(2) दक्षिण बिहार सिंचाई परियोजना (ए. आई. बी. पी.) (ii) कार्य	141.13	49.21	91.92
145.	2क2(4)–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 2क2(4)(1) मध्यम सिंचाई (ए आई बी पी और नाबार्ड के अलावे) (i) स्थापना	32.12	19.50	12.62
146.	2क 2 (4)(2) मध्यम सिंचाई योजना (ए.आई.बी.पी. परियोजना अंतर्गत) (i) कार्य	16.94	6.88	10.06

क्रम सं.	योजना का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
147.	2ख–4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय 2ख1–01–बाढ़ नियंत्रण 2ख1(1)–001–निदेशन एवं प्रशासन 2ख1(1)(1) टाल एवं दियारा विकास योजना पर दशवें वित्त आयोग द्वारा सहायता	11.17	--	11.17
148.	2ख 1 (1)–201–उत्तर बिहार बाढ़ नियंत्रण परियोजना 2 ख 1 (1)(1) स्थापना	13.85	11.13	2.72
149.	2 ख 1 (3)–दक्षिण बिहार बाढ़ नियंत्रण परियोजना 2ख 1 (3)(1) दक्षिण बिहार बाढ़ नियंत्रण परियोजना (i) स्थापना	6.65	4.81	1.84
150.	2ख 1 (3)–203–बाढ़ नियंत्रण परियोजना प्राथमिकता 2ख1(3)(1) बाढ नियंत्रण परियोजना प्राथमिकता (i) स्थापना	8.57	6.89	1.68
151	(ii) कार्य (एक मुश्त)	30.07	13.72	16.35
	योग अनुदान सं. 49	**688.26**	**315.47**	**372.79**
152.	**अनुदान सं.–50–लघु सिंचाई विभाग** क–2702–लघु सिंचाई क2–02–भूमिगत जल क2(1)–005–जाँच	6.33	4.23	2.10
153.	क2(3)–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना क2(3)(3) कुआँ और तालाबों का निर्माण एवं गहरा किया जाना	1.25	--	1.25
154.	2क–4702–लघु सिंचाई हेतु पूँजीगत परिव्यय 2क1–101–सतही जल 2क1(1)–लघु सिंचाई	4.10	1.28	2.82
155.	2क2–102–भूमिगत जल 2क2(2) नए/अपूर्ण मध्य सिंचाई योजना की पूर्णता हेतु नाबार्ड से ऋण	8.08	0.34	7.74
156.	2क3–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 2क3(1)–नए/अपूर्ण मध्यम सिंचाई परियोजना के बचे कार्यों के पूर्ण होने हेतु नाबार्ड से ऋण	2.39	0.07	2.32
	योग अनुदान सं.–50	**22.15**	**5.92**	**16.23**
157.	**अनुदान सं. 51–कल्याण विभाग** क–2225–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडे वर्गों का कल्याण क1(2)–227–शिक्षा क1(2)(9) छात्रवृति एवं वृत्तिका (1) उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति	3.20	1.07	2.13
158.	क1(2)(15) छात्राओं के लिए छात्रावास वृहत् निर्माण कार्य	1.00	--	1.00
159.	क1(2)(15) छात्रों के लिये छात्रावास वृहत निर्माण कार्य	1.00	--	1.00
160.	क1(2)(19) मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति	2.80	0.82	1.98
161.	क1(2)(25) छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालयों का निर्माण (i) आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार	2.50	--	2.50
162.	(ii) छात्रावासों का जीर्णोद्धार	1.25	--	1.25
163.	क2–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क2(3)–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना क2(3)(19) विशेष केन्द्रीय सहायता (i)अन्य कल्याण योजना	3.00	--	3.00

क्रम सं.	योजना का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
164.	(ii) आई.टी.डी.पी. एवं एम.ए.डी.ए. के बाहर अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	3.00	--	3.00
165.	(iii) अल्पसंख्यक जनजाति का कल्याण	1.00	--	1.00
166.	(iv) आई.टी.डी.पी. के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता – समेकित जनजातीय विकास कार्यक्रम	18.44	--	18.44
167.	क3–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण क3(1)–277–शिक्षा क3(1)(1) छात्रवृत्ति एवं वृत्तिकाएँ (ii) प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल छात्रवृत्तियाँ	2.00	0.95	1.05
168.	क3(1)(3) पिछड़े वर्गों के विकास की स्थापना निगम हिस्सा पूंजी	2.00	--	2.00
169.	क3(1)(8) आवासीय विद्यालय का निर्माण	3.00	--	3.00
170.	क3(1)(9) विद्यार्थियों के लिए छात्रावास – वृहत कार्य	1.21	--	1.21
171.	क3(1)(10) छात्राओं के लिए छात्रावास – वृहत कार्य	6.20	--	6.20
172.	ख–2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण ख1–02–सामाजिक कल्याण ख1(4)–103–महिलाओं का कल्याण ख1(4)(3) महिला विकास निगम सहायता अनुदान	7.36	--	7.36
173.	ग–2236–पोषाहार ग1–02–पोषक आहार एवं पेय पदार्थ का वितरण ग1(1)–101–विशेष पोषाहार कार्यक्रम ग1(1)(1) गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं दुग्ध पान कराने वाली महिलाओं को पोषक आहार वितरण के लिए विशेष योजनायें	18.00	--	18.00
174.	ग1(2)–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना ग1(2)(1) परिवार एवं बाल कल्याण के लिए पोषक आहार वितरण की विशेष योजना	2.67	--	2.67
175.	ड–2425–सहकारिता ड–1–800–अन्य व्यय ड1(1)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए सहकारिता समितियों के लिए विशेष समेकित योजना – अनुसूचित जातियों के सदस्यों के सहकारिता समितियों को सहायता अनुदान	2.00	--	2.00
	योग अनुदान सं. 51	**81.63**	**2.84**	**78.79**
176.	**अनुदान सं. 52 – कला, संस्कृति एवं युवा विभाग** क–2204–क्रीड़ा एवं युवा सेवायें क–4–104–क्रीड़ा एवं खेल क4(2)क्रीड़ा एवं खेल जनजातीय एवं झारखण्ड क्षेत्र	1.26	--	1.26
177.	2 घ – 4202–शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 2घ1–03–क्रीड़ा एवं युवा सेवा में 2घ(1)–102–क्रीड़ा स्टेडियम 2 घ 1 (1)(1) क्रीड़ा एवं खेल स्टेडियम	3.01	--	3.01
	योग अनुदान सं. 52	**4.27**	**--**	**4.27**
	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ			
178.	**अनुदान सं. 1 – कृषि विभाग** क2–103–बीज क2(5) केन्द्रीय प्रायोजित योजना क2(5)(1) त्वरित मक्का विकास योजना	1.34	--	1.34
179.	क2(5)(2) समेकित अन्न विकास कार्यक्रम	3.40	0.10	3.30

क्रम सं.	योजना का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
180.	क6–108–वाणिज्यिक फसल क6(7) केन्द्रीय प्रायोजित योजना क6(7)(1) तेल बीज विकास कार्यक्रम	2.42	--	2.42
181.	ख–2402–भू एवं जल संरक्षण ख3–102–भू संरक्षण ख3(3) केन्द्रीय प्रायोजित योजना ख3(3)(1) कृषि के लिए राष्ट्रीय जल भंडारण विकास कार्यक्रम	1.00	--	1.00
182.	ड–2705–कमांड क्षेत्र विकास ड6–105–अयाकत विकास कमांड स्तर (ii) केन्द्रीय प्रायोजित योजना	34.50	14.09	20.41
183.	2ख – 4402 – भू एवं जल संरक्षण पर पूँजिगत परिव्यय 2ख (1) 102–संरक्षण 2ख(1)(1) केन्द्रीय प्रायोजित योजना 2ख(1)(1)(i) कृषि के लिए राष्ट्रीय जल भंडारण विकास कार्यक्रम	4.00	--	4.00
	योग अनुदान सं.1	**46.66**	**14.19**	**32.47**
184.	**अनुदान सं. 2 – पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग** ग–2–101–भूसतही मत्स्य पालन ग2(8) केन्द्रीय प्रायोजित योजना (i) मत्स्य पालन विकास अभिकरण को सहायता अनुदान	1.32	--	1.32
	योग अनुदान सं.2	**1.32**	**--**	**1.32**
185.	**अनुदान सं.3 – भवन निर्माण एवं आवास विभाग** 2क–4509–लोक कार्यों पर पूँजिगत परिव्यय 2क2(1)(1)(1) केन्द्रीय प्रायोजित योजना (vii) खगड़िया के 14 न्यायालय भवनों का निर्माण	1.20	--	1.20
186.	(viii) बक्सर के 16 न्यायालय भवन का निर्माण	1.30	--	1.30
187.	2क3(2)(1)(1) केन्द्रीय प्रायोजित योजना (i) 2000–01 के न्यायिक भवन के नए परियोजना के लिए एक मुश्त प्रावधान एवं पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि	5.42	1.10	4.32
	योग अनुदान सं. 3	**7.92**	**1.10**	**6.82**
188.	**अनुदान सं. 19–वन एवं पर्यावरण विभाग** क–2406–वानिकी एवं वन्य जीवन क1–01–वानिकी क1(5)–101–वन संरक्षण विकास एवं पुनरोत्पादन क1(5)(8) केन्द्रीय प्रायोजित योजना (ii) भू–संरक्षण एवं वृक्षारोपण सोन, पुनपुन, अजय (100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित)	3.00	--	3.00
189.	क1(6)–102–सामाजिक एवं फार्म वानकी क1(6)(3) केन्द्रीय प्रायोजित योजना (i) सघन वन विकास कार्यक्रम	1.80	--	1.80
190.	क2–02–पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन क2(1)–110–वन्य जीवन संरक्षण क2(1)(6) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ (i) लघु वन्य उत्पाद औषधीय पौधा	4.00	--	4.00
191.	(ii)उत्तर एवं दक्षिण बिहार में जलमग्न क्षेत्र (जलजमाव) का विकास	3.00	--	3.00
192.	(iii) हाथी परियोजना (100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित)	1.50	--	1.50
193.	(iv) अभयारण्य क्षेत्र का विकास (100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना)	5.00	0.05	4.95
194.	(vi)टाईगर परियोजना वाल्मिकीनगर के तहत	1.00	--	1.00

क्रम सं.	योजना का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
	अनावर्ती व्यय (100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ)			
195.	(x) पारिस्थितिक विकास (100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ)	7.00	--	7.00
196.	(xi) वाल्मिकीनगर टाइगर परियोजना पारिस्थितिक विकास (100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ)	1.00	--	1.00
	योग अनुदान सं. 19	**27.30**	**0.05**	**27.25**
197	**अनुदान सं.–20–स्वास्थ्य, चिकित्सा–शिक्षा एवं परिवार कल्याण** ख–2211–परिवार कल्याण ख1–001–निदेशन एवं प्रशासन ख1(1) केन्द्रीय प्रायोजित योजना (iii) तकनीकि सहायता एवं पर्यवेक्षण जिला कल्याण ब्यूरो,	13.35	9.13	4.22
198.	ख2–003–शिक्षण ख2(1)केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ (i)शोध एवं शिक्षण ए. एन. एम. स्कूल/एल. एच. वी. स्कूल	49.70	3.64	46.06
199.	ख 4–101–ग्रामीण परिवार कल्याण सेवायें ख 4(1)–केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ (i) ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	78.82	53.36	25.46
200.	(ii) स्वास्थ्य उप–केन्द्र	103.54	51.27	52.27
201.	ख 7 – 104–परिवहन ख 7 (1)–केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ (i) परिवहन	1.15	0.06	1.09
202	ख 8 – 105–क्षतिपूर्ति ख 8 (1) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ (i) क्षतिपूर्ति	11.90	2.83	9.07
203.	ख 9 – 106 – जन शिक्षा ख 9(1)–केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ (i) समूह शिक्षा	1.25	0.22	1.03
204.	ख11–200–अन्य सेवाएँ एवं आपूर्ति ख 11 (1) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ (i) अन्य सेवाएँ एवं जिला स्तरीय प्रसवोत्तर सेवाएँ	7.35	3.59	3.76
205.	(ii) अनुमण्डलीय एवं रेफरल अस्पताल पर प्रसवोत्तर कार्यक्र – अन्य सेवायें एवं आपूर्ति	6.63	3.46	3.17
	योग अनुदान सं.20	**273.69**	**127.56**	**146.13**
206.	**अनुदान सं.23–उद्योग विभाग** क8–003–प्रशिक्षण क8(1)केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ (i) स्वरोजगार के लिए शिक्षित बेरोजगारों को प्रधानमंत्री रोजगार योजना – सहायता अनुदान	1.65	0.51	1.14
	योग अनुदान सं.23	**1.65**	**0.51**	**1.14**
207.	**अनुदान सं.–36–लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग** 2क1(1)(4) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ (i) त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएँ	47.22	6.78	40.44
208.	(ii) त्वरित शहरी जलापूर्ति योजना	10.00	1.53	8.47
209.	2क2(1)(2) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ (i) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	7.44	--	7.44
	योग अनुदान सं. – 36	**64.66**	**8.31**	**56.35**
210.	**अनुदान सं. 41–पथ निर्माण विभाग** 2ख–5054–पथों एवं पूलों पर पूँजीगत परिव्यय 2ख 1 (1)–800–अन्य व्यय 2ख1(1)(1) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ (i) आर्थिक महत्त्व के अर्न्तराजकीय पथ	2.28	--	2.28
	योग अनुदान सं.41	**2.28**	**--**	**2.28**

क्रम सं.	योजना का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
211.	**अनुदान सं.–44–मध्य, प्राथमिक एवं जनसख्या शिक्षा विभाग** क1(6)(6) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ (i) अनौपचारिक शिक्षा	5.69	0.17	5.52
212.	क1(7)–800–अन्य व्यय क1(7)(9) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ (i) औपचारिक शिक्षा	21.74	5.81	15.93
213.	(ii) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष समग्र योजना औपचारिक शिक्षा	6.41	--	6.41
214.	(iii) झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष समग्र गोजना औपचारिक शिक्षा	6.51	--	6.51
	योग अनुदान सं. 44	**40.35**	**5.98**	**34.37**
215.	अनुदान सं. 45–ईख विभाग क–2401–फसल पालन क1–108–वाणिज्यिक फसल क1(4) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ (i) ईख का राष्ट्रीय विकास छीजन पैदावार प्रणाली	1.48	--	1.48
	योग अनुदान सं. 45	**1.48**	**--**	**1.48**
216.	**अनुदान सं. 49–जल संसाधन विभाग** 2ख–4711–बाढ़ नियंत्रण योजना पर पूँजीगत परिव्यय 2ख 1 (4)–800–अन्य व्यय 2ख 1 (4)(1) केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम (i) उत्तरी बिहार में बाढ़रोधी कार्यक्रम	1.50	0.87	0.63
217.	(ii) गंगानदी तटबंधी, बरौनी, बेगूसराय औद्योगिक क्षेत्र में बाढ़ बचाव योजना	3.66	--	3.66
218.	बागमती नदी तटबन्ध का विस्तार एवं मजबूतीकरण	3.00	--	3.00
219.	2ख2–03–परनाला 2ख2(1) बाढ़ नियंत्रण तटबंध पथ	10.00	--	10.00
220	2ख (2) परनाला योजना	10.00	--	10.00
	योग अनुदान सं. 49	**28.16**	**0.87**	**27.29**
221.	**अनुदान सं.57–कल्याण विभाग** क 2225 अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडे वर्गों का कल्याण क1(2)(277) – शिक्षा क1(2)(26) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ (i) छात्राओं के लिए छात्रावास–वृहत कार्य	1.00	--	1.00
222.	(iv) छात्रों के लिए छात्रावास – वृहत कार्य	1.00	--	1.00
223.	(ix) प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति	4.68	1.16	3.52
224.	क2(1)–277–शिक्षा क2(1)(8)–केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ (ii) प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति	12.07	0.24	11.83
225.	क3–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण क3(1)–277–शिक्षा क3(1)(11) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ (i) प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति	2.72	0.28	2.44
226.	ख 1 (3)–102–बाल कल्याण ख 1 (3)(3) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ (i) समेकित बाल विकास योजना	47.28	42.61	4.67
	योग अनुदान सं. 51	**68.75**	**44.29**	**24.46**
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
227.	**अनुदान सं.–1–कृषि विभाग** क–2401–फसल पालन क9–119–उद्यान एवं सब्जी फसलें	1.42	--	1.42

क्रम सं.	योजना का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
	क9(6)–केन्द्रीय प्रायोजित योजना क9(6)(5) गर्म एवं सूखे फलों के विकास के लिए योजना			
	योग अनुदान सं. 1	**1.42**	--	**1.42**

परिशिष्ट – IV

अपूर्ण सिंचाई परियोजनाएँ, जहाँ वृहत् पूँजी अवरूद्ध थी, की सूची
(संदर्भ : कंडिका 1.9.2)

क्रम सं०	परियोजना/योजना का नाम	व्यय				योग
		वर्ष 1999–2000 तक	1.4.2000 से 14.11.2000 तक (संयुक्त बिहार)	15.11.2000 से 31.3.2001 तक (विभाजित बिहार)	वर्ष 2000–2001 में	
		(रुपये में)				
1.	सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना	8320690726	349732826	--	349732826	8670423552
2.	पश्चिमी कोशी नहर परियोजना	3032775268	--	301478684	301478684	3334253952
3.	पूर्वी कोशी नहर परियोजना फेज–II	393088168	56346837	80355240	136702077	529790245
4.	गंडक परियोजना फेज–II	474977945	अनु.	अनु.	अनु.	474977945
5.	समेकित जलनिस्सरण परियोजना	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.
6.	उत्तरी कोयल परियोजना	3608115530	40311656	अनु.	40311656	3648427186
7.	कोनार सिंचाई परियोजना	706421627	अनु.	अनु.	अनु.	706421627
8.	औरंगा जलाशय परियोजना	365274217	अनु.	अनु.	अनु.	365274217
9.	कदवन जलाशय	3040000	अनु.	--	अनु.	3040000
10.	दुर्गावती जलाशय	400933594	26204605	93423198	119627803	520561397
11.	सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना	300259495	115628152	61019682	176647834	476907329
12.	राष्ट्रीय जल प्रबन्धन परियोजना	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.
	कुल (क)	**17605576570**	588224076	536276804	1124500880	18730077450
1.	नकती जलाशय योजना	140103285	अनु.	अनु.	अनु.	140103285
2.	ऊपरी संख जलाशय	101498459	13853846	अनु.	13853846	115352305
3.	राम रेखा जलाशय	29583886	अनु.	अनु.	अनु.	29583886
4.	पमेश खेरा जलाशय योजना	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.
5.	कंस जलाशय योजना	82934306	3655184	अनु.	3655184	86589490
6.	सोनुआ जलाशय योजना	245239163	अनु.	अनु.	अनु.	245239163
7.	भैरवा जलाशय योजना	74057882	अनु.	अनु.	अनु.	74057882
8.	केसो जलाशय योजना	32210882	अनु.	अनु.	अनु.	32210882
9.	धान सिंह टोली जलाशय योजना	142218946	6034987	अनु.	अनु.	148253933
10.	कतरी जलाशय योजना	326153754	7419678	अनु.	7419678	333573432
11.	कमसजोड़ जलाशय योजना	173477499	अनु.	अनु.	अनु.	173477499
	योग (ख)	**1347478062**	**30963695**	**अनु.**	**30963695**	**1378441757**
	कुलयोग (क+ख)	**18953054632**	**619187771**	**536276804**	**1155464575**	**20108519207**

परिशिष्ट–V.

वित्तीय स्थिति को इंगित करने वाले कार्य–पत्रकों

(संदर्भ : कंडिका 1.11.2)

क्रम संख्या.		विवरण	वर्ष 2000–2001
			(करोड रुपये में)
1.	(क)	राजस्व प्राप्तियाँ	11177.32
	(ख)	घटाव, 1601-02,03,04 एव 05 के अन्तर्गत सभी योजनागत अनुदान	895.38
	(ग)	घटाव, गैर–योजना राजस्व व्यय	12668.63
	(घ)	बी.सी.आर	-2386.69
2.	(क)	ब्याज प्राप्तियाँ (0049)	30.68
	(ख)	ब्याज भुगतान (2049)	3141.58
	(ग)	निवल ब्याज भुगतान (ख – क)	3110.90
	(घ)	राजस्व प्राप्तियाँ– ब्याज प्राप्तियाँ	11146.64
	(ड़)	ब्याज अनुपात (2 ग / 2घ)	0.28
3.		पूँजीगत परिव्यय	1075.51
4.		पूँजीगत प्राप्तियाँ	
	(क)	6003 के अन्तर्गत आन्तरिक ऋण मे बढ़ोत्तरी घटाव अर्थोपाय पेशगिया	2044.85
	(ख)	6004 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से ऋण में बढ़ोतरी घटाव अर्थोपाय पेशगियाँ	1245.66
	(ग)	लघु बचतें, भ.नि. इत्यादि के अन्तर्गत निवल प्राप्तियाँ	313.98
	(घ)	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ (4000)	--
	(ड़)	राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिमों के अंतर्गत निवल प्राप्तियां (+)/संवतिरण (-)	669.88
	(च)	कुल पूँजीगत प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ)	4274.37
5.		पूँजीगत परिव्यय / पूँजीगत प्राप्तियाँ (3 / 4)	0.25
6.		राज्य घरेलू उत्पाद (एस.डी.पी)	49383
7.		कुल कर प्राप्तियाँ (राज्य कर+संघीय करों में राज्य का हिस्सा)	9384.86
8.		कुल कर प्राप्तियाँ / जी.डी.पी (7 + 6)	0.19
9.		राज्य कर प्राप्तियाँ (कर राजस्व – आय कर)	2809.23*
10.		राज्य कर प्राप्तियाँ / एस.डी.पी (9 – 6)	0.06
11.		कुल निवेश	678.61
12.		निवेश से प्रतिफल	Negligible
13.		निवेश से प्रतिफल का अनुपात (12 : 11)	Negligible
14.		पूँजीगत अदायगी	
	(क)	6003 आंतरिक ऋण के अंतर्गत संवितरण घटाव अर्थोपाय पेशगियाँ	70.37
	(ख)	केन्द्र सरकार से 6004 ऋण एवं अग्रिमों घटाव अर्थोपाय पेशगियाँ	550.63
	(ग)	**योग (क+ख)**	621.00
15.		पूँजीगत उधार, अर्थात (4क+4ख)	3290.51
16.		पूँजीगत अदायगी / पूँजीगत उधार	0.19
17.		ऋण	
	(क)	उधार (वर्ष के दौरान प्राप्ति)	7692.77
	(ख)	अन्य दायित्व (–वही–)	2025.64
	(ग)	**कुल (क + ख)**	9718.41
18.		ऋण+ एस.डी.पी (17 (ग): 6)	0.20
19.		राजस्व घाटा	2329.88
20.		राजस्व व्यय	13507.20
21.		राजकोषीय घाटा (राजस्व व्यय+पूँजीगत व्यय+निवल ऋण एवं अग्रिम)– (राजस्व प्राप्तियाँ+विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ)	4075.27
22.		प्रारभिक घाटा (राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान) (20–21)	933.69
23.		प्रा०घा० / राज०को०घा० (21/20)	0.23
24.		राजस्व घा० / राजको०घाटा (19 + 20)	0.57
25.		लम्बित गारन्टियाँ + ब्याज	624.43

क्रम संख्या.		विवरण	वर्ष 2000–2001
			(करोड़ रुपये में)
26.		लम्बित गारन्टियाँ/राजस्व प्राप्तियाँ	0.06
27.		परिसम्पतियाँ	21732.99
28.		दायित्व	29475.82
29.		परिसम्पतियाँ/दायित्व (26/27)	0.73

परिशिष्ट – VI

नियमन के लिए आवश्यक आधिक्य का विवरण

(संदर्भ : कंडिका 2.3.1)

क्रम सं.	अनुदान/ विनियोजन की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	व्यय	आधिक्य	नियमन के लिए आवश्यक आधिक्य
1	2	3	4	5	6
	राजस्व प्रभाग				
1.	5–राज्यपाल भारित	1,86,88,440	1,94,10,376	7,21,936	7,21,936
2.	13–सूद भुगतान भारित	27,94,30,72,383	31,41,58,30,628	3,47,27,58,245	3,47,27,58,245
3.	15–पेंशन दत्तमत	16,46,26, 89,000	20,11,23,88,763	3,64,96,99,763	3,64,96,99,763
4.	32–विधायिका भारित	978,000	11,77,692	1,99,692	1,99,692
	कुल	**44,42,54,27,823**	**51,54,88,07,459**	**7,12,33,79,636**	**7,12,33,79,636**

परिशिष्ट – VII

वैसे मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए

(संदर्भ : कंडिका 2.3.3)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन संख्या एवं नाम	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	बचत
		(लाख रुपये में)	
	राजस्व – दत्तमत		
1.	1 - कृषि विभाग	20,97.76	64,75.49
2.	2- पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग	1,02.48	39,30.54
3.	3 – भवन निर्माण एवं आवास विभाग	50.97	22,41.17
4.	7 – निगरानी	40.63	1,51.91
5.	8 - नागरिक विमानन विभाग	21.63	4,46.74
6.	9 – सहकारिता विभाग	10,79.79	17,08.42
7.	10 -उर्जा विभाग	1,53.08	8,22.94
8.	11- उत्पाद विभाग	1,09.55	2,69.02
9.	12 –वित्त विभाग	5,41.04	19,38.79
10.	16 –राष्ट्रीय बचत	44.00	62.01
11.	17- वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	1,33.79	9,58.75
12.	18- खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	11,18.70	14,01.59
13.	19- वन एवं पर्यावरण विभाग	40.29	64,42.91
14.	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	18,56.39	321,94.36
15.	21–उच्चतर शिक्षा विभाग	34,27.10	56,71.40
16.	22- गृह विभाग	60,57.24	2,29,43.21
17.	23 –उद्योग विभाग	9,13.87	39,23.92
18.	25- सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	9.45	1,76.55
19.	26- श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	9.07	67,40.67
20.	27- विधि विभाग	6,83.48	25,23.15
21.	29- खान एवं भूतत्व विभाग	1,36.00	2,04.73
22.	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	7.37	24.36
23.	32- विधान मंडल	94.84	5,57.71
24.	33- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	12.05	2,09.52
25.	35- योजना एवं विकास विभाग	63,82.54	72,98.38
26.	36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	52.61	23,95.42
27.	38- निबंधन विभाग	00.75	5,57.17
28.	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	69,98.89	70,96.81
29.	41- पथ निर्माण विभाग	9.83	42,83.78
30.	42- ग्रामीण विकास विभाग	94,89.53	430,98.00
31.	43- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	1,46.50	12,86.18
32.	44- मध्य, प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग	20,38.59	6,76,81.80
33.	45 – ईख विभाग	21.39	5,49.74

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन संख्या एवं नाम	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	बचत
		(लाख रुपये में)	
34.	46 -पर्यटन विभाग	14.93	5,61.13
35.	47 –परिवहन विभाग	2.15	1,56.54
36.	50- लघु सिंचाई विभाग	8,13.87	31,58.69
37.	51- कल्याण विभाग	78,85.73	2,35,03.63
38.	52 –कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	10.12	7,30.67
	योग	**52608.00**	**264377.80**
	पूँजीगत – दत्तमत		
39.	10- उर्जा विभाग	24,86.20	1,14,05.36
40.	12- वित्त विभाग	4,07.11	4,15.98
41.	23- उद्योग विभाग	4,53.00	24,68.94
42.	36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	1,00.07	78,93.07
43.	41- पथ निर्माण विभाग	51.98	2,11,44.02
44.	42 –ग्रामीण विकास विभाग	1,50,00.00	1,65,31.26
45.	47- परिवहन विभाग	3.50	9,35.60
46.	49-जल संसाधन विभाग	36,16.57	3,47,10.65
47.	50- लघु सिंचाई विभाग	17,74.79	20,23.03
	योग	**23893.22**	**97527.91**
	कुल योग	**76501.22**	**361905.71**

परिशिष्ट – VIII

वैसे मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अधिक साबित हुए

(संदर्भ : कंडिका 2.3.3)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन संख्या एवं नाम	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	बचत
	राजस्व – दत्तमत	(लाख रूपये में)	
1.	4- मंत्री मंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	85.91	46.53
2.	14- ऋण अदायगी	50,00,97.65	17,16,93.19
3	24- सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	3,80.00	2,26.37
4	28- उच्च न्यायालय	5,30.00	2,75.50
5	39- सहाय्य एवं पुनर्वास विभाग	3,61,16.00	32,90.11
	कुल	**53,72,09.58**	**17,55,31.70**

परिशिष्ट – IX

वैसे मामले जहाँ व्यय कम/अधिक हुए

(संदर्भ : कंडिका 2.3.6)

क्रम सं.	अनुदानों/विनियोग का विवरण	बचत की राशि (करोड़ रुपये में) (प्रावधान की प्रतिशतता कोष्ठक में)	बचत के मुख्य कारण, जैसा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया
	<u>दत्तमत प्रभाग</u>		
1.	1 – कृषि विभाग	<u>राजस्व</u> 64.75 (28.20)	<u>राजस्व</u> 64.75 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया था।
2	2 – पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग	<u>राजस्व</u> 39.31 (30.89)	<u>राजस्व</u> 6.77 करोड़ रुपये मुख्यतः राज्य के विभाजन के कारण, 12.56 करोड़ रुपये अस्थाई योजना की अस्वीकृति के कारण, 1.34 करोड़ रुपये के दर की अस्वीकृति, 0.65 करोड़ रुपये के योजना का स्थगन, रिक्त पदों के कारण – 0.54 करोड़ रुपये। 17.45 करोड़ रुपये की शेष राशि का कारण नहीं बतलाया गया था।
3	3 – भवन निर्माण एवं आवास विभाग	<u>राजस्व</u> 22.41 (19.84) <u>पूँजीगत</u> 21.62 (66.06)	<u>राजस्व</u> मुख्यतः 15.49 करोड़ रुपये कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति, 0.08 करोड़ रुपये आर्थिक उपाय, 0.03 करोड़ रुपये मांग की अप्राप्ति, 0.35 करोड़ रुपये प्रशासनिक स्वीकृति की अप्राप्ति, 2.61 करोड़ रुपया रिक्द पदों के कारण तथा 3.85 करोड़ रुपये की शेष राशि का कारण सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया था। <u>पूँजीगत</u> मुख्यतः 1.53 करोड़ रुपये परिसदन के निर्माण की अस्वीकृति, 12.32 करोड़ रुपये की योजना परिव्यय में ह्रास, 1.50 करोड़ रुपये के व्यय अस्वीकृति के कारण तथा 6.27 करोड़ रुपये के बचत का कारण बताया नहीं गया था।
4	6–चुनाव	<u>राजस्व</u> 3.31 (30.22)	<u>राजस्व</u> 0.91 करोड़ रुपये पदों के रिक्त रखने के कारण, 0.02 करोड़ रुपये के मतदाता सूची के अपूर्ण रहने, 0.23 करोड़ रुपये के मतपत्र छापने के लिए लंबित, 0.13 करोड़ रुपये लोकसभा के उप–चुनाव नहीं कराने के कारण। 2.02 करोड़ रुपये की शेष राशि का कारण नहीं बतलाया गया था।
5	8 – नागरिक विमानन विभाग	<u>पूँजी</u> 4.47 (49.06)	<u>पुँजीगत</u> 4.67 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया था।

क्रम सं.	अनुदानों/विनियोग का विवरण	बचत की राशि (करोड़ रुपये में) (प्रावधान की प्रतिशतता कोष्ठक में)	बचत के मुख्य कारण, जैसा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया
6	9 – सहकारिता विभाग	राजस्व 17.08 (21.34)	राजस्व मुख्यतः 0.38 करोड़ रुपये की आर्थिक उपाय, 1.01 करोड़ रुपये प्राधिकार समिति द्वारा निधि की अस्वीकृति, 0.30 करोड़ रुपये मंत्रिमंडल द्वारा अस्वीकृति, 0.10 करोड़ रुपये कर्मचारियों के स्थानान्तरण के कारण। 15.29 करोड़ रुपये की शेष राशि का कारण सरकार द्वारा संसूचित नहीं किया गया था।
		पूँजीगत 11.75 (22.79)	पूँजीगत मुख्यतः 7.40 करोड़ रुपये की निधि के आहरण, 1.40 करोड़ रुपये का प्राधिकार समिति द्वारा निधि के अस्वीकृति के कारण तथा 2.95 करोड़ रुपये के शेष राशि का कारण संसूचित नहीं किया गया था।
7	10 – उर्जा विभाग	राजस्व 8.23 (41.12)	राजस्व कर्मचारियों के झारखण्ड स्थानान्तरण तथा 0.10 करोड़ रुपये के बोनस के आदेश निर्गत न होने, 0.18 करोड़ रुपये, मुख्य विद्युत निरीक्षक एवं उनके सचिव के वेतन के आहरण नहीं किए जाने के कारण। 7.95 करोड़ रुपये के शेष का कारण संसूचित नहीं किया गया था।
		पूँजीगत 114.05 (15.70)	पूँजीगत 114.05 करोड़ रुपये के पूर्ण बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया।
8	11 – उत्पाद एवं निषेध विभाग	राजस्व 2.68 (13.51)	राजस्व 2.68 करोड़ रुपये के सम्पूर्ण बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया।
9	12 – वित्त विभाग	राजस्व 19.39 (26.24)	राजस्व मुख्यतः 1.20 करोड़ रुपये कर्मचारियों के झारखण्ड स्थानान्तरण, 2.58 करोड़ रुपये के स्वीकृति आदेश का समय पर अप्राप्ति, 0.10 करोड़ रुपये बोनस एवं महँगाई भत्ता के भुगतान नहीं होने, 0.10 करोड़ रुपये आर्थिक उपाय, 0.52 करोड़ रुपये के स्वीकृति आदेश विलम्ब से प्राप्त, 0.24 करोड़ रुपये के क्रय समिति द्वारा अस्वीकृति, 0.15 करोड़ रुपये विपत्र की अप्राप्ति 0.10 करोड़ रुपये की सामग्री का खरीद नहीं होने के कारण। 0.92 करोड़ रुपये के मांग में विलम्ब। 13.48 करोड़ रुपये के शेष राशि का कारण संसूचित नहीं किया गया था।
		पूँजीगत 4.16 (17.81)	पूँजीगत 0.35 करोड़ रुपये अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अग्रिम के रूप में इस्तेमाल नहीं करने के चलते बचत के कारण तथा 3.81 करोड़ रुपये का कारण प्रदत्त नहीं था।

क्रम सं.	अनुदानों/विनियोग का विवरण	बचत की राशि (करोड़ रुपये में) (प्रावधान की प्रतिशतता कोष्ठक में)	बचत के मुख्य कारण, जैसा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया
10	17 – वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	राजस्व 9.59 (27.67)	राजस्व मुख्यतः 0.11 करोड़ रुपये कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं सेवानिवृत्ति, 2.82 करोड़ रुपये के निधि की अस्वीकृति, बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति न होने के कारण 0. 16 करोड़ रुपये तथा 6.50 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया था।
11	18 – खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	राजस्व 14.02 (30.29)	राजस्व मुख्यतः 0.13 करोड़ रुपये कर्मचारियों के स्थानान्तरण, 10.17 करोड़ रुपये जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पुनरीक्षित वेतनमान वेतन एवं अवधि विस्तार न होने के कारण भुगतान न होना, 0.66 करोड़ रुपये पदों के रिक्त रहने के कारण। 3.06 करोड़ रुपये के शेष राशि का कारण प्रदत्त नहीं था।
12	19 – वन एवं पर्यावरण विभाग	राजस्व 64.43 (56.36)	राजस्व 64.43 करोड़ रुपये पूर्ण बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया था।
13	20 – स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	राजस्व 321.94 (32.40)	राजस्व मुख्यतः पद रिक्त रखने के कारण 23.84 करोड़ रुपये, भत्ते एवं बोनस का भुगतान नहीं करने के कारण 0.30 करोड़ रुपये, अनुदान की अस्वीकृति 3.23 करोड़ रुपये, योजना बजट में निधि का गलत आवंटन 0.27 करोड़ रुपये योजना प्राधिकार समिति द्वारा अस्वीकृति 17.27 करोड़ रुपये, मुख्य अभियंता द्वारा अस्वीकृति 0.32 करोड़ रुपये, पदों का अवधि विस्तार नहीं 0.07 करोड़ रुपये, झारखण्ड में कर्मियों का स्थानान्तरण 0.56 करोड़ रुपये और 276.08 करोड़ रुपये के शेष बचत का कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
14	21 – उच्चतर शिक्षा विभाग	राजस्व 56.71 (12.64)	राजस्व 0.52 करोड़ रुपये के बचत का कारण योजना बजट के तहत निधि का गलत आवंटन था और 56.19 करोड़ रुपये के बचत का कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
15	22 – गृह विभाग	राजस्व 229.43 (17.25)	राजस्व मुख्यतः बोनस भुगतान नहीं करने 3.38 करोड़ रुपये, कोषागार द्वारा विपत्रों को पारित नहीं करने 0.51 करोड़ रुपये, आर्थिक उपाय 0.59 करोड़ रुपये, जिलो से माँग पत्र प्राप्त नहीं होने 0.20 करोड़ रुपये, गृह रक्षावाहिनी के प्रशिक्षण/कर्तव्य में कमी 10.44 करोड़ रुपये, पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 3.26 करोड़ रुपये, क्रय पद्धति का अपूर्णता 2.00 करोड़ रुपए, वाहन के क्रय के स्वीकृति प्राप्त

क्रम सं.	अनुदानों/विनियोग का विवरण	बचत की राशि (करोड़ रुपये में) (प्रावधान की प्रतिशतता कोष्ठक में)	बचत के मुख्य कारण, जैसा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया
			नहीं होने 0.25 करोड़ रुपये, बकाए का भुगतान नहीं करने 0.79 करोड़ रुपये थे। 208.01 करोड़ रुपये के शेष राशि का कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
16	23 –उद्योग विभाग	राजस्व 39.24 (50.80) पूँजीगत 24.69 (50.90)	राजस्व मुख्य कारण योजना स्तर में कमी 14.81 करोड़ रुपये, योजना की अस्वीकृति 1.00 करोड़ रुपये, झारखण्ड क्षेत्र से संबंधित योजनाएँ 0.25 करोड़ रुपये, निधि का आवंटन नहीं 0.66 करोड़ रुपये एवं 22.52 करोड़ रुपये के शेष बचत का कारण नही बताया गया। पूँजीगत मुख्य कारण योजना परिव्यय में कमी 1.50 करोड़ रुपये, योजना सीमा 5.50 करोड़ रुपये एवं 17.69 करोड़ रुपये के शेष बचत का कारण नहीं सूचित किया गया।
17	24 – सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व 2.26 (13.49)	राजस्व इस बचत का कोई खास कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
18	26 – श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग	राजस्व 67.41 (38.46)	राजस्व चिकित्सकों के पदों का विलंबित विस्तार 1.60 करोड़ रुपये, दवा के क्रय को अंतिम रूप नहीं देना 1.55 करोड़ रुपये, क्षेत्रीय पदाधिकारियों से आवेदन प्राप्त नहीं होना 0.05 करोड़ रुपये, पदों की रिक्ति 2.66 करोड़ रुपए, झारखण्ड राज्य का बनना 4.92 करोड़ रुपये, योजनाओं का स्थगन 0.44 करोड़ रुपये, कोषागार से आहरण नहीं 0.33 करोड़ रुपये, एफ. डी. आर. द्वारा निधि का आबंटन नहीं 48.49 करोड़ रुपये, मुख्य कारण थे। 7.37 करोड़ रुपये के बचत का कारण सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।
19	27 – विधि विभाग	राजस्व 25.23 (18.03)	राजस्व 25.23 करोड़ रुपये की बचत पदों के रिक्त रखने के कारण 8.71 करोड़ रुपये की बचत हुई एवं 16.52 करोड़ रुपये के बचत का कारण सूचित नहीं किया गया।
20	29 – खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व 2.05 (16.59)	राजस्व 2.05 करोड़ रुपये की कुल बचत राशि का कारण नहीं बताया गया।
21	30 – अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	पूँजीगत 27.85 (64.02)	पूँजीगत 7 करोड़ रुपये के अनुपयोगित रहने, हस्तकला मेला का आयोजन नहीं करने 0.50 करोड़ रुपये बचत के मुख्य कारण थे। 20.35 करोड़ रुपये के बचत का कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।

क्रम सं.	अनुदानों/विनियोग का विवरण	बचत की राशि (करोड़ रुपये में) (प्रावधान की प्रतिशतता कोष्ठक में)	बचत के मुख्य कारण, जैसा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया
22	32 – विधान मंडल	राजस्व 5.58 (15.43)	राजस्व विधान सभा के सदस्यों द्वारा यात्रा नहीं करने 2.66 करोड़ रुपये, पदों को रिक्त रखने 0.43 करोड़ रुपये, मंत्रियों के निजि कर्मियों की बहाली नही करने 0.12 करोड़ रुपये एवं राज्य के विभाजन 0.46 करोड़ रुपये मुख्य कारण थे। 1.91 करोड़ रुपये के बचत का कारण नहीं बतलाया गया।
23	33 – कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	पूँजीगत 2.10 (27.06)	पूँजीगत झारखण्ड में पदाधिकारियों एवं कर्मियों का स्थानान्तरण 0.83 करोड़ रुपये, पदों की रिक्ति 0.41 करोड़ रुपये मुख्य कारण थे। शेष 0.86 करोड़ रुपये का कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
24	35 – योजना एवं विकास विभाग	राजस्व 72.98 (52.48)	राजस्व सरकार द्वारा योजना का विस्तार नहीं करना 17.15 करोड़ रुपये, प्राधिकार की अप्राप्ति 1.00 करोड़ रुपये बचत के मुख्य कारण थे और 54.83 करोड़ रुपये के शेष का कारण नहीं बताया गया।
25	36 – लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व 23.95 (11.81) पूँजीगत 78.93 (74.52)	राजस्व योजना की गलत स्वीकृति 4.17 करोड़ रुपये बचत का मुख्य कारण था और 19.78 करोड़ रुपये की शेष बचत का कारण प्रस्तुत नहीं किया गया। पूँजीगत योजना परिव्यय में कमी 6.87 करोड़ रुपये, सामग्री की कमी 39 करोड़ रुपये, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना का अविस्तार 10.45 करोड़ रुपये, वार्षिक योजना परिव्यय का प्रावधान नहीं 10.27 करोड़ रुपये बचत के मुख्य कारण थे। 12.34 करोड़ रुपये के बचत कारण नहीं बताया गया।
26	37 – राजभाषा विभाग	राजस्व 3.84 (26.07)	राजस्व 3.84 करोड़ रुपये के कुल बचत का कारण नहीं बताया गया।
27	36 – निबंधन विभाग	राजस्व 5.57 (24.25)	राजस्व 5.57 करोड़ रुपये के कुल बचत का कारण नहीं बताया गया।
28	40 – राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व 70.97 (20.16)	राजस्व निधि का झारखण्ड को स्थानान्तरण 3.00 करोड़ रुपये, प्राधिकृत समिति से स्वीकृति की अप्राप्ति 0.52 करोड़ रुपये, बोनस का भुगतान नहीं कारण 2.00 करोड़ रुपये, बचत का मुख्य कारण था। 65.45 करोड़ रुपये के शेष बचत का कारण नहीं बताया गया।

क्रम सं.	अनुदानों/विनियोग का विवरण	बचत की राशि (करोड़ रुपये में) (प्रावधान की प्रतिशतता कोष्ठक में)	बचत के मुख्य कारण, जैसा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया
29	41 – पथ निर्माण विभाग	राजस्व 42.84 (16.52) पूँजीगत 211.44 (65.08)	राजस्व राजस्व में 42.84 करोड़ रुपये बचत में से 20.26 करोड़ रुपये बोनस एवं महँगाई भत्ता का भुगतान नहीं करने के कारण थे। 22.50 करोड़ रुपये के शेष बचत का कारण नहीं बताया गया। पूँजीगत योजनागत परिव्यय में कमी के कारण 202.08 करोड़ रुपये की बचत थी। 9.36 करोड़ रुपये शेष बचत का कारण नहीं बताया गया।
30	42 – ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व 430.98 (41.02) पूँजीगत 165.31 (30.39)	राजस्व केन्द्रीय हिस्सा विमुक्त नहीं करने 78.77 करोड़ रुपये, झारखण्ड को स्थानान्तरण 15.99 करोड़ रुपये, पुनरीक्षित योजनागत परिव्यय में कमी 147.88 करोड़ रुपये, पदों की रिक्ति 1.05 करोड़ रुपये, निधि की कम स्वीकृति 0.05 करोड़ रुपये, निधि का निकासी नहीं 2.70 करोड़ रुपये, जनजातीय क्षेत्र उपयोजना का अविस्तार 20.30 करोड़ रुपये, पंचायत समिति का विघटन एवं चुनाव नहीं कराने 1.31 करोड़ रुपये बचत के मुख्य कारण थे। 162.93 करोड़ रुपये के शेष बचत का कारण को सूचित नहीं किया गया। पूँजीगत 165.31 करोड़ रुपये की बचत मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय का विस्तार नहीं होने 60.84 करोड़ रुपये,, पदों को रिक्त रखना 1.37 करोड़ रुपये के कारण हुआ एवं 103.10 करोड़ रुपये के शेष राशि का कारण नहीं प्रस्तुत किया गया।
31	43 – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व 12.86 (33.62) पूँजीगत 1.18 (100.00)	राजस्व 12.86 करोड़ रुपये के बचत का कारण प्रस्तुत नहीं किया गया। पूँजीगत 1.18 करोड़ रुपये के कुल बचत का कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
32	44 – मध्य, प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग	राजस्व 676.82 (19.25)	राजस्व योजनागत परिव्यय में कमी 33.70 करोड़ रुपये, विद्युत विपत्र की अप्राप्ति 0.21 करोड़ रुपये, किराये की अस्वीकृति 0.07 करोड़ रुपये, वेतन मद में गलत आबंटन 0.45 करोड़ रुपये मुख्य कारण थे। 642.39 करोड़ रुपये में शेष बचत का कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।

क्रम सं.	अनुदानों/विनियोग का विवरण	बचत की राशि (करोड़ रुपये में) (प्रावधान की प्रतिशतता कोष्ठक में)	बचत के मुख्य कारण, जैसा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया
33	45 – ईख विभाग	राजस्व 5.50 (38.04) पूँजीगत 2.92 (98.98)	राजस्व बचत का मुख्य कारण राज्य योजना की अस्वीकृति, 1.46 करोड रूपये 1.79 करोड रूपये के योजना परिव्यय में कटौती थी। 2.25 करोड रूपये बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया। पूँजीगत पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत 2.92 करोड़ रुपये में बचत का कोई खास कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
34	46 – पर्यटन विभाग	राजस्व 5.61 (62.06)	राजस्व योजनागत परिव्यय में कमी 4.65 करोड़ रुपये, कोषागार द्वारा विपत्र पारित नहीं करना 0.15 करोड़ रुपये बचत के कारण थे। 0.81 करोड़ रुपये के शेष बचत का कारण प्रस्तुत नहीं किया जाना।
35	47 – परिवहन विभाग	पूँजीगत 9.36 (84.97)	पूँजीगत निधि की अस्वीकृति के कारण 0.78 करोड़ रुपये का बचत हुआ और 8.58 करोड़ रुपये के शेष राशि का कारण नहीं बताया गया ।
34	48 – शहरी विकास विभाग	राजस्व 13.80 (27.10) पूँजीगत 146.83 (82.28)	राजस्व मुख्यतः 0.80 करोड़ रुपये योजना परिव्यय में संशोधन, स्थानीय निकाय एवं कार्यालयों से माँग/उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं होने 11.14 करोड़ रुपये, रिक्त पद 0.35 करोड़ रुपये तथा शेष 1.51 करोड़ रुपये की राशि के लिए कारण प्रस्तुत नहीं किये गये। पूँजीगत जैसा की सरकार द्वारा बचत के कारण बताये गये थे, योजना परिव्यय में संशोधन 103.52 करोड़ रुपये, माँग/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने 7.49 करोड़ रुपये। 35.82 करोड़ रुपये के शेष बचत के लिए कारण नहीं बताये गये है।

क्रम सं.	अनुदानों/विनियोग का विवरण	बचत की राशि (करोड़ रुपये में) (प्रावधान की प्रतिशतता कोष्ठक में)	बचत के मुख्य कारण, जैसा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया
37	49 – जल संसाधन विभाग	राजस्व 37.99 (13.88) पूँजीगत 347.11 (45.17)	राजस्व मुख्यतः क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा परिकल्पित कम व्यय के कारण 18.51 करोड़ रुपये, विपत्रों के समय पर नहीं जमा करने के कारण 0.07 करोड़ रुपये, झारखण्ड को स्थानान्तरित 5.54 करोड़ रुपये। 13.87 करोड़ रुपये की अंतशेष राशि के कारणों को प्रतिवेदित नहीं किया गया था। पूँजीगत मुख्यतः झारखण्ड में अधिकांश कार्यालयों के स्थानान्तरण के कारण 16.22 करोड़, क्षेत्रीय कार्यालयों में मांग कम प्राप्त होने के कारण 20.81 करोड़ तथा योजना परिव्यय में कमी 178.21 करोड़ रुपये के अंतशेष बचत का कारण सरकार द्वारा बताए नही गए है।
38	50 – लधु सिंचाई विभाग	राजस्व 31.58 (19.64) पूँजीगत 20.23 (53.26)	राजस्व मुख्यतः योजना परिव्यय में कमी के कारण 13.06 करोड़ रुपये क्षेत्रीय भत्ते में कमी 7.48 करोड़ रुपये, महँगाई भत्ते में 50 प्रतिशत की कटौती 3.46 करोड़ रुपये, निविदा की निराकरण नहीं किए जाने के कारण 0.94 करोड़ रुपये, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 0.26 करोड़ रुपये, 14.11.2000 के बाद निधि के अनाबंटन 0.22 करोड़ रुपये। 6.07 करोड़ रुपये के कारणों को नहीं बताया गया है। पूँजीगत सरकार द्वारा बचत के कारण योजना परिव्यय में कमी बताई गई है 16.12 करोड़ रुपये, निविदा का निराकरण नहीं होने के कारण 3.35 करोड़ रुपये। 6.16 करोड़ रुपये के बचत के कारणों को नहीं बताया गया है।
39	51 – कल्याण विभाग	राजस्व 235.04 (64.55)	राजस्व सरकार द्वारा 235.04 करोड़ रुपये के कुल बचत का ठोस कारण नहीं बताया गया है।
40	52 – कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व 7.31 (33.05) पूँजीमत 3.01 (100.00)	राजस्व कोषागार से निधियों के निकासी नहीं किए जाने के कारण 2.70 करोड़ रुपये, निधि की अस्वीकृति 0.82 करोड़ रुपये, योजनागत परिव्यय में कमी 1.26 करोड़ रुपये तथा पदों को रिक्त रखे जाने के कारण 0.13 करोड़ रुपये। 2.40 करोड़ रुपये के बचत के कारण नहीं बताए गए। पूँजीगत 3.01 करोड़ रुपये की बचत सरकार द्वारा प्रदत्त योजनागत परिव्यय में कमी के कारण थी।

क्रम सं.	अनुदानों/विनियोग का विवरण	बचत की राशि (करोड़ रुपये में) (प्रावधान की प्रतिशतता कोष्ठक में)	बचत के मुख्य कारण, जैसा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया
	भारित अनुभाग		
1	14 – कर्ज का पुर्नभुगतान	राजस्व 1716.93 (30.09)	राजस्व 1716.93 करोड़ रुपये की बचतों के कारण नहीं बताए गए है।
2	28 – उच्च न्यायालय	राजस्व 2.75 (11.49)	राजस्व 2.75 करोड़ रुपये की बचतों के कारण नहीं बताए गए हैं।
3	34 – बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व 3.44 (37.93)	राजस्व 3.44 करोड़ रुपये की बचतों के कारण नहीं बताए गए हैं।

परिशिष्ट – X

वैसे मामले जिनमें प्रत्येक में 2 करोड़ रुपये से अधिक की सतत् बचतें थी

(संदर्भ : कंडिका – 2.3.7)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन की संख्या एवं नाम	बचत (रकम करोड़ रुपये में एवं प्रावधान से उसकी प्रतिशतता कोष्ठक में)	
	राजस्व – दत्तमत अनुभाग	1999–2000	2000–01
1.	1– कृषि विभाग	48.69 (22)	64.75(28)
2.	2–पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग	41.71 (27)	39.31(31)
3.	3–भवन निर्माण एवं आवास विभाग	21.18 (17)	22.41(20)
4.	6–चुनाव	23.03 (12)	3.31(30)
5.	8–नागरिक विमानन विभाग	4.76 (47)	4.47(49)
6.	9–सहकारिता विभाग	28.88 (17)	17.08(21)
7.	10–उर्जा विभाग	5.65 (25)	8.23(41)
8.	12–वित्त विभाग	24.83 (28)	19.39(26)
9.	17– वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	7.34 (18)	9.59(28)
10.	18–खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	13.57 (35)	14.02 (30)
11.	19–वन एवं पर्यावरण विभाग	80.88 (45)	64.43 (56)
12.	20–स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	241.58 (24)	321.94(32)
13.	21– उच्चतर शिक्षा विभाग	32.53 (8)	56.71(13)
14.	22– गृह विभाग	199.07 (13)	229.43(17)
15.	23–उद्योग विभाग	34.22 (41)	39.23(51)
16.	24–सूचना एवं जन संपर्क विभाग	3.03 (15)	2.26 (13)
17.	26–श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	78.36 (33)	67.41(38)
18.	27–विधि विभाग	22.03 (14)	25.23(18)
19.	28–उच्च न्यायालय	7.54 (32)	2.75 (11)
20.	29–खान एवं भू–तत्व विभाग	2.94 (17)	2.05(16)
21.	32–विधान मडल	3.64 (10)	5.58(15)
22.	35–योजना एवं विकास विभाग	19.01 (12)	72.98(52)
23.	36–लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	11.67 (5)	23.95(12)
24.	37–राज भाषा विभाग	4.16 (25)	3.84(26)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन की संख्या एवं नाम	बचत (रकम करोड़ रुपये में एवं प्रावधान से उसकी प्रतिशतता कोष्ठक में)	
25.	38–निबंधन विभाग	3.60 (16)	5.57(24)
26.	39–सहाय्य एवं पुनर्वास विभाग	13.64 (13)	32.90(8)
27.	40–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	43.11 (13)	70.97(20)
28.	41–पथ निर्माण विभाग	18.27 (6)	42.84(17)
29.	42–ग्रामीण विकास विभाग	389.74 (27)	430.98(41)
30.	43–विज्ञान एवं प्राद्योगिकी विभाग	10.68 (23)	12.86(34)
31.	44– प्राथमिक,मध्य एवं जन शिक्षा विभाग	302.16 (8)	676.82(19)
32.	45–ईख विभाग	5.56 (33)	5.50(38)
33.	48–शहरी विकास विभाग	11.29 (13)	13.80(27)
34.	49–जल संसाधन विभाग	20.94 (7)	37.99(14)
35.	50–लधु सिंचाई विभाग	16.35 (9)	31.59(20)
36.	51–कल्याण विभाग	234.73 (53)	235.04(65)
37.	52–कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	6.80 (28)	7.31(33)
	पूँजीगत – दत्तमत अनुभाग		
1.	9– सहकारिता विभाग	23.31 (72)	11.75(23)
2.	12– वित्त विभाग	5.77 (28)	4.16(18)
3.	23–उद्योग विभाग	35.54 (98)	24.69(51)
4.	36–लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	95.11 (70)	78.93(75)
5.	41–पथ निर्माण विभाग	81.65 (34)	211.44(65)
6.	42–ग्रामीण विकास विभाग	96.70 (26)	165.31(30)
7.	48–शहरी विकास विभाग	64.68 (50)	146.83(82)
8.	49–जल संसाधन विभाग	225.80 (28)	347.11(45)
9.	50–लधु सिंचाई विभाग	15.73 (37)	20.23 (53)

परिशिष्ट – XI

नई सेवाएँ/सेवाओं के नए साधन पर बजट प्रावधान से अधिक व्यय

(संदर्भ : कंडिका 2.3.8)

क्रम सं.	अनुदान विनियोजन संख्या/लेखा शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	आधिक्य
		(लाख रुपये में)		
1.	1 क–2401 – फसल पालन क 10–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना क10(9) निदेशन	1.31	28.58	27.27
2.	3–2क–4059–लोक कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 2क1–01–कार्यालय भवन 2क1(2)796 – जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 2क1(2)(1) जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	15.41	137.60	1,22.19
3.	4घ–2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ घ3–115–गेस्ट हाउस, सरकारी छात्रावास इत्यादि घ3(1)राज्य गेस्ट हाउस	3.35	19.87	16.52
4.	5–2012–राष्ट्रपति/उप–राष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ राज्यों के प्रशासक क1(10)800 अन्य व्यय क1(10)(5) मरम्मति	3.18	11.25	8.07
5.	6–2015–चुनाव क4–106 राज्य/संघ राज्य विधान मंडल के चुनाव के लिए प्रभार क 4(3) राज्य विद्यान सभा के उप चुनाव	1.58	35.67	34.09
6.	35–ख–2053–जिला प्रशासन ख1–094–अन्य स्थापना ख 1(1) मानव तंत्र का सुदृढ़ीकरण	24.31	82.55	58.24
7.	40–क–2029 भू–राजस्व क3–104–सरकारी परिसम्पत्तियों का प्रबंधन क3(3) दशम् वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर अभिलेखागार का निर्माण/विस्तार एवं आधुनिकीकरण	57.19	7,19.04	6,61.13
8.	42–क–2501–ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम क–02–सूखाग्रस्त क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम क2(1)–101–लघु सिंचाई क2(1)(1) सूखाग्रस्त क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम जल छाजन विकास कार्यक्रम	35.04	1,46.87	1,11.83
9.	42–ग–2515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग1–001–निदेशन एवं प्रशासन ग1(2) राज्य चुनाव आयोग (पंचायती राज)	8.77	1,12.96	1,04.19
10.	42–2क–4515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय 2क2–103 ग्रामीण विकास 2क2(1)न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (iii) पुरानी सड़कों का सुदृढ़ीकरण	9.06	1,62.71	1,53.65
	कुल	**159.92**	**1457.10**	**1297.18**

परिशिष्ट – XII

नई सेवाएँ/सेवाओं के नये साधन पर बिना बजट प्रावधान के व्यय

(संदर्भ : कंडिका 2.3.8)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन संख्या/लेखा शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	आधिक्य
		(रुपये लाख में)		
1.	1–ग–2415–कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा ग1(2)277–शिक्षा ग1(2)(4)–बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	शून्य	466.67	4,66.67
2.	20–क6–06–लोक स्वास्थ्य क6(3)101 रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण क6(3)(6) केन्द्र योजना कार्यक्रम (i) यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम	शून्य	3,71.37	3,71.37
3.	20–ख–2211–परिवार कल्याण शिशुप्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम–केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम का अनुदान–राष्ट्रीय अवयव एवं सामान्य अवयव	शून्य	24,43.45	24,43.45
4.	22–ख–2852–उद्योग ख–1–सामान्य ख1(1)001–निदेशन एवं प्रशासन ख1(3)(20) औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अनुदान	शून्य	3,00.00	3,00.00
5.	23–ख 1 (3) 102–औद्योगिक उत्पाद ख1(3)(2)सॉफ्टवेयर पार्क, कम्प्यूटर की स्थापना विकास योजना	शून्य	1,00.00	1,00.00
6.	41 पथ एवं पूल ख2–04–जिला एवं अन्य सड़कें ख2(1)800–स्वायत्त निकाय को असैनिक सड़क सहायता	शून्य	2,75.24	2,75.24
7.	44–क–2202–सामान्य शिक्षा क2–02–माध्यमिक शिक्षा क2(800) अन्य व्यय क2(8)(1) सैनिक स्कूल, तिलैया (अनुदान)	शून्य	45.99	45.99
8.	49–2701–शीर्ष एवं मध्यम सिंचाई क–203–मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक क4–80–सामान्य क4(2)–002–आँकड़ों का संकलन क4(2)(1) स्थापना	शून्य	73.74	73.74
	योग	**1,75.67**	**40,76.46**	**40,76.46**

परिशिष्ट – XIII

प्रत्याशित बचतें जिनका अभ्यर्पण नहीं किया गया

(संदर्भ : कंडिका 2.3.9)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन की संख्या एवं नाम	बचत	अनाभ्यर्पित बचत
		(करोड़ रुपये में)	
1.	1 – कृषि विभाग	64.75	49.96
2.	6 – चुनाव	3.31	0.70
3.	7 – निगरानी	1.52	0.20
4.	9 – सहकारिता विभाग	17.08	8.11
5.	10 – उर्जा विभाग	8.23	7.95
6.	11 – उत्पाद एवं निषेद्य विभाग	2.68	0.20
7.	12 – वित्त विभाग	19.39	0.56
8.	17 – वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	9.59	0.85
9.	18 – खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	14.02	2.92
10.	19 – वन एवं पर्यावरण विभाग	64.43	40.86
11.	20 – स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	321.94	227.72
12.	22 – गृह विभाग	229.43	204.37
13.	23 – उद्योग विभाग	39.24	4.31
14.	26 – श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	67.41	4.76
15.	27 – विधि विभाग	25.23	16.50
16.	32 – विधान मंडल	5.58	0.92
17.	35 – योजना एवं विकास विभाग	72.98	54.24
18.	36 – लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	23.95	1.63
19.	37 – राज भाषा विभाग	3.84	3.27
20.	39 – सहाय्य एवं पुनर्वास विभाग	32.90	32.52
21.	40 – राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	70.97	27.62
22.	42 – पथ निर्माण विभाग	42.84	10.48
23.	44 – मध्य, प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग	676.82	418.38
24.	49 – जल संसाधन विभाग	37.99	4.56
25.	50 – लघु सिंचाई विभाग	31.59	4.97
26.	51 – कल्याण विभाग	235.04	164.49
27.	52 – कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	7.31	1.55
	राजस्व अनुभाग (भारित)		
1.	14 – ऋण की अदायगी	1716.93	1715.45
	पूँजीगत अनुभाग (दत्तमत)		
1.	12 – वित्त विभाग	4.16	0.65
2.	23 – उद्योग विभाग	24.69	2.03
3.	30 – अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	27.85	20.35
4.	36 – लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	78.93	12.29
5.	41 – पथ निर्माण विभाग	211.44	9.24
6.	42 – ग्रामीण विकास विभाग	165.31	71.54
7.	47 – परिवहन विभाग	9.36	3.73
8.	49 – जल संसाधन विभाग	347.11	99.83
9.	50 – लघु सिंचाई विभाग	20.23	0.64
	कुल	**4736.07**	**3230.25**

परिशिष्ट – XIV

अनुचित/अत्यधिक अभ्यर्पणों की विवरणी

(संदर्भ : कंडिका 2.3.10)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन संख्या	उपशीर्ष/योजनाएं	प्रावधान (मूल+पूरक)	अभ्यर्पण	व्यय	आधिक्य
			(रुपये लाख में)			
1.	1	2401 फसल पालन क1–001–निदेशन एवं प्रशासन क1(1)निदेशन	246.46	42.19	229.27	25.00
2.	4	घ–2070–अन्य प्रशासनिक सेवाऐं घ3–115–अतिथिशाला सरकारी छात्रावास आदि घ 3 (2) बिहार भवन स्थापना	221.62	24.03	208.89	11.30
3.	5	2012–राष्ट्रपति/उप–राष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ राज्य के प्रशासक क1–03 राज्यपाल संघ राज्य के प्रशासक क1(1)090–सचिवालच क1(1)(1)–सचिवालय	62.33	10.94	91.14	39.75
4.	7	2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ क1–104–निगरानी क1(1) मंत्रीमंडल (निगरानी)	179.83	63.96	132.57	16.70
5.		क1(4)विद्युत निगरानी विद्युत निरोधी चोरी कोषांग	229.62	67.59	182.30	20.29
6.	11	क–2039–राज्य उत्पाद क1–001–निदेशन एवं प्रशासन क1(1) अधीक्षण	249.07	58.49	359.00	168.42
7.	12	क–2013–मंत्रिपरिषद क1–101–मंत्रियों एवं उपमंत्रियों का वेतन क1(1) मंत्रियों	305.34	44.42	266.75	5.83
8.		क–2013–मंत्रिपरिषद क5–800–अन्य व्यय क5(1)–राज्य मंत्रियों	141.00	98.95	96.99	54.94
9.		क5(2) राज्य मंत्रियों	133.40	88.22	75.54	30.36
10.		ख–2052–सचिवालय सामान्य सेवाएँ ख–1090 सचिवालय ख (1) वित्त विभाग	1152.17	182.66	1052.47	82.39
11.		ग–2054–कोषागार लेखा एवं प्रशासन ग–3–097–कोषागार स्थापना ग–3–1–कोषागार एवं अन्य उप–कोषागार	1608.94	786.66	1132.40	310.42
12.		2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ ङ1–800–अन्य व्यय ङ1 (1) अन्य अनदेखा एवं अन्य खर्च (i) अनुकम्पा अनुदान	160.28	91.50	127.47	58.69
13.		क–2013–मंत्रिपरिषद क4–108–मंत्रियों का यात्रा खर्च क4(1) मंत्रियों का यात्रा खर्च	47.89	0.72	115.12	67.95
14.		क4(3)राज्य मंत्रियों का यात्रा खर्च	66.47	0.44	131.56	65.53
15.	20	क–2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य क5(4)(16) नर्स क1(2)–110–अस्पताल दवाखाना	2476.11	348.24	2178.63	50.76

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन संख्या	उपशीर्ष/योजनाऐं	प्रावधान (मूल+ पूरक)	अभ्यर्पण	व्यय	आधिक्य
			(रुपये लाख में)			
		क1(2)(1)–पटना चिकित्सा कॉलेज अस्पताल				
16.		क5(4)105–एलौपैथी क5(4)(1)–पटना चिकित्सा कॉलेज	1373.29	283.81	1135.40	45.92
17.		क5(4)7 एम. जी. एम. चिकित्सा कॉलेज, जमशेदपुर	237.48	107.18	219.08	88.78
18.	22	ग–2056–जेल ग–2–101–जेल ग2(2)–जिला जेल	2631.03	138.95	2725.33	233.25
19.		घ 107–गृह रक्षा वाहिनी घ क(1) ग्रामीण	6919.90	1601.60	5396.97	78.47
20.	23	ख–2852–उद्योग ख1 80–सामान्य ख1(1)001–निदेशन एवं प्रशासन ख1(1)(2) निदेशन	376.74	86.59	348.22	58.07
21.	24	ख–2220–सूचना एवं प्रसार ख2–60–अन्य ख2(4)–106–क्षेत्र प्रसार ख1(1)(1)–जिला चलंत दल	803.00	140.29	827.92	165.21
22.	16	ख–2230–श्रम एवं रोजगार ख1–01–श्रम ख1(1)–001–निदेशन एवं प्रशासन ख1(1)(1) श्रम आयुक्त	195.32	47.62	162.10	14.40
23.	27	ख–2052–सचिवालय सामान्य सेवाएँ ख1–090–सचिवालय ख1(1)विधि विभाग	175.89	35.34	147.00	6.45
24.		क–2052–सचिवालय सामान्य सेवाये क1–090–सचिवालय क1(1) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	51.79	13.72	43.86	5.79
25.	32	2011–विधायिका क1(3)–103–विधायी सचिवालय क1(3)(1)–विधान मंडल सचिवालय	882.43	46.03	905.06	68.66
26.	36	2215–जल आपूर्ति एवं स्वच्छता क1–01–जल आपूर्ति क1(2)–102–ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम क1(2)(1) ग्रामीण नल जलापूर्ति योजना	5630.88	645.48	5825.47	840.07
27.	41	ख–3054–सड़क एवं पूल ख4–80–सामान्य ख4(1)001 निदेशन एवं प्रशासन ख 4(1)(1) निदेशन	667.86	99.17	1190.15	621.46
28.	42	ग–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग 1–001–निदेशन एवं प्रशासन ग1(2) राज्य चुनाव आयोग (पंचायती राज)	87.20	78.43	112.96	104.19
29.		ग1(3) जिला पंचायत स्थापना	13847.26	2120.38	14507.59	2780.71
30.		घ–3451–सचिवालय आर्थिक सेवाएँ घ1–090–सचिवालय घ1(1)ग्रामीण विकास विभाग	227.72	58.50	197.47	28.25
31.	44	क2202 – समान्य शिक्षा क–1–01 प्राथमिक शिक्षा क4–04–प्रौढ़ शिक्षा क–4(3)800–अन्य व्यय क–4(3)(4) प्रौढ़ शिक्षा	360.77	1.68	422.18	63.09
32.	46	ख–3452–पर्यटन ख–1–01–पर्यटन अंत:संरचना ख1(2)101–पर्यटन केन्द्र ख1(2)(1) पर्यटन केन्द्र	92.47	11.92	88.97	8.42

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन संख्या	उपशीर्ष/योजनाऐं	प्रावधान (मूल+ पूरक)	अभ्यर्पण	व्यय	आधिक्य
			(रुपये लाख में)			
33.		ख–3752–पर्यटन ख–2–80–सामान्य ख2(2) 104–प्रोन्नति एवं प्रचार ख2(2)(1)–पर्यटन सूचना एवं प्रचार	39.68	2.91	49.34	12.57
34.	49	2क–4701–शीर्ष एवं मध्यम सिंचाई पर पूँजिगत परिव्यय 2क2(1)छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई योजना 2क2(1)(1) छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई योजना (अन्य ए.आइ.बी.पी., नाबार्ड, एवं आर.आई.डी.एफ) (ii) कार्य	5080.75	3326.60	1948.51	194.36
35.	50	क–2702–लघु सिंचाई क2–020–भूमिगत जल क2–3–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना क2(3)(1) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण	62.29	21.54	58.99	18.24
		कुल	**47023.98**	**10776.18**	**42692.47**	**6444.67**

परिशिष्ट–XV

असमाशोधित व्यय की विवरणी

(संदर्भ : कंडिका 2.3.12)

क्रम सं.	विभाग का नाम		1.4.2000 से 14.11.2000 तक (करोड रूपये में)	इकाई	15.11.2000 से (करोड रूपये में)
1.	वित्त	10	1280.69	57	1821.09
2.	राजस्व एवं भूमि सुधार	59	1684.85	59	97.90
3.	पंचायती राज	163 165	332.01 209.91	163	332.01
4.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	157	295.25	233	247.40
5.	जन कार्य प्रमंडल	44	290.35	32	17.49
6.	परिवहन विभाग	शून्य	शून्य	शून्य	235.55
7.	ग्रामीण विभाग	10	07.71	10	218.36
8.	समाज कल्याण	296	80.60	297	147.40
9.	जल संसाधन	09	206.30	07	145.07
10.	विधि विभाग	18	91.44	18	42.75
11.	मानव संसाधन विभाग	187	25.43	183	49.11
12.	शहरी विकास	115	76.41	शून्य	शून्य
13.	गृह पुलिस	09	36.74	09	26.46
14.	विद्युत विभाग	शून्य	शून्य	04	22.06
15.	खाद्य जन आपूर्ति एवं वाणिज्य	08	11.74	08	18.93
16.	वन एवं पर्यावरण	50	13.77	31	11.73
17.	पशुपालन एवं मत्स्यपालन	05	05.83	03	04.78
18.	पर्यटन	06	01.61	06	01.87
19.	खनन एवं भूगर्भ	शून्य	शून्य	23	00.20
	कुल	**1311**	**4650.64**	**1154**	**3440.16**

परिशिष्ट–XVI

लेखा परीक्षा को समर्पित नहीं किए गए अभिलेखों (वर्ष 1996–2000) की विवरणी

(संदर्भ : कंडिका 3.1.4(iv))

1. आबंटन पंजियाँ
2. भुगतान प्रमाणक
3. आहार पंजियाँ
4. आकस्मिक पंजियाँ
5. जमा पंजियाँ
6. क्रय संचिकाएँ
7. अग्रिम पंजियाँ
8. छात्रवृत्ति भुगतान पंजी
9. बैंक खाता पास बुक
10. दवा/आहार/उपस्करों की भंडारण पंजियाँ
11. सेवा पुस्तिकाएँ
12. भुगतान पंजियाँ
13. निर्धारित प्रोफार्मा/विवरणी के अंतर्गत माँगी गई सूचना

परिशिष्ट–XVII

आवश्यकता से अधिक सामग्रियों के क्रय की विवरणी

(संदर्भ : कंडिका 4.1.10 (i))

				अधिक क्रय			
क्रम स.	प्रमंडल का नाम	वर्ष	कुल क्रय (लाख रुपये में)	सामग्रियों का नाम	मात्रा	दर	मूल्य (लाख रुपये में)
1.	दरभंगा	1997-2001	55.98	तारा पम्प	17 सेट	8511.36	1.45
				65 मिमी जी आई पाईप	108 मीटर	151.00	0.49
				(3 एम आर आर) लम्बाई	1244.20 मीटर	285.00	3.55
				125 मिमी जी आई पाईप	80 अदद	140.50	0.11
				यू पी वी सी एस्ट्रेनर (40 मिमी) आई.एम. III	53 सेट	4597	2.43
				यू पी वी सी एस्ट्रेनर (40 मिमी) जी आई पाईप (65 मिमी)	147 अदद	126.26	0.19
					633 मीटर	151.00	0.96
2.	जमशेदपुर	1997-98	38.27	यू पी भी सी केसिंग आई एम III	11355 मीटर	24127	27.40
					57 अदद	4577	2.60
3.	मधुबनी	1997-2001	116.79	जी आई पाईप (125 मिमी)	34.49 मीटर	384.00	0.13
				–तथैव– (65 मिमी)	44 अदद	509.83	0.22
				–तथैव– (40 मिमी)	325.18 मीटर	84.136	0.27
4.	सासाराम	2000-01	13.04	जी.आई.पाईप (40 मिमी)	2803.83 मीटर	84.35	2.37
					1743.00 मीटर	172.88	3.01
			224.08				**45.18**

परिशिष्ट–XVIII

सामग्रियों का विचलन दर्शाती विवरणी

(संदर्भ : कंडिका 4.1.10 (ii))

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम	विचलन का वर्ष	सामग्रियों का मूल्य (लाख रुपये में)	जिस शीर्ष में विचलन किया गया
1.	चास	1997-99	24.58	एम.एन.पी. दसवें वित्त आयोग (जमा) विशेष मरम्मति
2.	धनबाद	1998-01	34.18	– वही –
3.	ढाका	2000-01	14.89	एम.एन.पी.
4.	गढ़वा	1997-01	12.02	एम.एन.पी. दसवें वित्त आयोग (जमा) विशेष मरम्मति
5.	मधुबनी	2000-01	1.15	एम.एन.पी.
6.	पटना पश्चिम	1997-01	54.10	एम.एन.पी.
7.	राँची पूर्व	2000-01	47.64	एम.एन.पी.
8.	सासाराम	2000-01	0.26	एम.एन.पी.
	कुल		**188.82**	

परिशिष्ट–XIX

अनावश्यक पूरक अनुदान दर्शाती विवरणी

(संदर्भ : कंडिका 4.2.4.1 (i)

वर्ष	अनुदान सं.–28/36 उपशीर्ष के विवरण	पूरक	बचत
		(लाख रुपये में)	
1996-97	ए ए1 (1)(4) केन्द्र प्रायोजित योजना (1) त्वरित शहरी जलापूर्ति योजनान्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों को पेय जल के लिए लेखा अनुदान	139.50	139.50
1996-97	ए ए 2 – 02 मल व्यवस्था एवं सफाई ए ए 2 (1) (1) ग्रामीण सफाई (योजना) (iii)(ए) विशेष नियंत्रण योजना	132.23	132.23
1996-97	(बी) ग्रामीण झीलों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु सहायता अनुदान	20.00	20.00
1997-98	ए ए 1 (2)(6) वाह्य सहाय्य योजना (योजना)	93.70	93.70
	कुल		**385.43**

परिशिष्ट–XX

अव्ययित प्रावधानित निधियों की विवरणी

(संदर्भ : कंडिका 4.2.4.1 (v))

वर्ष	अनुदान सं.–28/36 एवं उपशीर्ष का विवरण	कुल अनुदान	बचत
		(लाख रुपये में)	
1996-97	ए1(4)–796 जनजाति क्षेत्र उप–योजना–पेय जल आपूर्त्ति के लिए स्थानीय निकायों को लेखा अनुदान (योजना)	25.00	25.00
	ए (2)(1)(1) भंगी मुक्ति अभियान (गैर–योजना)	1.25	1.25
	ए 2 (1)(2) जल मल निकासी के लिए स्थानीय निकायों को लेखा अनुदान (योजना)	100.00	100.00
	ए ए 1 (2) – 102 ग्रामीण जलापूर्त्ति योजना (योजना)		
	(i) सामान्य	3.73	3.73
	(ii) विशेष एकीकृत योजना	2.00	2.00
	ए ए 1 (2)(4) नलकूप के द्वारा ग्रामीण जलापूर्त्ति योजना (योजना) (ii) विशेष एकीकृत योजना	1639.65	1639.65
	ए ए 1 (2)(5) आउट डोर योजना की मूलराशि (योजना) (i) सामान्य	18.15	18.15
	(ii) विशेष एकीकृत योजना (योजना)	10.24	10.24
	ए ए 1 (2)(9) केन्द्रीय प्रायोजित योजना (iii) बिहार जल पर्षद गंगा कार्य योजना को अनुदान	450.00	450.00
	ए ए 1 (3)(3) ग्रामीण नल जलापूर्त्ति योजना (कार्य) नलकूप वगैरह (योजना) (i) सामान्य	858.98	858.98
	(ii) विशेष एकीकृत योजना	552.00	552.00
	ए ए 2 – 02 जल–मल निकासी एवं सफाई		
	ए ए 2 (1)–102 ग्रामीण सफाई सेवा (योजना) (i) सामान्य	30.17	30.17
	(ii) विशेष एकीकृत योजना	198.46	198.46
	ए ए ए (1)(2) जनजातीय क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकायों को जलापूर्त्ति के लिए ऋण (योजना)	7.00	7.00
1997-98	ए ए – (3)(1) ग्रामीण नल जलापूर्त्ति योजना (योजना) (i)सामान्य	13.00	13.00
	(ii) विशेष एकीकृत योजना	7.00	7.00
	ए ए 1 (3)(2) 20,000 की जनसंख्या तक की ग्रामीण/अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति (i) सामान्य	148.05	148.05
	(ii) विशेष एकीकृत योजना	87.50	87.50
	ए ए 2 (1) (1) 1 (ए) राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के अंतर्गत प्रदूषण मुक्त स्वर्णरेखा के लिए लेखा अनुदान	30.00	30.00
	ए ए 1 (2)(3) प्रयोगशाला	15.00	15.00
	ए ए 1 (2)(4) प्रशिक्षण	3.75	3.75
	ए ए 2 (2)(1) ग्रामीण सफाई (i) सामान्य	38.68	38.68
	(ii) विशेष एकीकृत योजना	20.57	20.57

वर्ष	अनुदान सं.–28/36 एवं उपशीर्ष का विवरण	कुल अनुदान	बचत
		(लाख रुपये में)	
	ए ए 2 (3)–796–जनजातीय क्षेत्र उप–योजना (i) अण्वेषण	10.00	10.00
	(ii) प्रशिक्षण	1.25	1.25
	ए ए 2 (3)(3) ग्रामीण सफाई योजना (i) सामान्य	10.72	10.72
	(ii) विशेष एकीकृत योजना	7.23	7.23
1998-99	2 ए 1 (1)(4) वाह्य सहाय्य योजना के लिए मूल निधि		
	(ii) विशेष एकीकृत योजना	17.00	17.00
	2 ए 1 (1) ग्रामीण नल जलापूर्ति योजना (v) प्रशिक्षण	3.00	3.00
	(vii) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण	2.36	2.36
	2 ए 1 (2)(2) 20,000 की जनसंख्या तक के ग्रामीण/अर्द्ध शहरी क्षेत्र के लिए जलापूर्ति (i) सामान्य	14.70	14.70
	(ii) विशेष एकीकृत योजना	2.80	2.80
	2 ए 1 (2)(3) ग्रामीण नल जलापूर्ति योजना (नलकूप वगैरह) (iv) मशीन एवं औजार	3.41	3.41
	2 ए 1 (2)(4) ग्रामीण जलापूर्ति योजना (नलकूप) (i) अन्वेषण	6.88	6.88
	(vi) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण	1.23	1.23
1999-2000	3ए 1(2)–796 जनजातीय क्षेत्र उप–योजना 3 ए 1 (2)(1) जलापूर्ति के लिए जनजातीय क्षेत्र के शहरी स्थानीय निकायों को ऋण (योजना)	75.00	75.00
	योग	**4415.76**	**4415.76**

परिशिष्ट–XXI

कुछ अनुदानों के अंतर्गत किये गये अधिक व्यय की विवरणी

(संदर्भ : कंडिका 4.2.4.1 (viii))

वर्ष	अनुदान सं. 28/36 उपशीर्ष का विवरण	बजट प्रावधान	व्यय	आधिक्य
		(लाख रुपये में)		
1996-97	ए 1(2)(1) ग्रामीण नल जलापूर्ति योजना (गै. यो.)	2302.61	3028.27	725.66
	ए 2 (2)(1) बिहार राज्य जल–मल निकासी पर्षद (गै.यो.)	88.17	105.00	16.83
	ए 2 (2)(2) सरकारी भवनों में जलापूर्ति का रख–रखाव	553.53	953.52	399.99
	ए ए (2)(9)(11) ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अधीन स्थापना मूल्यांकन एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ पर व्यय	17.45	19.59	2.14
	ए ए 1 (3)(4) ग्रामीण जलापूर्ति योजना (बोरिंग एवं कूप) मशीन एवं औजार (योजना)	228.09	553.19	325.10
	योग	**3189.85**	**4659.57**	**1469.72**
1997-98	ए(1)(2) हटिया जलापूर्ति योजना (गै.यो.)	320.01	321.47	1.46
	ए(1)(4) जलापूर्ति योजना (गै.यो.)	1146.95	1321.81	174.86
	योग	**1466.96**	**1643.28**	**176.32**
1998-99	ए(1)(4) नगर निगम की जलापूर्ति योजना (गै.यो.)	2930.31	2948.11	17.80
	ए1 (2)(2) हस्त नलकूप, तालाब एवं कूप, उच्च दबाव नल कूप (गै.यो.)	6344.37	6419.15	74.78
	ए1(3)(1) सरकारी भवनों में जलापूर्ति का रख–रखाव (गै. यो.)	1132.75	1201.75	69.00
	2ए1(1)(1) ग्रामीण नल जलापूर्ति योजना (i) साधारण	74.36	100.13	25.77
	तथैव – (ii) मशीन एवं औजार	1064.82	1513.46	448.64
	2 ए 1 (1)(3) बोरिंग एवं कूप के द्वारा ग्रामीण जलापूर्ति योजना (1) साधारण	2884.57	4301.60	1417.03
	2ए1(1)(5) केन्द्र प्रायोजित योजना (i) ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत मूल्यांकन एवं	7.03	8.00	0.97

वर्ष	अनुदान सं. 28/36 उपशीर्ष का विवरण	बजट प्रावधान	व्यय	आधिक्य
		(लाख रुपये में)		
	पर्यवेक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना पर व्यय			
	(ii) त्वरित जलापूर्ति योजना	924.79	1102.29	177.50
	2ए1(2)(3) ग्रा.नि.ज.ओ. योजना (नल कूप वगैरह) (i) सामान्य	619.33	641.50	22.17
	(ii) विशेष एकीकृत योजना	661.40	668.93	7.53
	2ए2(1)(1) ग्रामीण सफाई (योजना)(अन्य क्षेत्र उप–योजना) (i) सामान्य	89.08	92.17	3.09
	(ii) विशेष एकीकृत योजना	48.64	52.64	4.00
	2ए2(1)(2) केन्द्र प्रायोजित योजना (i) ग्रामीण सफाई कार्यक्रम	67.14	91.55	24.41
	योग	**16848.59**	**19141.28**	**2292.69**
1999-2000	ए1(1)101 शहरी जलापूर्ति योजना कार्यक्रम आदित्यपुर जलापूर्ति योजना (गै.यो.)	366.50	451.22	84.72
	ए1(1)(2)हटिया जलापूर्ति योजना (गै. यो.)	653.13	785.42	132.29
	ए1(1)(3) स्वर्णरेखा जलापूर्ति योजना (गै.यो.)	1898.08	1982.06	83.98
	ए1(2)(2) हस्त नल कूप, तालाब, कूप एवं उच्च दबाव नल कूप (गै.यो.)	7756.71	8927.40	1170.69
	2ए1(1)(1) ग्रामीण नल जलापूर्ति योजना (i) सामान्य	12.68	152.42	139.74
	2ए1(1)(3) ग्रामीण जलापूर्ति योजना (बोरिंग एवं कूप के द्वारा) (i) मशीन एवं औजार	1204.39	1292.34	87.95
	2ए1(2)(3) ग्रामीण नल जलापूर्ति योजना, बोरिंग या कूप वगैरह (i) सामान्य	343.30	356.88	13.58
	2ए2(1)(1) ग्रामीण सफाई (योजना) (अन्य क्षेत्र उप–योजना) (ii)विशेष स्वीकृत योजना	48.75	53.52	4.77
	2ए – 4215 पूँजीगत परिव्यय जल आपूर्त्ति एवं सफाई	3783.14	4007.50	224.36
	योग	**16066.68**	**18008.76**	**1942.08**
	कुल योग	**37572.08**	**43452.89**	**5880.81**

परिशिष्ट–XXII

वर्ष 1996–2000 का प्रमंडल–वार लक्ष्य एवं उपलब्धि की विवरणी

(संदर्भ : कंडिका 4.2.5.1)

क्रम सं.	प्रमंडलों के नाम	एम एन पी (निर्माण)		एम एन पी (एस आर)		एआरडब्लूएसपी (निर्माण)		के.ग्रा.स.का. (कम लागत शौचालय)		केएपीवाई (कोशी अमृत पेय जल योजना)			
										एम एन पी		ए आर पी	
		ल	उ	ल	उ	ल	उ	ल	उ	ल	उ	ल	उ
1.	लो. स्वा., आदित्यपुर	1058	768 (73)	365	14 (04)	275	275 (100)	--	--	--	--	--	--
2.	लो. स्वा., अररिया	3911	1890 (48)	1488	1488 (100)	1129	113 (10)	--	--	442	129 (29)	1406	711 (51)
3.	लो. स्वा., औरंगाबाद	1708	1416 (83)	1642	1590 (97)	450	450 (100)	--	--	--	--	-	--
4.	लो. स्वा., भागलपुर (पूर्व)	2862	2170 (76)	686	210 (31)	571	71 (12)	605	74 (12)	--	--	--	--
5.	लो. स्वा., भागलपुर (पश्चिम)	630	628 (100)	1436	1436 (100)	383	86 (22)	340	166 (49)	--	--	--	--
6.	लो. स्वा., बिहारशरीफ	1102	921 (84)	2318	1076 (46)	171	155 (91)	--	--	--	--	--	--
7.	लो. स्वा., दरभंगा	1761	1259 (71)	797	897 (113)	450	311 (69)	773	32 (04)	--	--	--	--
8.	लो. स्वा., देवघर	580	565 (97)	34	34 (100)	242	250 (103)	247	247 (100)	--	--	--	--
9.	लो. स्वा., गिरिडीह	2087	2060 (99)	183	135 (74)	205	192 (94)	235	235 (100)	--	--	--	--
10.	लो. स्वा., गोड्डा	1084	1012 (93)	462	38 08)	220	180 (82)	579	571 (99)	--	--	--	--
11.	लो. स्वा., हाजीपुर	2171	2171 (100)	1963	2297 (117)	600	600 (100)	--	--	--	--	--	-
12.	लो. स्वा., मधुबनी	5271	2514 (48)	1816	1939 (107)	1185	528 (45)	2392	435 (18)	--	--	--	--
13.	लो. स्वा., मोतिहारी	1683	1683 (100)	694	694 (100)	504	460 (91)	--	--	--	--	-	--
14.	लो. स्वा., मुंगेर	916	929 (101)	1913	1913 (100)	300	300 (100)	17	17 (100)	--	--	--	--
15.	लो. स्वा., नवादा	1554	1249 (80)	1878	1165 (62)	220	53 (24)	--	--	--	--	--	--
16.	लो. स्वा., पटना (पूर्व)	1000	888 (89)	1816	1847 (102)	215	174 (81)	--	--	---	---	---	---
17.	लो. स्वा., पूर्णिया	1780	89 (5)	2586	1797 (69)	300	00 (00)	--	--	755	388 (45)	3764	2166 (58)
18.	लो. स्वा., साहेबगंज	2384	1959 (82)	1344	1290 (96)	350	350 (100)	--	--	--	--	--	--
19.	लो. स्वा., समस्तीपुर	3859	1852 (48)	2336	2173 (93)	1318	600 (46)	2709	497 (11)	--	--	--	--
20.	लो. स्वा., सासाराम	4524	2434 (54)	2715	2561 (94)	1618	511 (32)	333	359 (108)	--	--	--	--
21.	लो. स्वा., सिवान	1887	1887 (100)	1772	2270 (128)	648	583 (90)	--	--	--	--	--	--
22.	लो. स्वा., तेनुघाट	774	653 (84)	119	58 (49)	205	138 (67)	--	--	--	--	--	--
	कुल	**44586**	**30997**	**30363**	**26922**	**11559**	**6380**	**8230**	**2633**	**1197**	**517**	**5170**	**2877**

(ल–लक्ष्य, उ–उपलब्धि, कोष्ठक में प्रतिशत)

परिशिष्ट–XXIII

प्रमंडलवार अधिक सामग्रियों के क्रय की विवरणी

(संदर्भ : कंडिका 4.2.7(ii))

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम	तत्काल आवश्यकता के बगैर सामग्रियों का क्रय	व्ययित राशि (रुपये में)
1	लो. स्वा., पटना (पूर्वी)	जीआई पाईप, यूपीवीसी पाईप, स्ट्रेनर, टीएआरए पम्प, आईएम–III और एच पम्प	1569173.00
2	लो. स्वा., पटना (पश्चिम)	जीआई पाईप, यूपीवीसी पाईप, स्ट्रेनर, आईएम–III और एच पम्प	1831539.00
3	लो. स्वा., हिलसा	–वही–	925331.00
4	लो. स्वा., बिहारशरीफ	जीआई पाईप, यूपीवीसी पाईप, स्ट्रेनर, टीएआरए पम्प, आईएम–III और एच पम्प	2626990.00
5	लो. स्वा., आरा	—— वही ——	2586718.00
6	लो. स्वा., बक्सर	—— वही ——	2247568.00
7	लो. स्वा., सासाराम	—— वही ——	4863046.00
8	लो. स्वा., भभुआ	—— वही ——	3279261.00
9	लो. स्वा., गया	—— वही ——	4606818.00
10	लो. स्वा., जहानाबाद	—— वही ——	3524985.00
11	लो. स्वा., नवादा	—— वही ——	3959995.00
12	लो. स्वा., औरंगाबाद	—— वही ——	3183687.00
13	लो. स्वा., भागलपुर (पूर्व)	जीआई पाईप, यूपीवीसी पाईप, स्ट्रेनर, आईएम–III और एच पम्प	1854868.00
14	लो. स्वा., भागलपुर (पश्चिम)	—— वही ——	2284157.00
15	लो. स्वा., बाँका	—— वही ——	2464399.00
16	लो. स्वा., मुंगेर	जीआई पाईप, यूपीवीसी पाईप, स्ट्रेनर, टीएआरए पम्प, आईएम–III और एच पम्प	2186087.00
17	लो. स्वा.,जमुई	जीआई पाईप, यूपीवीसी पाईप, स्ट्रेनर, आईएम–II और एच पम्प	2414658.00
18	लो. स्वा., शेखपुरा	—— वही ——	899739.00
19	लो. स्वा., पूर्णिया	जीआई पाईप, यूपीवीसी पाईप, स्ट्रेनर, बल और उठान, आईएम–III और एच पम्प	29232606.00
20	लो. स्वा., कटिहार	जीआई पाईप, यूपीवीसी पाईप, स्ट्रेनर, बल और उठान	20504219.00
21	लो. स्वा., अररिया	—— वही ——	16320059.00
22	लो. स्वा., मधेपुरा	जीआई पाईप, यूपीवीसी पाईप, स्ट्रेनर, बल और उठान,	8595579.00
23	लो. स्वा., खगड़िया	जीआईपाईप, स्ट्रेनर, बल और उठान आईएम–III और एच पम्प	7665548.00
24	लो. स्वा., यांत्रिक, मुंगेर	यूपीभीसी पाईप	83809.00
25	लो. स्वा., मुजफ्फरपुर	जीआई पाईप, स्ट्रेनर, आईएम–III और एच पम्प	1010919.00
26	लो. स्वा., हाजीपुर	जीआई पाईप, स्ट्रेनर, टीएआरए, आईएम–III और एच पम्प	1012070.00
27	लो. स्वा., सितामढ़ी	जीआई पाईप, स्ट्रेनर, आईएम–III और एच पम्प	1799061.00
28	लो. स्वा., छपरा	जीआई पाईप, स्ट्रेनर, टीएआरए, आईएम–III और एच पम्प	1940001.00
29	लो. स्वा., गोपालगंज	जीआई पाईप, स्ट्रेनर, टीएआरए और एच पम्प	1214228.00
30	लो. स्वा., बेतिया	जीआई पाईप, यूपीवीसी पाईप स्ट्रेनर, टीएआरए पम्प	326524.00
31	लो. स्वा., ढाका	यूपीभीसी पाईप	3036.00
32	लो. स्वा., दरभंगा	जीआई पाईप, यूपीवीसी पाईप, स्ट्रेनर, आईएम–III और एच पम्प	1400088.00
33	लो. स्वा., समस्तीपुर	जीआई पाईप, यूपीवीसी पाईप, स्ट्रेनर, टीएआरए और एच पम्प	10601410.00
34	लो. स्वा., मधुबनी	जीआई पाईप, यूपीवीसी पाईप, स्ट्रेनर और एच पम्प	2528409.00
35	लो. स्वा., बेगूसराय	जीआई पाईप, यूपीवीसी पाईप, स्ट्रेनर, बल और उठान, आईएम–III और एच पम्प	7503799.00
	कुल		**149449084.00**

परिशिष्ट–XXIV

भंडारों के दुर्विनियोजनों की विवरणी

(संदर्भ : कंडिका 4.2.7.1(i))

क्रम सं.	प्रमंडल	भंडार	मूल्य (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
1.	लो. स्वा. यांत्रिक प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	मोटर पम्प सेट	11.70	फरवरी एवं मार्च 2000 में खरीदे गये पम्प सेटों की स्थल लेखे में प्रविष्टि नहीं, यद्यपि क्रय प्रमाणक में यह दर्शाया गया है कि स्थल लेखे में प्रविष्टि की गई है।
2.	लो. स्वा. प्रमंडल, नवादा	पाईप, हैन्ड पम्प इत्यादि	8.47	7 कनीय अभियंताओं को 10वें वित्त आयोग के स्थल लेखा से निर्गत (मार्च 2000 में) सामग्रियों को उनके संबंधित स्थल लेखे में नहीं लिया गया।
3.	लो. स्वा. यांत्रिक प्रमंडल, गया	(i)पम्पिंग सेट	4.09	मार्च 2000 में क्रय किये गये पम्पिंग सेट को कनीय अभियंता (एम), जहानाबाद सेक्शन द्वारा अपने स्थानान्तरण (दिसम्बर 2000) के बाद वापस नहीं किया गया।
4.	लो. स्वा. प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम	हैण्ड पम्प एवं अन्य उपस्कर	2.78	श्री आई. प्रसाद, भूतपूर्व कनीय अभियंता से मई 1999 में श्री एस. एस. सिंह द्वारा लिये गये सामग्रियों को जनवरी 2001 तक लेखा में नहीं लिया गया।
5.	लो. स्वा. प्रमंडल, गिरीडीह	आई एम III हैण्ड पम्प सेट एवं 65 मिमी एम जी आई पाईप	9.99	108 आई.एम. III एच. पी. सेट एवं 2572 मीटर 65 एम एम जी आई पाईप का उपयोग संदेहास्पद था क्योंकि 426 डी टी डब्लू को प्रतिष्ठापित दर्शाया गया जबकि वर्ष 1998–99 में एम.ए.एन.पी. के अधीन 318 डी.टी.डब्लू के निर्माण हुआ।
6.	लो. स्वा. प्रमंडल, मुंगेर	आई.एम. III हैण्ड पम्प सेट	23.10	922 आई.एम. III हस्त पम्प को खपत दिखाया गया जबकि 302 डी.टी.डब्लू का निर्माण हुआ, फलस्वरूप 670 आई.एम. III हस्त पम्प सेट की खपत संदेहास्पद थी।
7.	लो. स्वा. प्रमंडल, मधुबनी	विविध नलकूप सामग्रियाँ	8.87	श्री घुरन यादव, कनीय अभियंता, अवर प्रमंडल झंझारपुर द्वारा अप्रील 2000 में अपने स्थानान्तरण के बाद प्रभार नहीं सौंपा गया।
	–– तथैव ––	एम एस पाईप, सी आई पाईप इत्यादि	46.45	एक भंडारपाल (सुखदेव मिश्र) द्वारा जून 1996 में अपने स्थानान्तरण के बाद भंडार का प्रभार नहीं दिया गया यद्यपि अ.अ. ने जनवरी 1997 में उन्हें निलंबित कर दिया, दुर्विनियोजन की गई सामग्रियों की लागत मार्च 2001 तक उनसे वसूल नहीं की जा सकी।
	कुल		**115.45**	

परिशिष्ट–XXV

मार्च 2001 तक भुगतित लेकिन 30 सितम्बर 2001 तक अप्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र

(संदर्भ:कंडिका 6.2.1)

क्रम सं.	विभाग	अनुदान भुगतान का वर्ष	बकाया		प्राप्त		प्रतीक्षित	
			संख्या	राशि (लाख रुपये में)	संख्या	राशि (लाख रुपये में)	संख्या	राशि (लाख रुपये में)
1.	पशुपालन विभाग	1999-2000 तक	517	1542.13	3	4.30	514	1537.83
		2000-2001	2	47.76			2	47.76
2.	कृषि	1999-2000 तक	168	5311.84	1	541.66	167	4770.18
		2000-2001	6	3148.67	6	3148.67		
3.	सहकारिता	1999-2000 तक	472	7395.38	1	45.69	471	7149.69
		2000-2001	4	2818.23			4	2818.23
4.	शिक्षा	1999-2000 तक	91	7509.58	28	3091.45	63	4418.12
		2000-2001	44	43151.63	30	25283.74	14	17867.39
5.	पुलिस	1999-2000 तक	6	559.94	--		6	559.94
		2000-2001	1	0.58			1	0.58
6.	लोक कार्य	1999-2000 तक	555	512.12	--		555	512.12
		2000-2001	2	281.51			2	281.51
7.	कल्याण	1999-2000 तक	1610	2912.47			1610	2912.47
		2000-2001	4	112.69	3	25.00	1	87.69
8.	शहरी विकास	1999-2000 तक	7169	25934.24	283	2618.07	6886	23316.17
		2000-2001	149	5442.69	3	181.47	146	5261.22
9.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1999-2000 तक	814	2242.56	2	1.05	812	2241.51
		2000-2001	2	3343 35			2	3343.35
10.	उद्योग	1999-2000 तक	2495	33639.88	--		2495	33639.88
		2000-2001	10	736.67			10	736.67
11.	ग्रामिण विकास	1999-2000 तक		289.56	--			
		2000-2001	4				4	289.56
12.	अन्य	1999-2000 तक	6830	35775.83	8	1341.21	6822	34434.62
		2000-2001	102	3986.57	44	171.07	58	3815.50
	योग		**21057**	**186495.88**	**412**	**36453.38**	**20645**	**150042.50**

परिशिष्ट–XXVI

निकास, सड़क एवं जलापूर्ति के प्रावधान के तहत किए गए व्यय की विवरणी

(संदर्भ : कंडिका 6.9.2 (i)(ख))

स्थानीय निकाय के नाम	कुल प्राप्त अनुदान	स्थानीय निकायों का 10% योगदान	कुल	30% की दर से प्रावधानित राशि और खर्च की गई राशि					
				निकास		सड़क		जलापूर्ति	
				प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
	(लाख रुपये में)								
कटिहार	53.52	5.35	58/87	17.66	12.58	17.66	34.24	17.67	शून्य
अररिया	15.68	1.57	17.25	5.17	2.64	5.18	6.36	5.17	शून्य
खगड़िया	11.87	1.19	13.06	3.92	3.36	3.92	2.58	3.91	शून्य
मधेपुरा	11.40	11.14	12.54	3.76	1.33	3.76	7.22	3.76	शून्य
कुल	**92.47**	**9.25**	**101.72**	**30.51**	**19.91**	**30.52**	**50.40**	**30.51**	शून्य

परिशिष्ट–XXVII

विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक/अर्द्ध–वाणिज्यिक उपक्रम, जिन्होंने अपने स्थापना काल से ही प्रोफार्मा लेखा तैयार नहीं किया है

(संदर्भ : कंडिका 7.1)

क्रम सं.	वाणिज्यिक/अर्द्ध–वाणिज्यिक उपक्रमों के नाम	इकाई की संख्या	उपक्रमों की स्थापना की तिथि
	पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग		
1.	केन्द्रीय मुर्गीपालन फॉर्म, पटना	1	दिसम्बर 1948
2.	क्षेत्रीय मुर्गीपालन फॉर्म, भागलपुर	1	दिसम्बर 1959
3.	केन्द्रीय मुर्गीपालन फॉर्म, मुजफ्फरपुर	1	अक्टूबर 1971
	उद्योग विभाग		
4.	आदर्श लौह कार्यशाला	5	1956-61
5.	आदर्श काष्ठ कार्यशाला	8	1956-64
6.	अधिप्राप्ति केन्द्र	7	--
7.	नमक शोराशोधक, महेशी, पूर्वी चंपारण	1	1953
	उत्पाद एवं मद्य–निषेध विभाग		
8.	अफीम भंडार की खरीद एवं बिक्री	1	--
9.	अनाज गोला	1	1947-48
	कुल	**26**	

टिप्पणी :

1. क्रम सं. 1 से 3 तक सभी इकाईयों, जिन्होंने अपने स्थापना काल से प्रोफॉर्मा लेखा तैयार नहीं किया था, की लेखा परीक्षा हो चुकी है।
2. क्रम संख्या 4 आदर्श लौह कार्याशाला, मुंगेर, समस्तीपुर और आरा, जिन्होंने प्रोफॉर्मा लेखा तैयार नहीं किए है, की लेखा–परीक्षा हो चुकी है। शेष इकाईयों को प्रोफॉर्मा लेखा की स्थिति प्रतिवेदित करने के लिए सूचित किया जा रहा है।
3. क्रम संख्या 5 आदर्श काष्ठ कार्यशाला, छपरा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और हाजीपुर, जिसने प्रोफॉर्मा लेखा नहीं तैयार किया है, की लेखा परीक्षा हो चुकी है। शेष 4 इकाईयों को प्रोफॉर्मा लेखा की स्थिति प्रतिवेदित करने के लिए सूचित किया जा रहा है।
4. क्रम संख्या 6 सभी अधिप्राप्ति केन्द्रों को प्रोफॉर्मा लेखा की स्थिति प्रतिवेदित करने के लिए सूचित किया जा रहा है।
5. क्रम संख्या 7 नमक शोरा शोधक महेसी को प्रोफॉर्मा लेखा की स्थिति प्रतिवेदित करने के लिए सूचित किया जा रहा है।

परिशिष्ट–XXVIII

विभाग द्वारा प्रबंधित वाणज्यिक/अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रम जिनके प्रोफॉर्मा लेखे बकाये हैं

(संदर्भ : कंडिका 7.1)

क्रम सं.	वाणज्यिक/अर्द्धवाणिज्यिक उपक्रमों के नाम	प्रोफॉर्मा लेखे के बकाये की अवधि
	कृषि विभाग	
1.	राज्य ट्रैक्टर संगठन, पूर्णिया	1977 से (नवम्बर से अक्टुबर)
	गृह (कारा) विभाग	
2.	उत्पादन विभाग, केन्द्रीय कारा, भागलपुर	1981 से 2000 (जनवरी से दिसम्बर)
3.	उत्पादन विभाग, केन्द्रीय कारा, बक्सर	1987 से 2000 (जनवरी से दिसम्बर)

टिप्पणी :–

1. राज्य ट्रैक्टर संगठन, पूर्णिया के बंद हो जाने की सूचना है (जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णिया के कथनानुसार)।

2. क्रम संख्या 2 और 3 केन्द्रीय जेल, भागलपुर और बक्सर की लेखा–परीक्षा नहीं हुई है।

संबंधित विभागों को प्रोफॉर्मा लेखे की तैयारी की स्थिति प्रतिवेदित करने के लिए सूचित किया जा रहा है।

परिशिष्ट–XXIX

निष्क्रिय मशीनों के ब्यौरे

(संदर्भ : कंडिका 7.2.3 (v))

1. *बिहार सचिवालय प्रेस, गुलजारबाग, पटना*

अनुभाग का नाम	मशीन का नाम	निष्क्रिय मशीनों की संख्या	कब से निष्क्रिय है	कारण
प्रिंटिंग	पी.डी.5	1	--	अनुपलब्ध
	वेबकॉक	2	--	अनुपलब्ध
	ग्राफो	1	--	अनुपलब्ध
	डी.एस.पी.	1	--	अनुपलब्ध
	आर. प्लेटेन	1	--	अनुपलब्ध
	हैण्ड प्लेटेन	1	--	अनुपलब्ध
	इन्डोर लेपेन	1	--	अनुपलब्ध
बाईन्डिंग	रशियन कटिंग (बड़ा)	1	--	अनुपलब्ध
	फोल्डिंग	2	--	अनुपलब्ध
	आल्पस स्टिचिंग	3	--	अनुपलब्ध
	पिंटोग्राफो स्टिचिंग	3	--	अनुपलब्ध
	रशियन	2	--	अनुपलब्ध
	इनवेलप मशीन	1	--	अनुपलब्ध
	डाय मशीन	1	--	अनुपलब्ध
ऑफसेट	प्लानेटा	1	--	अनुपलब्ध
	रोमायार	4	--	अनुपलब्ध
	परफेक्टा कटिंग	1	--	अनुपलब्ध
	ग्लुइंग मशीन	1	--	अनुपलब्ध
	नम्बरिंग मशीन	1	--	अनुपलब्ध
प्रोसेस	व्हीलर मशीन (छोटा)	1	--	अनुपलब्ध
लिनो	मशीनें	4	--	अनुपलब्ध
मोना	मशीनें	12	--	अनुपलब्ध
	कास्टिंग	14	--	अनुपलब्ध
कुल		60		

सरकारी प्रेस और फॉर्म्स, गया

अनुभाग का नाम	मशीन का नाम	निष्क्रिय मशीनों की संख्या	कब से निष्क्रिय है (वर्ष में)	कारण
कम्पोजिंग तथा फाउन्ड्री	न्यू रोटरी (हाइड्रोलिक) प्रेसर मशीन	1	13	संचालक अनुपलब्ध
	शीशा गर्म हीटर मशीन	1	12	संचालक अनुपलब्ध
	फर्नीचर ढलाई मशीन	1	14	संचालक अनुपलब्ध
	प्लेट कटर आरा मशीन	2	14	संचालक अनुपलब्ध
फोटो कैमरा अनुभाग	रिल सिट कटिंग मशीन	1	13	संचालक अनुपलब्ध

अनुभाग का नाम	मशीन का नाम	निष्क्रिय मशीनों की संख्या	कब से निष्क्रिय है (वर्ष में)	कारण
बाईण्डिंग	स्टिचिंग मशीन	7	18	संचालक अनुपलब्ध
	कटिंग मशीन	10	18	संचालक अनुपलब्ध
	फोल्डिंग मशीन	1	18	संचालक अनुपलब्ध
	थ्रेड स्टिचिंग मशीन	4	14	संचालक अनुपलब्ध
	हेली नम्बरिंग मशीन	2	6	संचालक अनुपलब्ध
	इनवेलन पंचिग मशीन	2	18	संचालक अनुपलब्ध
	रोटरी मशीन – 3	2	18	संचालक अनुपलब्ध
	इनवेलप मशीन	1	5	संचालक अनुपलब्ध
छपाई	हेडल वार्ग (10–1)	1	5	संचालक अनुपलब्ध
	हेडल वार्ग (18–1)	1	13	संचालक अनुपलब्ध
	ग्राफ्ट मशीन	1	14	संचालक अनुपलब्ध
	ओ एम 2–1	2	13	संचालक अनुपलब्ध
	टी जी के मशीन	2	13	संचालक अनुपलब्ध
	पी डी – 5 मशीन	2	13	संचालक अनुपलब्ध
	जूपिटर ट्रेवेल	4	13	संचालक अनुपलब्ध
	डिलक्स ट्रवेल	1	13	संचालक अनुपलब्ध
	टिकट छपाई मशीन	2	13	
कुल		51		

सचिवालय शाखा प्रेस,राँची

अनुभाग का नाम	मशीन का नाम	निष्क्रिय मशीनों की संख्या	कब से निष्क्रिय है (वर्ष में)	कारण
छपाई	मुद्रिका	1	4	संचालक अनुपलब्ध
	जापानी फ्लैट	1	4	संचालक अनुपलब्ध
बाईंडिग	फोल्डिंग मशीन	1	15	यांत्रिक
	स्टिचींग मशीन	2	4	–– वही ––
प्लेट बनाई	ग्राईंडिंग मशीन	1	13	संचालक अनुपलब्ध
	प्रेसिजन व्हीलर	1	13	संचालक अनुपलब्ध
	फ्लीपर प्रिंटर	1	13	संचालक अनुपलब्ध
	लाईनिंग अप टेबुल	1	13	संचालक अनुपलब्ध

अनुभाग का नाम	मशीन का नाम	निष्क्रिय मशीनों की संख्या	कब से निष्क्रिय है (वर्ष में)	कारण
	रीटॅचिंग डेस्क	1	13	संचालक अनुपलब्ध
	प्लेट अप बेंच	1	13	संचालक अनुपलब्ध
	कॉन्टैक्ट प्रिंटर	1	13	संचालक अनुपलब्ध
	प्लेट डेवलपिंग टेबुल	1	13	संचालक अनुपलब्ध
	प्लेट प्रोसेसिंग सिंक	1	13	संचालक अनुपलब्ध
	फिल्म प्रोसेसिंग सिंक	1	13	संचालक अनुपलब्ध
	भर्टिकल कैमरा ऑटो कम्पैक्ट	1	13	संचालक अनुपलब्ध
	300 मि.मि. फोकल का एक्स्ट्रा लेंस	1	13	ऑटो कॉम्पेक्ट
	लघु स्टॉप सिलिंडर, एंटिना	1	13	–वही–
कुल		18		

परिशिष्ट–XXX

अभिकरण–वार बकाये देय का विवरण (सचिवालय प्रेस, गुलजार बाग, पटना)

(संदर्भ : कंडिका 7.2.5)

क्रम सं.	विभाग/अभिकरण के नाम	रकम (रुपये में)
1.	भारतीय रिजर्व बैंक, पटना	1783.15
2.	आकाशवाणी, पटना	348.00
3.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना	1439.80
4.	बिहार लोक सेवा आयोग, पटना	170872.05
5.	निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना	19171523.20
6.	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, पटना	189870.85
7.	रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय, पटना	113253.00
8.	महालेखाकार, बिहार, पटना	2679.40
9.	महालेखाकार, बिहार, राँची	148898.75
10.	पशु चिकित्सा विभाग, बिहार, पटना	147608.80
11.	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, बिहार, पटना	64839.45
12.	राजकीय प्रावधिकी शिक्षा परिषद, बिहार, पटना	157892.50
13.	कृषि विभाग, बिहार, पटना	4768.60
14.	कृषि निदेशालय (प्रसार), बिहार, पटना	171217.60
15.	कृषि शिक्षा, बिहार, मीठापुर, पटना एवं कृषि विश्लेषणात्मक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खाजपुरा, पटना	1010249.25
16.	योजना विभाग, बिहार, पटना (सांख्यकी एवं मूल्यांकन)	32060.05
17.	शिक्षा निदेशालय, शोध एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना	21884.15
18.	राजस्व पर्षद, बिहार, पटना, केन्द्रीय परीक्षा परिषद, राजस्व एवं भूमि सुधार, बिहार, पटना	154444.90
19.	पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना	41075.35
20.	क्षेत्रीय रक्त अधिकोष, असैनिक शल्य चिकित्सक, भागलपुर	2583.10
21.	उपेन्द्र महारथी शिल्प कला शोध केन्द्र, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना	46126.65
22.	राजकीय विज्ञान शैक्षणिक संस्थान, बिहार, पटना	29.60
23.	क्षेत्रीय उप–शिक्षा निदेशक, बिहार, पटना	5965.10
24.	बिहार राज्य शिशु कल्याण परिषद, राजभवन, पटना	1897.50
25.	कल्याण एवं वन विभाग, बिहार, पटना	369608.75
26.	पर्यटन विभाग, बिहार, पटना	42521.95
27.	बिहार चिकित्सा निबंधन परिषद, राजेन्द्रनगर, पटना	27648.85
28.	बिहार जल विकास निगम लि॰, पटना	7238.85
29.	प्रभारी विशेष पदाधिकारी, अनुभाजन, पटना	5165.35
30.	योजना एवं ग्रामीण विकास, पटना	39227.70
31.	बिहार राज्य कृषि विपणन परिषद, पटना	148451.80
32.	बुनियादी शिक्षा परिषद, बिहार, पटना	9837.60
33.	सिंचाई एवं गन्ना विभाग, बिहार, पटना	69068.45
34.	बिहार राज्य परिवहन विभाग, पटना	109924.60
35.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना	2294.10
36.	सोन कमाण्ड क्षेत्रीय विकास अभिकरण, पटना	8.75
37.	पंचायती राज निदेशालय, पटना	37997.10
38.	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना	59341.95
39.	अखिल भारतीय असैनिक फुटबाल टूर्नामेंट, सचिवालय, पटना	11971.70
40.	अपराध एवं अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना (एस.पी., आई.जी. एवं डी.जी.पी.)	90185.95
41.	शिक्षा विभाग (राष्ट्र भाषा परिषद) पटना	3348.75
42.	इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना	111466.20

क्रम सं.	विभाग/अभिकरण के नाम	रकम (रुपये में)
43.	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, पटना	1316.35
44.	स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य सेवा, यक्ष्मा, पटना	8163.45
45.	महा डाकपाल, बिहार अंचल, पटना	561.20
46.	राष्ट्रीय बचत, वित्त विभाग, बिहार, पटना	171677.35
47.	शहरी विकास एवं आवास विभाग, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, पटना	5448.75
48.	शिक्षा विभाग, बिहार, पटना	17237.85
49.	राजकीय स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, पटना	10235.95
50.	सहायक निबंधक, बिहार, पटना	1129.45
51.	गृह, विशेष विभाग, बिहार, पटना	33562.05
52.	खनन् एवं भूतत्व विभाग, पटना	36802.70
53.	सिंचाई विभाग, बिहार, पटना	557.25
54.	पथ निर्माण विभाग, पटना	19648.30
55.	निदेशक, भू–अभिलेख एवं माप, पटना	3190.25
56.	बिहार राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम विभाग, पटना	2861.80
57.	सहकारिता विभाग, बिहार, पटना	15757.20
58.	पशु चिकित्सालय एवं फार्म, पटना	30484.65
59.	सहायक निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना	15881.50
60.	सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, पटना	499.90
61.	निर्वाचन पदाधिकारी, दरभंगा, नगर निगम, जिला न्यायाधीश, दरभंगा	552415.65
62.	उप–निदेशक–सह–जन विश्लेषक, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, पटना	6646.35
63.	अपर सचिव–सह–निदेशक, राष्ट्रीय बचत, वित्त विभाग, बिहार, पटना	4637.30
64.	कृषि निदेशक, निदेशालय, राँची	18883.45
65.	सांख्यिकीय वित्त एवं कार्यक्रम विभाग, बिहार, पटना	8535.75
66.	श्रम विभाग, सचिवालय शाखा, राँची	315.85
67.	जिला उपभोक्ता फोरम, श्रीकृष्णापुरी, पटना	6165.85
68.	नगर विमानन विभाग, विमानपत्तन, पटना	1580.85
69.	खाद्य नियंत्रण (लाइसेनसिंग), बिहार, पटना	1905.15
70.	अपर समाहर्त्ता (राहत शाखा), राँची	873.50
71.	प्रमंडलीय वन पदाधिकारी, राँची प्रमण्डल–II, राँची	28825.05
72.	उप–सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना	1747.45
73.	राज्यपाल के सचिव एवं ए डी सी – II, बिहार, पटना	16815.60
74.	अमित खरे, सचिव, राजस्व परिषद, पटना	16165.90
75.	वाणिज्यकर, बिहार, पटना	7333.45
76.	राजकीय कुष्ठ निवारण पदाधिकारी, पटना	953454.90
77.	श्रीमती राजबाला वर्मा, समाहर्त्ता, पटना	3509.80
	योग	**24813447.00**
	प्रेस एवं फार्म, गया	
1.	कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, हाजीपुर	500476.00
2.	कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पटना सिटी	206791.25
3.	संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पटना	7671318.00
4.	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना	29479292.80
5.	उप–समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, गया–सह–निर्वाचन पदाधिकारी, कृषि विपणन परिषद, गया	4939.50
6.	अपर समाहर्त्ता, राजस्व प्रशासन, जल संसाधन विभाग, पटना	41600.00
7.	निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बिहार, पटना	122905.00
	योग	**38027322.55**
	लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, गुलजारबाग, पटना	
1.	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना	**7286525.82**